द्वादश माला, खंड 4, अंक 29

शुक्रवार, 24 जुलाई, 1998

2 श्रावण, 1920 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 59
Date. 25-8-99



(खण्ड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस॰ गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे॰ एस॰ वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय सूची

द्वादश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)

अंक 29, शुक्रवार, 24 जुलाई, 1998/2 श्रावण, 1920 (शक)

विषय		कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख		**1-2**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	542 और 544 से 546	2-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	543 और 547 से 561	25-43
अतारांकित प्रश्न संख्या	5403 से 5632	43-296
सभा पटल पर रखे गए पत्र		**296-300**
सभा का कार्य		**300-305**
नियम 193 के अधीन चर्चा		**305-358**
महिलाओं पर बढ़ता अत्याचार		
श्री शरद पवार		305-312
श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया		312-315
श्री सोमनाथ चटर्जी		315-318
प्रो. ए. के. प्रेमाजम		318-322
श्रीमती सुमित्रा महाजन		322-327
श्रीमती रीना चौधरी		327-329
श्री के. पी. मुनूसामी		329-332
श्रीमती जयंती पटनायक		332-337
डॉ. बीट्रिक्स डिसूजा		337-340
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह		340-343
श्रीमती कैलाशो देवी		343-346
श्री टी. आर. बालू		346-349
श्रीमती भावना कर्दम दवे		349-352
कुमारी किम गंगटे		353-355
डॉ. प्रभा ठाकुर		355-358

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय			कॉलम
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित			**358-360, 401**
	(एक)	पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक (धारा 5 आदि का संशोधन)	
		श्री चन्द्रशेखर साहू	358
	(दो)	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची का संशोधन)	
		श्री विलास मुत्तेमवार	358-359
	(तीन)	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक (धारा 11 का संशोधन)	
		श्री रवि सीताराम नायक	359
	(चार)	पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक (धारा 53 का संशोधन)	
		डॉ. सरोजा बी.	359-360
	(पांच)	चिकित्सा व्यवसाय (विनियमन) विधेयक	
		डॉ. सरोजा वी.	360
	(छह)	संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 16 क का अंतःस्थापन)	
		डॉ. सरोजा वी.	360
	(सात)	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 75 क का अंतःस्थापन आदि)	
		श्री मधुकर सरपोतदार	401
संविधान (संशोधन) विधेयक—विचाराधीन			**361-400**
(अनुच्छेद 15 का संशोधन आदि)			
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री जी. एम. बनातवाला			361-365
श्री चमन लाल गुप्त			365-367
श्री परमशिवम राजा			367-369
श्री खारबेल स्वाईं			369-373
श्री डी. वेणुगोपाल			373-376
श्री मोहन सिंह			376-380
प्रो. अजित कुमार मेहता			380-383
श्री प्रभुनाथ सिंह			383-387
श्री ई. अहमद			387-392
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा			392-393
प्रो. जोगेन्द्र कवाडे			393--395
श्री बी. एम. मेनसिंकाई			395
श्री शैलेन्द्र कुमार			395-397
श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या			397-399
श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन			399-400

लोक सभा

शुक्रवार, 24 जुलाई, 1998/2 श्रावण, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण, मुझे सभा को अपने भूतपूर्व सहयोगी श्री विजयसिंहराव रामराव डफले के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री विजयसिंहराव रामराव डफले 1962–67 के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मिरज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे।

इससे पूर्व वह 1952–62 के दौरान पूर्व बम्बई विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री डफले पेशे से कृषक थे और सुविख्यात सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपने राज्य के लोगों को निःशुल्क प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तथा लगभग निःशुल्क चिकित्सा सहायता देने के लिए प्रयास किए और देश के अनेक धर्मार्थ और सामाजिक संस्थानों को खुलकर दान दिया।

वह एक साहसी व्यक्ति थे और उन्होंने "नवदल" सेना में सम्मिलित होकर 1944 के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रति उनकी सेवाओं के सम्मान में भारतीय नौसेना ने उन्हें लेफ्टीनेंट कमांडर का मानद रैंक प्रदान किया।

श्री विजयसिंहराव रामराव डफले का निधन 89 वर्ष की आयु में 12 जुलाई, 1998 को सांगली महाराष्ट्र में हुआ।

हमें इस मित्र के निधन का गहरा शोक है और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर के लिये मौन धारण करेगी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, सरकार ने इस सदन को यह आश्वासन दिया था कि यह जैन आयोग की रिपोर्ट इस सत्र के अन्त तक सभा पटल पर रख देगी। किन्तु कल, मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि रिपोर्ट और की गई कार्रवाई रिपोर्ट की जांच के लिए मंत्रियों का एक दल का गठन किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप इस मामले को शून्यकाल के दौरान उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. प्रभा ठाकुर : अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)* माननीय संसदीय कार्य मंत्री के बयान के बावजूद आज हमें अखबारों से जानकारी प्राप्त हुई है कि श्री राजीव गांधी की हत्या से संबंधित जैन कमीशन की जो रिपोर्ट सदन में रखी जानी थी, उसे फिलहाल टाला जा रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। प्रश्न संख्या 542, श्री आर. साम्बासिवाराव।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

शेयर बाजार

\+

***542. श्री आर. साम्बासिवा राव :**

श्री अमन कुमार नागरा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में शेयर बाजारों में कुछ शेयरों के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कुछ शेयरों के मूल्य में हेराफेरी किए जाने के क्या कारण हैं और इन शेयरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने शेयर बाजारों में इनके मूल्यों में बनावटी उतार–चढ़ाव किए जाने और भुगतान संकट के बारे में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो छोटे निवेशकों को शेयरों के मूल्यों में बनावटी उतार–चढ़ाव से बचाने के लिए भविष्य में मूल्यों में इस प्रकार की हेराफेरी को रोकने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) बी. पी. एल. लिमिटेड, वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, पेंटाफॉर सॉफ्टवेयर लिमिटेड की स्क्रिपों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसे बहुत से कारक हैं जो स्टॉक बाजार में कीमतों को प्रभावित करते हैं। इनमें शामिल हैं–कारपोरेट क्षेत्र के निष्पादन और सामान्यतः अर्थव्यवस्था के संबंध में निवेशकों की प्रत्याशाएं, सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में निवेशकों की धारणाएं, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में घटनाक्रम, सट्टेबाजी की गतिविधियां आदि। सरकार और स्टाक बाजार विनियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि स्टाक बाजार, विनियामक के नियमों और विनियमों के पूर्ण अनुपालन सहित सुव्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से प्रचालन करें। मई, 1998 से स्टाक सूचकांकों का उतार–चढ़ाव अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) सेबी ने उपर्युक्त (क) में उल्लिखित स्क्रिपों में संदिग्ध कीमत संबंधी धोखाधड़ी के संबंध में जांच–पड़ताल शुरू की है। जांच–पड़ताल अभी चल रही है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

अनुबन्ध

मई, 1998 से स्टाक सूचकांकों का उतार–चढ़ाव

दिनांक	बी. एस. ई. सेनसैक्स	एन. एस. ई.–50
1	2	3
04/05/98	4132.81	1185.15
05/05/98	4147.29	1188.10
06/05/98	4069.79	1172.45
08/05/98	4022.20	1161.55
12/05/98	3945.13	1132.25
13/05/98	3782.76	1094.10
14/05/98	3897.94	1118.65
15/05/98	3849.80	1110.10
18/05/98	3908.48	1119.80
19/05/98	3924.42	1121.75
20/05/98	3956.93	1141.30
21/05/98	3908.79	1126.15
22/05/98	3897.10	1126.55
25/05/98	3908.11	1122.95
26/05/98	3875.06	1104.45
27/05/98	3777.19	1090.95
28/05/98	3721.93	1075.55
29/05/98	3686.39	1063.15
01/06/98	3642.68	1053.75
02/06/98	3573.21	1019.60
03/06/98	3597.98	1033.90
04/06/98	3546.21	1027.00
05/06/98	3417.89	993.50
08/06/98	3416.73	968.60
09/06/98	3468.07	995.05
10/06/98	3311.41	962.90
11/06/98	3335.76	961.35
12/06/98	3347.41	971.15
15/06/98	3152.96	916.80
16/06/98	3161.08	910.10
17/06/98	3400.95	976.50
18/06/98	3292.33	956.15
19/06/98	3143.10	913.25
22/06/98	3078.51	880.20
23/06/98	3037.34	875.60
24/06/98	3143.64	908.50
25/06/98	3208.54	932.15
26/06/98	3168.82	924.35
29/06/98	3289.56	949.10
30/06/98	3250.69	941.65

1	2	3
01/07/98	3230.60	942.25
02/07/98	3180.73	919.90
03/07/98	3089.02	900.55
06/07/98	3178.31	918.75
07/07/98	3195.94	944.15
09/07/98	3331.98	961.05
10/07/98	3401.74	980.15
13/07/98	3322.17	964.35
14/07/98	3371.50	967.35
15/07/98	3365.72	971.40
16/07/98	3488.77	1004.05
17/07/98	3470.80	1000.95
20/07/98	3384.75	977.30

श्री आर. साम्बासिवा राव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि 'सेबी' द्वारा आरम्भ की गई जांच में यह भी देखा जाएगा कि स्टॉक के मूल्यों में वृद्धि क्यों हुई और दलालों ने चुनिंदा बाजारों में स्थिति कैसे मजबूत की और क्या सम्बन्धित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा शेयरों के भाव बढ़ाने और भुगतान संकट को रोकने के लिए की गई कार्रवाही समुचित थी अथवा नहीं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लगाए गए विशेष अन्तर को क्या अचानक वापस ले लिया गया था। 'सेबी' द्वारा अन्तर लागू करने तथा भागीदारों द्वारा मामले शीघ्र निपटाने के लिए व्यापार विनियमन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, जैसा कि प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट है कि चार प्रतिभूतियों के मामले में कुछ निश्चित दिन और सप्ताह के दौरान मुम्बई में अस्थिरता रही। इससे मूल्यों में वृद्धि और इनमें अस्थिरता के बारे में सवाल उठे और तब यह मामला नियामक, अर्थात् 'सेबी' के समक्ष आया। उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दिए। अब मामले की जांच लम्बित पड़ी है। 'सेबी' ने कुछ ऐसे उपाय किए हैं जिससे कि अस्थिरता न हो। उदाहरण के लिए, 15 जून को 'सेबी' ने बकाया व्यापार स्थिति पर दो अतिरिक्त छूटें दीं। 'सेबी' ने बढ़ोत्तरी वाली केरीड फारवर्ड की स्थिति में 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट तथा 5 प्रतिशत केन्द्रीय स्थिति पर छूट दी। यदि किसी स्टॉक में निपटान के अन्त में किसी स्टाक की अग्रेषित राशि के कुल भुगतान किए गए शेयर से 3 प्रतिशत से अधिक है तो प्रत्येक 1 प्रतिशत बढ़ी हुई राशि पर अथवा विद्यमान अग्रेषित राशि की कुल वृद्धि के उस भाग पर 10 प्रतिशत की छूट दी जानी थी। व्यक्तिगत स्टॉक की बकाया स्थिति पर 5 प्रतिशत की अन्य छूट दी जानी है। इसकी गणना के लिए निम्नलिखित तीन स्तर बनाए गए हैं :

(क) जहां किसी एक प्रतिभूति में जमा किसी दलाल की कुल बकाया राशि से 50 प्रतिशत से अधिक हो।

(ख) जहां किन्हीं दो प्रतिभूतियों में कुल जमा 65 प्रतिशत से अधिक हो।

(ग) जहां किन्हीं तीन प्रतिभूतियों में जमा 80 प्रतिशत से अधिक हो।

विचार यह है कि सदस्य को सभी प्रतिभूतियों पर नजर रखनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की हेराफेरी न हो और यदि प्रतिभूतियों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो तो उसे हानि न हो।

'सेबी' द्वारा जांच कार्य पूरा होने तक यह उपाय किए गए हैं।

श्री आर. साम्बासिवा राव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मुम्बई स्टॉक एक्चेंज को संकट से उबारने की प्रक्रिया किसी प्रकार के जोड़-तोड़ का अंग तो नहीं है और क्या दलाल तथा इसके पीछे अन्य लोगों की पहचान कर ली गई है और उनके विरुद्ध 'सेबी' अधिनियम के अन्तर्गत समुचित कार्रवाई की गई है।

श्री यशवन्त सिन्हा : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मामले की जांच 'सेबी' द्वारा की जा रही है कि क्या मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज अथवा मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज में किसी अन्य की इसमें कोई भूमिका थी और क्या मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज ने अपने दायित्व का निर्वहन किया। *...(व्यवधान)*

क्या मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज ने वह भूमिका अदा की जो कि इसे करनी चाहिए थी। क्या.निगरानी तंत्र भलीभांति सक्रिय था। इन सभी मामलों की जांच 'सेबी' कर रही है और हम आगे की कार्रवाई जांच पूरी होने पर करेंगे।

श्री आर. साम्बासिवा राव : किन्तु मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज ने स्वयं ऐसा किया है। प्रारम्भिक कार्रवाई की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री अमन कुमार नागरा : अध्यक्ष महोदय, शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसा देखने में आया है कि हर्षद मेहता कांड के बाद शेयर प्राइसेज एकदम डाउन हुए। उस समय भी यही जांच-पड़ताल चलती रही। उसके बाद जब न्यूक्लियर टैस्ट हुआ, फिर शेयर प्राइस एकदम डाउन हुए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में क्या कदम उठा रही है कि ऐसे कांड दुबारा न घटें ? मंत्री जी ने इस विषय में एक बात कही थी कि न्यूक्लियर टैस्ट के बाद कुछ दरारें आई हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था में जो दरारें पड़ी हैं, उसके लिए कौन-सा ऐसा सीमेंट है जिसे लगाकर बाजार उन्नत किया जा सके ताकि छोटे निवेशकों को तरक्की करने का मौका मिले ?

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि शेयर बाजार में उतार–चढ़ाव होते हैं और सीमाओं के भीतर उतार–चढ़ाव शेयर बाजार की प्रकृति में है, उसकी नेचर में है। अगर उतार–चढ़ाव बहुत ज्यादा होने लगें तो उसके लिए व्यवस्थाएं हैं, जिसको सर्किट ब्रेकर कहते हैं। अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर बढ़े या बहुत ज्यादा नीचे गिरे, तब एक चेतावनी देने वाली व्यवस्था है, जो स्वयं कारगर हो जाती है, क्रियान्वित हो जाती है, लेकिन उस व्यवस्था के तहत भी सम्भव है कि धीरे–धीरे करके कुछ शेयरों को यदि कुछ लोग चाहें तो कई सप्ताहों के भीतर ऊपर उठा सकते हैं और यही हमारे ध्यान में यानी सेबी के ध्यान में आया कि कुछ कम्पनियों के शेयर इतने ज्यादा ऊपर उठ रहे थे कि अब इसमें गिरावट शुरू हुई तो एक संकट का माहौल पैदा हुआ। मुझे यह कहते हुए संतोष है कि कहीं पर कोई पेमेण्ट क्राइसिस नहीं हुआ, क्योंकि यह ताकत, यह शक्ति हमारे स्टॉक एक्सचेंजेज में है कि हम पेमेण्ट क्राइसिस नहीं होने देते हैं और उसके लिए व्यवस्थाएं भी हैं। लेकिन फिर भी रैगुलेटर की तरह नियंत्रक की यही भूमिका है कि वह देखे कि मार्केट में बहुत चढ़ाव न हो, बहुत उतार नहीं हो और उसके लिए बहुत से नियम, कानून कायदे हैं।

जो दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य का था कि कौन सा सीमेंट हम लगाएंगे, परमाणु परीक्षणों के बाद जो दरारें पड़ गई हैं, मैं सदन से इतना कहना चाहूंगा कि कोई दरार नहीं पड़ी है। यदि कहीं पर थोड़ी सी खरोंच भी है तो हमारे पास राष्ट्र शक्ति का इतना मजबूत सीमेंट है कि वह सब दरारों को बन्द कर देगा।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए एक अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने एक बात पर ध्यान दिया है कि कुछ नियमित निकायों के प्रतिभूतियों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हम जानते हैं कि पूंजी बाजार में हुई असामान्य वृद्धि का असर पूरी अर्थ व्यवस्था पर पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप बाजार में कीमतें बढ़ती हैं। इस बात के मद्देनजर क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि आम बाजार तथा सामान्य अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कौन से विशेष कदम उठाए गए हैं ?

श्री यशवन्त सिन्हा : उनके प्रश्न का आशय मैं ठीक से नहीं समझ पा रहा हूं। क्या उनका आशय मुम्बई स्टाक एक्सचेंज के प्रतिभूतियों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने से है या सामान्य मूल्य वृद्धि को नियमित करने से है।

श्री सुधीर गिरि : यह सामान्य कीमतों में वृद्धि के बारे में है क्योंकि इस वृद्धि का असर सामान्य अर्थ–व्यवस्था में दिखाई पड़ता है।

श्री यशवन्त सिन्हा : सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से कारक हैं जिनसे शेयर की कीमतें घटती–बढ़ती हैं। अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है जिसे हम 'सैन्टीमेंट'' कहते हैं जिससे यह घटती–बढ़ती हैं। ऐसे बहुत से कारक हैं जो इस 'सेंटीमेंट' को प्रभावित करते हैं। ये कारक आंतरिक भी हो सकते हैं तथा आर्थिक भी। ये राजनैतिक भी हो सकते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय भी। कल संवेदी सूचकांक 100 बिन्दुओं से नीचे गिर गया क्योंकि जापान में शेयरों के मूल्य घट गये। इसलिए ऐसे कई कारक हैं जो बाजार में सेन्टीमेंट को प्रभावित कर रहे हैं। इस सेन्टीमेंट के अनुसार ही संवेदी सूचकांक बढ़ जाता है तथा गिर भी जाता है। हमेशा यह कहना सही नहीं है कि यह अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है अथवा इससे संबंधित है। यह तो प्रायः अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति से पूर्णतः भिन्न रहता है। वे अपनी छोटी सी दुनिया के कायदों के अनुसार कार्य करते हैं। अर्थ व्यवस्था अपने तरीके से चलती है। इसलिए इनमें हमेशा कोई परस्पर संबंध नहीं होता है।

जहां तक आम कीमतों का संबंध है, हमने कई बार इस सदन में इस पर चर्चा की है। मैं भी मानता हूं कि यह प्रत्यक्ष रूप से इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं इस प्रश्नका उत्तर न देते हुए इस सभा का समय बचाता हूं।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि जांच पड़ताल शुरू की है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो जांच–पड़ताल शुरू हुई है, वह कब खत्म होने वाली है ? हर्षद मेहता सरीखे जो ब्रोकर हुए हैं, उनकी वजह से जो छोटे–छोटे लोग शेयरों में पैसा लगाते हैं, उनको दिक्कत हो जाती है। हर्षद मेहता जैसे लोग ज्यादा न हों और छोटे–छोटे लोग जो शेयरों में पैसा लगाते हैं, इन लोगों को तकलीफ न हो, इस बारे में क्या आपने कोई योजना बनाई है ?

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि 1992 में जो मशहूर स्कैम हुआ था, उसकी जांच के लिए एक संसदीय समिति बनी थी। मुझे भी उस जांच समिति में एक सदस्य के नाते काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समिति ने अपनी सिफारिशें संसद में प्रस्तुत की थीं, जिनके आधार पर सरकार ने कई प्रकार के कदम उठाए, ताकि उस प्रकार का स्कैम दोबारा न हो। अभी जो स्कैम हुआ है, उसकी तुलना कतई उस स्कैम से नहीं की जा सकती है। यह उठाए गए कदमों का ही परिणाम है कि अब तत्काल हम इन परिस्थितियों को पहचान लेते हैं, उनको आइडैंटिफाई कर लेते हैं और उस पर तत्काल कार्यवाही करते हैं। पिछले माह के मध्य से लगभग 15 जून के बाद सेबी के द्वारा जांच की कार्यवाही शुरू हुई है और मैंने सदन में आने के पहले सेबी से पूछा कि और कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा कि छः–आठ हफ्तों में उसकी जांच पूरी कर लेंगे। उसके बाद जो भी उचित होगा, वे कदम उठाएंगे।

[अनुवाद]

डॉ. सी. पी. ठाकुर : महोदय, यह हर्षद मेहता वाला प्रकरण वित्त विभाग, बैंकिंग विभाग, सतर्कता विभाग तथा आयकर विभाग के रहते हुआ। इस प्रकरण के बाद फिर कोई अनियमितता हो गई है।

इसलिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, क्या माननीय वित्त मंत्री जी कोई सख्त कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसा न हो सके ?

श्री यशवन्त सिन्हा : हां, अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि 1992 में प्रतिभूति घोटाला हुआ था हालांकि इससे निपटने के लिए उस समय कई उपाय, कानून तथा नियम थे। लेकिन यह निरंतर चलने वाली लड़ाई है एक वे जो नियम और कानून बनाने, इन्हें कार्यान्वित करने वालों और दूसरे वे जो इनका उल्लंघन करने वालों के बीच चलती रहती है, इन्हें तोड़ना चाहते हैं। यह तो निरंतर चलने वाली लड़ाई है और अब भी जारी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इधर–उधर कमियों को ढूंढ़ते रहते हैं तथा उनका लाभ उठाते हैं। लेकिन मैंने जैसा अभी कहा है, मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 1992 के प्रतिभूति घोटाले तथा संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद कई बहुत से सख्त उपाय किये गये हैं। मैं इस सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब जो हुआ है वह बहुत ही छोटे पैमाने पर हुआ है लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सब बातें स्टॉक बाजार में न हों। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पहले ही जांच–पड़ताल शुरू कर दी है। मैं इस सभा को इस बात से आश्वस्त कर सकता हूं कि हम न केवल सुव्यवस्थित ढंग से सुधार करेंगे बल्कि हम इस विशेष मामले में अपराधियों के खिलाफ सख्त–से–सख्त कदम भी उठायेंगे।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन सालों से लगातार देख रहे हैं कि जो पैसा मार्केट के माध्यम से रेज़ किया जाता है, उसमें इशूज भी घटते जा रहे हैं और पैसा भी घटता जा रहा है। चिन्ता की बात है कि इन्डस्ट्रीज को पैसा बैंकों से नहीं मिल रहा है, क्योंकि बैंकों में क्रेडिट स्क्वीज़ है और जो पिछली सरकारें रही हैं, उन्होंने इन्फ्लेशन को कन्ट्रोल करने के लिए और मनी की सप्लाई को कम करने के लिए तथा उद्योगों को जो पैसा बैंकों से दिया जाता था, उस पर कन्ट्रोल कर दिया था।

अब इंडस्ट्री के सामने यह समस्या है कि अगर उनको पैसा चाहिए तो वे वर्किंग केपिटल के लिए पैसा कहां से लाएं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या सरकार समझती है कि इस समय मनी मार्किट को थोड़ा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

यदि सरकार कहती है कि हमें उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए तब सरकार ऐसे क्या कदम उठा रही है ताकि बाजार में और अधिक शेयर आ सकें, उनसे अधिक धन जुटाया जा सके तथा उद्योगों को कुछ राहत दी जा सके ?

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मार्केट्स दो तरह की हैं–एक जिसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं और दूसरी सैकेंड्री मार्केट है। अभी तक हम सैकेंड्री मार्केट की चर्चा कर रहे थे और यह प्रश्न भी सैकेंड्री मार्केट से संबंधित है। सैकेंड्री मार्केट में जो शेयर्स मुंबई स्टाक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उनकी रोज खरीद–फरोख्त होती है, ऊपर–नीचे आते–जाते हैं, वह अपनी जगह पर हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उसका संबंध प्राइमरी मार्केट से है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट से नये इश्यूज आते हैं जो कम्पनियां पूरे डिसक्लोजर के बाद मार्केट में लाती हैं और उसके आधार पर पैसा उगाहने का प्रयास करती हैं।

महोदय, माननीय सदस्य के दोनों प्रश्न सही हैं। पिछले वर्षों में एक तरफ बैंकों से उद्योगों को जो समर्थन मिलना चाहिए वह नहीं मिला और दूसरी ओर प्राइमरी मार्केट भी बहुत नीचे रहा, यह चिन्ता का विषय है। इसीलिए मैंने अपने बजट भाषण में इसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा था कि देश में इस बात की आवश्यकता है कि जिन लाखों छोटे निवेशकों का केपिटल मार्केट से विश्वास उठ गया है उनका विश्वास पुनः कायम करके हम उनको इस बात के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें कि वे बिना किसी आशंका और डर के स्टाक मार्केट में अपना पैसा लगाएं। उसके लिए बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। उसमें जिस भी सुधार की आवश्यकता है, छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए उस पर हम विचार कर रहे हैं।

[अनुवाद]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को आयकर से छूट

***544. श्री दिन्शा पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को किसी भी राज्य सरकार से निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं स्थापित करने के लिए किए गए निवेश पर आयकर के भुगतान को छूट देने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80–झ क के प्रावधान में संशोधन करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) श्री वाई. के. अलग, पूर्व राज्य मंत्री तथा अग्रेषित अपर सचिव, गुजरात सरकार से आयकर अधिनियम की धारा 80–झ क के उपबन्धों के अन्तर्गत निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैसी

बुनियादी सुविधाओं को स्थापित करने के लिए किए गए निवेश को आयकर से छूट देने संबंधी पत्र प्राप्त हुआ है।

सरकार ने सुझाव पर विचार किया है।

धारा 80–झ क के अंतर्गत उपबंधों का आशय सड़क, राजमार्ग आदि विद्युत, खनिज तेल जैसी मूलभूत बुनियादी सुविधाओं के प्रोत्साहन देने से है और न कि कार्मिक प्रशिक्षण अथवा रोजगार जैसे कम महत्वपूर्ण अथवा गौण कार्यकलापों से है।

(ग) धारा 80–झ क के उपबन्धों में संशोधन करने के प्रस्ताव 1998 वित्त विधेयक (सं. 2) में निहित हैं। तथापि, इसमें उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित गुजरात सरकार के विशिष्ट सुझाव के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री दिन्शा पटेल : अध्यक्ष जी, मंत्री जी जवाब पढ़ रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी को प्राइवेट आई. टी. आईज द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसीलिटीज जैसे स्कूल, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, खेल–कूद के मैदान, इंडस्ट्रियल शेड, कम्प्यूटर सेंटर्स आदि स्थापित करने के लिए किए गए निवेश पर आयकर के भुगतान से छूट देने के संबंध में किसी भी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? सरकारी आई. टी. आईज में सभी लड़कों को प्रवेश नहीं मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : आप भी पढ़ रहे हैं।

श्री दिन्शा पटेल : मिनिस्टर साहब रिप्लाई पढ़ रहे हैं तो मुझे भी प्रश्न पढ़ना ही पढ़ेगा। अध्यक्ष जी, सरकारी आई. टी. आईज में लड़कों को प्रवेश नहीं मिलता है तभी वे प्राइवेट आई. टी. आईज में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। आज हमारे बच्चों के सामने रोजगार का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। सरकार द्वारा रिटायरमेंट की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर देने से उनको रोजगार मिलना और भी मुश्किल हो गया है। इसलिए प्राइवेट आई. टी. आईज को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद और कुछ टैक्स में राहत मिल जाए, इसके लिए केन्द्र सरकार क्या सोच रही है ?

[अनुवाद]

श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन : महोदय, यह प्रश्न आयकर अधिनियम की धारा 80 I (क) से संबंधित है, जो बुनियादी सुविधाओं के विकास को रियायत प्रदान करती है। बुनियादी सुविधाओं के विकास के क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास जगाने के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में राकेश मोहन समिति में सन्निहित सिफारिशों के अनुसरण में आयकर अधिनियम की धारा 80 I (क) के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु वित्त मंत्रालय ने इस प्रसुविधा की व्यवस्था की थी। राकेश मोहन समिति की सिफारिश ऊर्जा, दूर संचार, क्षेत्रीय विकास इत्यादि के लिए है। परन्तु जहां तक आई. टी. आई. का सम्बन्ध है, सामाजिक आधारभूत सुविधाओं विशेष रूप से मानव संसाधन विकास को वित्तीय प्रसुविधा के लिए नहीं लिया गया है, क्योंकि शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधि वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य प्रस्ताव है।

धारा 10(22) के अधीन उपबंध [अब प्रस्तावित धारा 10(23ग)] पूर्णतया शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बने विश्वविद्यालय अथवा ऐसी शैक्षिक संस्थाओं की आय को कर से छूट प्रदान करने के लिए है न कि मुनाफे के लिए।

अतः, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थायें जहां उद्देश्य पूर्णतया शिक्षा को बढ़ावा देने का होता है, इस प्रसुविधा को प्राप्त करने को प्राथमिकता देती है। ऐसी स्थिति में, यह आई. टी. आई. विशेष रूप से गुजरात में, जहां पूर्व मंत्री ने वित्त मंत्री से आवेदन किया है, आधारभूत संरचना विकास के अंतर्गत नहीं आता। यह वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य इकाई नहीं है। अतः, यह आयकर अधिनियम की धारा 80(I क) के अंतर्गत नहीं आयेगा।

[हिन्दी]

श्री दिन्शा पटेल : अध्यक्ष जी, मैंने प्राइवेट सेक्टर के बारे में प्रश्न पूछा है। जो सरकारी आई. टी. आईज हैं उनको सब सुविधाएं मिलती हैं लेकिन जिन लड़कों को सरकारी आई. टी. आईज में प्रवेश नहीं मिलता है वे प्राइवेट आई. टी. आईज में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। रोजगार मिलना आज तक बहुत बड़ी समस्या है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि गुजरात सरकार ने उन्हें एक खत भी लिखा है। मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात सरकार ने आपको कब खत लिखा? प्रो. अलघ की बात भी आपने की है। गुजरात के अलावा सारे देश में बहुत से प्राइवेट आई. टी. आईज हैं। आज देश में बेकारी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। गुजरात में पढ़े लिखे 7 लाख लड़के बेकार हैं और कम पढ़े लिखे लड़कों की संख्या 13 लाख से ऊपर है। सारे देश में दो करोड़ के करीब नौजवान बेकार हैं। बेकारी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये नौजवान जब प्राइवेट आई. टी. आईज में पढ़ कर वैल्डिंग, बाइंडिंग, कम्प्यूटर, लैथ–मशीन और बहुत सारे ट्रेड सीखकर अपना व्यवसाय कर सकते हैं तो अपने रोजगार के लिए उन्हें कुछ मदद मिले, इसके लिए सरकार क्या सोच रही है ? दूसरा, गुजरात सरकार ने जो खत लिखा है उसमें क्या मांग की है, वह खत आपको कब लिखा गया है, क्या आपने गुजरात सरकार को उस पत्र का उत्तर दिया है, और दिया है तो क्या उत्तर दिया है।

[अनुवाद]

श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा लिखे एक पत्र के सम्बन्ध में मामला उठाया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिन्शा पटेल : अध्यक्ष जी, मैंने प्राइवेट आई. टी. आईज को मदद देने के बारे में प्रश्न किया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, यह प्रश्न मिनी आई. टी. आईज को रियायत प्रदान करने के बारे में है।

श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन : महोदय, चाहे वह निजी हो अथवा सरकारी आई. टी. आई. तो आई. टी. आई. ही है। यह प्रश्न बुनियादी सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में नहीं है। 80–(I क) के अंतर्गत कोई छूट नहीं दी जायेगी। यदि आप पत्र, दिनांक इत्यादि जानना चाहते हैं तो गुजरात सरकार ने जो लिखा और केन्द्र सरकार ने जो उत्तर दिया था, वह पढ़कर सुना सकता हूं।

श्री ए. सी. जोस : यह प्रश्न आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित है। उत्तर के दूसरे भाग में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बुनियादी सुविधाओं के विकास जैसे सड़क, पुल इत्यादि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मेरी दूसरी मांग यह है कि इसमें हवाई–अड्डे भी शामिल किये जायें। मेरा निर्वाचन–क्षेत्र, मुकुन्दपुरम में नेडूम्पास्सेरी में कोचीन हवाई अड्डे का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। हमें हवाई अड्डे हेतु चीन से हवाई पुलों (एरोब्रिजीज) का आयात करना है। बहुत सी चीजों का आयात करना है। इस हवाई अड्डे का स्वामित्व केरल सरकार द्वारा प्रायोजित एक निजी कंपनी के पास है। अतः, यह नहीं कहा जा सकता कि यह पूर्णतः निजी कंपनी है। मेरा प्रश्न यह है कि यदि विमानपत्तन–प्राधिकरण अथवा वह निजी कंपनी हवाई–पुलों के आयात के लिए आवेदन करती है, तो क्या माननीय मंत्री बुनियादी सुविधाओं के विकास करने सम्बन्धी रियायत प्रदान करने पर विचार करेंगे ?...*(व्यवधान)*

श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन : महोदय, मुख्य प्रश्न का संबंध आई. टी. आईज से है। 80–(I क) के अंतर्गत हवाई–अड्डों को आधारभूत–सुविधा की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता है। वित्त–विधेयक (संख्याक 2) के अनुसार शर्त यह है कि इसकी शुरुआत वर्ष 1994–95 से होनी चाहिए थी। उसके लिए रियायत दी जाएगी और सरकार इस पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इंडस्ट्रियल पालिसी की दृष्टि से न्यू पर्सपैक्टिव्स और आयात–निर्यात में एग्ज़िम पालिसी की बात कर रहे हैं लेकिन प्राइवेट एंटरप्रीन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए आयकर विधान में जो छूट होनी चाहिए, उस संबंध में माननीय मंत्री जी चर्चा में और प्रश्नों में जवाब कहते हैं कि रोजगार एक कम महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार और प्राइवेट एंटरप्रीन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए आई. टी. आईज की स्थापना के लिए आयकर विधान में जैसी आप एन. जी. ओज. को छूट देते हैं, क्या सरकार उसी तरह की व्यवस्था करेगी ?

[अनुवाद]

श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन : महोदय, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि रोजगार का मुद्दा इस सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ...*(व्यवधान)* परंतु यह प्रश्न आई. टी. आईज से संबंधित है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। राकेश मोहन समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं। समिति की सिफारिश के अनुसार आधारभूत सुविधाओं को 80(I क) के अंतर्गत आती हैं। परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि हम रोजगार के मामले को महत्वपूर्ण नहीं मानते। परंतु आई. टी. आईज हेतु आधारभूत सुविधाएं 80(I क) के अंतर्गत नहीं आती।

[हिन्दी]

वित्त मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहां पर थोड़े भ्रम की स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के एक पर्टिकुलर सैक्शन 80 (I क) से संबंधित करके हम इसे देख रहे हैं। सैक्शन 80 (I क) के तहत जो छूट दी जा रही है, उसमें आई. टी. आईज की जो निजी संस्थाएं हैं, उनको छूट देना संभव नहीं है, ऐसा सरकार मानती है। लेकिन उसके साथ ही साथ जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि उसी एक्ट में दूसरे सैक्शन हैं और अभी हम लोगों ने बजट तथा फाईनेंस बिल पर चर्चा की है जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिये दूसरे प्रावधानों के तहत छूट दी गई है। यदि कोई आई. टी. आईज के तहत अप्रोच करे और कहे कि इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है अतः इनको छूट मिलनी चाहिये तो उस सुविधा पर विचार किया जा सकता है, यह स्पष्ट होना चाहिये।

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न गुजरात के संसद सदस्य के नाम से पूछा गया है और जवाब भी सिर्फ गुजरात के बारे में मिला है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि औद्योगिक प्रशिक्षण की जो संस्थाएं हैं, उनसे आयकर की धारा 80 झ क के तहत छूट के लिए क्या और राज्यों से भी कोई पत्र प्राप्त हुए हैं ?

मेरे प्रश्न का भाग ख है कि आपने अभी कहा है कि आप रोजगार को कम महत्व का विषय नहीं मानते हैं लेकिन जवाब में लिखा है कि–

> "धारा 80 झक के अंतर्गत उपबंधों का आशय सड़क, राजमार्ग आदि विद्युत, खनिज तेल जैसी मूलभूत बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रोत्साहन देने से है, और न कि कार्मिक प्रशिक्षण अथवा रोजगार जैसे कम महत्वपूर्ण अथवा गौण क्रियाकलापों से है।"

मैं पूछना चाहती हूं कि जब बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी समस्या है तो रोजगार को कम महत्व का विषय कैसे लिखा जाता है ? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या आप उसको रिकॉर्ड से हटाएंगे और रोजगार के लिए अगर कोई भी ऐसी संस्थाएं मांग करेगी तो धारा 80 झ क के तहत छूट देकर उनकी मदद करेंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह पूरक प्रश्न नहीं है। डॉ. वी. सरोजा।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया : मैंने दूसरे राज्यों के बारे में भी पूछा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री इसका उत्तर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन : किसी अन्य राज्य ने इसके लिए आवेदन नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, अगर हिन्दी अनुवाद में कोई कमी रह गई है तो उसको दुरुस्त करना अवश्यक है, क्योंकि अंग्रेजी का जो ड्राफ्ट है उसमें लिखा हुआ है—

[अनुवाद]

"तीसरे दर्ज या कम महत्व के कामों जैसे कार्मिकों का प्रशिक्षण और रोजगार के लिए नहीं"

[हिन्दी]

टर्शियरी और सेकेण्डरी का महत्व कम है, ऐसा मानकर हम नहीं चलते हैं इसलिए अगर हिन्दी अनुवाद के माध्यम से यह धारणा बन रही है कि रोजगार को हम कम महत्व दे रहे हैं तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सरकार की ऐसी धारणा नहीं है।

[अनुवाद]

डॉ. वी. सरोजा : अध्यक्ष महोदय, धारा 80 आई (ए) के अंतर्गत उपबंध आधारभूत संरचना जैसे सड़क, राजमार्ग आदि के विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से है। चेन्नई महानगर में यातायात की भीड़ से बचने के लिए, क्या भारत सरकार बकिंघम कैनाल पर सड़क प्लाईओवर या पुल की व्यवस्था करने के लिए आगे आएगी ? क्या तमिलनाडु की सरकार से भारत सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। मंत्री महोदय, क्या आप इसका उत्तर देना चाहते हैं ?

श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन : महोदय, मैं दे सकता हूं।

1998 का वित्त विधेयक (संख्याक 2) के अनुसार अन्तर्देशीय जलमार्ग और अन्तर्देशीय पत्तनों को इन लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से शामिल किया गया था। यदि यह बकिंघम कैनाल के बारे में है और यदि कोई प्रस्ताव आधारभूत संरचना के विकास के लिए आता है तो इसकी जांच की जाएगी और उस पर विचार किया जाएगा।

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं थोड़ा सा संभ्रमित हूं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि स्थिति को स्पष्ट करें।

जहां तक मुझे मालूम है, आई. टी. आई. पूरे भारत में एक निर्धारित ढांचे पर कार्य कर रही हैं, मुझे मालूम नहीं कि कोई आधारभूत संरचना विकास इनमें से किसी कोटियों में करना है। जैसा मैं समझता हूं, आयकर अधिनियम की धारा 80 आई (ए) किसी अन्य विषय से संबंधित है। उनका यह अर्थ नहीं है कि ये छूटें आधारभूत संरचना के विकास के लिए दी जाती हैं और संरचनात्मक विकास किसी अन्य उद्देश्य के लिए होता है। इसलिए यह छूट आई. टी. आई. पर लागू नहीं होता है और खासतौर पर प्राइवेट आई. टी. आई. पर। गुजरात के मंत्री द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर सरकार ने किस तरह विचार किया? उत्तर में लिखा गया है कि गुजरात के मंत्री से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और सरकार ने इस पर विचार किया था, सरकार ने इस पर किस तरह विचार किया था और क्या विचार किया।

जहां तक मुझे मालूम है, ये पूरी तरह से अलग मामले हैं और धारा 80 आई ए आई. टी. आई. पर लागू नहीं होता है।

श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन : माननीय सदस्य ने मुख्य प्रश्न इस तरह से पूछा है :

"क्या केन्द्र सरकार को किसी राज्य सरकार से प्राइवेट आई. टी. आई. के लिए संरचनात्मक सुविधाएं स्थापित करने के लिए निवेश हेतु आयकर के भुगतान से छूट के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।"

उत्तर यह दिया गया है कि गुजरात सरकार ने मंत्रालय से प्रस्ताव किया था और हमने इसका जवाब दे दिया है।

श्री वारकला राधाकृष्णन : क्या उत्तर दिया गया था ? क्या आपने इस पर अनुकूल विचार किया था या क्या आपने स्थिति स्पष्ट की थी ? मैं यही बात आपसे जानना चाहूंगा। गुजरात सरकार के प्रस्ताव पर सरकार की क्या स्थिति थी ?

श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन : आई. टी. आई. केवल कुशल मजदूर तैयार करती है। ये संरचनात्मक विकास के लिए बिल्कुल नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मेरा प्रश्न बहुत सामान्य है। गुजरात सरकार के प्रस्ताव पर सरकार का क्या रूख था ?

श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन : मेरे विचार से माननीय सदस्य भ्रमित हो गए हैं...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : क्या उत्तर था ? यह मेरा प्रश्न है। लेकिन उन्होंने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया...*(व्यवधान)*

श्री के. एस. राव : माननीय मंत्री राजमार्गों, पत्तनों आदि को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं उनसे केवल एक बात जानना चाहता हूं। कोयले की धोवनशालाएं सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, इस देश में कोयले

की धोवनशालाओं को प्रोत्साहन देकर आप रेलवे और सड़कों को मुक्त कर सकते हैं, प्रदूषण भी नहीं होगा और इस तरह परिवहन की लागत भी कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा अनावश्यक और अवांछित कोयले का बार-बार परिवहन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या ये प्रोत्साहन कोयले की धोवनशालाओं पर ही लागू होंगे ताकि उन्हें भी प्रोत्साहित किया जा सके।

श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन : मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि धारा 80-आई ए के अन्तर्गत अब संरचना के विकास के लिए प्रोत्साहन देना राकेश मोहन समिति के प्रतिवेदन के अनुसार शुरू हुआ। निवेशकों के विश्वास को जगाने के लिए ही प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इसलिए बिजली, रेल, सड़क आदि उस धारा के अन्तर्गत शामिल हुए।

श्री के. एस. राव : कोयले की धोवनशाला भी बिजली का भाग है। इसलिए इस पर भी विचार किया जा सकता है।

श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन : कोयला विद्युत का ही भाग है। इस पर भी विचार किया जा सकता है।

श्री के. एस. राव : क्या ऐसा है कि इस पर विचार किया जा सकता है या 'इस पर विचार किया जाएगा' ?

श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन : इस पर विचार किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कोयले की धोवनशालाओं को शामिल नहीं किया है जबकि विद्युत को शामिल किया गया है। बिना कोयले के बिजली सम्भव नहीं है।

श्री के. एस. राव : यदि इसे शामिल नहीं किया गया है तो क्या आप इसे भी शामिल करेंगे। क्योंकि कोयले की धोवनशालाएं इसका अभिन्न घटक है। मैं इस प्रश्न पर श्री यशवंत सिन्हा के विचार जानना चाहूंगा।

श्री यशवंत सिन्हा : जो सूची हमारे पास है उसके अनुसार कोयले की धोवनशालाओं को अवसंरचना के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन माननीय सदस्य ने कार्रवाई के लिए श्रेष्ठ सुझाव दिया है जिसको हम ध्यान में रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री पी. एस. गढ़वी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के जवाब में कालम (ग) के अंतर्गत यह बताया गया है कि धारा 80 I ए के उपबंध में संशोधन करने के प्रस्ताव 1998 के वित्त विधेयक में निहित हैं। तथापि इसमें उपरोक्त उल्लिखित गुजरात सरकार के विशेष प्रशिक्षण के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रशिक्षण के बारे में वित्त संशोधन में वह सुझाव हम इंक्लूड कर रहे हैं।

[अनुवाद]

मैं जानना चाहता हूं कि यह सच है या जो वे कह रहे हैं, वह सच है। माननीय मंत्री ने कहा है कि वे वित्त विधेयक में संशोधन के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वे इससे इन्कार कर रहे हैं। सही स्थिति क्या है ? मैं यह माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : असल में, यह पूरक प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री पी. एस. गढ़वी : लेकिन गुजरात सरकार की वही मंशा थी, अब आप जवाब देते हैं कि गुजरात सरकार के प्रशिक्षण संबंधी विशेष सुझाव के बारे मे कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। क्या मंत्री महोदय उत्तर देना चाहेंगे ?

श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन : मुख्य प्रश्न आई. टी. आई. से संबंधित है, इसलिए उनका यह पूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से नहीं बनता है।

ऑटोमोबाइल इकाइयां

\+

***545. श्री अनंत गंगाराम गीते :**

श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग से स्थापित ऑटोमोबाइल इकाइयां अपनी निर्यात वचनबद्धताओं को पूरा करने में असफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन वचनबद्धताओं को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार ने 26 जून, 1995 को निर्णय लिया था कि जिन विदेशी संयुक्त उद्यम कम्पनियों ने यात्री कार की उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुमति मांगी है, उन्हें डी. जी. एफ. टी. के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम. ओ. यू.) करना होगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के मध्यवर्ती और अन्तिम उत्पादों के निर्यात से उनकी अनुमानित निर्यात आय का विशेष रूप से उल्लेख करना होगा। सरकार द्वारा कोई न्यूनतम निर्यात वचनबद्धता निर्धारित नहीं की गई थी और विदेशी सहयोग वाली संयुक्त उद्यम कम्पनियों के पांच वर्षों की अवधि में निर्यात के बारे में अपने अनुमान देते थे। सी. के. डी./एस. के. डी. किट्स के आयात के लिए पहला लाइसेंस ऐसी कम्पनियों को केवल एम. ओ. यू. पर हस्ताक्षर करने के बाद

ही दिया जाना था और पहले वर्ष के बाद। बाद वाले लाइसेंस निर्यात इत्यादि के बारे में इन कम्पनियों के खुद के अनुमान के संबंध में उनके द्वारा की गई प्रगति के आधार पर जारी किए जाने थे। तदनुसार, संयुक्त उद्यम वाली छह कार निर्याता कम्पनियों ने 1995 में एम. ओ. यू. पर हस्ताक्षर किए और सी. के. डी./एस. के. डी. किट्स के आयात के लिए उन्हें लाइसेंस प्रदान किया गया। जब इन कम्पनियों के निर्यात निष्पादन का आकलन किया गया तब यह पाया गया कि इन छः कंपनियों में से केवल दो ने अपने निर्यात–अनुमान का लक्ष्य प्राप्त किया था। इसे ध्यान में रखते हुए और एकरूपता तथा पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से दिनांक 12–12–97 की सार्वजनिक सूचना सं. 60 के द्वारा एक नई नीति घोषित की गई जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि ये सभी कम्पनियां नए समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगी जिसमें वे अन्य बातों के साथ–साथ समझौता ज्ञापन की अवधि के दौरान सी. के. डी./एस. के. डी. किट्स संघटकों के आयातों के वास्तविक सी. आई. एफ. मूल्य एवं कारों तथा संघटकों के निर्यात का एफ. ओ. बी. मूल्य का संतुलन करने के रूप में विदेशी मुद्रा का मोटे तौर पर प्रभाव समाप्त करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेंगे। नए समझौता ज्ञापन के अनुसार निर्यात दायित्व की अवधि उत्पादन शुरू होने के तीसरे वर्ष से शुरू होगी। एस. ओ. यू. को आयात लाइसेंसिंग व्यवस्था द्वारा लागू किया जाना है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कम्पनियों को डी. जी. एफ. टी. को वार्षिक रिपोर्ट भेजनी है और इस संबंध में हुई प्रगति की संयुक्त वार्षिक समीक्षा वाणिज्य मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा की जाएगी। अगर समझौता ज्ञापन में निर्धारित की गई शर्तें पूरी नहीं होंगी तब कम्पनियां एम. ओ. यू. के घेरे में बनी रहेंगी और सरकार द्वारा ऐसी कम्पनियों को आगे आयात लाइसेंस देने से मना किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि संयुक्त उद्यम वाली छः कार निर्यात कंपनियों ने 1995 में एम. ओ. यू. पर हस्ताक्षर किये और सी. के. डी./एस. के. डी. किट्स के आयात के लिए उन्हें लाइसेंस प्रदान किया गया। जब इन कंपनियों का निर्यात में निष्पादन का आकलन किया गया तब यह पाया गया कि इन छः कंपनियों में से केवल दो ने अपने निर्यात अनुमान का लक्ष्य प्राप्त किया था।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन दो कंपनियों ने निर्यात अनुमान का लक्ष्य प्राप्त किया है उनके नाम क्या हैं और जिन चार कंपनियों ने निर्यात अनुमान के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं उनके नाम क्या हैं तथा उन्हें जो लाइसेंस दिया गया, जो अनुमति दी गई, यह सारे देश के लिए दी गई या किसी क्षेत्र विशेष के लिए दी गई थी ?

[अनुवाद]

श्री रामकृष्ण हेगड़े : महोदय, इस सूची में संयुक्त उद्यम क्षेत्र की वे कम्पनियां हैं जो अपने दायित्व का निर्वहन करने में असफल रही हैं। मैं इस सूची को सभा पटल पर रख रहा हूं।

कठिनाई यह है कि वास्तव में यात्री कारों के निर्माण में लगी संयुक्त उद्यम क्षेत्र की किसी भी कम्पनी ने अपने श्रमिकों का निर्वहन नहीं किया है। अतः 1997 में हमें एक और तरीका अपनाना पड़ा जिसके तहत एक संयुक्त समिति द्वारा कम्पनी द्वारा आयात किए गए पुर्जों इत्यादि के मूल्य और जिस सीमा तक ये कम्पनियां आयात करने में सफल रही हैं, की आवधिक समीक्षा की गई थी।

यदि वे इसे निष्प्रभावी करने में समर्थ होती हैं तो हमें खुशी होगी। यह बड़े दुःख की बात है कि अब तक किसी भी कम्पनी ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैने पूछा था कि जिस प्रकार कंपनियों ने निर्यात के अनुमान का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, उनके नाम क्या हैं, लेकिन मंत्री महोदय ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अब पूरक प्रश्न के द्वारा इसके बारे में पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने जैसा अपने उत्तर में कहा है कि :

> "अगर समझौता ज्ञापन में निर्धारित की गई शर्तें पूरी नहीं होगीं, तब कंपनियां एम. ओ. यू. के घेरे में बनी रहेगी और सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों को आगे आयात लाइसेंस देने से मना किया जा सकता है।"

ऐसी कितनी और कौन–कौन सी कंपनियां हैं जिनका लाइसेंस रद्द किया गया है ?

श्री रामकृष्ण हेगड़े : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि किसी कंपनी का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। मैंने कहा कि एक जाइंट कमेटी से इसका हर साल रिव्यू होता रहेगा। उनकी ओर से तरह–तरह की कठिनाइयां इसको फुलफिल करने में व्यक्त की जाती रही हैं, यह जारी रहेगा, खत्म होने वाली बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : अध्यक्ष महोदय, संयुक्त उद्यम के अन्तर्गत छः विभिन्न कम्पनियों को लाइसेंस प्रदान किए गए थे। साथ ही, वर्ष 1995 से एक प्रक्रिया चल रही थी। कमोबेश तीन वर्ष पूरे हो गए हैं। ये लाइसेंस प्रदान करके, हमारे देश को क्या मिला ? इन संयुक्त

उद्यमों के जरिए कितने लोगों को रोजगार मिला ? इनकी प्रगति की समीक्षा को देखते हुए यदि ये कम्पनियां संयुक्त उद्यमों के रूप में सफल नहीं हुई हैं और ये कम्पनियां वांछित परिणाम हासिल करने में भी नाकाम रही हैं।

क्या प्रगति की इस विशेष दर पर, ये कम्पनियां भविष्य में चल पाएंगी ? इस परिस्थिति की समीक्षा करते हुए, सरकार द्वारा पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

श्री रामकृष्ण हेगड़े : मैं आपको इसका आंकड़ा देने में असमर्थ हूं कि कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया था। इसके लिए आपको मुझे नोटिस देना पड़ेगा और मैं निश्चित रूप से आपको वांछित सूचना मुहैया कराऊंगा।

अब तक, सरकार की यह नीति रही है कि संयुक्त उद्यमों को स्थापित करने की अनुमति सिर्फ विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिए ही नहीं की गई है। लेकिन यदि हम यात्री कार के निर्माण की अनुमति नहीं देते हैं तो हमें इनका आयात करना पड़ेगा। तब काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी। विचार यह है कि कम–से–कम कार विनिर्माता कम्पनियां तैयार सामान का निर्यात करके विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करेंगी। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ समय तक ऐसा ही चलेगा जब तक कि हम अन्य देशों के संयुक्त उद्यमों की कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ नहीं होते हैं।

महोदय, मैं माननीय सदस्य को एक बात और बताना चाहता हूं कि ये कम्पनियां अन्य अनेक समस्याओं जैसे उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क इत्यादि का सामना कर रही हैं। इन मामलों पर विचार हो रहा है और मुझे आशा है कि हम इनका समाधान निकालने में कामयाब हो जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय 26 जून 1995 को आपने जो निर्णय लिया था, उसके अन्तर्गत कार कम्पनियों को कार के निर्माण और निर्यात की आपने अनुमति दी। उसके एक क्लाज में उल्लेख है कि उनकी अनुमानित निर्यात आय का विशेष रूप से उल्लेख करना होगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन छः कम्पनियों को आपने कार निर्माण की अनुमति दी है, उसमें से कितनों ने अपनी आय की अनुमानित राशि की घोषणा की है, या जानकारी दी है। आपने इसमें उल्लेख किया है उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुमति मांगी है तथा अंतिम उत्पादों के निर्यात से उनकी अनुमानित निर्यात आय का विशेष रूप से उल्लेख करना होगा, जो रिटर्न उन्हें फाइल करनी होगी, उसमें इस बात का उल्लेख होगा कि कम्पनी को उससे कितनी आय हुई है। क्या उन छः कम्पनियों में से किसी ने अपनी आय का उल्लेख किया है ? यदि नहीं किया है तो उनके विरुद्ध आपने कोई कार्यवाही की है ?

श्री राम कृष्ण हेगड़े : ऐसा करना कम्पलसरी है। जो ऐसा नहीं करते हैं, उनके खिलाफ हम जरूर कार्यवाही करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो कम्पनियां इसे फुलफिल करने में असमर्थ रहेगी, उनको हम आयात करने की परमीशन नहीं देंगे।

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, 1995 में एम॰ ओ॰ यू॰ के ऊपर हस्ताक्षर हुए और मंत्री जी की अपनी स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार कुल दो कम्पनियों ने अपने एक्सपोर्ट आब्लीगेशन को पूरा किया और बाकियों ने नहीं किया। इन कम्पनियों को अनुमति देने के पीछे चार मुख्य कारण थे। पहला कारण ओटोमोबाइल इंडस्ट्री में कम्पीटिशन पैदा करना था, दूसरा कारण अपने देश की जनता को सस्ती और अच्छी कारों को मुहैया कराना था। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि अपने देश में जो बैलेंस पेमेंट है, विदेशी मुद्रा की जो आवक है, उसको बढ़ाना बहुत बड़ा उद्देश्य था। इसके लिए इन कम्पनियों ने अपनी शर्त रखी कि वह जो भी कारें यहां निर्माण करेंगी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट के लिए होगा। जिसे इन्होंने पूरा नहीं किया। जब उन्होंने पूरा नहीं किया तो दो साल के बाद आपने खुद ही 1995 में जो शर्त रखी थी, उसे दिसम्बर 1997 में बदल दिया। बदलने का कारण यह कहा कि उत्पादन के तीन साल बाद, अब वे तीन साल भी पूरे हो गए, लेकिन माननीय मंत्री जी आज कह रहे हैं चूंकि उत्पाद करों में वृद्धि हुई, मैं पिछले छः वर्षों की जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि जितने भी बजट पेश किए गए, उनमें केवल ओटोमोबाइल इंडस्ट्री को इन्सेंटिव देने के नाम पर ओटोमोबाइल सैक्टर में एक्साइज को लगातर 35 फीसदी से घटाकर कम किया गया है। इस साल को छोड़कर लगातार पिछले पांच वर्षों के बजट इसी तरह से तैयार किए गए।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कम्पनियां एक्सपोर्ट आब्लीगेशन पूरा नहीं कर रही हैं, आपने केवल इतना कहा कि हम पीरियॉडिकली उनको एग्जामिन करेंगे, क्या सरकार उनके खिलाफ कोई प्यूनिटिव पेनल्टी लगाने की बात सोच रही है ? उसी के साथ–साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार केवल छोटी कारें ही नहीं बल्कि मध्यम श्रेणी के वाहन जैसे ट्रक है, बस है, उनके निर्माण के सिलसिले में भी इन कम्पनियों को प्रोत्साहित और आगे करने के बारे में विचार करेगी ?

श्री रामकृष्ण हेगड़े : सरकार जरूर विचार करेगी।

वैद्य विष्णु दत्त : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के उत्पाद में यदि कमी आई है, क्या वह हमारी सरकार और इंडस्ट्री के ऐडमिनिस्ट्रेशन की गड़बड़ी के कारण आई है या वह साधन सम्पन्न नहीं हुई इसलिए उत्पाद कम हुआ ?

[अनुवाद]

श्री रामकृष्ण हेगड़े : महोदय, मुझे खेद है कि मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया। आप इसे दोहराने की कृपा करेंगे ?

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त : मैं जानना चाहता हूं कि यदि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के उत्पाद में कमी आई है, क्या वह सरकार और इंडस्ट्री के ऐडमिनिस्ट्रेशन में परस्पर कोआर्डिनेशन न होने की वजह से आई है या इंडस्ट्री साधन सम्पन्न नहीं थी, इसलिए कमी आई है ?

श्री रामकृष्ण हेगड़े : उसके कई कारण होते हैं--जनरल इंडस्ट्रियल रिसैशन भी एक कारण है, लोगों में परचेजिंग पावर की कमी होती है, वह भी एक कारण है और रॉ मैटिरियल की कमी होने की वजह भी एक कारण है। निर्दिष्ट रूप से यही कारण है, ऐसा मैं नहीं कह सकता।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : क्या यह सच है कि मोटर कार के निर्माण के लिए विदेशी कम्पनियों से सहयोग करने पर हमारे देश द्वारा कारों के नियति से अर्जित विदेशी मुद्रा से अधिक स्वदेशी मुद्रा बाहार जाती है ?

श्री रामकृष्ण हेगड़े : महोदय, मैंने कहा था कि ऐसे मामले हैं जहां संयुक्त उद्यम क्षेत्र की कार निर्माता कम्पनियां अपने दायित्व के निर्वहन में सफल नहीं हुई हैं। हमारा उद्देश्य इन कम्पनियों द्वारा निर्यात से कम से कम इतनी विदेशी मुद्रा अर्जित करने का है जितनी विदेशी मुद्रा हम कल पुर्जों के आयात पर खर्च करते हैं लेकिन अब तक हम इसमें अधिक सफल नहीं हुए हैं।

जाली शेयर प्रमाण पत्र

***546. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रमुख उद्योगों द्वारा जाली शेयर प्रमाण पत्र छापे जाने के संबंध में जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इसमें लिप्त पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार ने देश में अग्रणी उद्योगों द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र छापे जाने के संबंध में कोई जांच नहीं की है। तथापि, सेबी ने आर. सी. एस. द्वारा आर. आई. एल. के डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में जांच करने के लिए मैसर्स रिलायंस कन्सलटेंसी सर्विसेज (आर. सी. एस.) जो मैसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड (आर. आई. एल.) के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट हैं, के बही-खातों, रिकार्डों, दस्तावेजों और कम्प्यूटर आंकड़ों का निरीक्षण किया था।

(ख) सेबी की निरीक्षण रिपोर्टों में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित निष्कर्ष निहित थे।

(i) अप्रैल, 1990 से अक्तूबर, 1995 की अवधि के दौरान आर. सी. एस. द्वारा कुल 4.89 लाख डुप्लीकेट शेयर जारी किए गए थे। मूल शेयर प्रमाण पत्रों के अस्तित्व में होने के बावजूद कुछ डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करके आर. सी. सी. ने कम्पनी अधिनियम की धारा 84 के उपबन्धों का सम्भवतः उल्लंघन किया।

(ii) 1 अप्रैल, 1994 से पूर्व कुछ निवेशकों द्वारा प्रस्तुत किए गए शेयरों का दो महीने के भीतर अंतरण और सुपुर्दगी न करके आर. सी. एस. ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 113 के उपबंधों का संभवतः उल्लंघन किया।

(iii) आर. सी. एस. ने आर. आई. एल. के इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में कार्य करते हुए सेबी (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियमों का उल्लंघन किया है।

(ग) **सेबी द्वारा की गई कार्रवाई** : सेबी ने सेबी (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) नियम और विनियम, 1993 के तहत 1 फरवरी, 1997 से 31 जुलाई, 1997 तक (पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता समाप्ति की तारीख) आर. सी. एस. को दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र आस्थगित कर दिया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि 17 अक्तूबर, 1996 से 31 जनवरी, 1997 तक आर. सी. एस. सेबी के समक्ष प्रस्तुत होने वाली सात मालिक कम्पनियों के अलावा किसी अन्य कम्पनी के इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में कार्य नहीं करेंगे। 31 जुलाई, 1997 को रामाप्त आस्थगन अवधि की समाप्ति के बाद आर. सी. एस. ने इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में पंजीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन नहीं किया। इसके अलावा, सेबी ने सेबी (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 में संशोधन किया है ताकि निर्गमकर्ता और इश्यू के रजिस्ट्रार के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहे।

कम्पनी कार्य विभाग द्वारा की गई कार्रवाई : कम्पनी कार्य विभाग ने निरीक्षण रिपोर्ट में निहित पाई गई चूकों और अनियमितताओं से निपटने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : अध्यक्ष महोदय, अभी शेयर बाजार की नियमितता, अनियमितता, उतार-चढ़ाव के बारे में चर्चा हुई। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बड़े उद्योगों ने जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट छापे थे, क्या उसकी जांच-पड़ताल हुई? यदि हुई तो सरकार ने उसके बारे में क्या कदम उठाए ?

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस में ईशू हुए थे,

उसकी पूरी जांच–पड़ताल हुई और 1996 में उस पर जो अंतिम कार्यवाही करनी थी, वह भी हो गई। हमने अहतियातन कदम यह उठाया है कि सेबी एक्ट में एक नया सैक्शन 13(ए) जोड़ा है जिसमें कहा है कि ईशूअर्स और कम्पनी के बीच से एक दूरी का रिश्ता हो और एक ही कम्पनी की ब्रांच उस काम को न करे। यह नीतिगत फैसला करके एक्ट में संशोधन कर दिया गया है।

श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया : क्या हमारी सरकार को यह पता है कि छोटी–छोटी इकाइयों ने भी अपनी ओर से किसी और के शेयर सर्टिफिकेट छापकर बेचे हैं ? मेरी कांस्टीट्यूएंसी पोरबन्दर (गुजरात) में ऐसा हुआ था, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार ने कोई कदम उठाए या नहीं ?

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, शेयर सर्टिफिकेट्स डुप्लीकेट में इश्यू हों, ऐसा प्रावधान कम्पनीज़ एक्ट में इसलिए है, क्योंकि कभी–कभी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जहां कहीं नियम और कानून को भंग कर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू होते हैं, वह प्रकरण जब हमारे ध्यान में आता है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कोयले का मूल्य

***543. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**

श्री डी. एस. अहिरे :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के कोयले के मूल्य को विनियंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कोयले के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कोयला उत्पादक कंपनियों को अब तक कितनी अनुमानित अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई है;

(ङ) क्या सरकार का इस क्षेत्र में और अधिक प्रतिस्पर्धा लाने हेतु कोयला उत्पादन को विनियंत्रित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा कोयला उद्योग को पूर्णतः विनियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) कोककर कोयले तथा "ए", "बी" और "सी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों को मार्च, 1996 से विनियंत्रित किया गया था तथा "डी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतें मार्च, 1997 से विनियंत्रित की गई थीं।

(ग) कीमतों को आंशिक रूप से विनियंत्रित किए जाने के पश्चात्, कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) ने दिनांक 1.4.96, 20.10.96, 1.4.97 तथा 1.10.97 से कीमतों में संशोधन किया है। विभिन्न तिथियों पर निर्धारित की गई कोयले की औसत कीमतें नीचे दी गई हैं :

संशोधन को प्रभावी किए जाने की तिथि	को. इं. लि. के कोयले की औसत कीमत (रु. प्रति टन)
1.4.1996	469.02
20.10.1996	498.54
1.4.1997	553.37
1.10.1997	559.02

(घ) वर्ष 1996–97 में को. इ. लि. को 1357 करोड़ रु. तथा 1997–98 में 2267 करोड़ रु. की कुल अनुमानित अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई।

(ङ) और (च) गृहीत उपभोग हेतु कोयला खनन की अनुमति दिए जाने के लिए जून, 1993 में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया था। लौह एवं इस्पात, विद्युत, सीमेंट तथा सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अन्य उपयोगों के उत्पादन से जुड़ी कंपनियां अपने उपयोग के लिए कोयले का खनन कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत, कोयला खनन हेतु औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किए जाने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। ये कदम कोयला क्षेत्र को और अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए उठाए गए हैं।

रुग्ण उद्योग

***547. श्री तथागत सत्पथी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को औद्योगिक रुग्णता से संबंधित कितने मामले भेजे गए तथा कितने मामलों में निर्णय ले लिया गया है;

(ख) क्या तलचेर उर्वरक निगम तथा चौद्धार कपड़ा मिल का पुनरुद्धार करने के मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो इन दोनों उद्योगों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन उद्योगों का पुनरुद्धार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि इसकी स्थापना से तथा 30.6.1998 तक, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अंतर्गत रुग्ण औद्योगिक कंपनियों से 3241 संदर्भ प्राप्त हुए थे, बाइफर द्वारा 2254 मामले दर्ज किए गए थे जिनमें से 1683 मामलों का निपटान कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पर्यटन में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

***548. श्री ए. सी. जोस :**

श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पर्यटन में गैर–सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल देते हुए कोई पर्यटन नीति तैयार करने पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997 तथा चालू वर्ष के प्रथम छः महीने के दौरान देश में कुल कितने विदेशी पर्यटक आए;

(ग) क्या बेहतर समन्वय और अधिक सुविधाओं के प्रावधान के फलस्वरूप भारत में अधिकारिक पर्यटकों के आने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों को भारत में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1997 के दौरान देश में विदेशी पर्यटक आगमन 2.37 मिलियन था और चालू वर्ष की प्रथम छमाही में 1.14 मिलियन था।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत में विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में, संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार, उत्पाद विकास, प्रभावी मार्केटिंग, बेहतर सुविधाकरण और मानव संसाधन विकास सम्मिलित हैं।

कृषि उत्पाद निर्यात नीति

***549. श्री के. पी. नायडू** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की दीर्घकालिक कृषि उत्पाद निर्यात नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की सूची क्या है जो 51 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी के लिए विदेशी निवेश बोर्ड से स्वतः स्वीकृति के पात्र हो जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) कृषि उत्पादों के निर्यात के बारे में सरकार की नीति पर भारत की खाद्य सुरक्षा की चिंता, कृषि आय अधिकतम करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने का सिद्धान्त लागू होता है। कृषि उत्पादों के निर्यात क्षेत्र को उदार बना दिया गया है। निर्यात के लिए अब बहुत ही कम मदों को या तो प्रतिबंधित किया गया है या उनके निर्यातों को सीमित कर दिया गया है या उन्हें अधिकतम मात्रात्मक सीमाओं के अधीन रखा गया है। यूरोपीय संघ/यू. एस. ए. को अधिमानी कोटे के अन्तर्गत किए जाने वाले निर्यात को छोड़कर, जिन प्रमुख मदों के निर्यात पर पाबंदी लगाई गई है, उनमें शामिल हैं : गेहूं और गेहूं उत्पाद और चीनी।

(ख) कृषि उत्पादन, बागान और खाद्य उत्पाद निर्माण जो 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी के लिए विदेशी निवेश बोर्ड द्वारा स्वतः ही अनुमोदन के लिए पात्र हो जाते हैं, के क्षेत्र में उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की सूची नीचे दी गई है :

कृषि उत्पादन : कृषि उत्पाद अन्यत्र अवर्गीकृत प्रमाणित उच्च पैदावार देने वाले संकर बीज और सिंथेटिक बीज।

बागान : अन्यत्र अवर्गीकृत बागान प्लांट टीशू कल्चर के जरिए विकसित प्रमाणित उच्च पैदावार देने वाले बागान।

खाद्य उत्पादों का निर्माण : मांस पकाना और उसका परिरक्षण, डिब्बाबन्दी को छोड़कर मांस का परिरक्षण; मांस पका कर डिब्बा बंद करना; दुग्ध उत्पादों का निर्माण; शिशु दुग्ध आहार को छोड़कर दुग्ध पाउडर, आइसक्रीम, पाउडर और कन्डेन्स दुग्ध का निर्माण; शिशु दुग्ध खाद्य का निर्माण; मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और खोया, इत्यादि का निर्माण; पास्च्यूराइज्ड दुग्ध का निर्माण चाहे वह बोतलों/पॉलिथीन पैकों में हो या नहीं (सादा या सुगंधित); अन्यत्र अवर्गीकृत अन्य दुग्ध उत्पादों का निर्माण; फलों और सब्जियों की डिब्बा बंदी और परिरक्षण; फलों एवं सब्जियों को धूप में सुखाना; फलों और सब्जियों का कृत्रिम निर्जलीकरण; फलों एवं सब्जियों का विकिरण परिरक्षण; फलों/सब्जियों के जूस और सांद्रण स्कवैश और पाउडर का निर्माण; चटनी, जैम, जैली और मुरब्बा, इत्यादि का निर्माण; फलों और सब्जियों की डिब्बाबंदी; अन्यत्र अवर्गीकृत फलों और सब्जियों का परिरक्षण; मछली, क्रस्टेशिया और इसी प्रकार के खाद्यों को तैयार करना, डिब्बाबंदी करना और परिरक्षण करना; अनाज पीसना; पाउडर मशीन द्वारा आटा बनाना;

अन्यत्र अवर्गीकृत अन्य अनाज पीसना और संसाधित कार्यकलाप; सामान्य नमक का उत्पादन; कोको उत्पाद और चीनी मिष्टान्न (मिठाई समेत); कोको उत्पाद, स्टार्च और इनसे व्युत्पादित पदार्थ, अन्यत्र अवर्गीकृत खाद्य उत्पाद; सोया टैक्स्चर प्रोटीन, सोया प्रोटीन आइसोलेट्स, सोया प्रोटीन सांद्रण; सोयाबीन के अन्य विशिष्ट उत्पाद, विन्टराज्ड और डियोडोराइज्ड रिफाइन्ड सोयाबीन का तेल।

[हिन्दी]

अनुप्रयोज्य आस्तियां

***550. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**

श्री चिन्ता मोहन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बैंकों की अनुप्रयोज्य आस्तियां 1996 में दिए गए कुल ऋण का लगभग 17 प्रतिशत थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी बैंकों के तत्संबंधी प्रतिशत की तुलना में यह प्रतिशत काफी अधिक है;

(घ) यदि हां, तो हांग–कांग, कोरिया, ताइवान, जापान, अमेरिका तथा इंग्लैंड में अलग–अलग तत्संबंधी औसत प्रतिशत क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) 31.3.97 की स्थिति के अनुसार कुल अग्रिमों में से 17.84% सकल अनुपयोज्य आस्तियां वर्ष 1996 तक स्वीकृत ऋणों से संबंधित हैं।

(ख) 31.3.1997 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की शुद्ध अनुपयोज्य आस्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकारी क्षेत्र की बैंकों की शाखाओं के सारे देश में भौगोलिक विस्तार, लाभान्वित ग्राहकों की श्रेणियों, ग्रामीण क्षेत्रों में उधार देने का दायित्व और साथ ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अब तक हुए आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य निष्पादन की तुलना विदेशी बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं की जा सकती।

(घ) और (ङ) हांगकांग, कोरिया, जापान, ताइवान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड में अनुपयोज्य आस्तियों की प्रतिशतता का अनुमान काफी कम होने की सूचना मिली है। पूर्वी एशिया के संकट के पश्चात्, इनमें से कुछ देशों में पहले उपलब्ध अनुमानों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक अनुपयोज्य आस्तियों के होने की सूचना मिली है। यह भी उल्लेखनीय होगा कि सब देशों में अनुपयोज्य आस्तियों का वर्गीकरण करने की प्रक्रिया भी समान नहीं है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों की 31.3.97 की स्थिति

सरकारी क्षेत्र के बैंक

बैंक का नाम	निवल अग्रिमों में निवल अनुपयोज्य आस्तियों की प्रतिशतता
1	2
भारतीय स्टेट बैंक	7.30
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	7.96
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	11.42
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	11.29
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	10.96
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	5.88
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	6.47
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	8.82
समग्र स्टेट बैंक ग्रुप	7.70
इलाहाबाद बैंक	14.84
आन्ध्रा बैंक	4.10
बैंक ऑफ बड़ौदा	8.94
बैंक ऑफ इंडिया	6.52
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9.66
केनरा बैंक	9.32
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	14.40
कार्पोरेशन बैंक	3.63
देना बैंक	9.40
इंडियन बैंक	25.24
इंडियन ओवरसीज बैंक	7.64
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	5.64

1	2
पंजाब एंड सिंध बैंक	12.04
पंजाब नेशनल बैंक	10.38
सिंडिकेट बैंक	7.53
यूको बैंक	*13.73*
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	*6.98*
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	18.70
विजया बैंक	9.56
राष्ट्रीय बैंकों का समग्र	10.07
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का समग्र	9.18

विदेशी बैंक

बैंक का नाम	निवल अग्रिमों में निवल अनुप्रयोज्य आस्तियों की प्रतिशतता
1	2
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	3.26
ए एन जेड ग्रिंडलेज बैंक	0.30
आबू धाबी कमर्शियल बैंक	1.54
ए बी एन आम्रो बैंक	0.42
अरब बंगलादेश बैंक (*)	शून्य
ब्रिटिश बैंक ऑफ द एम ई	6.46
बारक्लेज बैंक	5.10
बैंक नेशनल द पेरिस	शून्य
बैंक इन्डोस्यूज	6.75
बैंक ऑफ अमेरिका	0.07
बैंक ऑफ टोकियो मितसूबिसी लि.	17.36
बैंक ऑफ बहरैन एंड कुवैत	9.36
बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	7.46
बैंक ऑफ सिलौन	4.78
बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया (*)	शून्य
सिटी बैंक एन ए	0.63
चास मन्हत्तन बैंक	शून्य
कॉमर्सबैंक	शून्य
क्रेडि ल्योनाइज	0.43
चाइनाट्रस्ट कमर्सियल बैंक (*)	*शून्य*
चो हंग बैंक (*)	*शून्य*
कमर्सियल बैंक ऑफ कोरिया	शून्य
डीवीपीडी बैंक ऑफ सिंगापुर	5.61
ड्यूच बैंक	1.77
ड्रेस्डनर बैंक	शून्य
फूजी बैंक लि.	शून्य
हांगकांग बैंक	3.14
आई एन जी बैंक	शून्य
ट्रंग थाई बैंक पी सी एल	शून्य
मंस्रेक बैंक	22.84
ओमान इंटरनेशनल बैंक	5.33
ओवरसीज चाइनीज बैकिंग कार्पो.	शून्य
सान्वा बैंक लि.	0.22
सकुरा बैंक लि.	1.10
स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	2.88
सोसाइट जनरल	4.53
सोनाली बैंक	शून्य
सियम कामर्सियल बैंक पीसीएल	शून्य
स्टेट बैंक ऑफ मौरिसियस	30.72
कुल	2.50

(*) ये बैंक 1996–97 के दौरान स्थापित हुए।

[अनुवाद]

राज्यों को वित्तीय सहायता

***551. प्रो. चमन लाल गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सहित कुछ राज्य वित्तीय संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या इन राज्यों ने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या अत्यधिक फिजूलखर्ची भी वित्तीय संसाधनों की इस कमी का एक कारण है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) प्रत्येक राज्य ने तत्काल कितनी वित्तीय सहायता मांगी है; और

(छ) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग), (च) और (छ) कुछ राज्य आवधिक अर्थोपाय की समस्या से ग्रस्त रहे हैं। किसी भी राज्य का नकद शेष और अधिक निकासी (ओवर ड्राफ्ट) की स्थिति दिन प्रतिदिन और राज्यवार बदलती रहती है।

वित्त मंत्रालय को कुछ राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। ये अनुरोध निम्न प्रकार से हैं :

(i) कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने पर आई लागत को पूरा करने में सहायता हेतु।

(ii) कुछ राज्यों द्वारा अर्थोपाय संबंधी कठिनाइयों से पार पाने और ओवर ड्राफ्ट की समस्या से निपटने के लिए सहायता हेतु।

(iii) भारत सरकार की ऋण वापसी की देनदारी से निजात पाने अथवा उसके स्थगन और अतिरिक्त योजना सहायता जैसे अन्य अनुरोध।

जहां तक संशोधित वेतनमानों के लिए वित्तीय सहायता का सवाल है, संबंधित राज्य सरकारों को इस विचार से अवगत करा दिया गया है कि भारत सरकार कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। और यदि राज्य अपने कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित करते हैं तो इस बारे में अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन उन्हें स्वयं जुटाने होंगे।

नौ राज्य सरकारों को उनकी अधिक निकासी (ओवर ड्राफ्ट) की जरूरतें पूरा करने के लिए अर्थोपाय अग्रिम प्रदान किए गए हैं। जिसके बारे में एक विवरण संलग्न है।

ऋणों के आस्थगन/ऋणों को माफ करने से संबंधित मामले 11वें वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

(घ) और (ङ) संविधान के तहत राज्य स्वायत्तशासी हैं और राज्य का वित्तीय प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जिसके लिए वे अपनी संबद्ध विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं।

विवरण

भारत सरकार द्वारा दी गई अर्थोपाय की अग्रिम राशि

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	जारी की गई अर्थोपाय अग्रिम की राशि	जारी होने की तारीख
1.	आंध्र प्रदेश	388.00	1.7.98
2.	हिमाचल प्रदेश	100.00	28.5.98
3.	जम्मू और कश्मीर	80.00	7.4.98
4.	मणिपुर	65.00	5.5.98
5.	मिजोरम	27.50	29.4.98
		34.50	26.6.98
6.	नागालैण्ड	170.00	14.4.98
7.	राजस्थान	104.00	20.4.98
8.	पंजाब	76.00	16.7.98
9.	सिक्किम	20.00	22.4.98

बहुराष्ट्रीय चाय कंपनियों को मुक्त आयात लाइसेंस

***552. डॉ. असीम बाला** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी विदेशी बहुराष्ट्रीय चाय कंपनियों को मुक्त आयात लाइसेंस दिया गया है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इसका स्वदेशी चाय कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार द्वारा स्वदेशी चाय उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) चाय आयात की प्रतिबंधित सूची में है और इसके आयात की अनुमति केवल लाइसेंस पर ही दी जाती है। तथापि, यदि निर्यात उत्पादन के लिए ऐसे आयातों की आवश्यकता होती है तो निषेधात्मक सूची की सभी मदों के आयात की अनुमति शुल्क मुक्त लाइसेंस पर दी जाती है। ठीक इसी प्रकार मिश्रण और पुनः निर्यात के प्रयोजन के लिए अर्थात् मूल्यवर्द्धन के रूप में निर्यात उत्पाद के लिए निर्यातक की न्यूनतम मूल्यवर्द्धन की पेशकश के अधीन या तो ई ओ यू/ई पी जैड इकाइयों के जरिए या शुल्क

छूट योजना के जरिए शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है।

(ख) वर्ष 1997–98 के दौरान, 35.22 करोड़ रु. के निर्यात दायित्व के साथ 13.91 करोड़ रुपये सी. आई. एफ. मूल्य के लिए 7 शुल्क मुक्त लाइसेंस और वर्ष 1998–99 (अप्रैल–आज तक) की अवधि के दौरान 56.32 करोड़ रुपये के निर्यात दायित्व के साथ 21.68 करोड़ रुपये के सी. आई. एफ. मूल्य के लिए 7 शुल्क मुक्त लाइसेंस उपभोक्ता पैकों में मिश्रित चाय के रूप में मैसर्स लिप्टन इंडिया एक्सपोर्ट्स लिमि., कलकत्ता के पक्ष में जारी किए गए हैं।

(ग) चूंकि निर्यात उत्पादन के लिए चाय के आयात की अनुमति दी गई है इसलिए इसका स्वदेशी चाय कम्पनियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में सरकार की भागीदारी

***553. श्री जोगेन्द्र कवाडे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आई. एफ. सी. आई.) में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता के बावजूद इसमें सरकारी संगठनों की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत से भी कम हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पर नियंत्रण बनाये रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्वाधिकृत/नियंत्रित संगठनों जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. बी. आई.), राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम (एल. आई. सी.), भारतीय साधारण बीमा निगम (जी. आई. सी.), जी. आई. सी. की अनुषंगियों, भारतीय स्टेट बैंक (एस. बी. आई.) और एस. बी. आई. के अनुषंगियों की तत्कालीन भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में दिनांक 30.6.1993 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता लगभग 86% है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. में इन संगठनों की शेयरपूंजी दिनांक 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार 51.69% थी।

[हिन्दी]

हिन्दी का प्रयोग

***554. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में हिन्दी अधिकारियों को पदोन्नत नहीं किया जा रहा है और हिन्दी अधिकारियों के रिक्त पदों को भी नहीं भरा जा रहा है;

(ख) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश का पालन न करने वाले बैंकों के नाम क्या हैं और सरकार इस दिशा में क्या कार्रवाई कर रही है;

(ग) क्या देवनागरी लिपि के कम्प्यूटर आदि जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि फाइलों में प्रविष्टियां रोमन/अंग्रेजी में की जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उपचारात्मक उपाय कब तक किए जाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए मार्ग–निर्देशों के आधार पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने हिन्दी अधिकारियों, विधि विशेषज्ञों आदि जैसे विशेषज्ञों सहित अपने अधिकारियों की पदोन्नति के लिए अपनी स्वयं की पदोन्नति नीतियां तैयार की हैं। किसी भी रिक्त हुए स्थान को पदोन्नति या प्रत्यक्ष भर्ती जो भी लागू हो, से भरने के लिए बैंक आवश्यक कदम उठाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से कहा है कि वे राजभाषा संवर्ग गठित करने के बारे में संसदीय राजभाषा समिति की टिप्पणियों का अनुपालन करें और संबंधित रिक्तियों को भरें। भारतीय रिजर्व बैंक समय–समय पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के माध्यम से पुनरीक्षा बैठकों का समन्वय करता है। ऐसी ही एक पुनरीक्षा बैठक में 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार आन्ध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, कारपोरेशन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, देना बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, विजया बैंक, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में कुछ खाली पाए गए थे। बैंकों से कहा गया है कि वे अपेक्षानुसार इन रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने सूचित किया है कि कम्प्यूटरों में द्विभाषी सॉफ्टवेयर, अर्थात् अंग्रेजी और हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है, और कुछ बैंकों द्वारा द्विभाषी शब्द संसाधकों (वर्ड प्रोसेसरों) का प्रयोग किया जाता है। भारतीय बैंक संघ ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से बैंकिंग लेन–देनों के लिए आंकड़ों के संसाधन (डाटा प्रोसेसिंग) हेतु द्विभाषी सॉफ्टवेयर विकसित करने की सलाह दी है।

हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

***555. श्री राम टहल चौधरी :**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची

द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के सामान की बिक्री की गई;

(ख) उन विभागों के नाम क्या हैं जिनको ऐसे सामान की बिक्री की गई और प्रत्येक विभाग को कितनी–कितनी मात्रा में सामान की बिक्री की गई;

(ग) क्या हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बेचे गए सामान की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर की नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके कारण हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के स्थान पर निजी फर्मों को क्रयादेश जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कंपनी द्वारा अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची द्वारा बेची गई सामग्री का मूल्य :

1995–96	21,129 लाख रुपए
1996–97	24,917 लाख रुपए
1997–98	21,628 लाख रुपए

(ख) बेची गई सामग्री के विभागवार मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(लाख रुपयों में)

	1995–96	1996–97	1997–98
स्टील/सेल	8158	9181	7546
खनन/सीआईएल	7386	8611	9505
रेलवे	599	1832	723
विद्युत	900	250	172
रक्षा	1168	788	1259
अन्य	2918	4255	2423
कुल	21129	24917	21628

चूंकि सम्मिलित सामग्री की मदें विषम प्रकृति की हैं इसलिए मात्रा नहीं बल्कि मूल्य दर्शाया गया है।

(ग) जी नहीं। उपर्युक्त अवधि के दौरान एच. ई. सी. द्वारा सप्लाई की गई मदें आम तौर पर बाजार में स्वीकार्य पायी गई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान घटिया गुणवत्ता के कारण न तो एच. ई. सी. को अयोग्य पाया गया है और न ही किन्हीं दिए गए आदेशों को रद्द किया गया है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

स्वर्ण आभूषण

***556. डॉ. महादीपक सिंह शाक्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अन्य देशों की अपेक्षा स्वर्ण आभूषणों के निर्यात में अधिक सफलता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में स्वर्ण आभूषण निर्यात किए गए; और

(ग) सरकार द्वारा स्वर्ण आभूषणों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) भारत से होने वाले स्वर्ण आभूषण के निर्यात में पिछले कुछ वर्षों में अच्छा रुख रहा है। 1992–93 से 1997–98 के बीच 5 वर्ष की अवधि में, निर्यात बढ़कर 117 प्रतिशत तक हो गया है। भारत विश्व बाजार में स्वर्ण आभूषण का एक नियमित निर्यातक देश के रूप में उभरा है जो पिछले चार वर्षों में स्वर्ण आभूषणों के निर्यात में निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि से स्पष्ट है :

स्वर्ण आभूषण का निर्यात

(मूल्य अमरीकी मिलियन डालर)

1994–95	1995–96	वृद्धि %	1996–97	वृद्धि %	1997–98	वृद्धि %
421.20	480.40	14.05	511.80	6.53	572.30	11.82

स्रोत : डीजीसीआईएण्डएस

तथापि, विश्व व्यापार में भारत के स्वर्णाभूषणों का हिस्सा बहुत कम है। परम्परागत दक्षता और विनिर्माण संबंधी बुनियादी सुविधाओं के रूप में देश में व्याप्त विशाल सम्भावनाओं को देखते हुए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अधिक वृद्धि के लिए स्वर्ण आभूषण को एक अत्यधिक ध्यान देने योग्य मद के रूप में अभिज्ञात किया गया है। स्वर्ण आभूषण के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक्जिम नीति के तहत अनेक नवीन उपाय किए गए हैं जिनमें शामिल हैं :

1. निर्यातकों को स्वर्ण की आपूर्ति करने के लिए कुछ बैंकों

को अनुमति देकर स्वर्ण की आयात नीति को उदार बनाया गया है जिससे कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ी है;

2. छीजन एवं मूल्य–वर्धन मानदण्डों को युक्तिसंगत बनाकर भारतीय विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना;

3. आभूषणों को व्यक्तिगत रूप से ले जाने, विदेशों में नमूनों का प्रदर्शन करने, ब्रांड युक्त आभूषणों, इत्यादि के निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाकर सुव्यवस्थित करना।

[हिन्दी]

पैकेज टूर

***557. श्री आदित्य नाथ :**

श्री पंकज चौधरी :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेजों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): (क) से (ग) पैकेज टुअर्स, प्रमुख रूप से टुअर प्रचालकों द्वारा तैयार किए और विदेशी बाजारों में बेचे जाते हैं। भारत पर्यटन विकास निगम के एक एकक, अशोक ट्रेवल्स एण्ड टुअर्स और कुछ राज्य पर्यटन विकास निगम भी पैकेज टुअर प्रस्तुत करते हैं। पैकेजों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए समय–समय पर उनमें नए स्थान और सेवाएं शामिल किए जाते हैं।

पर्यटन मंत्रालय अपने विदेश स्थित कार्यालयों के माध्यम से जानकारी देता है और भारत की एक आकर्षक गंतव्य स्थल के रूप में छवि बनाने के लिए प्रचार अभियान भी चलता है। इस स्थिति में, इन प्रयासों से होने वाली विदेशी मुद्रा आय का अनुमान सम्भव नहीं है।

बैंकों में कर्मचारियों की कमी

***558. श्री सुरेश चंदेल :**

श्री नरेन्द्र बुडानिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्यालयों/रीजनल और जोनल कार्यालयों में काफी संख्या में कर्मचारी उपलब्ध हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंकों की शाखाओं में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों और बैंकों की अन्य शाखाओं में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक कर्मचारियों को कुछ निश्चित अवधि तक काम करने की शर्त को अनिवार्य बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय तथा आंचलिक कार्यालयों में अधिकारियों तथा एवार्ड स्टाफ की उपलब्धता को पर्याप्त बताया गया है। यद्यपि अर्द्ध–शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों या स्टाफ की सामान्यतः कमी की कोई सूचना नहीं है, फिर भी कुछ शाखाएं/पाकेट समय–समय पर स्टाफ की कमी महसूस करती हैं। सरकार, समय–समय पर बैंकों को सलाह देती है कि उन्हें ग्रामीण/अर्द्धशहरी क्षेत्रों में स्थित शाखाओं में, बारी–बारी से स्थानांतरण के माध्यम से तथा अधिक कर्मचारी युक्त पाकेटों से कमी वाली पाकेटों में जनशक्ति की तैनाती कर, स्टाफ की पर्याप्तता बनाए रखनी चाहिए। बैंकों से कहा गया है कि वे अधिकारियों को वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल–IV तथा उससे ऊपर के स्केल में प्रोन्नत करने से पहले उनके लिए यह अनिवार्य करें कि उन्हें कम से कम दो तीन वर्षों तक ग्रामीण/अर्ध–शहरी क्षेत्रों में कार्य करना होगा।

[अनुवाद]

एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता

***559. डॉ. टी. सुब्बरामी रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने विभिन्न राज्यों में नीतिगत सुधार कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक सहायता की 50 प्रतिशत राशि अब आगे से राज्यों को प्रदान किये जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इस सहायता द्वारा लाभान्वित होने वाले राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ङ) वर्ष 1997–98 के दौरान राज्य सरकारों को राज्यवार एशियाई विकास बैंक से कुल कितनी ऋण/सहायता प्रदान की गई?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) बैंक की वर्तमान मध्यावधि नीति के अन्तर्गत, इसकी मंशा भारत के कुल वार्षिक ऋणद का लगभग 50 प्रतिशत राज्यों को प्रदान करने की है। राज्यों को ऋण सहायता देने की वास्तविक समय–सूची परियोजना की तैयारी

और सुधार कार्यक्रम की सुदृढ़ता द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(घ) बैंक ने नीति सुधार कार्यक्रमों हेतु ऋण सहायता देने के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश को चुना है।

(ङ) वर्ष 1997–98 के दौरान, एशियाई विकास बैंक ने राज्य स्तर के प्रचालनों के लिए ऋण स्वीकृत नहीं किया है।

[हिन्दी]

कोयला कंपनियों को हुई हानि की जांच के लिए समिति

***560. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों को हो रहे नुकसान के कारणों का पता लगाने तथा उनकी प्रबंधकीय अक्षमता दूर करने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक उच्चस्तरीय जांच दल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) 1994–95 से कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) में समग्र रूप से लाभ की स्थिति में विशेष रूप से सुधार हो रहा है। को. इं. लि. की घाटा उठाने वाली कंपनियों में वित्तीय और प्रचालन क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय में क्रियान्वयन हेतु को. इं. लि. एवं कंपनियों द्वारा सुझाए गए लाभकारी पैकेजों की जांच की जा रही है। को. इं. लि. की ऐसी सहायक कंपनियों में होने वाले घाटे का कारण केवल प्रबंधनीय अक्षमता ही नहीं है।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों को ऋण

***561. श्री संदीपान थोरात :**

श्री मोहन रावले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु औद्योगिक इकाइयों के लिये ऋण वितरण प्रणाली के कार्यकारण की समीक्षा के लिये गठित एस. एल. कपूर समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन में की गयी महत्वपूर्ण टिप्पणियों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) लघु उद्योग की इकाइयों के लिए ऋण वितरण प्रणाली को सुधारु बनाने के लिये की गयी अनुवर्ती कार्यवाही और वर्ष 1998–99 के लिये इस संबंध में तैयार की गई कार्य–योजना का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार लघु उद्योग एककों के लिए ऋण वितरण प्रणाली के कार्य की पुनरीक्षा करने के लिए दिसम्बर, 1997 में गठित एस एल कपूर समिति ने 30 जून, 1998 को भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

(ख) लघु उद्योगों में अपेक्षाकृत छोटे उद्योगों के साथ विशेष व्यवहार, संमिश्र ऋण की प्रमात्रा में वृद्धि, लघु उद्योग अग्रिमों के रास्ते में आने वाली प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को दूर किया जाना, स्टाम्प शुल्क हटाने और साम्यिक बंधकों की अनुमति देने सहित भूमि को बंधक रखने से संबंधित मामलों को निपटाना, लघु उद्योग ऋणों का पुनर्वित्त पोषण करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को निम्न लागत वाली निधियां जुटाने की अनुमति, 2 लाख रु. तक के ऋणों पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त न करना, उद्यमियों की प्रथम पीढ़ी, जो सम्पार्श्विक प्रतिभूतियों या अन्य पक्ष गारंटी दे पाने में कठिनाई महसूस करते हैं, को सहायता प्रदान करने के लिए सम्पार्श्विक आरक्षित निधि की स्थापना, महानगरीय और शहरी क्षेत्रों में/के आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए लघु उद्योग आधारिक विकास निधि की स्थापना, रुग्ण लघु उद्योग एककों की परिभाषा में परिवर्तन, राज्य स्तरीय अंतर–संस्थागत समिति (एस. एल. आई. आई. सी.) को सांविधिक शक्तियां देना, अलग से एक गारंटी संगठन की स्थापना और 1000 अतिरिक्त विशेषज्ञ शाखाएं खोलना इस समिति द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में से है।

इस समिति ने ये सिफारिशें भी की हैं : सिडबी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के समकक्ष लाने के लिए उसकी भूमिका और हैसियत में वृद्धि की जाए। लघु उद्योगों के विभिन्न उप क्षेत्रों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के बारे में सुझाव दिए जाएं, बैंकों से लघु उद्योगों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त तदर्थ सीमाएं मंजूर किए जाएं और सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक की पहल और आरंभिक संग्रह (कोरपस) लेकर पुनर्निर्माण निधि की स्थापना करना ताकि शाखा प्रबंधकों को ऐसी अतिरिक्त सुविधाओं के लिए आरंभिक संग्रह (कोरपस) मार्जिन मनी, यदि आवश्यक हो, प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके, अत्यन्त लघु क्षेत्र को सिडबी के संसाधनों का कम से कम 40 प्रतिशत निर्धारित किया जाए, लघु उद्योगों को संयुक्त रूप से सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी सीमा प्रदान करने के लिए राज्य वित्तीय निगमों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच अत्यधिक सहयोग हो, 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत वाले ग्रामीण औद्योगिक पदकों को सुविधाएं उपलब्ध

कराने के लिए राष्ट्रीय इक्विटी निधि जैसी निधि की नाबार्ड स्थापना करे, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिंग ओमबड्समैन योजना में शामिल न किए गए प्रत्येक बैंक में शिकायतों के लिए अलग से ओमबड्समैन की नियुक्ति किया जाना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन दिया जाए।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस समिति की सिफारिशों की सिडबी, भारतीय बैंक संघ, बैंक और राज्य सरकार सहित सरकारी विभागों जैसी विभिन्न एजेंसियों के परामर्श से जांच की जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में आवश्यक कदम उठा रहा है।

लेटैक्स का निर्यात

5403. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का किसी देश को लेटैक्स का निर्यात करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के लेटैक्स उद्योग द्वारा पॉलीयूरेथिन के अप्रतिबंधित आयात का प्रभाव निर्धारित करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) सरकार लेटैक्स के निर्यात की अनुमति देती है और ऐसे निर्यातों पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं। तथापि, सरकार द्वारा किसी भी देश को लेटैक्स का कोई निर्यात नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिड़ला टेक्सटाइल्स स्वतंत्र भारत मिल्स और डी. सी. एम. सिल्क का बंद होना

5404. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित बिड़ला टेक्सटाइल्स, स्वतंत्र भारत मिल्स और डी. सी. एम. सिल्क मिल्स के नवम्बर, 1996 से बंद हो जाने के परिणामतः हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) क्या अयोध्या टेक्सटाइल्स मिल के अलावा मैसर्स बिड़ला टेक्सटाइल्स और अन्य उद्योगों के प्रबन्धन ने कर्मचारियों को छः साल का वेतन और अतिरिक्त छंटनी लाभ का भुगतान नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपरोक्त मिलों के प्रबंधन के विरुद्ध और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान तथा मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई है अथवा प्रस्तावित है;

(घ) क्या सरकार का टेक्सटाइल मिलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर स्थापित करने संबंधी 31 दिसंबर, 1996 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा हेतु अपील करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप 30.11.1996 को मै. बिड़ला टैक्सटाइल्स और मै. स्वतंत्र भारत मिल्स को बंद कर दिया गया था। जहां तक डी. सी. एम. मिल्स का संबंध है, दिल्ली सरकार ने 30.3.1989 के अपने आदेश द्वारा 1.4.1989 से मिल को बंद करने की अनुमति दे दी थी।

(ख) और (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 8.7.1996 ने आदेश में दिए गए निर्देशानुसार मै. बिड़ला टैक्सटाइल्स, दिल्ली के कामगारों को सूचित किया था कि जो कामगार मिल के नए स्थान "बद्दी" (हिमाचल प्रदेश) में स्थानांतरित होने के इच्छुक हैं उन्हें सिपिंटग बोनस दिया जाएगा और जो कामगार स्थानांतरित होने के इच्छुक नहीं हैं उन्हें एक वर्ष के वेतन के बराबर मुआवजे के अतिरिक्त नियमानुसार मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। 2522 कामगारों में से 577 कामगारों ने अंतिम भुगतान करने का विकल्प लिया, 17 कामगारों ने "बद्दी" में स्थानांतरित किए जाने का विकल्प दिया तथा प्रबंधकों ने ऐसे कामगारों को सिपिंटग बोनस का भुगतान कर दिया। शेष 1938 ऐसे कामगारों के मामलों में जिन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार मिल द्वारा की गई पेशकश का कोई उत्तर नहीं दिया, सूचना के अनुसार प्रबंधकों ने उनके निवास स्थान के पदों पर चैक द्वारा पूर्ण तथा अंतिम वेतन की धनराशि भेज दी। लेकिन, उन्होंने उसे प्राप्त करने के लिए मना कर दिया।

मै. स्वतंत्र भारत मिल के संबंध में 30.11.1996 को उसके बंद होने के समय उसमें 2126 कामगार थे। ऐसा सूचित किया गया है कि पर्याप्त संख्या में कामगारों को उनके शिपिंटग बोनस का भुगतान कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन. सी. टी.) दिल्ली क्षेत्र दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर करके दिनांक 31.12.96 के अपने आदेश की इस तर्क के साथ पुनरीक्षा करने का अनुरोध किया था कि जिन उद्योगों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन. सी. आर.) में नए स्थान का आबंटन नहीं किया गया है, उन्हें बंद समझा जाए तथा इन उद्योगों में कार्यरत कामगारों को उन उद्योगों के कामगारों के बराबर मुआवजा दिया जाए जो नए स्थान पर नहीं जा सके हैं और जिन्होंने बंद करने का निर्णय लिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया गया।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटल में कर्मचारी को परेशान किया जाना

5405. श्री चेंगारा सुरेन्द्रन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 मई, 1998 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "ओमैन एलैजेज रेप, हरासमेंट बाई होटल कनिष्का कलीग्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम में कार्य कर रही महिलाओं के लिए इस तरह परेशान किया जाना आम बात है और मामले को निजी स्वार्थ के कारण सतर्कता और सुरक्षा डिवीजन के कर्मचारियों द्वारा दबा दिया जाता है;

(घ) मई, 1998 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम में कार्यरत सभी तरह की महिलाओं को कथित रूप से परेशान किए जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) क्या सरकार दोषी कर्मचारियों विशेष रूप से महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार कर्मचारियों को दण्डित करने पर विचार कर रही है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) जी, हां। प्रेस रिपोर्ट में, भारत पर्यटन विकास निगम के कनिष्क होटल की 24 वर्षीय महिला कर्मचारी का गत दो वर्ष से ज्यादा समय से कुछ सह-कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने के बारे में बताया गया है और यह भी बताया गया है कि होटल प्रबंधन ने उनके द्वारा इस संबंध में अगस्त, 1996 में दर्ज की गयी रिपोर्ट के खिलाफ भी कदम नहीं उठाया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। भारत पर्यटन-विकास निगम में करीब 7900 कर्मचारी हैं और गत तीन वर्षों में महिला कर्मचारियों द्वारा कथित उत्पीड़न की केवल पांच शिकायतें ही प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच की गयी थी, परन्तु पांच में से चार मामलों में आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। पांचवे मामले में, जो कनिष्क होटल में महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में है और जिसके बारे में प्रेस रिपोर्ट में बताया गया है, उसके बारे में की गयी जांच की रिपोर्ट के आधार पर दो कर्मचारियों पर भारी जुर्माने की चार्जशीट जारी की गयी है, जिनमें से एक को निलम्बित भी किया गया है। तीन वरिष्ठ कर्मचारियों को और अधिक सावधान रहने की चेतावनी देते हुए परामर्शी ज्ञापन जारी किए गए तथा छः कर्मचारियों की भर्त्सना की गयी है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चेकों का समाशोधन

5406. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के चेक को भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय की एक किलोमीटर परिधि में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जमा कराने की तिथि के बाद इसके समाशोधन में कितने दिन अपेक्षित हैं;

(ख) क्या भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के ग्राहकों से चेकों के तीन से पांच दिन से भी अधिक समय तक भी समाशोधित न होने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो नवम्बर, 1997 के दौरान ऐसी शाखाओं विशेष रूप से जो भारतीय रिजर्व बैंक से 2 किलोमीटर की परिधि में स्थित हैं के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय-वार आम जनता/संसद सदस्यों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) उस पर क्या कार्रवाई की गई है और ऐसे मामलों में दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय स्टेट बैंक (एस. बी. आई.) ने सूचित किया है कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक स्थानीय समाशोधन के लिए लिखतों के जमा की तारीख को छोड़कर एक दिन की आवश्यकता होती है। चैक वापसी का कार्य पूरा होने के बाद ही धन निकालने की अनुमति दी जाती है। तथापि, समाहरण के लिए भेजे गए स्थानीय चैकों के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, ग्राहकों के खातों के नाम डाला जाना चाहिए और उन्हें काउंटरों पर चैकों के मंजूरी की तारीख से अद्यतन तीसरे कार्य दिवस पर निधियों का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। समाहरण के लिए भेजे गए सभी स्थानीय चैकों पर ये अनुदेश लागू होते हैं।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि हाल में इस संबंध में उन्हें ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

मसालों के उत्पादन में वृद्धि

5407. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में मसालों के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता देने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

नाबार्ड ऋण

5408. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड कृषि विज्ञान स्नातकों को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी समितियों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने वाली पुनर्वित्त एजेंसी है। वह कृषि विज्ञान स्नातकों को उद्यम सम्बन्धी गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई विशेष ऋण प्रदान नहीं करता है। तथापि, नाबार्ड गैर कृषि क्षेत्र के लिए नाबार्ड की पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत इकाइयां स्थापित करने/परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए तथा कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली नवोन्मेषी, उच्च तकनीक वाली परियोजनाओं निर्यातोन्मुखी इकाइयों और कृषि संसाधन योजनाओं के लिए उन संभावित उद्यमियों को, जिनके पास उद्यमवृत्ति की अपेक्षित योग्यताएं एवं विशेषताएं हैं किन्तु जिनके पास अपने मौद्रिक संसाधन नहीं हैं, पुनर्वित्त सहायता के रूप में मार्जिन राशि के लिए सुलभ ऋण सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

आवास विकास वित्त निगम की गतिविधियां

5409. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास विकास वित्त निगम ने अपनी गतिविधियों का दायरा बढ़ाया है; और

(ख) यदि हां तो किन-किन क्षेत्रों में ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

500 रुपए के नोट

5410. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कई राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद 500 रुपए मूल्य के नोट के एक सिरिज का भुगतान नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) 500/- रुपए के पुराने नोटों को स्वीकार करने से मना करने के कुछ मामले भारतीय रिजर्व बैंक के नोटिस में आए हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 18.6.1998 को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को आम जनता के सभी शृंखलाओं के 500/- रुपए के नोटों को सभी काउंटरों पर स्वीकार करने के अनुदेश दिए हैं। जब कभी किसी बैंक द्वारा ऐसे नोटों को स्वीकार करने से मना करने का कोई विशिष्ट मामला भारतीय रिजर्व बैंक के नोटिस में लाया जाता है, तो संबंधित शाखा/बैंक को ऐसे नोटों को स्वीकार करने के लिए नए निर्देश तत्काल जारी किए जाते हैं।

सोने का आयात

5411. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :

श्री सीताराम यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1998-99 के दौरान सोने के आयात पर सीमा शुल्क में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वृद्धि से देश में सोने के आयात पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार सीमा शुल्क को पिछले वर्षों के बराबर लाने के लिए पुनर्विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दिनांक 2.6.98 की अधिसूचना संख्या 28/98-सी. शु. द्वारा सोने के आयात पर सीमा शुल्क को 220 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति 10 ग्राम कर दिया है।

(ग) से (ङ) इस बात की संभावना नहीं है कि इस वृद्धि से सोने

के आयात पर कोई भारी प्रभाव पड़ेगा। शुल्क में इस वृद्धि पर पुनः विचार करने के लिए सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

हथकरघा उद्योग में वित्तीय संकट

5412. श्री सुशील चंद्र वर्मा : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस उद्योग से जुड़े कितने लोगों ने वित्तीय कठिनाइयों के कारण आत्महत्या कर ली; और

(घ) सरकार ने इस स्थिति के उपचार के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) नाबार्ड उसकी रियायती पुनर्वित योजना के अंतर्गत पात्र हथकरघा अभिकरणों को उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए साख (क्रेडिट) प्रदान करता है। नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, साख सीमा स्वीकृति के स्तर 1992–93 में 492.37 करोड़ रुपये से 1997–98 में 743.18 करोड़ रुपये पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार विभिन्न चालू योजनाओं के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र के विकास तथा बुनकरों के कल्याण के लिए पात्र हथकरघा अभिकरणों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। 1992–93 से 1997–98 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र हथकरघा अभिकरणों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता 1086.91 करोड़ रुपये है।

(ग) राज्य सरकारों से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

त्रिपुरा के लिए विकास/कल्याण योजनाएं

5413. श्री समर चौधरी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने 1996–98 के दौरान हैंक यार्न मूल्य राजसहायता योजना, पात्र हथकरघा विकास केन्द्रों/गुणवत्ता वाले रंगाई एककों को अनुवर्ती किस्त जारी करने के लिए एच. डी. सी./क्यू. डी. यू. प्रस्ताव, जूट परियोजना, गरीबी की रेखा से नीचे बुनकरों के लिए सीमांत धनराशि, प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के लिए विपणन विकास सहायता, विपणन काम्पलैक्स केन्द्र निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता/अनुमोदन मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) भारत सरकार विभिन्न हथकरघा योजनाओं के अंतर्गत त्रिपुरा सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है। राज्य सरकारों द्वारा परियोजना प्रस्तावों का प्रतिपादन एवं प्रस्तुतीकरण और भारत सरकार द्वारा उनकी स्वीकृति एक नियमित प्रक्रिया है। वर्ष 1996–97 तथा 1997–98 के दौरान त्रिपुरा सरकार से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर कुल 139 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह ऐसे परियोजना प्रस्तावों जो व्यवहार्य नहीं पाए गए हैं अथवा योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप नहीं थे, उनको पुनः प्रतिपादित तथा पुनः प्रस्तुत करें।

कॉफी और तम्बाकू के उत्पादन में वृद्धि

5414. श्री गिरिधर गमांग : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कॉफी बोर्ड द्वारा कॉफी बागानों के विकास और तम्बाकू बोर्ड द्वारा तम्बाकू उत्पादन के लिए उड़ीसा में अब तक कौन–कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं और इनके लिए किन–किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ख) इनके विस्तार सहित अनुसंधान और विकास के लिए इन योजनाओं के लिए अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा हाल के वर्षों में कॉफी और तम्बाकू उत्पादन के लिए कुछ निजी एजेंसियों को पट्टे दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) कॉफी बोर्ड ने कॉफी की खेती के लिए उड़ीसा के कोरापुट, गन्जम, फूलबरनी तथा क्योंझर जिलों के लगभग 11,000 हैक्टेयर क्षेत्र का पता लगाया है, जिसमें से 1,600 हैक्टेयर क्षेत्र कॉफी की खेती के अंतर्गत लाया जा चुका है।

नौवीं पंचवर्षीय येजना के दौरान कॉफी बोर्ड उड़ीसा में कॉफी के विकास के लिए एक विशेष पैकेज स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है जिसके अन्तर्गत कॉफी उत्पादकों को 15,000 रुपए प्रति हैक्टेयर की इमदाद दी जा रही है। 15,000/– रुपए की शेष धनराशि की पूर्ति लाभानुभोगियों द्वारा स्वयं की जाती है।

"एफ सी वी तम्बाकू के लिए नए क्षेत्रों का विकास" नामक योजना स्कीम के अंतर्गत तम्बाकू बोर्ड ने मै. आई. टी. सी. लि. के सहयोग से उड़ीसा राज्य के रायगढ़ जिले के हल्की मिट्टी (लाइट सॉयल) के क्षेत्रों की पहचान कम सुवासित तम्बाकू के उत्पादन के लिए उचित क्षेत्रों के रूप में की है।

(ख) उड़ीसा में कॉफी के विकास के लिए, कॉफी बोर्ड अनुसंधान एवं विकास तथा विस्तार क्रियाकलापों पर क्रमशः औसतन 40–50 लाख रुपए तथा 10–12 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करता है।

तम्बाकू बोर्ड ने 1993–94 से अब तक उड़ीसा राज्य के रायगढ़ जिले में 106 बखारों के निर्माण के लिए 7.30 लाख रुपए की इमदाद प्रदान की है।

(ग) और (घ) सरकार को उड़ीसा सरकार द्वारा कॉफी अथवा तम्बाकू की खेती के लिए निजी एजेंसियों को पट्टे पर भूमि दिए जाने की कोई जानकारी नहीं है। तथापि, राज्य में निजी उद्यमियों द्वारा 175 हैक्टेयर से अधिक भूमि को कॉफी की खेती तथा 300 हैक्टेयर भूमि को तम्बाकू की खेती के अंतर्गत पहले ही लाया जा चुका है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग केन्द्र

5415. श्री टी. गोविन्दन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार 1998–99 के दौरान देश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए केन्द्रों को स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। 1998–99 के दौरान देश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नये केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

छोड़ दी गई खानों का सुधार

5416. श्री विकास चौधरी : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन–कौन सी खुली मुहाने वाली खानों का सुधार किया जा चुका है और ऐसी कौन सी छोड़ दी गई ओ. सी. पी. खानें हैं जिनका सुधार किया जाना अभी बाकी है; और

(ख) क्या उक्त सुधार खाली क्षेत्र में चालू परियोजनाओं में किया जा रहा है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) बंद पड़ी हुई उन ओपनकास्ट खानों, जिन्हें नवीनीकृत/आंशिक रूप से नवीनीकृत किया जा चुका है और जिन्हें अभी नवीनीकृत किया जाना है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

कंपनी	बंद पड़ी हुई ओ. का. प. जिन्हें नवीनीकृत/आंशिक रूप से नवीनीकृत किया गया है।	नवीनीकृत की जाने वाली बंद पड़ी ओ. का. प.	टिप्पणी
1	2	3	4
ई. को. लि.	1. नबकजोरा/घनश्याम	1. नीमचा	
	2. रातिबाटी	2. श्रीपुर	
	3. पुरुषोत्तमपुर	3. अलकुबा गोपालपुर	
	4. महाबीर	4. डाबोर	
	5. केन्डा/डोबराना	5. पलस्थाली	
	6. धन्दाडीह	6. कपसारा	
	7. पोड्डीही	7. पुसाई	
	8. डालमिया	8. ललमटिया	
	9. डलुरबांध		
	10. गंगारामचक		

1	2	3	4
भा. को. को. लि.–	1. तसरा ओका		एक अखनित निचली सीम, जिसे अभी
	2. बेरा ओका		उत्खनित किया जाना है, के विद्यमान
	3. झुनकुन्डर ओका		होने के कारण इन्हें नवीनीकृत नहीं
	4. बासदेवपुर ओका		किया जा सका।
	5. लक्ष्मी ओका		
	6. कनकनी ओका		
सें. को. लि.	1. गिधानिया ओका	–	–
	2. रौता ओका		
	3. सिमवा ओका		
	4. प्योर धोरी ओका		
	5. सुगिया ओका		
ना. को. लि.	1. गोरबि ओका		
साईकोलि	1. चचाई	1. डोमनारा	
	2. जरवाही		
नाईको	1. मुंशी ओका		
वेकोलि	1. शिवपुरी–I	2. (दो) ओकाप	
	2. शिवपुरी–II		
साईकोलि	1. बेलापल्ली–ओका		खुदाई किए गए क्षेत्र के लगभग 40% (18.33 है.) को पुनः भर दिया गया है तथा मिट्टी से भरे गए क्षेत्र के 63% भाग पर वनरोपण का कार्य भी किया जा चुका है।
	2. जवाहरखानी ओका		दो ब्लाकों को पूर्णतः भरा जा चुका है तथा नवीनीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।
नेलिका			नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में कोई बंद पड़ी हुई ओपनकास्ट खान नहीं है।

(ख) जी, हां। कोल इंडिया लि. (कौ. इं. लि.) की चालू ओपनकास्ट परियोजनाओं में केवल उन क्षेत्रों को छोड़कर, जहां बाद में खनित किए जाने वाली अखनित निचली कोयला सीमें विद्यमान हैं, गड्ढों को भरे जाने का कार्य किया जा रहा है। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (सिं. को. कं. लि.) की 11 ओपनकास्ट परियोजनाओं में से, 7 ओपनकास्ट परियोजनाओं के कोयला निकाले जा चुके क्षेत्रों

में मिट्टी भरे जाने का कार्य प्रगति पर है। कुछ चालू परियोजनाओं में, जहां मिट्टी भरे जाने का कार्य आयोजन ऊंचाई/भूमि स्तर तक पहुंच गया है, वहां वनरोपण का कार्य भी किया जा चुका है। नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (ने. लि. का.) में भी, गड्ढों वाले क्षेत्र के नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है।

अजमेर से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना

5417. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा महत्वपूर्ण और बड़े तीर्थस्थानों में से एक अर्थात् अजमेर (राजस्थान) में ठहरने के लिए उपलब्ध कराए गए कम किराए वाले स्थान आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा अजमेर में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कोई नई परियोजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का अजमेर के लिए विशेष रूप से इस वर्ष के ख्वाजा गरीब नवाज के 786वें "उर्स" के अवसर पर एक नई परियोजना पर विचार करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) पर्यटन मंत्रालय द्वारा अजमेर में वर्ष 1991–92 में पर्यटन आधारभूत सुविधाओं हेतु वित्त पोषित की गई परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. यात्रिका
2. विश्राम स्थली में तीर्थ शैड
3. विश्राम स्थली में जन सुविधाएं
4. पर्यटक बंगले का विस्तार

(ख) से (घ) अजमेर में वर्ष 1998–99 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु अभिनिर्धारित परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

(1) अजमेर में राजस्थान पर्यटक विकास निगम के पर्यटक परिसर का उन्नयन।

(2) अकबर–का–किला, अजमेर में शौचालयों का नवीनीकरण तथा लॉनों का विकास।

वित्त मंत्री का विदेश दौरा

5418. श्री सत्यपाल जैन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1998 से उन्होंने कितनी बार विदेश दौरे किए हैं और ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान पूर्व वित्त मंत्री ने कितने विदेशी दौरे किए थे;

(ख) उन्होंने किन–किन देशों का दौरा किया और उनके साथ कितने व्यक्ति दौरे पर गए और प्रत्येक दौरे में कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या प्रत्येक दौरे के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ङ) अप्रैल, 1998 से वित्त मंत्री दो बार विदेशों में अपने अधिकारिक दौरे पर गए हैं। इन यात्राओं में, उनके साथ अमेरिका तथा ब्रिटेन में पांच और स्विटजरलैंड में तीन अधिकारी थे। इन यात्राओं पर आए खर्च संबंधी ब्यौरे संबंधित दूतावासों से प्रतीक्षित हैं।

पूर्व वित्त मंत्री के विदेश दौरों संबंधी विवरणों को संकलित किया जा रहा है तथा उन्हें सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

ऋण माफ किया जाना

5419. श्री सुशील कुमार शिन्दे :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996–97 तथा 1997–98 के दौरान विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों द्वारा अशोध्य ऋण की कितनी राशि बट्टे खाते में डाली गयी है;

(ख) कमजोर वर्गों और किसानों के कितनी राशि के ऋण माफ किए गए तथा निगमित क्षेत्र सहित अन्य द्वारा देय राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान गैर–परिचालनात्मक खातों को जब्त करने, नामिती का उल्लेख किये बिना मृत खाताधारियों और अन्य उपायों से इन बैंकों को कितने रुपये प्राप्त हुए ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग के अनुसार सूचना प्राप्त

नहीं होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके द्वारा एकत्रित की गई सूचना के आधार पर, वर्ष 1996–97 के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाली गई अशोध्य ऋणों की राशि, नीचे दर्शाई गई है :

(करोड़ रुपए)

	1996–97	1997–98
राष्ट्रीयकृत बैंक	1608.79	उ. न.
सहकारी बैंक	2.10	10.1
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43.49	39.95

राष्ट्रीयकृत बैंकों के सम्बन्ध में ऊपर दर्शाए गए 1608.79 करोड़ रुपए की राशि में कृषि के अन्तर्गत बट्टे खाते डाली गई 151.82 करोड़ रुपए की राशि और प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के अन्तर्गत 519.50 करोड़ रुपए की राशि सम्मिलित है। गैर प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के अन्तर्गत बट्टे खाते डाली गई राशि में उद्योग, व्यापार/कारोबार और अन्य गैर प्राथमिकता क्षेत्र सम्मिलित हैं। नाबार्ड द्वारा भेजी गई सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में बट्टे खाते डाली गई राशि नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सहकारी बैंक	आर. आर. बी.
1996–97	2.10	42.82
1997–98	1.01	38.81

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक उन दावा न की गई जमाराशियों के सम्बन्ध में आंकड़े रखते हैं जिनमें दस वर्षों और उससे अधिक समय से परिचालन नहीं हुआ है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के सम्बन्ध में 31–12–1996 और 31–12–1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ऐसी दावा न की गई जमाराशियों का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	राशि
31–12–1996	140.91
31–12–1997	262.71

नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सहकारी बैंक	आर. आर. बी.
1996–97	6.96	0.62
1997–98	6.80	1.09

जमाराशियों की बकाया राशि की वापसी की बैंकों की जवाबदेही तक रहती है जब तक कि उसकी वापसी के लिए मांग की जाए और केवल समय की चूक के कारण बकाया राशि बैंक की नहीं हो जाती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शीर्ष पदों पर कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

5420. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों के शीर्ष पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा सम्बद्ध सेवा के अधिकारी कार्यरत हैं तथा इनकी पदावधि क्या है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित पूर्णकालिक आधार तथा अन्य पदों के साथ–साथ अथवा अस्थायी प्रभार धारक अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को नौकरशाही से मुक्त करने हेतु क्या कदम उठाए जाने, यदि कोई हो तो, का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) और (ख) जिन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के प्रमुख का कार्य भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा संबद्ध सेवाओं के अधिकारी नियमित आधार पर और अतिरिक्त/वर्तमान कार्यभार के आधार पर देख रहे हैं, उनकी संख्या और नाम तत्काल उपलब्ध सूचना के आधार पर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकारी उपक्रमों में निदेशक मण्डल स्तर पर नियुक्ति लोक उद्यम चयन मण्डल की अनुशंसाओं के आधार पर की जाती है। अखिल भारतीय/समूह "क" की केन्द्रीय सेवाओं के जो अधिकारी ऐसे पदों के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें सामान्यतया स्थायी आमेलन के आधार पर लिया जाता है और सरकारी उपक्रम की आवश्यकता, संगठन के क्रिया–कलापों की प्रकृति अथवा पद के लिए उम्मीदवार की अनुपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए स्थायी आमेलन की शर्त में छूट दी जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकारी उपक्रमों में इन पदों पर नियुक्ति कर समूह "क" की संगठित सेवाओं के अधिकारियों को उक्त पदों से वंचित करने पर विचार नहीं किया गया अथवा इसे आवश्यक नहीं समझा गया।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम जिनके प्रमुख भारतीय प्रशासनिक सेवा या अन्य सम्बद्ध सेवाओं के अधिकारी हैं

क्र. सं.	सरकारी उपक्रम का नाम	पद का नाम	व्यक्ति का नाम	कार्यकाल
1.	राष्ट्रीय बीज निगम	प्रबंध निदेशक	सुश्री दीपिका पड्डा, आईएएस (बीएच–74)	13.6.94 से 12.6.99
2.	केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम	प्रबंधक निदेशक	सुश्री अनीता चौधरी, आईएएस (एचआर–76)	30.8.96 से 6.8.99
3.	नेशनल टेक्सटाइल कारपो. (एचसी) लि.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री के. के. मिश्रा, आईएएस (केटीके–67)	14.7.97 से 13.7.2001
4.	इण्डियन एयरलाइन्स	प्रबंध निदेशक	श्री पी. सी. सेन, आईएएस (एमपी–67)	1.3.94 से 28.2.99
5.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री दिवाकर देव, आईएएस (यूपी–66)	15.7.97 से 14.7.99
6.	पारादीप फास्फेट्स लि.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री एच. मिश्रा, आईएएस (एमपी–68)	10.12.96 से 9.12.2001
7.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.	प्रबंध निदेशक	श्री लालहुमा, आईएएस (एनएल–74)	6.12.97 से 15.12.2002
8.	नेशनल टेक्सटाइल कारपो. (पं. बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री बी. महापात्र, आईएएस (प. बं.–73)	3.10.97 से 2.10.2002
9.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लि.	प्रबंध निदेशक	श्री बी. एस. साजवन, आईएएस (एजीएमयूटी–76)	5 वर्ष या अधिवर्षिता की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो (आदेश दिनांक 17.1.97 को स्थापना अधिकारी के कार्यकाल द्वारा जारी)
10.	भारतीय खाद्य निगम लि.	अध्यक्ष	श्री बी. नरसिम्हन, आईएएस (गुजरात–64)	11.2.98 से अगला आदेश जारी होने तक
11.	इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गेनाइजेशन	अध्यक्ष	श्री योगेश चन्द्र, आईएएस (यूपी–62)	5.11.97 से अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो।

केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक आदि पदों का अतिरिक्त/वर्तमान कार्यभार ग्रहण करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं के अधिकारी

क्र. सं.	सरकारी उपक्रम का नाम	पद का नाम	व्यक्ति का नाम	कार्यकाल
1.	एमएमटीसी लि.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री नृपेन्द्र मिश्र, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय	13.2.98 से 12.8.98 तक
2.	मसाला व्यापार निगम	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री सी. आर. चिक्कामथ, आईएएस निदेशक, नीलामी, टुबैको बोर्ड	नौ माह अथवा नियमित पदधारी की नियुक्ति तक, इनमें से भी पहले हो।
3.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	प्रबंध निदेशक	श्री रघु मेनन, आईएएस (एनएल–74)	4.5.98 से तीन माह तक
4.	भारतीय राष्ट्रीय बाईसाईकिल निगम लि.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री वी. के. मुटरेजा, निदेशक भारी उद्योग विभाग	अगले आदेश तक (15.7.98 को स्थापना अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आदेश)

मणिपुर में सहकारी संस्थाओं संबंधी योजना

5421. श्री था. चौबा सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार मणिपुर में सहकारी संस्थाएं बनाने पर जोर देने की बजाय चालू वित्तीय वर्ष के लिए बुनकरों को ऋण/अनुदान के रूप में व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) सरकार विभिन्न हथकरघा योजनाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से राज्य हथकरघा निगमों, शीर्ष बुनकर सहकारी समितियों तथा प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को संबंधित राज्य सरकारों जिसमें मनीपुर राज्य सरकार भी शामिल है, से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। चालू वित्तीय वर्ष मनीपुर सहित किसी भी राज्य में व्यक्तिगत बुनकर को ऋण/अनुदान के रूप में वित्तीय सहयोग प्रदान करने हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फ्लैटों की खरीद

5422. श्री राजो सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने 1997 में पारेल, मुम्बई में 45 फ्लैटों की खरीद की थी;

(ख) यदि हां, तो इन फ्लैटों की खरीद दर निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए बैंक द्वारा कोई समिति गठित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो उस समिति की संरचना क्या थी;

(ङ) क्या अन्य खरीदारियों के मूल्यांकन में भी इन्हीं मानदण्डों को अपनाया जाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि निम्नलिखित सदस्यों वाली एक भवन निर्माण उप समिति गठित की गई थी :

(i) बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के दो सदस्य, जिनमें से एक उपसमिति का अध्यक्ष नामित किया गया है।

(ii) परिसर (प्रिमेसिज) विभाग के उपगवर्नर और कार्यकारी निदेशक सदस्य हैं।

(iii) बाहर के चार प्रख्यात तकनीकी विशेषज्ञ सदस्य हैं; और

(iv) परिसर (प्रिमेसिज) विभाग के मुख्य महाप्रबंधक सदस्य सचिव हैं।

एक तकनीकी समिति ने सम्पतियों की जांच की थी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तत्पश्चात् दरों को अन्तिम रूप देने के लिए एक समझौता समिति बनाई गई जिसमें कार्यकारी निदेशक, वित्तिक–विभाग के प्रभारी वित्ति–सलाहकार और दो अधिकारी शामिल किए गए जिन्होंने दर–सूची देने वाले भवन निर्माताओं के साथ बातचीत करके क्रय दरें नियत कीं।

(ङ) और (च) जी हां। अन्य खरीद–फरोख्त के मूल्यांकन के लिए जो विभिन्न मानदण्ड रखे गए हैं, वे हैं :

1. बैंक के तकनीकी स्टाफ द्वारा स्थल–निरीक्षण।
2. भवन निर्माण उप समिति की सलाह के लिए प्रस्तुत ज्ञापन।
3. भवन निर्माण उप समिति के तकनीकी सदस्यों द्वारा प्रस्तावों की जांच पड़ताल।
4. अंतिम रूप से क्लियरेंस और व्यय की मंजूरी के लिए समिति/केन्द्रीय निदेशक मंडल के समक्ष पेश किया गया ज्ञापन।

भारतीय जीवन बीमा निगम के वेतनमान

5423. मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, (ए. वी. एस. एम.): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक तथा सामान्य बीमा कम्पनियों और भारतीय जीवन बीमा निगम के वेतनमान सामान हैं;

(ख) क्या बैंकों में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन पहले बढ़ा दिया गया था लेकिन बीमा क्षेत्र के इन्हीं श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया गया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस असमानता को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं। साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम के वेतनमान राष्ट्रीयकृत बैंकों के वेतनमानों से भिन्न हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सरकार ने बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन में 2.3 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि देने का निर्णय लिया है जिस प्रकार से बैंकिंग क्षेत्र में किया गया है।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क आयुक्त कार्यालय

5424. श्री माधवराव पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नासिक में केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क और सीमा–शुल्क आयुक्त कार्यालय खोलने की मांग केन्द्र सरकार के पास पिछले 15 वर्षों की लम्बी अवधि से लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय लेने में होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अब नासिक के कर दाताओं की उक्त आयुक्त कार्यालय खोलने की मांग के संबंध में गंभीर है;

(घ) यदि हां, तो वहां कब तक आयुक्त कार्यालय खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ङ) वाणिज्य, उद्योग एवं कर्मचारियों के कुछ संघों ने नासिक में सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय की स्थापना करने के लिए अभ्यावेदन दिया है। इस समय नासिक में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के डिवीजन स्तर के दो कार्यालय हैं तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपर आयुक्त का एक कार्यालय है। किसी आयुक्तालय की स्थापना करना, राजस्व वसूली, भौतिक क्षेत्राधिकार, कार्य की मात्रा आदि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। फिलहाल नासिक में आयुक्तालय की स्थापना किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

इंड बैंक

5425. श्री डी. एस. अहिरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंड बैंक, जो इंडियन बैंक का सहायक बैंक है, परिपक्वता अवधि से पहले निवेशकों को निवेश की राशि लौटा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) निवेशकों को अब तक कितनी धनराशि लौटाई गई है और धनराशि लौटाने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) आज तक कितने मामले लम्बित हैं और इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं;

(ङ) सभी मामलों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(च) इसके परिणामस्वरूप बैंक की साख/विश्वसनीयता पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (च) जी, हां। भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा तैयार किए मार्ग–निर्देशों के अनुसरण में इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि., जो इंडियन बैंक की एक अनुषंगी है, ने जनता से जमाराशियां स्वीकार करना रोक दिया है क्योंकि वे निधि आधारित क्रियाकलाप जारी नहीं रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों, जिसमें जनता से सावधि जमाराशियां स्वीकार करने के मानदण्डों में संशोधन किया गया है और इसे कम्पनी के ऋण पात्रता निर्धारण और निवल क्षमता से जोड़ा गया है, के परिणामस्वरूप इंड बैंक की पात्रता को कम कर दिया गया हैं। इंड बैंक को 31.12.2000 से पहले अत्यधिक जमाराशियों को कम कर लेना है। इंड बैंक ने अपने जमाराशि धारकों को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे समय से विधिवतरूप से विमुक्त अपनी सावधि जमाराशि प्राप्तियां भेजने के लिए कहा गया है। इंडियन बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 6.93 करोड़ रुपए की राशि अब तक उन जमाकर्ताओं को लौटाई जा चुकी है, जिन्होंने परिपक्वता अवधि से पूर्व वापसी अदायगी के लिए अपनी सहमति दे दी है। बैंक ने आगे सूचित किया है कि वापसी अदायगी को संसाधित किया जाता है और तत्काल भेज दिया जाता है और कोई भी मामला लम्बित नहीं है। चूंकि सभी जमाराशियों का भुगतान तत्परतापूर्वक किया गया था और किया जा रहा है, इसलिए इस अनुषंगी की साख और विश्वसनीयता प्रतिकूल ढंग से प्रभावित नहीं हुई है।

रबड़ का मूल्य

5426. श्री पी. सी. थामस : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 से प्राकृतिक रबड़ की उत्पादन लागत क्या रही है;

(ख) क्या उक्त वर्षों में रबड़ का न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस वर्ष के लिए मूल्य निर्धारण कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो कितना ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) प्राकृतिक रबड़ की उत्पादन लागत प्रत्येक वर्ष निश्चित नहीं की जाती है। तथापि, भारत सरकार ने निम्नलिखित वर्षों में उत्पादन–लागत के आधार पर प्राकृतिक रबड़ की बैंच मार्क कीमत निर्धारित/संशोधित की है :

वर्ष	बैंचमार्क कीमत आरएसएस–IV ग्रेड (रु./100 किग्रा.)
फरवरी, 1986	1650
मई, 1987	1700
सितम्बर, 1988	1780
जनवरी, 1991	2145
जनवरी, 1993	2345
फरवरी, 1994	2490

(घ) और (ङ) वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा की रिपोर्ट के आधार पर प्राकृतिक रबड़ की बैंच मार्क कीमत में संशोधन करने की प्रक्रिया चल रही है।

[हिन्दी]

एस. ई. सी. एल. द्वारा वनरोपण कार्यक्रम

5427. श्री लरंग साय : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस. ई. सी. एल. द्वारा किन–किन क्षेत्रों में वनरोपण कार्य आरम्भ किया गया और इस कार्य में कौन–कौन से उपक्रम लगे हुए हैं;

(ख) इस संबंध में अब तक हुए कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त वनरोपण कार्य संविदा में निर्धारित शर्तों के अनुरूप हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में भुगतान किस आधार पर किया जाता है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (सा. ई. को. लि.) द्वारा वनरोपण का कार्य आस–पास की कॉलोनियों/आधारभूत संरचना स्थल में आंतरिक/बाह्य ऊपरी मलवा डम्पों, खाली पड़ी जमीन पर किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (एम. पी. आर. वी. वी. एन.), जो कि एक मध्य प्रदेश सरकार का उपक्रम है, 1990 से कार्यकारी अभिकरण के रूप में इस कार्य को कर रहा है।

(ख) सा. ई. को. लि. अपने संस्थापन से अब तक 183.5 लाख बाल वृक्षों का रोपण कर चुकी है।

(ग) जी, हां।

(घ) सा. ई. को. लि. और एम. पी. आर. वी. वी. एन. के

अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किए जाने तथा तीसरे वर्ष के अंत में नब्बे प्रतिशत तक पौधों के जीवित रहने की शर्त के आधार पर इस संबंध में अंतिम रूप से भुगतान किया जाता है। यदि पौधों के जीवित रहने की दर 90 प्रतिशत से कम होती है तो उस स्थिति में भुगतान की जाने वाली राशि में से यथानुपाती रूप से कटौती की जाती है।

[अनुवाद]

वित्तीय संस्थानों द्वारा कताई मिलों के लिए धनराशि

5428. श्री अभयसिंह एस. भौंसले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में छोटी कताई की मिलें स्थापित करने के लिए आई. एफ. सी. आई., आई. सी. आई. सी. आई., आई. डी. बी. आई. तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वे कौन–कौन सी कताई की मिलें हैं जिनके लिए सहायता मांगी गई है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने सूचित किया है कि आरंभिक स्तर पर नई कताई मिलों की स्थापना करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसी प्रकार की वित्तीय सहायता की मांग नहीं की है। तथापि, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. दोनों को सहकारी कताई मिलों से आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें महाराष्ट्र सरकार से इक्विटी सहायता का प्रस्ताव किया गया है। बैंकों से प्रचलित प्रथाओं और रीतिरिवाजों के अनुसार और सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के प्रावधानों और साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुसरण में एकक–वार ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता है।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि बहुत सी सहकारी कताई मिलों द्वारा वित्तीय संस्थाओं के प्रति की गई चूकों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संस्थाओं ने यह निर्णय लिया था कि नए सहकारी कताई मिलों के वित्तपोषण पर तभी विचार किया जाएगा जबकि विद्यमान सहकारी कताई मिलों से संबंधित देय राशियों का स्वयं एककों या राज्य सरकार जिसने ऋणों की गारंटी दी है, द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा।

कर्नाटक की सिंचाई परियोजनाओं के लिए ओ. ई. सी. एफ. सहायता

5429. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए ओ. ई. सी. एफ. से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने ओ. ई. सी. एफ. को कोई अनुरोध भेजा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ओ. ई. सी. एफ. से यह सहायता कब तक प्राप्त हो जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

पैसे का निकटस्थ रुपए में पूर्णांक बनाना

5430. श्री नरेश पुगलिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैसे का निकटस्थ रुपए में पूर्णांक बनाने के आदेश दस वर्ष पूर्व जारी कर दिए थे लेकिन उन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां। सरकारी लेन–देनों को पूर्णांकित किए जाने के लिए जून, 1986 में आदेश जारी किए गए थे। ये आदेश केन्द्रीय सरकार खाता (प्राप्ति और संदाय) नियम में संशोधन के माध्यम से कार्यान्वित किए गए थे;

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, इन आदेशों को सभी संबंधितों के ध्यान में एक बार फिर से लाया जा रहा है।

तम्बाकू उत्पादक

5431. श्री सोडे रमैया :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तम्बाकू उत्पादकों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या कर्नाटक के तम्बाकू उत्पादक उर्वरकों की कमी

का सामना कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा तम्बाकू उत्पादकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के तम्बाकू उत्पादकों की सहायता करने के लिए किए गए कुछ उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं :

(i) स्वीकृत बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों, सिंचाई उपस्करों, सकरसाइड्स और खत्तों की छत्तों के परिरक्षण के उपयोग के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराना;

(ii) उच्च पैदावार देने वाले बीजों/पौधों और एफ. सी. वी. वर्ली तम्बाकू की रोग–प्रतिरोधी किस्मों की आपूर्ति;

(iii) संसाधित पत्तों के भंडारण के लिए इमदादी दरों पर तिरपाल की आपूर्ति;

(iv) उच्च पैदावार देने वाली रोग–प्रतिरोधी किस्में तैयार करने के लिए केन्द्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान के साथ समन्वय;

(v) नर्सरियों के धुमीकरण के जरिए कीड़ों और रोग पर नियंत्रण;

(vi) छिड़काव सिंचाई प्रणाली के उपयोग के लिए प्रोत्साहन;

(vii) क्यूरिंग तथा भंडारण सुविधाओं में सुधार करना;

(viii) कोयले (क्यूरिंग के लिए) उर्वरकों और सकरसाइड जैसी निविष्टियों की आपूर्ति की व्यवस्था करना;

(ix) किसानों को तंबाकू उपजाने के लिए उसकी उपयुक्तता की सलाह देने के लिए जमीन और पानी के नमूनों का विश्लेषण करना;

(x) अद्यतन अनुसंधान उपलब्धियों/पद्धतियों के विकसित पैकेजों के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देना और प्रदर्शन; और

(xi) बदली हुई अन्तर्राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने के लिए तम्बाकू के घरेलू उत्पादन का पुनर्विन्यास करके तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना, गुणवत्ता और उत्पादकता स्तरों में संवर्द्धन करना, कीटनाशी अपशिष्टों को मॉनीटर करना और उन पर ठोस नियंत्रण करना, अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार दर्जा निर्धारित करना, उत्पाद विकास के लिए आयात की अनुमति देना।

(ख) से (घ) मई और जून, 1998 के महीने के दौरान पोटास के सल्फेट (एस. ओ. पी.) उर्वरक की कमी थी। तम्बाकू बोर्ड के आग्रह पर भारतीय पोटास लिमि. ने एस. ओ. पी. का आयात किया। दिनांक 13.7.98 को 10,000 टन एस. ओ. पी. मद्रास पहुंचने और इसके मैसूर भेजे जाने के साथ ही स्थिति में सुधार आया है।

डीजीएस एण्ड डी द्वारा निर्धारित मूल्य

5432. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में उपलब्ध कुछ वस्तुओं के मूल्य डी. जी. एस. एण्ड डी. द्वारा निर्धारित मूल्य से कम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं और वह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि दरें कम रहें;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डीजीएस एण्ड डी में भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) डी. जी. एस. एण्ड डी. द्वारा निर्धारित मूल्य दरें एक या दो वर्षों के लिए वैध होती हैं और उस अवधि के लिए पूरे देश में समान रूप से लागू होती हैं। किन्तु, खुले बाजार में ऐसी मदों की कीमतें स्थिर या एक समान नहीं होती हैं।

इस समय डीजीएस एण्ड डी द्वारा निर्धारित मूल्य सूची में 250 से भी ज्यादा मदें हैं। डीजीएसएण्डडी द्वारा निर्धारित दरों पर उपलब्ध ऐसी ही मदों की तुलना में कभी–कभी खुले बाजार में तुलनात्मक रूप से कम कीमत होने से पूर्ण रूप से इनकार नहीं किया जा सकता।

निर्धारित मूल्य को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया और निर्देशों के अनुसार विशिष्ट संविदाओं के संबंध में निवेदित भाव मांगे जाते हैं, जिन्हें व्यापक रूप से प्रकाशित और वितरित किया जाता है। प्राप्त दरों की जांच की जाती है जिसमें प्रचलित बाजार दरों, कच्चे माल की लागत में अन्तर, करों और शुल्कों, तैयार उत्पाद/कच्चे माल के प्रकाशित कीमत संकेतकों एवं पूर्ववर्ती निर्धारित मूल्यों में जिन दरों की अनुमति दी गई, उसका ध्यान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, "गिरावट की धारा" की शर्त से यह सुनिश्चित होता है कि चुनिन्दा आपूर्तिकर्ता उक्त मद की बिक्री या पेशकश निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर नहीं कर सकें। बाजार में यदि गिरावट का रुख है तो ऐसी स्थिति में निर्धारित मूल्य को पहले ही बंद करने का अधिकार भी उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) विशेष शिकायतें मिलने पर उचित कार्रवाई के लिए उनकी विधिवत जांच की जाती है। डीजीएसएण्डडी संगठन में लोगों की शिकायतों के निपटान के लिए एक शिकायत कक्ष है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की है और हाल ही में "नागरिकों के चार्टर" को स्वीकृति दी है जिससे लोगों को सूचना प्राप्त करना और शिकायतों का समाधान सुलभ हो गया है।

व्यापार समझौते

5433. श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए सुनियोजित और केन्द्रित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक देशों के साथ किए गए सभी व्यापार समझौतों के ब्यौरों का घरेलू उद्योग और व्यापार क्षेत्र के साथ आदान–प्रदान करने के लिए नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) जब कभी कोई व्यापार समझौते/करार किए जाते हैं, तो उनमें दी गई वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए संबद्ध घरेलू उद्योग और व्यापार क्षेत्र को शामिल किया जाता है। ऐसे समझौतों/करारों को क्रियान्वित करने के लिए संयुक्त आयोगों/संयुक्त व्यापार समितियों की बैठकें की जाती हैं, जिनमें संबद्ध उद्योग/व्यापार क्षेत्र को प्रारम्भिक और अनुपालन स्तर पर शामिल किया जाता है। व्यापार को सुगम बनाने संबंधी किसी भी बैठक में व्यापार और उद्योग जगत को शामिल करना ऐसी बैठकों का एक अभिन्न अंग बन चुका है जिससे कि व्यापार के लिए सही दिशा निर्धारित करने और अपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए उसमें तालमेल बैठाने पर समुचित ध्यान दिया जा सके।

बैंक में धोखाधड़ी

5434. श्री माधवराव सिंधिया :

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद बैंक और युनाइटेड बैंक में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी से संबंधित बैंक धोखाधड़ी के मामले का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की जांच के क्या परिणाम निकले तथा इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) धोखाधड़ी में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 500 करोड़ रुपए की राशि का धोखाधड़ी जैसाकि प्रश्न में उल्लेख किया गया है, का कोई मामला जिसमें इलाहाबाद बैंक और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अन्तर्ग्रस्त है, की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, एक धोखाधड़ी जिसमें इलाहाबाद बैंक, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक अन्तर्ग्रस्त हैं और जिसमें कुल लगभग 52.37 करोड़ रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त है, किसी समूह से सम्बन्धित अलग–अलग खातों में इन बैंकों की कलकत्ता शाखाओं में होने की सूचना प्राप्त हुई है। धोखाधड़ी की सूचना केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दे दी गई है जिसने जांच प्रारंभ कर दी है और जांच की अवधि के दौरान, आवासीय परिसरों साथ ही साथ अपराधी व्यक्तियों के कार्यालय परिसरों की तलाशी ली गई जिसमें अन्तर्ग्रस्त कम्पनी समूह के निदेशक भी सम्मिलित है। बैंकों ने धोखाधड़ी और अन्य क्रियाविधि चूकों में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों की पहचान कर ली है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो से परामर्श करके आरोपों को अलग–अलग करने के बाद बैंकों द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। जहां कहीं आवश्यक समझा गया, अधिकारियों को निलम्बित भी किया गया है।

सीमा शुल्क का अपवंचन

5435. श्री सी. डी. गामीत :

श्री विनोद खन्ना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद की अदानी ग्रुप, इंटरकांटिनेन्टल इंडिया इत्यादि सहित बीस व्यापारिक कंपनियों का समूह संदेहास्पद निर्यात–आयात व्यापार में संलिप्त है;

(ख) क्या ये कंपनियां शुल्क छूट पात्रता प्रमाणपत्र (डी. ई. ई. सी.) योजना के अंतर्गत निर्यात का अधिक मूल्य एवं आयात का कम मूल्य बताकर बड़े पैमाने पर शुल्क के अपवंचन में संलिप्त हैं;

(ग) क्या इस तरह से पिछले पांच वर्षों में 600–1000 करोड़ रुपये का कर अपवंचन हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कंपनियों को दंडित करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां। अहमदाबाद स्थित अदानी ग्रुप सहित बीस व्यापारिक कंपनियों के समूह में से चौदह कंपनियों के संदेहास्पद निर्यात–आयात व्यापार में संलिप्त रहने की बात सीमा–शुल्क विभाग के ध्यान में आई है।

(ख) मै. गणपति ग्रुप ऑफ कंपनीज ने शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र (शु. छू. ह. प्र.) योजना के तहत अनुचित लाभ उठाने के लिए दो मामलों में निर्यात के अधिक बीजक बनाने का सहारा लिया है। मै. अदानी एक्सपोर्ट्स लिमि. और मै. गुजरात राज्य औद्योगिक निगम ने शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र योजना के तहत एक मामले

में आयात के कम बीजक बनाने का सहारा लिया है। इसके अतिरिक्त, दस मामलों में, जिनमें पांच कंपनियां शामिल हैं, क्रमशः निर्यात और आयात के अधिक बीजक/कम बीजक बनाने में संलिप्त हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित मामलों में अंतर्ग्रस्त सीमा–शुल्क की कुल राशि 33.30 करोड़ रु. है और ये मामले वित्तीय वर्ष 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के दौरान दर्ज किए गए हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित सभी मामलों में सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत न्याय–निर्णयन कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इनमें से छः मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं, शेष मामलों में जांच की जा रही है। छह मामलों में अवैध रूप से मंगाए/भेजे गए 1.38 करोड़ रु. के माल को जब्त किया गया है। तीन मामलों में डी. जी. एफ. टी. प्राधिकारी को पार्टी को जारी किए गए अग्रिम लाइसेंसों को निरस्त करने के लिए कहा गया है। लंबित न्याय–निर्णयन/जांच के कारण 3.69 करोड़ रु. की राशि वसूल की गई है।

खण्डेश कताई और बुनाई मिल, जलगांव, महाराष्ट्र

5436. डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के जलगांव स्थित खण्डेश कताई और बुनाई मिल के कर्मचारियों और कामगार यूनियन ने इस मिल को सहकारिता के आधार पर चलाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव अर्थक्षम हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को खण्डेश मिल, जलगांव के पुनर्वास के लिए राज्य अथवा राष्ट्रीय गिरनी कामगार यूनियन की ओर से वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार अपने हिस्से की पूंजी देने के लिए तैयार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सरकार को महाराष्ट्र में खण्डेश कताई और बुनाई मिल, जलगांव को सहकारिता आधार पर चलाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह मामला राज्य सरकार से संबंधित है।

(ग) से (ङ) वस्त्र मंत्रालय को भी मिल कामगार सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री मधुकर राव चौधरी की ओर से अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि संघ सरकार राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है ताकि मिल को पुनः चलाया जा सके।

संघ सरकार, वस्त्र मंत्रालय ऐसे मामलों में शेयर पूंजी प्रदान नहीं करती है।

सिंडीकेट बैंक का प्रधान कार्यालय

5437. श्री एच. जी. रामुलू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंडीकेट बैंक के प्रधान कार्यालय को मनीपाल से बंगलौर ले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डल

5438. श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों का बैंक–वार ब्यौरा क्या है जिनके निदेशक मण्डलों का कार्यकाल समाप्त हो गया है;

(ख) क्या किन्हीं राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डल विस्तारित अवधि में कार्य कर रहे हैं, और यदि हां, तो इन बैंकों के नाम क्या हैं; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के कितने अध्यक्षों पर आरोप लगाए गए हैं और ऐसे कितने आरोपों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्ड का, जिसमें पूर्णकालिक निदेशक और अंशकालिक निदेशक शामिल होते हैं, सतत अस्तित्व होता है और होने वाली रिक्तियों को समय–समय पर भर दिया जाता है। इस समय पूर्णकालिक निदेशकों (अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा कार्यपालक निदेशकों) की 8 रिक्तियां हैं। इसके अलावा, अधिकांश अंशकालिक गैरसरकारी निदेशकों ने हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और वे बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 और 1980 के प्रावधानों के अनुसार उनके उत्तराधिकारियों की नियुक्ति किए जाने तक अपने पदों पर बने हुए हैं। रिक्तियों को भरने/उत्तराधिकारियों की नियुक्ति के लिए कार्रवाई

शुरू कर दी गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दिल्ली में आभूषण का शोरूम

5439. श्री ए. गणेशमूर्ति : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड ने दिल्ली में आभूषण का शोरूम कांडला में अल्कोहल के भण्डारण के लिए टैंक तथा मास्को में भण्डागार की योजना बनाई थी तथा भारी धनराशि बर्बाद करने के बाद इन सभी योजनाओं को छोड़ दिया;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) क्या सरकार ने बोर्ड के सदस्यों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) महोदय, एम. एम. टी. सी. द्वारा दिल्ली में आभूषण का एक शोरूम खोलने की योजना बनायी जा रही है। एल्कोहल के भण्डारण के लिए कांडला में एक टैंक के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्ताव को छोड़ना पड़ा था क्योंकि उक्त प्रस्ताव आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं था। मास्को में जनवरी, 1995 से कार्य कर रहे भाण्डागार को सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 31.10.97 को बन्द कर दिया गया था।

(ख) कांडला में उक्त टैंक के लिए किराया प्रभार 31 लाख रु. का था और मास्को में उक्त भाण्डागार का पट्टा किराया 43.76 लाख रु. का था।

(ग) और (घ) वाणिज्यिक निर्णय लिए गए थे। एम. एम. टी. सी. की क्रय विक्रय समिति (एस. पी. सी.) में दिनांक 30.4.1997 को उक्त टैंक को किराए पर न लिए जाने का निर्णय लिया था। जहां तक मास्को में उक्त भाण्डागार का संबंध है, सरकार ने व्यय की द्विरावृत्ति से बचने के लिए एस. टी. सी. की सहायता कंपनी की स्थापना के बाद दिनांक 7 अगस्त, 1997 को मास्को में एम. एम. टी. सी. के संकार्यों को बन्द करने का निर्णय लिया था।

[हिन्दी]

हिन्दी का प्रयोग

5440. श्री रामचन्द्र बैंदा :

श्री आदित्यनाथ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों के विज्ञापन एवं आवेदन फार्म तथा जीवन बीमा निगम के नवीकरण फार्म केवल अंग्रेजी में ही छपते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विज्ञापन और पॉलिसी नवीकरण फार्मों को हिन्दी में ही छापने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के विज्ञापन और आवेदन फार्म दोनों भाषाओं, अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित करवाए/छपवाए जाते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने भी सूचित किया है कि प्रचार संबंधी सभी विज्ञापन हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करवाए जाते हैं और रिक्तियों से संबंधित विज्ञापनों को द्विभाषी रूप में प्रकाशित कराया जाता है। तथापि, चूंकि पॉलिसियों के खो जाने से संबधित विज्ञापन पॉलिसी धारकों के खर्च पर दिया जाता है, इसलिए उन्हें उसे केवल एक भाषा अर्थात् हिन्दी, अंग्रेजी या किसी क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित कराया जाता है तथा नवीकरण के नोटिसों को अंग्रेजी या द्विभाषी प्रोफार्मे में भेजा जाता है।

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम ने आगे सूचित किया है कि उन्होंने इस अनुरोध के साथ अपने सभी आंचलिक कार्यालयों को पहले ही द्विभाषी प्रोफार्मा भेज दिया है कि वे द्विभाषी फार्मेट में सॉफ्टवेयर तथा मुद्रण फार्मों की व्यवस्था करें और साथ ही प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

कटिहार पटसन मिल को अनुदान

5441. श्री तारिक अनवर : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कटिहार पटसन मिल को 5 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है;

(ख) क्या यह धनराशि इस मिल को फिर से चालू करने के लिए दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक यह धनराशि जारी कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) वस्त्र मंत्रालय ने कटिहार जूट मिल को 5 करोड़ रु. का अनुदान नहीं दिया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मंत्रालय का पुनर्गठन

5442. श्री वैको :

डॉ. सुगुण कुमारी चलामेला :

श्री सुरेश वरपुडकर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी. आई. आई.) ने मंत्रालय के संगठनात्मक पुनर्गठन हेतु 4–सूत्री रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय उद्योग परिसंघ ने वाणिज्य मंत्रालय के पुनर्गठन और पुनसंरचना की एक बहुसूत्रीय रणनीति बनाई थी। इनमें कार्रवाई के अनेक मुद्दे शामिल हैं जैसे निर्यात और आयात रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करना, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क्स का निर्माण करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति का प्रबंधन एवं संतुलन इत्यादि जिससे कि भारत को एक मजबूत निर्यातक राष्ट्र बताया जा सके;

(ग) मंत्रालय के वर्तमान ढांचे की लगातार समीक्षा की जाती है उसे विश्वव्यापीकरण के युग में अधिकतम कार्य करने के लिए लोचशील पाया गया है।

बकाया राशि

5443. डॉ. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार पर कितनी राशि बकाया है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बकाया राशि पर राज्य सरकार कितना ब्याज दे रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय को कोई देनदारी बकाया नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

सी. बी. आई. जांच

5444. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : *क्या वित्त मंत्री यह बताने* की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद, राजकोट और बड़ोदरा के केन्द्रीय उत्पाद और सीमा कर के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की गई;

(ख) यदि हां, तो इस जांच का ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में पता लगाई गई जालसाजी में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) क्या सरकार और विभाग द्वारा उक्त रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कोई कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं तथा इस जालसाजी के लिए दोषी व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कृषि आधारित उद्योग

5445. श्री विक्रम देव केशरी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998–99 के दौरान राज्य–वार विशेषकर उड़ीसा में केन्द्रीय सहायता से स्थापित किए जाने वाले कृषि आधारित उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कृषि आधारित उद्योगों सहित ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए परियोजना आधारित वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। अतः वित्तीय वर्ष 1998–99 के दौरान स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या, उद्यमियों से परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति एवं इन्हें बैंकों द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर निर्भर करती है।

अनाजों, दालों, फलों, सब्जी और दूध के प्रसंस्करण में लगे ग्रामीण उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 1998–99 के दौरान उड़ीसा राज्य में अनाजों और दालों के प्रसंस्करण के अधीन निम्नलिखित सहमत परियोजनाओं के अलावा फलों और सब्जी प्रसंस्करण तथा दूध

आधारित उद्योग के लिए एक परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव किया है :

धान इकाइयां	–	36
चावल मिल	–	6
दाल मिल	–	5

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 1.4.98 से 30.9.98 की अवधि के लिए नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार उड़ीसा राज्य बोर्ड के जारी कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा राज्य बोर्ड के बजट में कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग इकाइयों को भी स्वीकृति दी है। उड़ीसा राज्य बोर्ड से अभी और प्रस्ताव प्राप्त होने हैं।

(क)	ग्रामीण तेल उद्योग	45
(ख)	अनाजों और दालों का प्रसंस्करण :	
	मसाला	150
	बेकरी इकाइयां	130
	आटा चक्की	150
	पापड़ इकाइयां	150
	नूडल्स	10
	पोहा मुरमुरा	100

ढांचागत विकास में सरकारी निवेश

5446. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दस वर्षों के दौरान आधारभूत ढांचागत क्षेत्र में सरकारी निवेश में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में निजी निवेश में तदनुरूप वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के बाद भी इन क्षेत्रों में पर्याप्त निजी निवेश आकर्षित करने में असफल रहा है; और

(च) यदि हां, तो परिस्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) व्यय बजट में दिए गए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय के अनुसार, प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में सरकारी निवेश 1988–89 (सं. अ.) में 10,583 करोड़ रु. से बढ़कर 1998–99 (ब. अ.) में 37,369 करोड़ रु. हो गया है। पिछले दस वर्षों के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय में वार्षिक औसत वृद्धि 25.3 प्रतिशत बैठती है। नीचे दी गई सारणी में 1988–89 (सं. अ.) और 1998–99 (ब. अ.) के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय आयोजन परिव्यय के आंकड़ों में दिए गए हैं :

सारणी : केन्द्रीय आयोजना परिव्यय (करोड़ रुपए)

		1988–89 (सं. अ.)	1998–99 (ब. अ.)
1.	विद्युत	4164	10906
2.	रेलवे	3850	9500
3.	पत्तन और द्वीप स्तम्भ	496	960
4.	सड़कें और पुल	379	2231
5.	दूरसंचार	1694	13772
	जोड़	10583	37369

(ग) से (ङ) बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निजी निवेश (विदेशी और घरेलू) में हाल के वर्षों में वृद्धिकारी प्रवृत्ति दिखाई दी है। 1 अगस्त, 1991 से 31 मार्च, 1998 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र को कुल 2,55,68 करोड़ रुपए की एफ. डी. आई. स्वीकृति प्राप्त हुई है। दूरसंचार में इसी अवधि के दौरान 30,725 करोड़ रुपए मूल्य की एफ. डी. आई. की स्वीकृति प्रदान की गई है। हवाई/समुद्रीय पैरिवहन और पत्तनों के लिए 2490 करोड़ रु. की स्वीकृतियां हुई हैं। ये इस अवधि के दौरान स्वीकृत कुल एफ. डी. आई. स्वीकृतियों का 37 प्रतिशत बनती हैं।

बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में घरेलू निजी निवेश में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अगस्त, 1991 से मई, 1998 तक की अवधि के दौरान दूर संचार क्षेत्र में आई. ई. एम. और एल. ओ. आई. के रूप में किया गया कुल निजी निवेश 14,648 करोड़ रुपए हुआ है। परिवहन के क्षेत्र में इसी अवधि के दौरान आई. ई. एम. और एल. ओ. आई. के रूप में कुल 22,060 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है।

(च) नीति यह रही है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाया जाए और गैर सरकारी निवेश को सुविधाजनक बनाया जाय। 1998–99 के बजट में, ऊर्जा, परिवहन और दूर संचार जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए आयोजना परिव्यय को 1997–98 (सं. अ.) में 45,252 करोड़ रु. से 35 प्रतिशत बढ़ाकर 1998–99 (ब. अ.) में 61,146 करोड़ रुपए किया गया है। 1998–99 के संघीय बजट में निजी निवेश को सुविधाजनक बनाने के उपाय भी किए गए हैं। इनमें शामिल हैं : भविष्य निधियों में नई

जमाराशियों का 10 प्रतिशत निजी क्षेत्र की प्रतिभूतियों में निवेशित किए जाने के लिए अनुमति, आधारभूत उद्योगों के लिए उपलब्ध राजकोषीय प्रोत्साहनों का अंतर्देशीय जलमार्ग और अंतर्देशीय पत्तनों के लिए विस्तार, केन्द्रीय और राज्य बिजली विनियामक आयोगों की स्थापना करके विद्युत क्षेत्र में निवेशक का विश्वास बढ़ाना और राज्य बिजली बोर्डों की देयताओं को शामिल करने के लिए एक गारंटी योजना की व्यवस्था करना और बृहत परियोजनाओं से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक कार्रवाई और कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए एक नॉडल अधिकारी को नामोर्दिष्ट करना।

[हिन्दी]

रेशम उत्पादन योजना

5447. श्री राजनारायण पासी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में रेशम का उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना लागू कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए चुने गये क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य रेशम उत्पादन विभाग के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड सभी 4 प्रकार की रेशम के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं/परियोजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एककों ने नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्र के अनुसंधान व विकास प्रशिक्षण का विस्तार करने, अवस्थापना विस्तार संबंधी सहायता का योजनाएं शामिल हैं तथा स्तर की रेशम का उत्पादन करने के लिए रेशम उत्पादन की आधुनिक प्रक्रियाओं को अपनाने के प्रति प्रोत्साहन देने के लिए कुछ विकासात्मक/निवेश, वित्तीय सहायता संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड राज्यों के सहयोग/सहायता से विश्व बैंक सहायित राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्य योजना, पूर्वांचल रेशम उत्पादन विकास परियोजना आदि जैसी विशिष्ट रेशम उत्पादन परियोजनाएं भी शुरू करती है। जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, केन्द्रीय रेशम बेर्ड द्वारा शुरू की गई कुछ विशिष्ट परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

(1) एक पूर्वांचल रेशम उत्पादन विकास परियोजना 1993–94 तथा जून, 1999 के बीच छः वर्षों से अधिक की अवधि में 5.64 करोड़ रु. की कुल लागत पर उत्तर प्रदेश के तीन जिलों अर्थात् वाराणसी, गाजीपुर तथा भदोही में रेशम उत्पादन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना में परियोजना अवधि के अंत तक उपरोक्त तीन जिलों में 3000 एकड़ शहतूती पौधारोपण बढ़ाने तथा प्रतिवर्ष 77.1 मी. टन का एक वृद्धिगत अपरिष्कृत रेशम के उतदन की परिकल्पना की है।

(2) राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना जिसे देहरादून, सहारनपुर तथा हरिद्वार के जिलों में क्रियान्वित किया गया था, के अंतर्गत आधारभूत संरचना सुविधाएं जैसे मूल बीज फार्म्स, रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्र, कोसा बाजार, प्रदर्शन सह प्रशिक्षण केन्द्र आदि सृजित किए गए थे।

(3) रेशम उत्पादन को बढ़ाने के लिए नौवीं योजना अवधि के लिए 34 उत्प्रेरक विकास योजनाएं स्वीकृति की गयी हैं।

[अनुवाद]

बैंकों के अप्राप्य ऋणों का समाधान

5448. श्री भुवनेश्वर कालिता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उधारकर्ताओं से अप्राप्य ऋणों की वसूली करने से संबंधित बैंक मामलों के समाधान हेतु जांच करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने मामले हैं;

(ग) इन मामलों में कुल कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है; और

(घ) ऋणों की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के छः बैंकों ने एक वारगी समझौते से सम्बन्धित मामले में अपने बोर्डों/प्रबंध समितियों को परामर्श देने के लिए समझौता सलाहकार समितियां गठित की हैं, जिसमें उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में तथा एक सेवानिवृत्त बैंकर और बैंकों के महाप्रबंधक सदस्यों के रूप में शामिल हैं। यह समिति सलाहकार के स्वरूप वाली है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आंकड़ा निगरानी प्रणाली से इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं होती।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार/बैंकों ने अनुपयोज्य आस्तियों की नई घटना को न केवल रोकने के लिए बल्कि अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। ये कदम हैं :

(i) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के पास ऋण वसूली नीति के तैयार और बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित कागजात होते हैं।

(ii) बैंकों से कहा गया है कि वे न्यूनतम खर्च में अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के लिए बातचीत और समझौते के माध्यम से अपनी अनुपयोज्य आस्तियों में कमी लाएं। तथापि, समझौता स्तर प्राप्त

करते समय इस संबंध में निर्धारित सावधानी बरती जानी चाहिए।

(iii) प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक के अधीन वसूली कक्षों की स्थापना की गई है और बैंकों ने शाखा–वार लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वसूली कार्य में शाखाओं के कार्यनिष्पादन की प्रधान कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर निगरानी की जाती है और प्रगति की सूचना तिमाही आधार पर निदेशक मण्डल को दी जाती है।

(iv) बैंक की यदेयराशियों की त्वरित वसूलियों के लिए कलकत्ता, दिल्ली, बैंगलूर, अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, जयपुर, पटना और जबलपुर में ऋण वसूली अधिकरण और मुम्बई में अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई है।

(v) एक करोड़ रुपए और अधिक के चूककर्ताओं/मुकदमा दायर खातों की सूची का संकलन करना और सभी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में उसका परिचालन करना।

(vi) कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए बैंकों में प्रचलित प्रणाली के विशेष सन्दर्भ में निदेशक मण्डल ने 300 शीर्ष अनुपयोज्य आस्तियों की पुनरीक्षा की।

(vii) बैंक, यदि वे चाहें तो, आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियां स्थापित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

स्थायी खाता संख्या

5449. श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ श्रेणी के व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्थाई खाता संख्या (पैन) लेने से छूट देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी को नई शृंखला के अन्तर्गत स्थाई खाता संख्या (पैन) के आबंटन के लिए आवेदन करने से छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है, यदि ऐसे व्यक्तियों को अन्यथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139क की उपधारा (1) में निहित शर्तों के अनुसार उक्त खाता संख्या के लिए आवेदन करना अपेक्षित हो।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए (ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चाय बोर्ड का विस्तार

5450. श्री दत्ता मेघे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड द्वारा कितनी मात्रा में चाय का उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या चाय बोर्ड का विचार देश में अपने बिक्री केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य–वार ऐसे नए स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां 1998–99 के दौरान चाय बोर्ड का अपनी नई शाखाएं खोलने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) बोर्ड एक संवर्द्धनात्मक संगठन है, जिसकी स्थापना चाय उद्योग के विकास के लिए की गई थी। इसलिए, बोर्ड चाय के वाणिज्यिक उत्पादन और बिक्री जैसे क्रियाकलाप से सीधे नहीं जुड़ा हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रिवाल्विंग क्रेडिट कार्ड सुविधा

5451. श्री ए. सिदराजू : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केनरा बैंक द्वारा कर्नाटक में जारी किए गए मास्टर कार्डों और वीसा कार्डों की कुल संख्या कितनी है और बंगलौर शहर में जारी किए गए ऐसे कार्डों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन कार्डधारकों को उपलब्ध "रिवाल्विंग क्रेडिट कार्ड" सुविधा बंद कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सुविधा को पुनः शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : केनरा बैंक ने निम्नलिखित सूचना दी है :

(क) कर्नाटक में केनरा बैंक द्वारा जारी किए गए वीजा व मास्टर कार्डों की कुल संख्या 29843 (उनत्तीस हजार आठ सौ तैंतालीस) है। बंगलौर शहर में जारी ऐसे कार्डों की संख्या 17,654 (सत्तरह हजार छः सौ चौवन) है।

(ख) और (ग) केनरा बैंक का वीजा-कार्ड केवल एक चार्ज कार्ड है और शुरू से ही इसमें परिक्रामी सुविधा (रिवाल्विंग फेसिलिटी) नहीं

दी जाती। मास्टर कार्ड की ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने वाले कर्नाटक में 623 कार्डधारी और बंगलौर में 479 कार्डधारक हैं। जहां कहीं ऋण परिक्रामी सुविधा दी गई है, उसे अभी भी चालू रखा गया है। तथापि, साफ्टवेयर कठिनाइयों की वजह से अक्तूबर 1997 से मास्टर कार्ड को चार्ज कार्ड के रूप में जारी किया जा रहा है और परिक्रामी सुविधा नहीं दी गई।

(घ) बैंक ने नया सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

[हिन्दी]

सीमेंट उद्योग

5452. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में गोरखपुर रोड स्थित औद्योगिक सम्पदा में सीमेंट उद्योग द्वारा नकली सीमेंट बनाने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) भारत सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु

5453. श्री मोतीलाल वोरा : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से 60 वर्ष कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कर्मचारी माना जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) जहां तक एन. टी. सी. (एच. सी.) तथा इसके 9 सहायक निगमों का संबंध है, उनके कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र लोक उद्यम विभाग द्वारा एन. टी. सी. को सूचित सरकार के निर्णय के अनुसार 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है।

(ग) और (घ) एन. टी. सी. के कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की भांति माना जाता है।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा हेलीकाप्टरों की खरीद

5454. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष के दौरान एक हेलीकाप्टर खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो यह हेलीकाप्टर किस कम्पनी से खरीदा गया है और इसका मूल्य क्या है;

(ग) क्या किसी दूसरे विनिर्माताओं से दरें मंगाई गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का निर्यात

5455. डॉ. सुशील इन्दौरा :

श्री चिन्ता मोहन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक वर्ष कुल कृषि उत्पादन का 5 प्रतिशत निर्यात के लिए रखने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू उपयोग के लिए भी खाद्यान्नों का आयात किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो कुल कृषि उत्पादन का पांच प्रतिशत निर्यात के लिए रखने का औचित्य क्या है; और

(ङ) इस निर्यात से देश को किस प्रकार से लाभ होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) कृषि उत्पादों के निर्यात की अनुमति दिए जाने से संबंधित सरकार की नीति का उद्देश्य भारत की खाद्य सुरक्षा को प्रमुख रूप से ध्यान में रखते हुए कृषि आय को अधिकतम बनाना तथा

विदेशी मुद्रा अर्जित करना है। निर्यात नीति में निरंतर संशोधन किए जा रहे हैं और कृषि उत्पादों से संबंधित निर्यात प्रणाली को उदारीकृत किया गया है। अब बहुत ही कम मदें या तो निर्यात के लिए निषिद्ध की गयी हैं या फिर उनके निर्यात को प्रतिबंधित किया गया है या उनका निर्यात मात्रात्मक अधिकतम सीमा के अधीन किया जाता है। जिन प्रमुख मदों के निर्यात को प्रतिबंधित किया गया है, उनमें ई. यू./यू. एस. ए. के लिए तरजीही कोटा के अंतर्गत अनुमत्य निर्यात के छोड़कर शामिल हैं—गेहूं और गेहूं—उत्पाद एवं चीनी।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों का विदेशी दौरा

5456. डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रशिक्षणार्थियों के चयन संबंधी मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अधिकारियों को विदेश में किस प्रयोजनार्थ और कितने दिनों के लिए भेजा जाता है;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किस—किस दर्जे के किन—किन अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण के लिए भेजा गया;

(ङ) क्या अभी कुछ ही दिन पहले होटल उद्योग से असंबद्ध व्यक्तियों का चयन किया गया और उन्हें प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके चयन के क्या कारण थे ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (ग) जी, हां। प्रतिस्पर्धी माहौल में उत्पाद और सेवाओं में सुधार करने के लिए मानव संसाधन की जानकारी और कार्य कुशलता को बढ़ाने की दृष्टि से विभिन्न कार्यकारी विकास कार्यक्रमो के द्वारा विदेशों में प्रशिक्षण हेतु नामित करने सहित सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विदेश में प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों का चयन, व्यावसायिक आवश्यकताओं, पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समयावधि, इन पाठ्यक्रमों को चलाने वाले अभिकरणों द्वारा कोर्स—दर—कोर्स भिन्न—भिन्न नियत की जाती है।

(घ) से (च) भारत पर्यटन विकास निगम एक बहु—कार्यकलाप वाला संगठन है, और गैर होटल शाखाओं सहित भिन्न—भिन्न शाखाओं से अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए निगम हेतु पाठ्यक्रम की उपयुक्तता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए समय—समय पर नामित किया जाता है। दिनांक 1.4.93 से 30.6.98 तक की अवधि के दौरान विदेश में प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति किए गए अधिकारियों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दिनांक 1.4.93 से 30.6.98 तक की अवधि के दौरान विदेशों में प्रशिक्षण हेतु नामित किए गए अधिकारियों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण—पत्र

क्र. सं.	अधिकारी का नाम पदनाम और (विभाग)	प्रशिक्षण की अवधि एवं (देश)	जिस (विभाग) से संबंधित है एवं प्रशिक्षण का विषय
1	2	3	4
1993—94			
1.	श्री ओ. एन. वर्मा, वरि. उपाध्यक्ष (निगम सेवाएं और जनसंसाधन विकास)	27 सितम्बर से 9 अक्तूबर, 1993 (यू. एस. ए.)	निजीकरण प्रबंधन एवं कार्यान्वयन (सामान्य)
1994—95			
2.	श्रीमती आई मलिक कार्यपालक हाउसकीपर (होटल)	24—24 जून 94, 27 जून से 1 जुलाई, 94 (यू. एस. ए.)	विपणन एवं नीति (होटल बिक्री) में निर्णय लेना।
3.	श्री एम. एस. मनचन्दा प्रधान प्रबंधक (होटल)	20—24 जून, 94, 27 जून से 1 जुलाई, 94 (यू. एस. ए.)	आतिथ्य—वित्तीय प्रबंधन, प्रचालनगत निर्णय लेना (होटल)

1	2	3	4
4.	श्री एस. सी. छतवाल निदेशक (वित्त)	11–29 जुलाई, 94 (यू. एस. ए.)	लोक उपक्रम पुनर्संरचना और निजीकरण (वित्त)
5.	श्री एम. डी. कपूर उपाध्यक्ष (होटल)	13–27 मार्च, 95 (हालैण्ड)	समग्र गुणवत्ता प्रबंधन और आई. एस. ओ. 9000 गुणवत्ता प्रणाली (होटल)
6.	श्रीमती शीबा सेमुअल प्रबंधक (होटल)	25 फरवरी से 23 मार्च, 95 (यू. के.)	स्प्रिंग बोर्ड महिला विकास (सामान्य)
7.	श्रीमती सीमा चन्द्रा शेफ (होटल)	–वही–	–वही–
1995–96			
8.	श्रीमती कुसुम मलिक कार्यपालक हाउसकीपर (होटल)	12–16 जून, 95 19–23 जून, 95 (यू. एस. ए.)	ग्राहक वैल्यू व फ्रंट कार्यालय प्रबंधन (होटल)
9.	श्रीमती वीनिता गोगिया वरिष्ठ प्रबंधक (होटल)	17–21 जुलाई, 95 (यू. एस. ए.)	खाद्य सेवा सुविधा : विकास व डिजाइन (होटल)
10.	श्री कुप्पुस्वामी राव प्रबंधक (होटल)	12–16 जून, 95 19–23 जून, 95, (यू. एस. ए.)	खाद्य व पेय प्रबंधन और होटल कम्प्यूटिंग प्रणाली (होटल)
11.	श्री आर. के. मागू वरिष्ठ प्रबंधक (होटल)	10–14 जुलाई, 95 (यू. एस. ए.)	प्रशिक्षण व जन संसाधन विकास कौशल (होटल व जन संसाधन विकास)
1996-97			
12.	श्री एम. एल. जैन प्रधान प्रबंधक (होटल)	15 अप्रैल से 3 मई 96 (यू. के.)	संस्था में प्रबंधकीय परिवर्तन (सामान्य)
13.	श्री अजीत कुमार प्रबंधक (होटल बिक्री)	3–28 जून 96 (यू. एस. ए.)	पर्यटन के अन्तर्राष्ट्रीय पहलू (सामान्य)
1997-98			
14.	श्री जे. एम. चौधरी वरिष्ठ कार्यपालक शेफ (होटल)	20 अप्रैल से 6 मई 97 (फ्रांस)	फ्रेंच पाक कला में प्रशिक्षण (होटल)
15.	श्री राजन लूम्बा शू शेफ (होटल)	–वही–	–वही–

1	2	3	4
16.	श्रीमती माधुरी वर्मन कार्यपालक हाउसकीपर (होटल)	16–20 जून, 97 23–27 जून, 97 (यू. एस. ए.)	प्रबंधकीय सेवा गुणवत्ता : मानवीय आयाम (होटल)
17.	श्री राकेश मेहरा प्रधान प्रबंधक (होटल)	23–27 जून, 97 30 जून से 4 जुलाई, 97 (यू. एस. ए.)	प्रबंधकीय सेवा गुणवत्ता : मानवीय आयाम (होटल) जन प्रबंधन : प्रभावोत्पादकता बढ़ाना (सामान्य)
18.	श्री जवाहर लाल प्रवाणी प्रधान प्रबंधक (होटल)	23–27 जून, 97 30 जून से 4 जुलाई, 97 (यू. एस. ए.)	जन प्रबंधन : चुस्त कार्यशैली (सामान्य) नीतिगत आतिथ्य प्रबंधन (होटल)
19.	श्री राजीव माकिन रेजिडेंट प्रबंधक (होटल)	–वही–	–वही–
20.	श्री एन. के. ए. बलाल प्रधान प्रबंधक (होटल)	28 जुलाई से 1 अगस्त 97 (सिंगापुर)	आतिथ्य प्रबंधन (होटल)
1998-99			
21.	श्रीमती कंचन प्रसाद वरिष्ठ कार्यपालक विकास समन्वयक (एच. आर. डी.)	8–12 जून, 98 15–19 जून, 98 (यू. एस. ए.)	जनसंसाधन विकास की आवश्यकताएं (एच. आर. डी.) जन प्रबंधन : प्रभावोत्पादकता बढ़ाना (सामान्य)
22.	श्री संजय मुखर्जी प्रधान प्रबंधक (होटल)	29 जून, से 3 जुलाई 98	लाभ के लिए योजना बनाना (सामान्य)
23.	अमिताभ बोस कार्यपालक प्रबंधक (होटल)	6–10 जुलाई, 98 (यू. एस. ए.) 29 जून से 3 जुलाई, 98 6-10 जुलाई, 98 (यू. एस. ए.)	विपणन प्रबंधन (होटल व होटल बिक्री) नीतिगत आतिथ्य प्रबंधन आतिथ्य उद्योग में नीतिगत विपणन (होटल)

टिप्पणी : सेवा उद्योग में यह आवश्यक है कि भिन्न–भिन्न विभागों एवं प्रचालनात्मक कार्यकलापों एवं नीति मामलों को करने वाले अधिकारियों को सामने लाया जाए और उन्हें उचित सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करके बदलते विकासों, नीतियों, तकनीकों आदि के साथ–साथ रखा जाए।

एन. आई. डी. सी. में अपनिवेश

5457. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड में नीतिगत बिक्री के अंतर्गत अपनिवेश/संयुक्त उद्यम के लिए विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक और अंशकालिक निदेशकों सहित अधिकारियों ने अपने अपनिवेश/संयुक्त उद्यम के संबंध में विदेश दौरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कुल कितना व्यय किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) सरकार ने उन भागीदारों को, जो कंपनी को मजबूत बनाने की दृष्टि से वित्तीय एवं तकनीकी निवेश मुहैया कराने में समर्थ है, को, शामिल कर नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन. आई. डी. सी.) को संयुक्त उद्यम में परिवर्तित करने का "सिद्धांत रूप में" निर्णय ले लिया है।

(ख) और (ग) जी, हां।

नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के साथ नीतिगत सम्बन्धों, दीर्घकालिक सहयोग और संयुक्त उद्यम का गठन करने के लिए सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से जून, 1997 में यू. के. और कनाडा की कुछ बड़ी परामर्शदात्री कम्पनियों का दौरा किया था। दौरे पर कुल व्यय लगभग 5.30 लाख रुपए हुआ था।

फतेहपुरी सीकरी

5458. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा आगरा के फतेहपुर सीकरी में पर्यटन में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के पास वहां ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम शुरू किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचार हेतु लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 1992–93 के दौरान फतेहपुर सीकरी की प्रकाश पुंज व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को 15.15 लाख रु. की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी थी। वर्ष 1998–99 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए, फतेहपुरी सीकरी में ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन के लिए एक परियोजना प्रस्ताव की पहचान की गई है।

आयकर बकाया

5459. श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आयकरदाताओं का ब्यौरा और संख्या क्या है जिन पर पिछले पांच वर्षों का 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 75 लाख और एक करोड़ रुपए आयकर बकाया है;

(ख) इस राशि की वसूली करने हेतु ऐसे आयकरदाताओं के विरुद्ध आयकर अधिनियम के अन्तर्गत क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप कितना आयकर वसूल किया गया है;

(घ) क्या आयकर अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) इस विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1 लाख रुपए से अधिक से लेकर 10 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए से अधिक से लेकर 1 करोड़ रुपए तक और 1 करोड़ रुपए से अधिक मांग की रकम वाले मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। आयकर–दाताओं, जिन पर पांच लाख रुपए, पन्द्रह लाख रुपए और पचहत्तर लाख रुपए की रकम का आयकर बकाया है, की संख्या से संबंधित आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं। इन आंकड़ों और इनके विवरण को इकट्ठा करने और संकलित करने के लिए किए गए प्रयास और इसमें लगने वाला समय, वांछित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होगा।

(ख) कर की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें विस्तृत सांविधिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। इनमें ब्याज, अर्थदंड लगाना, बैंक खातों की कुर्की, चल और अचल सम्पत्ति आदि की कुर्की और बिक्री आदि शामिल हैं। उच्च मागों वाले मामलों की आवधिक समीक्षा और निगरानी उच्च प्राधिकारियों द्वारा निरन्तर आधार पर की जाती है और करों की वसूली को प्रभावी बनाने के लिए समय–समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

(ग) विवरण–I के अनुसार कर दाताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप वसूल की गई आयकर की रकम उपलब्ध नहीं है और इसे पूरे देश में फैले हुए क्षेत्रीय कार्यालयों से इकट्ठा किया जाना है। इन आंकड़ों को इकट्ठा करने और इनका संकलन करने

के लिए किए गए प्रयास और इनमें लगने वाला समय वांछित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होगा।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर अधिनियम के अन्तर्गत किए गए प्रपीड़क उपायों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण–II संलग्न है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण–I

बकाया मामलों का धनराशि वार ब्यौरा

	31–3–94 की स्थिति के अनुसार	31–3–95 की स्थिति के अनुसार	31–3–96 की स्थिति के अनुसार	31–3–97 की स्थिति के अनुसार	31–12–97 की स्थिति के अनुसार
एक लाख रु. से अधिक और 10 लाख रु. तक	115703	65438	145942	111583	137689
10 लाख रु. से अधिक और एक करोड रु. तक	9301	8377	9073	10541	10504
एक करोड़ रु. से अधिक	1099	1225	1990	2075	2033

विवरण–II

करों की वसूली को एकत्र करने के लिए किए गए बाध्यकारी उपाय

चल सम्पत्तियों की कुर्की

वित्त वर्ष	मामलों की संख्या	लगभग मूल्य (रु. करोड़ों में)
1994–95	2229	49.55
1995–96	2107	98.07
1996–97	2405	133.17
1997–98 (दिसम्बर, 97 तक)	1527	327.43

अचल सम्पत्तियों की कुर्की

वित्त वर्ष	मामलों की सं.	अचल सम्पत्तियों की सं.	मूल्य (रु. करोड़ों में)
1994–95	3642	4763	439.27
1995–96	3295	4483	449.35
1996–97	3364	4848	514.36
1997–98 (दिसम्बर, 97 तक)	2752	4092	409.55

चल सम्पत्तियों की बिक्री

वित्त वर्ष	मामलों की संख्या	सम्पत्तियों की सं.	मूल्य (रु. करोड़ों में)
1994–95	6	7	0.21
1995–96	27	24	1.65
1996–97	9	16	0.09
1997–98	12	53	0.28
(दिसम्बर, 97 तक)			

अचल सम्पत्तियों की बिक्री

वित्त वर्ष	मामलों की सं.	सम्पत्तियों की सं.	मूल्य (रु. करोड़ों में)
1994–95	31	149	0.31
1995–96	20	19	3.39
1996–97	11	12	0.20
1997–98	8	8	1.27
(दिसम्बर, 97 तक)			

वे मामले जिनमें रिसीवर की नियुक्ति की गई

वित्त वर्ष	मामलों की सं.	मूल्य (रु. करोड़ों में)
1994–95	22	5.68
1995–96	17	1.31
1996–97	34	12.86
1997–98	23	23.40
(दिसम्बर, 97 तक)		

चूककर्ता जिनके विरुद्ध गिरफ्तारी की कार्रवाइयां प्रारंभ की गई

वित्त वर्ष	मामलों की सं.	मूल्य (रु. करोड़ों में)
1994–95	125	13.88
1995–96	194	3.90
1996–97	206	3.80
1997–98	38	12.05
(दिसम्बर, 97 तक)		

चूककर्ता, जिन्हें बन्दीगृह में रखा गया

वित्त वर्ष	संख्या
1994–95	शून्य
1995–96	13
1996–97	112
1997–98	शून्य
(दिसम्बर, 97 तक)	

लंबित अनिर्णीत दावे

5460. श्री एस. एस. ओवेसी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अनिर्णीत दावों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक से दो वर्षों, दो से तीन और उससे अधिक वर्षों से लंबित दावों का ब्यौरा क्या है तथा इन दावों

में कुल कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) मध्यस्थता के लिए भेजे गए मामलों की उपक्रम–वार संख्या कितनी है;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान वर्षवार और उपक्रम–वार निर्णीत मामलों की संख्या कितनी है; और

(ङ) समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बैंकों में पेंशन योजना

5461. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नई पेंशन योजना लागू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कब तक आरंभ करने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में कर्मकारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत तैयार की गई कर्मचारी पेंशन योजना 16.11.1995 से लागू हो गई है।

[अनुवाद]

एन. आर. ई. खाता

5462. श्री पी. शंकरन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा एन. आर. ई. खाता रखने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कार्यनिष्पादन और पात्रता मानदण्डों से केरल राज्य को कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि यह मानदण्ड निर्धारित किया गया है कि व्यक्तिगत जमा 50 प्रतिशत होना चाहिए जबकि केरल में यह कार्यशील पूंजी का निर्माण 30 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय रिजर्व बैंक को प्राथमिक सोसाइटियों की सदस्यता पर विचार करने की भी सलाह देने का है ताकि 50 प्रतिशत का स्तर पाया जा सके क्योंकि प्राथमिक सोसाइटियां जिला सहकारी बैंकों की सदस्य हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सीमेंट संयंत्र

5463. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार सीमेंट के कितने संयंत्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) कितने संयंत्र बंद हो चुके हैं तथा कितने संयंत्र बंद होने के कगार पर हैं;

(ग) इनके बंद होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे संयंत्रों के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) देश में 108 बड़े सीमेंट संयंत्र कार्य कर रहे हैं। इनके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। अंति लघु सीमेंट संयंत्रों के राज्यवार ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) बंद पड़े/कार्य नहीं कर रहे बड़े सीमेंट संयंत्रों के बारे में कई कारण बताये गये हैं जैसे अप्रचलित प्रौद्योगिक तथा आर्थिक अव्यहार्यता। जो संयंत्र बंद होने के कगार पर हैं उनके बारे में सूचना केन्द्रीय रूप में नहीं रखी जाती है।

(घ) सरकार ने, बंद होने के कगार पर खड़े एककों सहित, रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुद्धार के लिए अनेक उपाय किये हैं। इनमें अन्य उपायों के साथ–साथ ये उपाय शामिल हैं–भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दिशा–निर्देश, रुग्ण एककों का स्वस्थ्य एककों में विलय समामेलन तथा रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम के तहत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना, राष्ट्रीय नवीकरण कोष, राष्ट्रीय इक्विटी निधि आदि।

विवरण

कार्यरत सीमेंट संयंत्रों की राज्यवार संख्या

क्षेत्र/राज्य	संयंत्रों की संख्या
1	2
उत्तरी क्षेत्र	
पंजाब	1
दिल्ली	1

1	2
हिमाचल प्रदेश	3
जम्मू एवं कश्मीर	1
राजस्थान	15
उत्तर प्रदेश	5
योग : उत्तरी क्षेत्र	26
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	6
उड़ीसा	3
पश्चिम बंगाल	2
असम	1
मेघालय	1
योग : पूर्वी क्षेत्र	13
दक्षिणी क्षेत्र	
तमिलनाडु	10
आन्ध्र प्रदेश	19
कर्नाटक	7
केरल	1
योग : दक्षिणी क्षेत्र	37
पश्चिमी क्षेत्र	
महाराष्ट्र	5
गुजरात	10
मध्य प्रदेश	17
योग : पश्चिमी क्षेत्र	32
कुल योग :	108

कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान

5464. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के भदोई जिले में कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए एक परियोजना नवम्बर, 1993 के दौरान केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकार ने इस संस्थान को 10 एकड़ भूमि पहले ही 1990 में उपलब्ध करा दी थी फिर भी इस संस्थान ने कार्य प्रारम्भ नहीं किया है;

(ग) क्या सरकार इस संस्थान को कार्यरत बनाने के लिए पदों का सृजन कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए परियोजना केन्द्र सरकार द्वारा 1982–93 में ही मंजूर कर ली थी तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने 42,457.00 वर्ग मीटर भूमि इस प्रयोजन हेतु प्रदान की थी।

(ग) और (घ) पद सृजन का प्रस्ताव फिलहाल अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया के अधीन है।

राज्यों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

5465. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल :

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी 1993 से जनवरी, 1997 की अवधि के दौरान स्वीकृत किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का बड़ा भाग केवल उन्हीं पांच राज्यों को प्राप्त हुआ है जो पहले से ही औद्योगिक रूप से विकसित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चुनिंदा औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अतिरिक्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत में अमरीका और जापान जैसे विश्व स्तर के प्रमुख पूंजी निवेशकों द्वारा निवेशित की जाने वाली कुल पूंजी का एक प्रतिशत से भी कम निवेश किया जाता है और वे एशिया प्रशान्त क्षेत्र के देशों में निवेश को प्राथमिकता देते हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वीकृत धनराशि और भारत में वास्तविक रूप में निवेशित धनराशि के बीच इतने भारी अंतर के क्या कारण हैं; और

(ज) इस अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) और (ख) दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्य जनवरी, 93 से जनवरी, 97 के दौरान दिये गये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदनों के बड़े भाग के लिए उसी क्रम में उत्तरदायी है। उक्त अवधि में स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विदेशी निवेशकों द्वारा भारत में अभीष्ट निवेश संबंधी स्थापना स्थलों पर निर्णय करना अन्य बातों के साथ–साथ औद्योगिक और वित्तीय अवसंरचना के स्तर, बाजार का संभावी आकार राज्यों के कुशल मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किये गये अनेक राजकोषीय और अन्य प्रोत्साहन जैसे कारकों पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा पहले ही कई योजनाएं अस्तित्व में लाई गई हैं जो औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में निवेश में सहायता प्रदान करती है और उसे बढ़ावा देती है। इन योजनाओं में अन्य बातों के साथ–साथ विकास केन्द्र योजना, परिवहन राजसहायता योजना, आयकर राहत इत्यादि शामिल हैं।

(ङ) और (च) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सामान्य आर्थिक हालातों, प्रौद्योगिकी से संबद्ध मुद्दों, श्रम से संबद्ध मुद्दों, कराधान से संबद्ध मुद्दों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश परियोजनाओं के सृजन और संचालन से संबद्ध सरकारी नीति, अवसंरचना की उपलब्धता, बाजार का आकार, सांस्कृतिक सान्निध्य इत्यादि जैसे अनेक कारकों की क्रिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत में आर्थिक उदारीकरण वर्ष 1991 के मध्य में हुआ है जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र के चीन, मलेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे कुछेक अन्य देशों में यह बहुत पहले हुआ था, भारत में उदारीकरण (1991) के बाद की अवधि के पांच वर्षों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की विकास दर औसतन विकासशील देश की विकास दर से अधिक रही है।

जहां तक भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होने का संबध है, तो उदारीकरण के समय से दिये गये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमोदनों में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान रखता है जो इसका लगभग 25% हिस्सा है और जनवरी, 91 से जून 98 में दिये गये कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमोदनों में 4.25% के साथ जापान चौथे स्थान पर है।

(छ) और (ज) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में अंतर्प्रभाव से अनुमोदन अनुपात अलग–अलग क्षेत्र में अलग–अलग है। इलैक्ट्रॉनिक्स (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सहित) परिवहन और सेवा जैसे कुछेक क्षेत्रों में वसूली दरें लगभग 30 से 40 प्रतिशत हैं जबकि यही दरें विद्युत और दूरसंचार जैसे कुछेक अन्य क्षेत्रों में 10 प्रतिशत से कम रही हैं जो कुछ अनुमोदित राशि का लगभग 50% है। बड़ी परियोजनाओं के प्रति अंतःप्रवाह में समय अंतराल प्रायः अधिक होता है जो मूल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश क्षेत्र के बाह्य अनेक कारकों से होता है जैसे कि भूमि का अधिग्रहण अनेक वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करना, वित्त पोषण करने की व्यवस्था इत्यादि जिनमें समय अधिक लगता है। इसके अतिरिक्त विश्व बाजार हालातों और व्यापार के सिद्धांतों जैसे अंतर्राष्ट्रीय कारक भी जो प्रमुख निवेश संबंधी निर्णयों का निर्धारण करते हैं कुछ हद तक जिम्मेवार हैं।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतः प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए स्वतः/विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड मार्ग के अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति लेने की शर्त हटा दी गयी है और फैरा के अंतर्गत भारतीय कंपनियों को शेयरों के निर्गम के 30 दिन के भीतर रिजर्व बैंक अपेक्षित दस्तावेज दायर करने की शर्त पर विदेशी मुद्रा की आन्तरिक प्रेषित रकम प्राप्त करने की सामान्य अनुमति हैं।

विवरण

जनवरी, 1993 से जनवरी, 1997 के दौरान अनुमोदित विदेशी सहयोग तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे

राज्य	अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि	
	कुल	तकनीकी	वित्तीय	(करोड़ रुपये)	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	420	143	277	2475.65	2.55
असम	10	6	4	1.50	0.00
बिहार	67	42	25	127.45	0.13
गुजरात	519	297	222	3328.13	3.43
हरियाणा	398	146	252	1727.93	1.78

1	2	3	4	5	6
हिमाचल प्रदेश	67	48	19	71.12	0.07
जम्मू और कश्मीर	1	0	1	8.01	0.01
कर्नाटक	653	255	398	5446.22	5.60
केरल	93	38	55	474.29	0.49
मध्य प्रदेश	157	75	82	4321.13	4.45
महाराष्ट्र	1304	530	774	13046.18	13.43
मेघालय	1	0	1	2.50	0.00
नागालैण्ड	1	1	0	0.00	0.00
उड़ीसा	75	28	47	3781.29	3.89
पंजाब	100	39	61	1247.86	1.28
राजस्थान	176	65	111	583.23	0.60
तमिलनाडु	767	269	498	5306.76	5.46
त्रिपुरा	1	0	1	0.68	0.00
उत्तर प्रदेश	357	173	184	2287.02	2.35
पश्चिम बंगाल	255	92	163	5204.38	5.36
अण्डमान और निकोबार	5	0	5	0.98	0.00
अरुणाचल प्रदेश	2	0	2	11.06	0.01
चंडीगढ़	14	2	12	72.46	0.07
दादरा और नगर हवेली	46	32	14	63.83	0.07
दिल्ली	486	53	433	17153.45	17.65
गोवा	67	33	34	274.49	0.78
पांडिचेरी	52	22	30	252.90	0.26
दमन और दीव	16	9	7	5.72	0.01
अन्य (अनिर्दिष्ट राज्य)	2090	884	1206	29895.00	30.77
जोड़	8200	3282	4918	97171.22	

कोयला खानों में कर्मचारी

5466. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न खानों में कुल कितने कर्मचारी नियोजित हैं;

(ख) इस समय कितने स्वीकृत पद खाली पड़े हैं;

(ग) क्या उक्त खाली पदों को भरने के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो भर्ती किए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या स्थानीय लोगों को इन कोयला खानों में भर्ती करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के भर्ती नियमों में कोई प्रावधान है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) श्रेणीवार और अनुषंगी–वार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के इस समय कितने पद रिक्त पड़े हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, को. इं. लि. की विभिन्न कोयला कंपनियों के अंतर्गत अलग–अलग कोयला खानों में नियोजित अधिकारियों सहित श्रमिकों की कुल संख्या दिनांक 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार 6,05,641 थी।

(ख) और (ग) वर्ष 1998–99 हेतु कुल 3857 रिक्त पद विनिर्दिष्ट किए गए हैं। इन रिक्तियों को कम्पनी के अंतर्गत कामगारों के स्थानांतरणों और पुनर्नियोजनों के माध्यम से तथा अंतर–सहायक कम्पनी में स्थानांतरणों के माध्यम से चरणबद्ध रूप में संभव सीमा तक भरा जाता है। किन्तु, सांविधिक तथा आवश्यक श्रेणियों के पद, जिन्हें इन पद्धतियों द्वारा भरा नहीं जा सकता, उन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाता है।

(घ) कैलेन्डर वर्ष 1997 के दौरान, अर्थात् 1.1.1997 से 31.12.1997 तक, को. इं. लि. में समग्र रूप में कुल 224 अनुसूचित जाति तथा 219 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी।

(ङ) और (च) कोल इंडिया लि., की नियमावली में स्थानीय लोगों की भर्ती किए जाने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, परन्तु को. इं. लि. में गैर–अधिकारियों को रोजगार दिए जाने के मामले में, इन रिक्तियों के बारे में स्थानीय रोजगार कार्यालय में सूचना दी जाती है तथा रोजगार कार्यालय से सम्पर्क किया जाता है।

(छ) समग्र रूप से को. इं. लि. में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों में रिक्त पड़े पदों की संख्या क्रमशः 919 तथा 1183 है। इसका कम्पनी–वार तथा ग्रेड–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

कंपनी	अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति				
	ग्रेड					ग्रेड				
	ए	बी	सी	डी	जोड़	ए	बी	सी	डी	जोड़
ई. को. लि.			20		20			5		5
भा. को. को. लि.				4	4				4	4
से. को. लि.		2	26		28		3	13		16
ना. को. लि.			4	2	6			29	18	47
वे. को. लि.			11		11		4	21		25
सा. ई. को. लि.		6	59		65		10	136		146
म. को. लि.		6	128	332	466		6	170	496	672
सी. एम. पी. डी. आई. एल.			3		3					0
एन. ई. सी./को. इं. लि.					0			1		1
को. इं. लि. मुख्या.	277		18	21	316	255		6	6	267
जोड को. इं. लि.	277	14	269	359	919	255	23	381	524	1183

[अनुवाद]

स्वास्थ्य लाभ केन्द्र

5467. श्री मणिकराव होडल्या गावीत :

श्री डी. एस. अहिरे :

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जून, 1998 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "न्यू टूरिज्म पॉलिसी टू फोकस ऑन हैल्थ रिजार्ट्स, पिलग्रिम सेन्टर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई पर्यटन नीति के कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) जी, हां।

(ख) कथित नीति में अन्य बातों के साथ–साथ निम्न शामिल हैं :

(1) तीर्थ केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाओं में सुधार तथा देश में साहसिक पर्यटन एवं प्राकृतिक स्वास्थ्य रिजार्टों का संवर्धन करना।

(2) ऐसे केन्द्रों का एकीकृत विकास करना जिनका, भूतल परिवहन मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय से निकट का सहयोग है तथा अन्य जिनका पर्यटन से सम्पर्क है।

(3) नगरों में म्यूनिसिपल कमेटी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों तक के लोगों द्वारा पर्यटन के विकास तथा वितरण के लाभों में भाग लेना।

(4) स्मारकों और विश्वदाय स्थलों के आसपास के क्षेत्रों के पर्यावरण का संरक्षण और क्षेत्रों का नवीनीकरण।

(5) तीर्थ पर्यटन पर बनी एक समिति की सिफारिशों के आधार पर घरेलू/तीर्थ पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, आधारिक संरचना के विकास हेतु 14 राज्यों में 23 तीर्थ केन्द्रों और उत्तर प्रदेश में 4 परिपथों को अभिनिर्धारित किया गया है।

(ग) मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन नीति के प्रारूप को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(घ) नीति दस्तावेजों में कोई धन निर्धारित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

विकासोन्मुखी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

5468. श्री जयसिंह जी चौहान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में कुछ विकासोन्मुखी परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों/देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के संबंध में गुजरात सरकार से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और विचाराधीन हैं, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त में से छः प्रस्तावों को दाता देशों को वित्तपोषण हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है, जबकि शेष प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रशासनिक मंत्रालय के विचार मांगे गए हैं।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों/देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के संबंध में गुजरात सरकार से प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत
1.	गुजरात में महिलाओं के लिए आवासीय वित्त	2.00 लाख कनाडी डालर
2.	गुजरात जल संसाधन समेकन परियोजना	603.20 करोड़ रुपए
3.	राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना चरण–II	2880.00 करोड़ रुपए
4.	गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना	534 मिलियन डालर
5.	लघु सिंचाई कार्यक्रम	55.00 करोड़ रुपए
6.	साबरमती नदी पर एकीकृत नदी घाटी विकास योजना	13.92 करोड़ रुपए
7.	गुजरात में नौ गैर कपाटित योजनाओं में जल जमा संधिकपाट	50.12 करोड़ रुपए

[अनुवाद]

कोफेपोसा

5469. श्री रवि सीताराम नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1995, से दिसम्बर, 1997 की अवधि के दौरान और मई, 1998 तक गोवा राज्य से कोफेपोसा के अंतर्गत कितने , व्यक्तियों को हवालात में रखा गया और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नजरबंद किए गए इन व्यक्तियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कानूनी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; कितने व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है और/अथवा कितने व्यक्तियों के खिलाफ निर्णयात्मक कार्रवाई करते समय दण्ड लगाया गया ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) जहां तक गोवा राज्य का संबंध है श्री राय मिरांडा नामक केवल एक व्यक्ति को कोफेपोसा अधिनियम, 1974 के अंतर्गत दिनांक 6.12.96 को नजरबन्द किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) अभियोजन कार्रवाई अभी भी चल रही है। न्याय निर्णयन कार्रवाइयों में एक लाख रुपए का अर्थ दण्ड लगाया गया है।

[हिन्दी]

खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा आरक्षित श्रेणी के लोगों को ऋण

5470. श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

श्री महेश कनोडिया :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निम्न आय वर्ग के लोगों के स्व–रोजगार के लिए कोई योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का राज्य–वार व श्रेणी–वार कितने व्यक्तियों ने लाभ उठाया;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योगों के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। खादी और ग्रामोद्योग की परियोजनाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विकलांगों सहित किसी भी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा आरंभ की जा सकती हैं। तथापि उन्हें दिया जाने वाला अनुदान अन्य वर्गों से अधिक होता है।

(ख) वर्ष 1997–98 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत रोजगार के राज्य–वार अनंतिम ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। तथापि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अन्य वर्गों के राज्य–वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) अ. जा./अ. ज. जा. के लाभानुभोगी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत चमड़ा उद्योग के विभिन्न कार्यकलापों में संकेन्द्रित हैं। इस उद्योग के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ऐसे स्थानों पर परियोजनाएं क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है जहां पर अनुसूचित जाति के दस्तकारों की बहुलता हो। प्रारंभ में यह विचार था कि 200 परियोजनाएं स्थापित करके 2.00 लाख दस्तकारों को रोजगार प्रदान किया जाए जिनमें से अधिकांश दस्तकार अनुसूचित जाति वर्ग के हों। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की सीमांत धन योजना के अन्तर्गत अ. जा./अ. ज. जा., अन्य पिछड़ वर्ग और विकलांग वर्गों के लाभानुभोगी को अतिरिक्त 5% सीमांत धन प्रदान किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1997–98 के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति के रोजगारों की राज्यवार अनंतिम संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	(लाख व्यक्ति) कुल खादी और ग्रामोद्योग रोजगार	(लाख व्यक्ति) अनुसूचित जाति/ जनजाति का भाग
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3.74	1.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	*	*
3.	असम	1.16	0.37
4.	बिहार	3.58	1.14
5.	गोवा	0.06	0.01
6.	गुजरात	1.10	0.35
7.	हरियाणा	0.96	0.30
8.	हिमाचल प्रदेश	0.96	0.30
9.	जम्मू और कश्मीर	0.87	0.27
10.	कर्नाटक	2.05	0.65
11.	केरल	2.21	0.70
12.	मध्य प्रदेश	1.29	0.41
13.	महाराष्ट्र	4.97	1.59
14.	मणिपुर	0.44	0.14

1	2	3	4
15.	मेघालय	0.13	0.04
16.	मिजोरम	0.11	0.03
17.	नागालैण्ड	0.18	0.05
18.	उड़ीसा	2.14	0.68
19.	पंजाब	1.89	0.60
20.	राजस्थान	4.20	1.34
21.	सिक्किम	0.04	0.01
22.	तमिलनाडु	11.85	3.79
23.	त्रिपुरा	0.27	0.08
24.	उत्तर प्रदेश	11.93	3.81
25.	पश्चिम बंगाल	3.74	1.19
	संघ शासित प्रदेश		
1.	अण्डमान और निकोबार	—	—
2.	चंडीगढ़	0.03	*
3.	दादरा और नगर हवेली	—	—
4.	दमन और दीव	—	—
5.	दिल्ली	0.21	0.06
6.	लक्षद्वीप	*	—
7.	पांडिचेरी	0.04	0.01
		60.15	19.11

टिप्पणी = 500 से कम

रसायनों का निर्यात

5471. डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दोहरे उपयोग में लाए जा रहे कुछ रसायनों के सशर्त निर्यात की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अनुमति कब तक दे दिए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 22.6.98 की सार्वजनिक सूचना सं. 17/1997–2002 के तहत संयुक्त राष्ट्र के रसायनिक अस्त्र अभिसमय की अनुसूची–3 में शामिल रसायनों के निर्यात को स्वीकृति दी है बशर्ते कि उनका निर्यात ऐसे देशों को किया जाए जो अभिसमय के पक्षधर हों। इस प्रकार के निर्यात के लिए शर्त यह होगी कि इन रसायनों के निर्यातक वास्तविक निर्यात के 15 दिनों के अन्दर ऐसे निर्यातों के अन्त्य उपयोग प्रमाणपत्र के साथ इसकी सूचना राष्ट्रीय प्राधिकरण, रसायनिक अस्त्र अभिसमय, मंत्रिमंडल सचिवालय और विदेश व्यापार महानिदेशालय को देंगे।

(ग) भारत सरकार ने उक्त अनुमति दिनांक 22.6.98 की सार्वजनिक सूचना सं. 17/1997–2002 के तहत पहले ही दे दी है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य देखभाल के लिए मशीन

5472. श्री रंजीव बिस्वाल : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महानदी कोलफील्डस लिमिटेड द्वारा विशेषरूप से इसके श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितनी मशीनें खरीदी गई हैं तथा इनकी लागत कितनी है;

(ख) क्या इनमें से कुछ मशीनों से कुछ मशीनें अप्रयुक्त पड़ी हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि. द्वारा यह सूचना प्रदान की गई है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लि. (म. को. लि.) ने अस्पताल से संबंधित 128.547 लाख रु. की लागत के 19 उपकरणों की खरीद की है। इनमें से 14 उपकरण कार्यरत हैं तथा 5 उपकरणों को स्थापित किया जाना है।

ऋणों की वसूली

5473. डॉ. राम विलास वेदान्ती : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विभिन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋणों की कितनी राशि वसूल की गई;

(ख) दूसरे राज्यों की तुलना में ऋण के रूप में वसूल की गई राशि कितनी कम अथवा अधिक है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त राज्य के आदिवासी लोगों को और ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री

कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम, प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी. एम. आर. वाई.), शहरी व्यष्टि उद्यम योजना (सूमे) और मैला ढोने वालों की उन्मुक्ति और पुनर्वास योजना (एस. एल. आर. एस.) और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य सहित उपलब्ध राज्यवार वसूली स्थिति क्रमशः संलग्न विवरण–I, II, III और IV में दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के बारे में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पात्र हैं, के अतिरिक्त अम्बेडकर श्वेत क्रांति रोजगार, सुअर पालन, बकरी एवं भेड पालन योजनाओं जैसी स्थानीय क्षेत्र योजनाएं भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई हैं ताकि अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अधिक ऋण सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

विवरण–I

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जून 1995 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार कृषि अग्रिमों (प्रत्यक्ष) की राज्यवार वसूली स्थिति

(राशि रुपए हजार में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र के बैंक				
		बकाया शेष राशि	कुल मांग	वसूली	कुल अतिदेय राशि	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	25146596	16716452	10086828	6629624	60.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	89885	18417	8220	10197	44.63
3.	असम	2127116	799759	169181	630578	21.15
4.	बिहार	9606321	4580837	1730229	2850608	37.77
5.	गोवा	401070	209586	110961	98625	52.94
6.	गुजरात	11451800	7347605	4753223	2594382	64.69
7.	हरियाणा	7563158	4818999	3016690	1802309	62.60
8.	हिमाचल प्रदेश	934506	628186	268477	359709	42.74
9.	जम्मू एवं कश्मीर	369782	274566	37394	237172	13.62
10.	कर्नाटक	16907353	10989069	5855478	5133586	53.28
11.	केरल	8398218	4447745	3452272	995473	77.62
12.	मध्य प्रदेश	14258311	7282678	3806102	3476576	52.26
13.	महाराष्ट्र	18697728	11819911	6227061	5592850	52.68
14.	मणिपुर	159586	51694	6863	44831	13.28
15.	मेघालय	137459	98421	22127	76294	22.48
16.	मिजोरम	35398	23443	3720	19723	15.87

	1	2	3	4	5	6
17.	नागालैंड	322669	208127	43719	164408	21.01
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1419676	326963	144179	182784	44.10
19.	उड़ीसा	4823677	2430928	1119125	1311803	46.04
20.	पंजाब	14321549	9111194	6492994	2618200	71.26
21.	राजस्थान	9263275	5716126	2826572	2889554	49.45
22.	सिक्किम	57280	28558	12256	16302	42.92
23.	तमिलनाडु	25704178	15842107	11492952	4349155	72.55
24.	त्रिपुरा	357341	157084	23769	133315	15.13
25.	उत्तर प्रदेश	23087765	12010751	7617539	4393212	63.42
26.	पश्चिम बंगाल	8098584	4103178	2120696	1982482	51.68
27.	अण्डमान एवं निकोबार	21679	9247	4473	4774	48.37
28.	चण्डीगढ़	1560694	966485	507376	459109	52.50
29.	दादरा एवं नगर हवेली	19760	10190	4026	6164	39.51
30.	दमन और दीव	3159	2898	364	2534	12.56
31.	लक्षद्वीप	3658	2694	2140	554	79.44
32.	पाण्डिचेरी	402094	252715	151942	100773	60.12
	अखिल भारत	205751325	121286613	72118948	49167660	59.46

विवरण—II

मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए पी. एम. आर. वाई. के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों का वसूली कार्यनिष्पादन

(लाख रु.)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मांग	वसूली	2 की तुलना में 3 का प्रतिशत
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	4253.90	2436.42	57.3
असम	1964.65	282.71	14.4
बिहार	3684.12	1436.15	39.0
गुजरात	1512.76	1006.17	66.5
हरियाणा	1857.06	1111.20	59.8
आंध्र प्रदेश	592.08	346.92	58.6

1	2	3	4
जम्मू एवं कश्मीर	149.00	51.38	34.5
कर्नाटक	3695.05	1904.62	51.5
केरल	2674.61	1287.46	48.1
मध्य प्रदेश	5136.61	1470.34	48.1
महाराष्ट्र	7080.70	3588.22	50.7
मणिपुर	589.21	54.71	9.3
मेघालय	89.47	30.11	33.7
नागालैंड	234.94	8.03	3.4
उड़ीसा	1251.93	558.76	44.6
पंजाब	1744.93	1143.99	65.6
राजस्थान	1132.96	591.09	52.2
सिक्किम	10.29	6.24	60.6
तमिलनाडु	4183.97	2084.69	50.1
त्रिपुरा	145.59	38.84	26.7
उत्तर प्रदेश	5271.23	2870.60	54.5
पश्चिम बंगाल	1413.46	380.56	26.9
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	16.98	7.36	43.3
अरुणाचल प्रदेश	43.77	11.58	26.5
चंडीगढ़	167.75	120.94	72.1
दादरा एवं नगर हवेली	28.70	13.36	46.6
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	507.90	230.47	45.4
गोवा	184.84	122.39	66.2
मिजोरम	1116.31	12.56	1.1
पांडिचेरी	111.91	41.22	36.8
लक्षद्वीप	5.20	3.92	75.4
दमन एवं दीव	1.90	1.25	65.8
योग	50833.68	24254.26	47.7

विवरण–III

मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी व्यष्टि उद्यम योजना एवं मैला ढोने वालों की उन्मुक्ति एवं पुनर्वास योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों का वसूली कार्यनिष्पादन (अद्यतन उपलब्ध)

(लाख रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मार्च 1996 (सूमे)				मार्च 1996 (एस. एस. आर. एस.)			
	मांग	वसूली	2 की तुलना में 3 का प्रतिशत	अतिदेय	मांग	वसूली	2 की तुलना में 3 का प्रतिशत	अतिदेय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	1568.87	464.13	29.6	1104.74	15.00	6.12	40.8	8.88
असम	205.53	23.22	11.3	182.31	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
बिहार	375.18	67.52	18.0	307.66	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
गुजरात	245.14	89.16	36.4	155.98	13.53	8.32	61.5	5.21
हरियाणा	352.35	133.46	37.9	218.89	19.91	10.09	50.7	9.82
हिमाचल प्रदेश	60.36	20.39	33.8	39.97	1.65	1.06	64.2	0.59
जम्मू एवं कश्मीर	43.10	10.91	25.3	32.19	0.25	0.16	64.0	0.09
कर्नाटक	651.65	142.84	21.9	508.81	23.66	6.22	26.3	17.44
केरल	521.63	200.60	38.5	321.03	0.04	उ. न.	0.0	0.04
मध्य प्रदेश	1760.16	368.99	21.0	1391.17	251.51	49.12	19.5	202.39
महाराष्ट्र	1596.82	367.37	23.0	1229.45	109.44	37.94	34.7	71.50
मणिपुर	217.86	3.89	1.8	213.97	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
मेघालय	12.55	1.50	12.0	11.05	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
नागालैंड	11.44	0.70	6.1	10.74	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
उड़ीसा	391.42	86.75	22.2	304.67	9.39	2.59	27.6	6.80
पंजाब	343.64	110.85	32.3	232.79	21.01	10.47	49.8	10.54
राजस्थान	625.66	197.08	31.5	428.58	37.61	13.5	35.9	24.11
सिक्किम	288.68	58.09	20.1	230.59	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
तमिलनाडु	1164.72	465.32	40.0	699.40	102.65	54.76	53.3	47.89
त्रिपुरा	37.83	2.84	7.5	34.99	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
उत्तर प्रदेश	2481.12	892.56	36.0	1588.56	489.61	212.52	43.4	277.09
पश्चिम बंगाल	755.63	144.33	15.1	641.30	1.65	0.52	31.5	1.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अण्डमान और निकोबार	2.27	0.51	22.5	1.76	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
अरुणाचल प्रदेश	0.22	उ. न.	0.0	0.22	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
चण्डीगढ़	12.35	3.32	26.9	9.03	0.01	0.01	100.0	0.00
दादरा एवं नगर हवेली	0.89	उ. न.	0.0	0.89	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	63.30	11.77	18.6	51.53	7.42	4.76	64.2	2.66
गोवा	17.88	11.06	61.9	6.82	6.01	2.75	45.8	3.28
मेजोरम	23.52	1.50	6.4	22.02	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
पाण्डिचेरी	21.04	6.47	30.8	14.57	0.42	0.17	40.5	0.25
लक्षद्वीप	उ. न.	उ. न.	उ. न.		उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
दमन और दीव	2.22	1.24	55.9	0.98	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
विनिर्दिष्ट नहीं	2051.00	782.00	38.1	1269.00	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
योग	15906.03	4640.37	29.2	11265.66	1110.77	421.08	37.9	689.69

विवरण–IV

मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए आई. आर. डी. पी. के अन्तर्गत वसूली स्थिति

(अद्यतन उपलब्ध) (लाख रु.)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मांग	वसूली	अतिदेय राशि	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	15412.08	3613.62	11790.46	23.45
असम	3523.49	898.48	2827.03	19.77
बिहार	23144.41	5983.04	17161.37	25.85
गुजरात	7627.13	3105.51	4521.92	40.72
हरियाणा	4960.40	1212.06	3748.37	24.43
हिमाचल प्रदेश	898.04	363.35	544.73	39.35
जम्मू एवं कश्मीर	257.16	90.28	166.88	35.11
कर्नाटक	8452.13	1682.67	4789.46	26.08
केरल	3703.58	1839.88	1863.70	49.88

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	17774.28	4646.50	13127.78	28.14
महाराष्ट्र	17356.06	550.44	11850.62	31.72
मणिपुर	177.32	27.05	159.27	15.26
मेघालय	195.99	38.26	157.65	19.68
नागालैण्ड	116.14	21.64	94.50	18.33
उड़ीसा	9970.53	2476.65	7483.88	24.84
पंजाब	5133.59	1680.25	3463.28	32.73
राजस्थान	9182.97	2783.63	6419.34	30.10
सिक्किम	100.87	42.95	57.92	42.58
तमिलनाडु	12290.46	4470.60	7819.88	36.37
त्रिपुरा	584.84	88.68	498.28	12.14
उत्तर प्रदेश	31790.70	13836.72	17954.98	43.52
पश्चिम बंगाल	12779.08	3883.96	8895.12	30.39
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	42.01	9.16	32.95	21.75
अरुणाचल प्रदेश	143.01	50.38	92.63	35.23
चण्डीगढ़	1.52	0.12	1.40	7.89
दादरा एवं नगर हवेली	34.18	12.14	22.04	35.52
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	69.58	15.70	53.88	22.56
गोवा	172.78	78.75	94.03	45.58
मिजोरम	75.79	10.96	64.83	14.48
पांडिचेरी	186.68	61.34	125.34	32.88
लक्षद्वीप	7.05	4.35	2.70	61.70
दमन एवं दीव	125.00	44.88	80.12	35.90
योग	184269.18	58325.86	125943.32	31.65

रुग्ण इस्पात संयंत्र

5474. डॉ. सरोजा वी. : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ इस्पात संयंत्रों ने अपनी रुग्णता का प्रतिवेदन औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनके प्रतिवेदनों का सरकारी क्षेत्र और गैर–सरकारी क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक संयंत्र को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री

कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : *(क) से (ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि 30.6.1994 को केवल* एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इस्पात संयंत्र अर्थात् मैसर्स इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को बाइफर में पंजीकृत किया गया था। बाइफर में अनुसरण की जा रही वर्तमान सूचना प्रणाली से, इस्पात संयंत्रों के लिए पृथक आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं। तथापि, इस्पात संयंत्रों को धातु–विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। जिसके अंतर्गत, 30.06.1998 तक बाइफर के पास 339 मामले पंजीकृत किए गए थे जिसमें सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र की इकाइयां सम्मिलित हैं। धातु–विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत की गई रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

बाइफर द्वारा मंजूर की गई पुनर्वास योजनाओं में बहुत से उपाय सम्मिलित हैं, जैसे, पूंजी की पुनर्संरचना, सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के लिए सरकार सहित प्रवर्तकों द्वारा नई निधियां प्रदान करना, अन्य कम्पनियों के साथ विलय, प्रबंधन में परिवर्तन, वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा छूट और रियायतें, बढ़ी हुई कार्यशील पूंजी के लिए प्रावधान और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा नए सावधि ऋण, अपनी देयराशियों के पुनर्निर्धारण के रूप में केन्द्रीय और संबंधित राज्य सरकार द्वारा छूट और रियायतें, राष्ट्रीय नवीकरण निधि से मंजूरियां आदि।

विवरण

दिनांक 30.6.1998 की स्थिति के अनुसार धातु वर्ग क्षेत्र के अन्तर्गत पंजीकृत रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की स्थिति

		गैर सरकारी क्षेत्र	*सी. पी. एस. यू.	एस. पी. यू.**	योग
1.	पंजीकृत मामले	327	5	7	339
2.	मंजूर पुनर्वास योजनाएं	92	3	5	100
3.	समापन की सिफारिश की गई	110	—	2	112
4.	रख–रखाव योग्य न होने के कारण खारिज किये गये	57	—	—	57
5.	अन्य टिपटान	8	—	—	8
6.	विभिन्न स्तरों पर लम्बित	60	2	—	62

टिप्पणी : मंजूर की गई 10 पुनर्वास योजनाओं में से, 1 राज्य सरकारी क्षेत्र की इकाई और 33 गैर सरकारी कम्पनियों (कुल 34) को घोषित किया गया है कि ये अब रुग्ण नहीं हैं और उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि योजनाओं के कार्यान्वयन पर उनकी विल क्षमता सकारात्मक हो गई थी।

*केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की इकाइयां

**राज्य सरकारी क्षेत्र की इकाइयां

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में मसाला बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय

5475. श्री प्रदीप कुमार यादव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर मसाला बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो अवस्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मसालों के उत्पादन और निर्यात के बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) वर्ष 1998–99 के दौरान विभिन्न मसालों के उत्पादन और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों में, अन्य बातों के साथ–साथ, ये शामिल हैं–गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन और उसके वितरण में संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन, पौध संरक्षण उपाय, क्षेत्र विस्तर और गहन खेती की प्रक्रिया।

सामान्य व्यापार नीति में सुधारों के अतिरिक्त, मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछेक कदमों में शामिल हैं :–मिर्च (खारे पानी की हरी मिर्च को छोड़कर), इलायची, केसर और मसाला तेलों और ओलियोरेजिन के निर्यात पर उपकर को समाप्त करना, ताकि उन्हें विदेशी बाजारों में कीमत प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। "लोगो संवर्द्धन" जैसी ब्रांड संवर्द्धन योजनाओं का कार्यान्वयन, गुणवत्तायुक्त उत्पादों के प्रसंस्करता/निर्यातक की मान्यता के रूप में "मसाला गृह प्रमाणपत्र" की स्वीकृति देना, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रक्रिया उन्नयन और उत्पाद विकास।

कर अवकाश

5476. श्री महेश कनोडिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार के कर–अवकाश की अनुमति देने के लिए पिछड़ेपन के निर्धारण हेतु जिला के स्थान पर पूरे तालुका को आधार मानने के प्रस्ताव पर पुनः विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके निपटारे में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री

तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) "तालुका"/तहसील को पिछड़ेपन के निर्धारण के आधार के रूप में मानने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के सुझावों पर समय-समय पर विचार किया जाता रहा है।

(ख) करावकाश की अनुमति के लिए जिले के बजाय पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए "तालुका" को आधार के रूप में मानने के लिए समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों के सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। इस पर नवम्बर, 1995 में गठित समीक्षा अध्ययन दल ने उस पर विचार किया था, पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण पर वित्तीय प्रोत्साहन के संबंध में 29.6.93 को गठित समिति के डॉ. शंकर आचार्य की सिफारिशों के आधार पर और उसके बाद अपर सचिव (श्री एम. के. काव) के अधीन गठित अध्ययन दल ने औद्योगिक पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए "जिले" को आधार यूनिट के रूप में मानने का प्रस्ताव किया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पैटेन्ट करने में विलम्ब

5477. श्री चन्दू लाल अजमीरा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय वैज्ञानिकों के आविष्कारों और नवीनतम उपलब्धियों को पेटेन्ट करने में विलम्ब को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : सरकार द्वारा देश में पेटेंट प्रणालियों का आधुनिकीकरण करके विलम्बों को कम करने हेतु कदम उठाए गए हैं। एक ऐसी योजना के माध्यम से पेटेंट कार्यालय के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण हेतु कदम उठाये जा रहे हैं जिससे अपेक्षित योग्यता प्राप्त कार्मिक, अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, कार्यालयों के बीच कार्यों के पुनर्निर्धारण के जरिए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा, कार्यविधियों का कंप्यूटरीकरण किया जायेगा तथा पेटेंट आवेदनों के पिछले बकाया मामलों का निपटान हो सकेगा।

[हिन्दी]

दिल्ली में पर्यटन स्थल

5478. श्री विजय गोयल : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जामा मस्जिद को भी पयर्टन विभाग की विकास योजनाओं में शामिल कर दिया गया है;

(ख) क्या पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) पर्यटक आकर्षणों के विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा योजनाएं प्रतिपादित की जाती हैं। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय उन चुनी हुई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करता है जिनके लिए राज्य सरकारें सहायता मांगती हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक के उन्नयन के लिए दिल्ली के नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में कार्य बल का गठन किया है।

बेरोजगारी भत्ता

5479. डॉ. प्रभा ठाकुर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिग्रियां और डिप्लोमाधारी होने के बावजूद देश में हजारों युवक बेरोजगार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसे युवाओं को तब तक बेरोजगारी भत्ता देने की योजना है जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विलंब शुल्क के कारण घाटा

5480. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विलंब शुल्क का भुगतान करने के कारण कितना घाटा हुआ;

(ख) उन आधारों का ब्यौरा क्या है जिन पर विलंब शुल्क लगाया जा रहा है;

(ग) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने पिछले दो वर्षों के दौरान विलंब शुल्क के भुगतान पर कुल कितनी धनराशि व्यय की;

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे विलंब शुल्क के लिए जिम्मेदार पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) विलंब शुल्क को कम से कम करने के लिए क्या उपाय

किए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ग) वर्ष 1996–97 और 1997–98 के दौरान भा. को. को. लि. द्वारा विलंब–शुल्क के रूप में निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया :

वर्ष	करोड़ रु. में
1996–97	6.48
1997–98	7.63

(ख) यदि निर्धारित समय से वैगनों में लदान नहीं किया जाता है, तो उस स्थिति में रेलवे विलंब–शुल्क की वसूली करती है। इस संबंध में रेलवे द्वारा कोई विशेष विवरण निर्दिष्ट नहीं किया जाता तथा उन वैगनों को, जिनमें देर से लदान किये जाते हैं उन्हें "छोड़ दिए गए वैगन" कहा जाता है तथा इस संबंध में विलंब–शुल्क लगाया जाता है।

(घ) जून, 1998 में महाप्रबंधक के स्तर तक के छह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई तथा उनकी उन गलतियों तथा अपराधों, जिसके कारण विलंब–शुल्क देना पड़ा, के लिए उनके विरुद्ध आरोप–पत्र जारी किए गए।

(ङ) वैगनों में निर्धारित समय से लदान न किए जाने के कई कारण हैं। रेलवे ने क्रमबद्ध रूप से वैगनों में लदान किए जाने के समय में कटौती कर दी है। कभी–कभी वैगनों को समूह में तथा अनुपयुक्त संमय में भेज दिया जाता है। प्रतिकूल मौसम, बंद और हड़ताल, बिजली चले जाने तथा मशीन के खराब होने के कारण भी लदान में अवरोध उत्पन्न होता है। इन परिस्थितियों से निबटने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

विदेशी कंपनियों द्वारा पांच सितारा होटलों की स्थापना

5481. श्री अजय कुमार एस. सरनायक : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय विदेशी कंपनियों को देश में पांच सितारा होटलों के निर्माण की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार वे स्थान कौन से हैं जहां इन होटलों का निर्माण किया जाता है;

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ पांच सितारा होटलों का संचालन निजी कंपनियों को सौंपने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) जी, नहीं। तथापि, कुछ विदेशी होटल शृंखलाओं ने तकनीकी सहयोग प्रदान करने की अनुमति दी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर फार्म

5482. डॉ. वल्लभ भाई कथीरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकरदाताओं द्वारा खाते अद्यतन रखने के लिए भरे जाने वाले रिटर्न फार्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक फार्म का मूल्य क्या है;

(ग) इस संदर्भ में आयकरदाताओं को कितना खर्च वहन करना पड़ेगा; और

(घ) फार्मों की संख्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) आयकर अधिनियम और उसके नियमों के अन्तर्गत व्यक्ति की स्थिति और आय के प्रकार के आधार पर विभिन्न विवरणी फार्म निर्धारित किए जाते हैं, आयकर विवरणी फार्मों के विवरण निम्नलिखित हैं।

फार्म संख्या	के लिए लागू
1	2
आई. टी. एस. I	कम्पनी
आई. टी. एस. II	व्यक्ति जो कम्पनी नहीं है उस मामले में कुल आय में "व्यवसाय अथवा कारोबार के लाभों और प्राप्तियां" शीर्षक के अन्तर्गत आय शामिल की जाती है।
आई. टी. एस.–2क	ऐसा निवासी व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार जिसकी कुल आय 2000/– रु. से अधिक नहीं है तथा जिसमें गृह सम्पति से प्राप्त आय

1	2
	"शीर्षक" के अंतर्गत प्राप्त आय को छोड़कर व्यवसाय अथवा कारोबार के लाभ और अभिलाभ से प्राप्त आय अथवा अग्रणीत नुकसान अथवा भत्ते शामिल नहीं हैं।
आई. टी. एस. 2ख	धारा 158 ख ग (क) के अंतर्गत ब्लॉक अवधि की कुल आय
आई. टी. एस.–2ग	ऐसा व्यक्ति, जिसे आर्थिक मानदण्ड से संबंधित धारा 139 की उपधारा (1) के परन्तुक के अन्तर्गत विवरणी भरना अपेक्षित है।
आई. टी. एस.–3	ऐसा व्यक्ति, जिनकी कुल आय में "कारोबार और व्यवसाय के लाभ और प्राप्तियां" शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त आय शामिल नहीं है।
आई. टी. एस.–3क–	ऐसा कर निर्धारिती, जो आयकर अधिनियम की धारा II के अन्तर्गत छूट के लिए दावा कर रहा है।

इसके अलावा अन्य प्रत्यक्ष कर अधिनियम जैसे सम्पत्ति कर, उपहार कर, ब्याज कर और व्यय कर के अन्तर्गत अलग विवरणी फार्म निर्धारित किए गए हैं।

(ख) आयकर विवरणी फार्म भारत सरकार के विभिन्न मुद्रणालयों द्वारा छापे जाते हैं और इनकी कीमत एक मुद्रणालय से दूसरे मुद्रणालय में भिन्न होती है। भिन्न–भिन्न सरकारी मुद्रणालयों से छपवाए गए फार्म की कीमत निम्नानुसार है :

फार्म सं.	कीमत	(मुद्रणालय)
1	2	3
आई. टी. एस. 1	2.72 रुपए (नीलोखेड़ी)	1.85 रु. (चंडीगढ़)
आई. टी. एस.–2	2.08 रु. (नासिक)	3.34 रु. (टेम्पल स्ट्रीट, कलकत्ता)
आई. टी. एस–2क	1.33 रु. (नासिक)	1.83 रु. (मैसूर)
आई. टी. एस.–2ख	0.32 रु. (चंडीगढ़)	
आई. टी. एस.–3	1.63 रु. (नासिक)	1.75 रु. (मैसूर)
आई. टी. एस.–3क	2.55 रुपए (कोरेट्टी)	

(ग) इसके लिए कर–दाताओं को कोई व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती।

(घ) सरकार ने सरल कहलाई जाने वाली एक सरल करदाता अनुकूल विवरणी फार्म प्रारंभ करने के प्रस्ताव की घोषणा पहले ही कर दी थी जो सभी गैर–निगमित करदाताओं के लिए लागू होगी। "सरल" से न केवल मौजूदा आयकर विवरणी फार्मों के बोझिल स्वरूप में महत्वपूर्ण सुधार आएगा बल्कि इनका उपयोग गैर–निगमित कर निर्धारितियों के विभिन्न वर्गों द्वारा भी किया जा सकता है।

चाय बोर्ड को ऋण

5483. श्री विजय कुमार "विजय" :

श्री सीताराम यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय बोर्ड को और ऋण न देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में भी निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) चाय बोर्ड की ऋण योजनाओं को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने सिद्धान्त रूप से यह निर्णय लिया है कि ऋण योजनाओं के प्रचालन के लिए चाय बोर्ड द्वारा सरकार को वार्षिक रूप से संदेय ऋण और ब्याज की किस्तों की धनराशि का उपयोग करने की चाय बोर्ड को अनुमति प्रदान की जाए। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत चाय बोर्ड के पास ऋण योजनाओं के प्रचालन के लिए वास्तविक जरूरत के अतिरिक्त उपलब्ध बेशी कोष, यदि कोई हो, को बोर्ड द्वारा उस विशेष वर्ष में सरकार को वापस लौटाया जायेगा। इसी तरह, किसी विशेष वर्ष में, यदि बोर्ड द्वारा सरकार को संदेय ऋण या ब्याज उनकी अपेक्षा से कम है तो घाटे की मात्रा तक को सरकार द्वारा गैर–योजनागत कोष के अंतर्गत इमदाद के रूप में चाय बोर्ड को उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) और (घ) चाय बोर्ड चाय अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत स्थापित एक संवर्धनात्मक स्वायत्तशासी संगठन है न कि सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम। अतः इस मामले में दिया गया निर्णय केवल चाय बोर्ड से ही संबंधित है।

परिवार की परिभाषा

5484. प्रो. अजीत कुमार मेहता :

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(5) के अंतर्गत परिवार की परिभाषा में बच्चों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल ही में आयकर नियमों में संशोधन करके अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाने के लिए बच्चों की संख्या को दो बच्चों तक ही सीमित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार आयकर नियम में किए गए इस प्रकार के संशोधन जो कि इस अधिनियम के उपबंधों के क्षेत्राधिकार से बाहर है, वापस लेने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) आयकर अधिनियम की धारा 10(5) में "परिवार" की परिभाषा यह दी गई है कि किसी व्यष्टि और उसके परिवार द्वारा भारत में किसी जगह जाने के सम्बन्ध में प्राप्त की गई यात्रा रियायत अथवा सहायता को आयकर अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है, बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए यात्रा रियायत के संबंध में ऐसी शर्तें निर्धारित की गई हों।

(ख) जी नहीं। दिनांक 1.10.1998 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों के सम्बन्ध में बच्चों की संख्या केवल दो बच्चों तक सीमित कर दी गई है। यह नियम 1.10.1998 के बाद एक बच्चे के बाद एक साथ कई बच्चों के जन्म के मामले में लागू नहीं है। यह नियम 1.10.1998 से पहले पैदा हुए बच्चों के संबंध में लागू नहीं है।

(ग) 1.10.1998 से प्रभावी आयकर (प्रथम संशोधन) नियम, 1998 द्वारा यह छूट 1 अक्तूबर, 1998 के बाद एक व्यष्टि के दो से अधिक जीवित बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है। तथापि, यह उप नियम 1.10.98 से पहले पैदा हुए बच्चों और 1.10.98 के बाद एक बच्चे के बाद एक साथ कई बच्चों के जन्म के मामले में भी लागू नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार की दिनांक 20.11.1997 की अधिसूचना फा. सं. 31011/7/97–(स्था.) (क) द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत नियमावली में संशोधन किया गया तथा छोटे परिवार के मानकों के प्रचार की नीति के अनुसार 1.10.1998 से इन लाभों को दो जीवित बच्चों तक सीमित कर दिया गया। ये प्रतिबंध 1.10.98 से पूर्व जन्मे मौजूदा बच्चों के मामले में लागू नहीं हैं। इस अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में नियम 2ख में संशोधन किया गया तथा उसमें दो बच्चों के मानकों को शामिल किया गया। धारा 10 (5) में आयकर छूट की व्यवस्था की गई है, बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रदान की गई यात्रा रियायत अथवा सहायता के संबंध में ऐसी शर्तें निर्धारित की गई हों। आयकर अधिनियम की धारा 295 के अंतर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को ऐसी अतिरिक्त शर्तें निर्धारित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। यथा संशोधित यह नियम शक्तिमत्ता है तथा आयकर अधिनियम की धारा (10)5 में नियम बनाने वाले प्राधिकारी को शक्तियां प्रदान की गई हैं।

औद्योगिक रुग्णता

5485. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में औद्योगिक रुग्णता पर स्थिति–पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा पत्र कब तक लाया जाएगा और संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा; और

(ग) औद्योगिक रुग्णता की बढ़ती हुई समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या अंतरिम उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनर्जीवित करने हेतु अनेक उपाय किए गये हैं, जिनमें अन्य उपायों के साथ ये उपाय शामिल हैं–बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देश, रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों में विलय तथा रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम के तहत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना, राष्ट्रीय नवीकरण निधि, राष्ट्रीय साम्य निधि, इत्यादि।

रेशम उद्योग के विकास हेतु कार्य योजना

5486. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष रूप से असम में रेशम उद्योग के विकास के लिए सरकार की कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) असम में रेशम कीट पालन विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान विस्तार, बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षण समर्थन हेतु क्या

कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) राज्य रेशम उत्पादन विभाग के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड रेशम की सभी चार प्रकार की रेशम के विकास को बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं/परियोजनाएं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है। इनमें अनुसंधान व विकास प्रशिक्षण के विस्तार के लिए योजनाएं केन्द्रीय रेशम बोर्ड एककों के एक नेटवर्क द्वारा क्षेत्र को आधारभूत संरचना विस्तार सहायता तथा उन्नत रेशम के उत्पादन के लिए आधुनिक रेशम उत्पादन प्रक्रियाओं के अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए कतिपय विकास/निवेशों/वित्तीय सहायता योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड राज्यों के सहयोग से विश्व बैंक सहायित एन. एस. पी., पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्य योजना आदि जैसे विशिष्ट रेशम उत्पादन परियोजना भी शुरू करता है। जहां तक असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों का प्रश्न है; केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा शुरू की गई कुछ विशिष्ट परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

(1) राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना जिसे असम के दो जिलों में क्रियान्वित किया गया था, के अंतर्गत, आधारभूत संरचना सुविधाएं जैसे मूल बीज फार्म्स, तकनीकी सेवा केन्द्र, कोशा बाजार, रीलर्स तथा बुनकरों के लिए प्रदर्शन सह प्रशिक्षण केन्द्र आदि सृजित किए गए थे।

(2) असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों को शामिल करते हुए पूर्वोत्तर कार्य योजना अभी क्रियान्वयन के अधीन है जो पौध रोपण द्वारा क्षेत्रफल में वृद्धि के प्रति सहायता कृषकों, रीलर्स को प्रशिक्षण, कोशा प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना तथा रीलिंग एककों की स्थापना के लिए सहायता आदि प्रदान करता है। इस परियोजना को नौवीं योजनावधि के दौरान जारी रखा जा रहा है।

(3) विभिन्न कोशों के विपणन के लिए अभिकरणों को सहायता दी जाती है।

(4) एरी तथा मूगा के लिए परियोजना विकास व घरेलू विपणन।

(5) गुवाहाटी में मूगा अपरिष्कृत माल बिक्री भंडार स्थापित किये गये थे।

(6) इसके अतिरिक्त, रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, 34 उत्प्रेरक विकास योजनाएं केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी हैं। 34 योजनाओं में से 8 योजनाएं असम राज्य में क्रियान्वित किए जाने के लिए 1998–99 के दौरान स्वीकृत किए गए हैं, अर्थात्—

(1) सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना।

(2) उद्यम विकास कार्यक्रम

(3) एरी खाद्य पौधा आरंभिक यंत्रों की आपूर्ति में अवस्थित पौधारोपण का प्रदर्शन।

(4) मूगा खाद्य पौधों की वृद्धि।

(5) मूगा संस्कृति की चलाने के लिए कृषकों को प्रशिक्षण तथा आरंभिक उपकरण प्रदान करना।

(6) मूगा के लिए फसल बीमा सहायता।

(7) उन्नत मूगा बीज के उत्पादन के लिए निजी ग्रेन्योर्स को सहायता के लिए प्रौद्योगिक योजना।

(8) डाटा बेस विकास

(7) एक समन्वित मूगा तथा एरी विकास परियोजना असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 95.00 करोड़ रु. की लागत पर नौवीं योजनावधि के दौरान क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रस्तावित की गई है जिसमें असम का हिस्सा 64.00 करोड़ रु. है।

कोयले की चोरी

5487. श्रीमती शीला गौतम :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों से चोरी किए गए कोयले की मात्रा का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितनी मात्रा और कितने मूल्य के कोयले की चोरी होती है;

(ग) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान खान अधिकारियों की मिली–भगत से ठेकेदारों द्वारा कोयले की चोरी के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई; और

(च) भविष्य में इन कोयला खानों से कोयले की चोरी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) चोरी की गई कोयले की मात्रा का पता लगाने हेतु सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है, क्योंकि कोयले की चोरी कुछ लोगों द्वारा चोरी–छिपे की जाती है तथापि सुरक्षा कर्मियों और साथ ही राज्य की विधि व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से मारे गए छापों के अनुसार, वर्ष 1995–96 तथा 1996–97 के दौरान पकड़े गए चोरी के कोयले की लगभग मात्रा निम्नलिखित है :

वर्ष	टन में मात्रा	मूल्य लाख रु.
1995–96	16,000	83.00
1996–97	16,000	110.00

(ग) से (ङ) खान कर्मियों के साथ मिली–भगत करके ट्रांसपोर्टरों द्वारा कोयले की चोरी के तीन मामले कथित रूप से बिहार में भा. को. को. लि. के गोविंदपुर एरिया, बसुरिया कोलियरी और गोधूर कोलियरी में पाए गए हैं। उक्त मामले से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय एवं पुलिस कार्रवाई की गई है।

(च) को. इं. लि. में चोरी और उठाईगिरी को रोकने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं :

(i) अवैध कोयला डिपो और कोयले के अवैध संचालन संबंधी आसूचना रिपोर्टों को एकत्र करना तथा इसे रोकने के लिए उक्त की सूचना जिला प्राधिकारियों को देना।

(ii) परिवहन संबंधी दस्तावेजों की जांच हेतु अति संवेदनशील स्थलों पर चैक पोस्ट की स्थापना।

(iii) कोयला एकत्र करने के स्थल के चारों ओर बुर्जों का निर्माण, रोशनी की व्यवस्था करना, पिटहैड डिपो के चारों ओर कांटेदार तार लगाना/दीवार खड़ी करना, रात में सशस्त्र गार्डों सहित स्थाई रूप से सुरक्षा कार्मिक लगाना, रेलवे वे–ब्रिजों तक लदे हुए रेको का सशस्त्र गार्डों द्वारा मार्ग रक्षण करना, लंबी दूरी की रेलवे पटरियों के साथ रेलवे सुरक्षा दल द्वारा संयुक्त रूप से उन स्थलों पर गश्त लगाना जहां वैगनों के लूटने के मामले सामने आते हैं।

(iv) अवैध खनन स्थलों को सील करना।

(v) रेलवे सुरक्षा दल और जिला पुलिस अधिकारियों के साथ परस्पर सहयोग करना और औचक निरीक्षण अथवा छापा मारना।

(vi) चोरी अथवा उठाईगिरी करने वाले परिवहनों के पकड़े जाने पर, उन पर कड़ी कार्रवाई करना।

(vii) इन खतरों को दूर करने के लिए जिला प्राधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक आयोजित करना, संवेदनशील स्थलों पर राज्य पुलिस के साथ सहयोग से औचक निरीक्षण करना/छापे मारना।

(viii) महिलाओं और बच्चों को कोयले की चोरी/उठाईगिरी करने से रोकने के लिए महिला सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति करना, सुरक्षा कार्मिकों की आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन करके सुरक्षा विभाग को सुदृढ़ करना, सुरक्षा कार्य के प्रति अभिरुचि के साथ अधिकारियों के अनुभवों का उपयोग तथा कनिष्ठ, मध्यम और वरिष्ठ स्तर के योग्यता प्राप्त सुरक्षा कार्मिकों को नियुक्त करना।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में सुरक्षा दस्तावेज पर लगाए जाने वाले रोड चालान पर जल–चिह्न शुरू किया गया है।

सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विद्यमान सुरक्षा कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु सी. आई. एस. एफ. कार्मिकों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा आवधिक अंतराल से सुरक्षा विषय पर नए रिकरूटों को मूल प्रशिक्षण देना।

नये उद्योगों की स्थापना

5488. श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

श्री अभय सिंह एस. भोसले :

श्री महेश कनोडिया :

श्री हरिभाई चौधरी :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने देश में, जिसमें पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं, औद्योगीकरण और नये उद्योग स्थापित करने के संबंध में कोई विशेष कार्यक्रम बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और अब तक कितने उद्योगों की स्थापना की गई है और पिछले दो वर्षों के दौरान और उनमें कितने लोगों को नियुक्त किया गया है; और

(ग) राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में पृथकतः कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) भारत सरकार के पास एक विकास केन्द्र योजना है जिसे देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इसके अलावा पिछड़े क्षेत्रों के लिए परिवहन राजसहायता योजना भी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश राजसहायता संबंधी एक नई योजना भी 1 जून, 1998 को अधिसूचित की गई है। ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में (सरलता पूर्वक लघु उद्योगों को अवस्थित करने तथा कृषि और उद्योग के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए इन उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकीय समर्थन सेवा सहित) के लिए एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास योजना बनाई गई है।

(ख) वर्ष 1996 तथा 1997 में विभिन्न राज्यों में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित उद्योग तथा सृजित किये जाने वाले संभावित रोजगार संबंधी राज्य–वार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा विकास केन्द्रों के क्रियान्वयन में वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति के आधार पर इन केन्द्रों के लिए वित्तीय सहायता जारी की जाती है। जुलाई, 1971 में परिवहन राजसहायता योजना के प्रारंभ होने से 31 मार्च, 98 तक, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को लगभग 361 करोड़ रुपये तक की राशि की परिवहन राजसहायता जारी की जा चुकी है। विकास केन्द्र योजना के प्रारंभ होने की तारीख से जारी की गई केन्द्रीय सहायता की कुल राशि 253.75 करोड़ रुपये है।

विवरण

वर्ष 1996 तथा 1997 में दायर किये गये औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन और जारी किए गए आशय पत्र तथा प्रस्तावित रोजगार की संख्या के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण।

राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन				आशय पत्र			
	1996		1997		1996		1997	
	दायर की गई संख्या	प्रस्तावित रोजगार संख्या	दायर की गई संख्या	प्रस्तावित रोजगार संख्या	जारी की गई संख्या	प्रस्तावित रोजगार संख्या	जारी की गई संख्या	प्रस्तावित रोजगार संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	403	50295	264	39283	50	10322	41	9152
असम	6	888	13	1880	2	150	—	—
बिहार	44	7307	29	3713	11	7762	9	3063
गुजरात	694	100780	461	48078	31	6489	23	4814
हरियाणा	326	45968	242	27926	19	5342	14	8629
हिमाचल प्रदेश	42	7431	32	4369	3	718	4	1300
जम्मू और कश्मीर	7	5358	10	1595	1	200	1	740
कर्नाटक	160	37827	138	20978	56	25826	21	10522
केरल	80	12998	33	7545	7	1167	5	3978
मध्य प्रदेश	261	41550	188	23697	13	5274	17	4542
महाराष्ट्र	736	95555	513	75756	59	31651	29	8597
मेघालय	6	512	2	167	—	—	—	—
नागालैण्ड	1	240	1	220	—	—	—	—
उड़ीसा	27	7272	36	17012	5	3934	13	4840
पंजाब	187	39488	189	35105	35	15520	19	4633
राजस्थान	233	35721	211	42643	9	1248	6	280
तमिलनाडु	530	62335	377	61872	99	21455	74	14182
त्रिपुरा	1	2	—	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	520	81698	403	51723	90	34283	35	14220
पश्चिम बंगाल	232	30157	221	21735	18	6350	7	2203
अरुणाचल प्रदेश	—	—	1	149	—	—	—	—
अण्डमान और निकोबार	4	390	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	9	810	1	290	—	—	—	—
दादरा और नगर हवेली	127	14249	271	18182	3	810	3	347
दिल्ली	3	26	7	743	2	130	—	—
गोवा	54	5616	45	3589	2	94	—	—
पाण्डिचेरी	55	5866	66	5322	6	1502	—	—
दमन और दीव	77	5676	119	8053	2	632	—	—
योग	4825	696015	3873	521625	522	180858	321	96042

[हिन्दी]

कोयले के भंडारों का पता लगाने के लिए अनुसंधान कार्य

5489. श्री शिवराज सिंह चौहान :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले के भंडारों का पता लगाने के लिए किए गए अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोयला खनन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कोई संभाव्यता संबंधी अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल और बिहार के रानीगंज कोलफील्ड्स, बिहार के ईस्ट बोकारो, साउथ करनपुरा, औरंगा और राजमहल कोलफील्ड्स, उड़ीसा के तलचर और ईब घाटी कोलफील्ड्स, मध्य प्रदेश के मांड–रायगढ़, हंसदेव अरंद, कोरबा, सोहागपुर, रामकोला–तातापानी और सिंगरौली मेन बेसिन, महाराष्ट्र के वर्धा घाटी और आंध्र प्रदेश के गोदावरी घाटी में अन्वेषण संबंधी कार्य किए गए। इससे 1997, 1996 और 1995 के दौरान क्रमशः 1580 मि. टन, 2700 मि. टन तथा 1922 मि. टन कोयले के अतिरिक्त भंडारों का पता लगा है।

(ख) भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी. एस. आई.) से क्षेत्रीय अन्वेषण संबंधी भू–गर्भीय रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. (सी. एम. पी. डी. आई. एल.) ने परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के लिए विस्तृत अन्वेषण हेतु संभावित ब्लॉकों को विनिर्दिष्ट किया है। उक्त अन्वेषण, कोयला भंडारों की पुष्टि के लिए थोड़े अंतराल पर ड्रिलिंग कार्य करके किया जाता है। सामान्यतः एक ब्लॉक में विस्तृत रूप से अन्वेषण कार्य को पूरा करने में लगभग चार से पांच वर्ष लग जाते हैं। उक्त के आधार पर निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए खनन परियोजनाओं को शुरू करने हेतु क्षेत्र की स्थानीय मांग और प्रौद्योगिकी–आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करते हुए परियोजना रिपोर्टें तैयार की जाती हैं।

(ग) से (ङ) 1995–96 से 1997–98 के दौरान सी. एम. पी. डी. आई. एल. द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्टों की संख्या निम्न है :

	1995–96	1996–97	1997–98
भा. को. को. लि.	10	7	4
से. को. लि.	4	4	5
ई. को. लि.	7	10	3
ना. को. लि.	5	2	2
सा. ई. को. लि.	7	8	4
वे. को. लि.	6	5	6
जोड़	39	36	24

99 परियोजना रिपोर्टों में से 34 रिपोर्टों की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा वे कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

[अनुवाद]

पॉलीयूरेथीन का आयात

5490. श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन :

श्री वैको :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पॉलीयूरेथीन आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पॉलीयूरेथीन के जहरीले होने की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इस जहरीली सामग्री जिससे हमारे पर्यावरण को खतरा है को आयात करने का क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार ने पॉलीयूरेथीन का आयात बन्द करने का विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, हां। मौजूदा एक्जिम नीति के अंतर्गत, पॉलीयूरेथीन मुक्त रूप से आयात योग्य है।

(ख) रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग से प्राप्त टिप्पणियों के अनुसार पॉलीयूरेथीन एक ऐसी बहुमुखी सामग्री है जिसका इस्तेमाल गद्दों, आटोसीटों, जूते के तल्लों थर्मोवेयर को बनाने में तथा रेफ्रिजरेटर में ऊष्मारोधी सामग्री के रूप में किया जाता है। इसका इस्तेमाल अनेक अन्य अनुप्रयोगों में भी किया जाता है। रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग ने यह भी बताया है कि उनके पास उपलब्ध तकनीकी जानकारी के अनुसार लचीला पॉलीयूरेथीन फोम जहरीला नहीं होता है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

नमक की कमी

5491. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आये तूफान से गुजरात में नमक बनाने का कार्य प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे देश में नमक की कमी होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो देश में आने वाली नमक की कमी से निपटने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। गुजरात में नमक उत्पादन क्षेत्र का केवल 12% भाग ही पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। अन्य 28% क्षेत्र आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है।

(ख) और (ग) चूंकि वर्ष के शुरू में नमक का पर्याप्त भंडार मौजूद था, अतः उपलब्ध नमक भंडार खाद्य तथा औद्योगिक नमक की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रचुर रहेगा।

सरकार तूफान से क्षतिग्रस्त नमक निर्माण कार्यों के लिए अनुदान तथा ऋण देकर पुनः नमक निर्माण के लिए तत्काल राहत के उपाय के रूप में वित्तीय सहायता मुहैया कर रही है। इसके अलावा, गुजरात के विकासात्मक कार्यों के लिए उपकर आय से सहायता के स्तर में बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। क्षतिग्रस्त नमक उत्पादन कार्यों के वैज्ञानिक आधार पर पुनरुद्धार के लिए नमक आयुक्त के कार्यालय द्वारा तकनीकी सहायता दी जा रही है। उपर्युक्त उपायों से प्रभावित क्षेत्रों में नमक उत्पादन कार्य चलते रहने और पर्याप्त नमक की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

डी. ई. पी. बी. स्कीम

5492. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगे हुए और छपे हुए कपड़ों/पोलिएस्टर धागे से बनी साड़ियों और मानव निर्मित मिश्रित फिलामेंट सूत/कते हुए सूत से बने कपड़ों साड़ियों के लिए हाल ही में ड्यूटी इन्टाइटिलमेंट पास बुक योजना के अन्तर्गत क्रेडिट रेट संशोधित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यातकों और उनकी एसोसिएशनों ने डी. ई. पी. बी. इन्टाइटिलमेंट के लिए वैल्यू कैप सहित संशोधित दर का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ङ) शुल्क हकदारी पास बुक योजना (डी. ई. पी. बी.) योजना एक्जिम नीति में 1.4.1997 से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत शुल्क ऋण की अनुमति निर्यातों के पोतपर्यंत निःशुल्क मूल्य की निश्चित प्रतिशतता के आधार पर दी जाती है। अब तक 1800 निर्यात की मदों से अधिक के लिए ऋण की दरों को अधिसूचित किया गया है। डी. ई. पी. बी. समिति के नाम से ज्ञात अंतर्मंत्रालयीय समिति ऐसी विभिन्न निर्विष्टि मदों, जिनका आयात किया जाता है, के सी. आई. एफ. मूल्य तथा निर्यातित मदों के एफ. ओ. बी. मूल्य से संबंधित विभिन्न व्यापार संगठनों, निर्यात संवर्द्धन परिषदों, अलग-अलग निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मदों की डी. ई. पी. बी. दरें निर्धारित करती है।

कुछ महीनों तक डी. ई. पी. बी. योजना के चलने के बाद उक्त योजना के कुछेक पहलुओं की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया था ताकि निर्यात उत्पादों के अधिक बीजक तैयार करके अधिक ऋण

की मंजूरी के विरुद्ध कुछ सुरक्षा उपाय मुहैया किए जा सकें। समीक्षा के बाद संशोधित किए गए पैरामीटरों में से एक पैरामीटर यह था कि 15% और उससे अधिक की डी. ई. पी. बी. दरों के संबंध में डी. ई. पी. बी. समिति ऐसी समुचित मूल्य सीमा निर्धारित करने की वांछनीयता की जांच करेगी जो विभिन्न निर्यात उत्पादों के लिए डी. ई. पी. बी. के हित को मंजूर करने के निमित्त अधिकतम सीमा के रूप में काम करेगी।

विरंजित और/अथवा विरंजित और छपे हुए कपड़ों/100% पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न अथवा मिश्रित मानव निर्मित फिलामैंट यार्न/स्पन यार्न से बनी साड़ियों के मामले में डी. ई. पी. बी. समिति ने 17% की दर निर्धारित की थी।

डी. ई. पी. बी. योजना के तहत विरंजित और/अथवा विरंजित तथा छपे हुए कपड़ों 100% पोलिएस्टर फिलामैंट यार्न से बनी साड़ियों के लिए ऋण की दरों को 15.4.98 से 190/–रु. प्रति कि. ग्रा. की मूल्य सीमा के साथ 17% से बढ़ाकर 19% कर दिया गया है। कपड़ों/मिश्रित मानव निर्मित फिलामैंट यार्न/स्पन यार्न से बनी साड़ियों के लिए डी. ई. पी. बी. योजना के तहत ऋण की दर को 15.4.98 से 300/– रु. प्रति कि. ग्रा. की मूल्य सीमा के साथ 17% के स्थान पर 16% कर दिया गया है।

सिंथेटिक और रेयन निर्यात संवर्द्धन परिषद् बम्बई सहित अनेक निर्यातकों ने डी. ई. पी. बी. की हकदारी के लिए मूल्य सीमा के साथ उक्त संशोधित दर का विरोध किया था। डी. ई. पी. बी. समिति द्वारा इन अभ्यावेदनों की विधिवत् जांच की गई थी और निर्यात संवर्द्धन परिषद् के प्रतिनिधि की बात सुनी गयी थी, तदनुसार विरंजित और/या विरंजित और छपे हुए कपड़ों/100% पौलिएस्टर फिलामैंट यार्न से बनी साड़ियों के लिए मूल्य सीमा 190/– रु. कि. ग्रा. से बढ़ाकर 300/– रु. कि. ग्रा. तक कर दी गयी थी।

महंगाई भत्ता

5493. श्री सी. पी. एम. गिरियप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं की कीमतों से अत्यधिक वृद्धि के कारण केन्द्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक और किश्त देय हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता वर्ष में दो बार, पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को संशोधित किया जाता है, जिसका भुगतान क्रमशः मार्च तथा सितम्बर माह के वेतन के साथ होता है। पहली जुलाई से लागू महंगाई भत्ते की दूसरी किस्त के संबंध में निर्णय सितम्बर, 1998 में इसके देय होने से पहले कर लिया जाएगा।

चर्म उद्योग

5494. श्री एन. डेनिस : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चर्म उद्योग के लिए नये बाजारों की खोज की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) चर्म उत्पादों के निर्यात के लिए आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, मध्य–पूर्व और लेटिन अमेरिका जैसे देशों की अच्छी संभाव्यता वाले नये बाजारों के रूप में पहचान की गई है। देश का निर्यात बढ़ाने के लिए चर्म निर्यात परिषद् ने विगत तीन वर्षों में इन देशों में आयोजित विभिन्न मेलों में भाग लिया। 1998–99 के दौरान इस परिषद् ने वेनेजुएला, पेरू और चिली के जरिए एक बाजार अध्ययन और बिक्रय दल भी प्रायोजित किया है।

मुद्रास्फीति की दर

5495. श्री विठ्ठल तुपे :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रास्फीति की दर सरकार द्वारा नियंत्रण उपायों के बावजूद दो अंकों का आंकड़ा पार कर चुकी है;

(ख) यदि हां, तो गत छमाही के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक और ग्राहक मूल्य सूचकांक की साप्ताहिक दर क्या रही;

(ग) मूल्य सूचकांकों में लगातार वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) मुद्रास्फीति दर बढ़ने से आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) उक्त अवधि के दौरान "प्वाइंट टू प्वाइंट" आधार पर मुद्रास्फीति की साप्ताहिक दर क्या रही ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू. पी. आई.) पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर 4 जुलाई, 1998 की स्थिति अनुसार बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो गई, लेकिन औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी. पी. आई.–आई. डब्ल्यू.) पर आधारित मुद्रास्फीति दर मई, 1998 में बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गई।

(ख) से (घ) थोक मूल्य सूचकांक जहां साप्ताहिक आधार पर उपलब्ध है, वहीं औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केवल मासिक आधार पर उपलब्ध होता है। दो सूचकांकों के जरिए मॉनीटर किए गए आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि नीचे सूचीबद्ध हैं :

	सूचकांक		प्रतिशत परिवर्तन	
1998	सी. पी. आई.	डब्ल्यू. पी. आई. (मासिक औसत)	सी. पी. आई.	डब्ल्यू. पी. आई.
जनवरी	370	361.5	6.6	8.8
फरवरी	370	356.7	6.6	6.9
मार्च	365	352.7	5.8	5.4
अप्रैल	369	356.6	6.8	7.0
मई	377	362.3	10.3	8.5
जून	उ. न.	368.0	उ. न.	9.4

उ. न. = उपलब्ध नहीं

कीमतों में वृद्धि के रुझान का मुख्य कारण सब्जियों, फलों और खाद्य तेलों जैसी कुछ मौसमी वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि होना है।

(ङ) कीमतों की वृद्धि में संतुलन लाने के लिए सरकार द्वारा अनेक नीतिगत उपाय किए जा रहे हैं। रोजकोषीय मित्तव्ययिता, मुद्रा आपूर्ति वृद्धि में रोक और उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति पक्ष का प्रबन्धन मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अमल में लाए गए मुख्य उपाय हैं। सरकार ने घरेलू उपलब्धता में बढ़ोत्तरी करने के लिए बड़ी मात्रा में आयात को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से खाद्य तेल के आयात पर शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने डी. एस. सी. एस. सी., सुपर बाजार एन. सी. सी. एफ., केन्द्रीय भंडार और मदर डेयरी की खुदरा दुकानों के माध्यम से प्याज और आलू की आपूर्ति के लिए एक स्कीम तैयार की है।

(च) थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित साप्ताहिक मुद्रास्फीति दर नीचे सूचीबद्ध है :

	थोक मूल्य सूचकांक	प्रतिशत परिवर्तन
03.01.1998	338	5.6
10.01.1998	339	6.0
17.01.1998	338	5.7
24.01.1998	338	5.7
31.01.1998	338	5.3
07.02.1998	338	5.4
14.02.1998	338	5.1
21.02.1998	337	4.7
28.02.1998	336	4.7
07.03.1998	337	4.8
14.03.1998	337	4.9
21.03.1998	337	5.2
28.03.1998	337	5.3
04.04.1998	339	5.3
11.04.1998	340	5.5
18.04.1998	341	5.9
25.04.1998	342	5.9
02.05.1998	343	6.5
09.05.1998	344	6.6
16.05.1998	343	6.4
23.05.1998	344	6.5
30.05.1998	344	6.7
06.06.1998	344	6.5
13.06.1998	345	6.7
20.06.1998	346	6.9
27.06.1998	348	7.4
04.07.1998	349	7.6

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा सलाहकारों की नियुक्ति

5496. श्री वैद्य विष्णु दत्त : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा जिन विधि सलाहकारों की सेवाएं ली जा रही हैं उनके नाम क्या हैं तथा उनकी सेवाएं किस तारीख से ली जा रही हैं, और उनमें से प्रत्येक सलाहकार को कितनी शुल्क राशि का भुगतान किया गया;

(ख) इनमें से प्रत्येक सलाहकार को यदि कोई अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हों तो उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या किसी सलाहकार अथवा किसी अन्य व्यक्ति को आई. टी. डी. सी. के होटलों/होटलों में निःशुल्क ठहरने की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक सलाहकार/व्यक्ति का नाम क्या है और प्रत्येक मामले में कितनी अनुमानित राशि खर्च हुई ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम, कानूनी मामलों की आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर वकीलों को अनुबंधित करता है। वकीलों के नामों और गत दो वर्षों के दौरान उन्हें दी गई फीस को दर्शाने वाला एक विवरण-संलग्न है। वकीलों को, व्यावसायिक फीस और विविध खर्चों के अतिरिक्त किसी अन्य तरह की कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।

(ग) और (घ) गत दो वर्षों के दौरान श्री अजय कपूर नामक वकील को होटल आगरा अशोक में मुफ्त ठहरने की अनुमति दी गई थी क्योंकि उन्हें एकक के प्रबंधन के साथ कानूनी मसलों पर विचार-विमर्श करना था। श्री अजय कपूर के मुफ्त ठहरने पर आया कुल खर्च 6275/- रु. था।

विवरण

क्रम सं.	वकील का नाम	दी गई राशि (रुपयों में) (1996-97)	(1997-98)
1	2	3	4
	होटल अशोक, नई दिल्ली		
1.	कमलजीत सिंह	29,474/-	22,450/-
2.	एम. डी. मरवाह	6,168/-	3,518/-
3.	जी. पी. उपमन	-	6,300/-
4.	वंदना तनेजा	11,400/-	3,615/-
5.	अजय कपूर	16,700/-	8,400/-
6.	विनोद कुमार	-	1,815/-
	होटल कनिष्क, नई दिल्ली		
1.	आर. पी. शर्मा	8,585/-	-
2.	के. पी. गुप्ता	10,440/-	-
3.	अतुल कुमार	748/-	-
4.	कमलजीत सिंह	9,655/-	19,300/-
5.	एम. डी. मरवाह	6,445/-	3,849/-
6.	अजय कपूर	8,400/-	-
7.	आर. के. अरोड़ा	-	5,500/-
8.	वाई. अग्रवाल एण्ड कम्पनी	-	4,500/-
9.	डी. पी. शर्मा	32,950/-	3,200/-
	होटल सम्राट, नई दिल्ली		
1.	के. पी. गुप्ता	13,700/-	2,640/-
2.	आर. पी. शर्मा	950/-	-
3.	कमलजीत सिंह	810/-	1,485/-
4.	एम. डी. मरवाह	-	17,552/-
5.	एन. के. मिश्रा	-	3,500/-
6.	डी. पी. शर्मा	-	30,800/-
	अशोक एयरपोर्ट रेस्तरां, आई. जी. आई., नई दिल्ली		
1.	श्री कैलाश शर्मा	2,380/-	-
2.	श्री अजय कपूर	-	8,600/-
	होटल रणजीत, नई दिल्ली		
1.	श्री जी. पी. उपमन	-	6,000/-
2.	श्री अजय कपूर	16,600/-	2,400/-
3.	श्री ए. के. सिंगला	-	31,583/-
4.	श्रीमती वंदना तनेजा	-	9,036/-
5.	श्री आर. पी. शर्मा	16,595/-	-
6.	श्री के. पी. गुप्ता	-	3,840/-

1	2	3	4
7.	श्री कमलजीत सिंह	3,615/–	1,805/–
	होटल जनपथ, नई दिल्ली		
1.	श्री कैलाश शर्मा	1,380/–	2,480/–
2	श्री सतपाल सिंह	2,500/–	–
3.	श्री के. पी. गुप्ता	550/–	–
4.	श्री आर. पी. शर्मा	24,750/–	–
5.	श्री आर. एस. दलाल	550/–	–
6.	श्री पी. के. भसीन	3,200/–	–
7.	श्री कमलजीत सिंह	–	11,250/–
8.	श्री अजय कपूर	–	45,000/–
9.	श्री करंजावाला एण्ड कम्पनी	–	22,118/–
10.	श्री एम. डी. मरवाह	–	748/–
11.	श्री टी. अन्धार्जुन	–	44,000/–
12.	डॉ. ए. एम. सिंघवी	–	44,000/–
	लोधी होटल, नई दिल्ली		
1.	भसीन एण्ड कम्पनी	39,600/–	15,180/–
2.	श्री के. पी. गुप्ता	–	9,600/–
	कुतुब होटल, नई दिल्ली		
1.	श्री कमलजीत सिंह	5,130/–	1,025/–
2.	श्री आर. पी. शर्मा	–	39,590/–
3.	श्री ए. के. रैना	3,850/–	–
4.	श्री अवध बिहारी	16,500/–	–
5.	श्री के. पी. गुप्ता	–	8,700/–
6.	श्री जी. पी. उपमन	–	2,000/–
7.	श्री अजय कपूर	–	8,400/–
8.	श्री ए. के. सिंघला	–	8,334/–
9.	श्री डी. पी. शर्मा	–	4,850/–
	भारत पर्यटन विकास निगम मुख्यालय		
1.	श्री अजय कपूर	2,48,000/–	2,04,500/–
2.	श्री के. पी. गुप्ता	11,470/–	12,320/–
3.	श्री पी. पी. शर्मा	62,000/–	60,000/–
4.	श्री एस. एन. भण्डारी	1,225/–	–
5.	डॉ. ए. एम. सिंघवी	98,450/–	2,80,500/–
6.	श्री मदन गेरा	4,150/–	3,250/–
7.	श्री एम. डी. करवाह	3,580/–	
8.	श्री राजीव आत्मा राम	38,000/–	
9.	श्री नरेश कुमार	2,300/–	
10.	जे. बी. दादाचांजी एण्ड कंपनी	1,37,500/–	
11.	श्री एस. पी. गुप्ता	–	5,200/–
12.	श्रीमती वंदना लेखी	–	2,700/–
13.	श्री नामवार सिंह	–	5,500/–
14.	श्री कैलाश शर्मा	–	2,480/–
	अशोक ट्रेवल्स एण्ड टुअर्स, उत्तर, नई दिल्ली		
1.	श्रीमती अंजना गोसाई	–	42,300/–
	होटल जयपुर अशोक, जयपुर		
1.	श्री वीनेन्द्र अग्रवाल	10,700/–	16,200/–
2.	श्री एन. सी. जैन	6,850/–	–
	होटल ललित महल पैलेस, मैसूर		
1.	श्री ए. एस. नटराज	10,650/–	–
2.	श्री जे. पुरुषोत्तम	750/–	3,400/–
3.	श्री एस. सुब्बाकृष्णा	3,000/–	2,500/–
4.	श्री के. कस्तुरी	–	12,000/–
	होटल खजुराहो, अशोक, खजुराहो		
1.	श्री सी. के. मोदी	1,520/–	1,500/–
	होटल जम्मू अशोक, जम्मू		
1.	श्री सुभाष चन्दर	1,300/–	–
2.	श्री सुभाष भट्ट	–	2,500/–

1	2	3	4
3.	श्री नरेश कुमार	–	7,250/–
	होटल एअरपोर्ट अशोक, कलकत्ता		
1.	*श्री एस. के. दास*	*1530/–*	*14,520/–*
2.	श्री मृदुल वर्दन	3,300/–	12,957/–
3.	श्री एम. एन. साहा	1,500/–	1,750/–
4.	श्री अरूणव घोष	12,529/–	11,781/–
5.	श्री रामेश्वर भट्टाचार्जी	8,500/–	5,000/–
6.	श्री ए. के. शॉ	1,496/–	–
7.	श्री एस. के. मुखर्जी	1,990/–	850/–
8.	श्री डी. पी. शर्मा	4,000/–	–
9.	श्री अरविन्दो गांगुली	–	2,000/–
10.	श्री ए. के. साहा	–	661/–
11.	श्री मुकेश कुमार	–	1,500/–
	भरतपुर वन गृह, भरतपुर		
1.	श्री विज्जी अग्रवाल	4,500/–	–
	होटल बोधगया अशोक, बोधगया		
1.	श्री रुद्रादेस	700/–	–
2.	श्री ओम प्रकाश	–	1,000/–
3.	श्री उमा शंकर	–	3,000/–
	होटल कलिंगा अशोक, भुवनेश्वर		
1.	श्री ए. के. दास	5,050/–	–
2.	श्री एन. के. मिश्रा	–	35,050/–
3.	श्री ए. के. राठा	–	4,000/–
4.	श्री डी. पी. शर्मा	–	3,250/–
	आर. ओ. (पश्चिम) मुम्बई		
1.	श्री एस. एन. देसाई	–	27,000/–
	होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी		
1.	श्री एस. के. त्रिपाठी	5,737/–	10,550/–
2.	श्री यू. एस. गुप्ता	3,200/–	–

1	2	3	4
3.	श्री कमला प्रसाद सिंह	5,795/–	3,055/–
4.	श्री शमशेर बहादुर सिंह	500/–	–
5.	*श्री एस. पी. श्रीवास्तव*	*625/–*	*3,447/–*
	कोवलम अशोक बीच रिजार्ट, कोवलम		
1.	श्री रघुनाथ	8,100/–	22,295/–
2.	श्री कृष्णाकुट्टी	41,400/–	43,207/–
3.	मेनन एण्ड मेनन	7,500/–	41,690/–
4.	श्री सुरेश चंद्रन	3,000/–	–
5.	श्री पी. बालाकृष्णन	1,500/–	–
6.	श्री राजिन्द्रन	2,200/–	–
7.	श्री अजिथ	2,050/–	11,000/–
8.	श्री सुरेश कुमार	–	2,200/–
	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर		
1.	श्री बी. के. परिहार	5,000/–	27,500/–
2.	श्री महावीर सिंह आडा	15,000/–	10,500/–
3.	श्री मदन पुरडिया	3,000/–	–
4.	श्री वाई. के. कपूर	–	10,010/–
	होटल मदुरै अशोक, मदुरै		
1.	पी. चन्द्रा बोस	2,600/–	–
2.	एम. आर. राघवन	–	9,000/–
	आर. ओ. (एस.) चेन्नई		
1.	सी फ्रांसो लुइस	22,000/–	3,500/–
2.	के. कुमार	9,000/–	–
	होटल अशोक बंगलौर, बंगलौर		
1.	के. कस्तुरी	55,500/–	22,750/–
2.	के. सी. सुब्रमणियम	15,950/–	41,674/–
3.	बी. एस. सत्यनारायण	24,500/–	3,000/–
4.	चार्या एसोसिएट्स	500/–	–
5.	मै. ए इदिनाब्बा	–	1,200/–

1	2	3	4
	होटल मनाली अशोक, मनाली		
1.	एम. एल. साम्बर	5,000/–	23,000/–
2.	आर सूद	–	50,900/–
	होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद		
1.	जी. एन. सिरसत	–	6,850/–
2.	एस. सी. डोंगरा	1,000/–	–
3.	एच. एम. करवा	–	350/–
	होटल पाट्लिपुत्र अशोक, पटना		
1.	आर. पी. सिन्हा	4,994/–	4,500/–
2.	सी. एस. पी. सिन्हा	5,250/–	–
3.	प्रदीप कुमार	–	9,535/–
4.	दिलीप कुमार	–	3,850/–
5.	शिवाजी पांडे	–	3,600/–
6.	जयकृष्ण प्रसाद	–	13,700/–
7.	कल्याण राय	–	5,200/–
	टेम्पल वे अशोक बीच रिजार्ट, महाबलिपुरम		
1.	किंग एण्ड पोर्टिगेर	5,400/–	
2.	के. वी. कृष्णामाचारी	1,000/–	–
	आर. ओ. (पूर्व) कलकत्ता		
1.	एम. एम. साहा	–	750/–
2.	ए. घोष	–	2829/–
	ए. टी. टी., कलकत्ता		
1.	एस. मुखर्जी	3,570/–	–
2.	टी. मुखर्जी	1,020/–	–
3.	एम. एम. साहा	–	570/–
4.	एस. चक्रवर्ती	–	540/–
	डी. एफ. एस., कलकत्ता		
1.	ए. घोष	–	2,520/–
	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली		
1.	आर. वी. एसोसिएट्स	24,040/–	13,300/–
2.	बी. सी. दास गुप्ता एण्ड कंपनी	1,938/–	–
3.	के. पी. गुप्ता	11,580/–	5,990/–
4.	आर. पी. शर्मा	1,050/–	32,100/–
5.	डी. पी. शर्मा	1,000/–	15,850/–
6.	कमलजीत सिंह	4,370/–	–
7.	चन्दन बी आर्यान	–	1,500/–
8.	अजय कपूर	–	17,300/–
9.	कैलाश शर्मा	–	4,860/–
	होटल आगरा अशोक, आगरा		
1.	पी. के. शर्मा	–	2,990/–
2.	के. पी. गुप्ता	–	2,640/–
3.	मनोज कुमार रस्तोगी	–	1,250/–

[हिन्दी]

दुर्गावती कोयला खान परियोजना

5497. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पलामू जिले में सेंट्रल कोलफील्ड लि. के राजहरा कोयला खान के समीप दुर्गावती कोयला खान परियोजना केन्द्र सरकार की मंजूरी हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित दुर्गावती परियोजना में कोयले का कितना भूमिगत भंडार है तथा इस परियोजना में कितने क्षेत्र को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत आने वाली भूमि का अधिग्रहण कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त परियोजना को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बचत योजना

5498. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997–98 के दौरान केरल से राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत कितनी राशि एकत्र की गई;

(ख) राज्य में कुल कितने एजेंट कार्य कर रहे हैं और उक्त अवधि के दौरान कमीशन के रूप में उन्हें कितनी राशि संवितरित की गई;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एजेंटों को कमीशन के संवितरण में असाधारण विलम्ब किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का एजेंटों को एक समय में 50,000 रुपए के बजाय 2 लाख रुपए तक की प्राप्तियां लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार जमाएं आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत नई योजनाएं शुरू करने का विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) वर्ष 1997–98 के दौरान मार्च, 1998 तक डाक विभाग द्वारा सूचित किए गए प्रारंभिक लेखों के अनुसार केरल से विभिन्न लघु बचत योजनाओं (डाकघरों में सार्वजनिक भविष्य निधि सहित) के माध्यम से एकत्रित राशि 1,141.82 करोड़ रुपए है।

(ख) राज्य में कार्य कर रहे अभिकर्ताओं की कुल संख्या 12446 है तथा उक्त अवधि के दौरान उनको कमीशन के रूप में संवितरित राशि 18.91 करोड़ रुपए है।

(ग) जी, नहीं। अत्यधिक विलम्ब नहीं होता है। अभिकर्ताओं से काफी संख्या में दावे इकट्ठे होने के कारण अभिकर्ताओं को कमीशन दावों के निपटान में कभी–कभी विलम्ब होता है।

(घ) अभिकर्ताओं को कमीशन के भुगतान की प्रणाली को युक्तियुक्त बनाने सहित लघु बचत योजनाओं से जुड़े कतिपय मुद्दों की जांच के लिए वित्त मंत्री द्वारा एक समिति गठित की गई है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) ऊपर उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित समिति इस मुद्दे पर भी विचार कर रही है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

कृषि उत्पादों पर निर्यात ऋण गारंटी

5499. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कृषि उत्पादों पर निर्यात ऋण गारंटी देनी बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश के लिए नाबार्ड के ऋण

5500. श्री एस. सुधाकर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नाबार्ड से कीटों, सूखा आदि से पीड़ित किसानों को राहत देने के लिए सहकारी समितियों के सहायतार्थ ए. पी. सी. ओ. बी. को ब्याज-मुक्त 75 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और नाबार्ड ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है;

(ग) क्या नाबार्ड और वाणिज्यिक बैंकों का विचार सूखा आदि से प्रभावित छोटे और सीमान्त किसानों को ऋण चुकाने की अवधि बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (ए. पी. सी. ओ. बी.) ने नुकसानदायक कीट, सूखे आदि से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सहायता प्राप्त करने का अनुरोध किया था जिसमें आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को वेतन समेत उनके प्रशासनिक खर्चों को

निपटाने के लिए दी जाने वाली 75 करोड़ रुपये की ब्याज रहित ऋण राशि शामिल थी। इन अनुरोधों के सम्बन्ध में नाबार्ड ने प्रभावित किसानों के अल्पावधि कृषि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदलने के लिए 14 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डी. सी.. सी. बी.) की ओर से 162 करोड़ रुपये की ऋण सीमा मंजूर की थी। इसके अलावा नाबार्ड ने अपनी नीति और परिचालनात्मक मानदण्डों में कई विशेष रियायतें दी हैं। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

(i) आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंकों द्वारा मध्यावधि में परिवर्तित किए गए (एम. टी. सी.) और 2 वर्षों की अवधि के लिए पुनः निर्धारित किंए गए, दीर्घावधि ऋणों पर देय ब्याज की तारीख को आगे बढ़ाना;

(ii) 3 वर्षों के चुकौती सम्बन्धी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की सामान्य नीति के विपरीत एम. टी. सी. (पुनर्निर्धारण समेत) के लिए 2 वर्षों के अधिस्थगन समेत वापसी अदायगी की अवधि को 7 वर्ष निर्धारित करना;

(iii) सहकारी बैंकों के लिए पर्याप्त अल्पावधि ऋण सीमा मंजूर करना ताकि वे किसानों को नए ऋण प्रदान कर सकें;

(iv) आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंकों को, अनतिदेय रक्षा राशि में कमी के बावजूद इसके संसाधनों को पुनः पूर्ति के योग्य बनाने के लिए बैंकों के नए ऋण संवितरणों में से अल्पावधि ऋण सीमा पर आहरण की अनुमति देना;

(v) वर्तमान ऋण की 50 प्रतिशत तक आहरण की सीमा के मानदण्ड को शिथिल करना ताकि सहकारी बैंक नाबार्ड से और अधिक रियायती पुनर्वित्त प्राप्त कर सके।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रभावित किसानों के ऋण के सम्बन्ध में मूलधन और ब्याज की वसूली पर दो वर्ष के लिए अधिस्थगन दें और इन दो वर्षों के दौरान न एकत्रित की जाने वाली राशि को 2 वर्षों के प्रारम्भिक अधिस्थगन अवधि के अलावा कुल 7 वर्षों की अवधि के लिए पुनः निर्धारित करें। इसके अलावा, नाबार्ड ने राज्य सरकार के शेयर को 15 प्रतिशत के सामान्य स्तर से 5 प्रतिशत तक परिवर्तित करने और नाबार्ड की 60 प्रतिशत की सामान्य स्तर की पूंजी को 70 प्रतिशत तक बढ़ाने की सहमति भी व्यक्त की है।

निर्यात में सुधार हेतु योजनाएं

5501. डॉ. रवि मल्लू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में निर्यातकों को दिए गए प्रोत्साहनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्यात में वृद्धि करने हेतु सरकार के पास कोई नई योजना आरंभ करने का कोई प्रस्ताव लम्बित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) सरकारी मान्यता प्राप्त निर्यात घराने एफ. ओ. बी./एन. एफ. ई. आधार पर अपने निर्यात के प्रतिशत के रूप में मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय विशेष आयात लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार हैं। ऐसे घराने शुल्क छूट योजना के तहत शुल्क मुक्त आयात करते समय बैंक गारंटी के स्थान पर एल. यू. टी. सुविधा का लाभ प्राप्त करने के भी हकदार हैं। इन निर्यात घरानों को कुछ बाजार विकास सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) सरकार के पास कोई नई योजना शुरू करने हेतु कोई विशेष प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, व्यापार और उद्योग जगत से निर्यात बढ़ाने के लिए नियमित आधार पर कई प्रस्ताव/सुझाव मिलते रहते हैं। इन सभी सभी सुझावों पर विचार किया जाता है और उचित परामर्श के पश्चात् उन पर समुचित निर्णय लिए जाते हैं।

बैंकों में कामगार/कर्मचारी/निदेशक

5502. श्री मोइनुल हसन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न बैंकों में कामगारों/कर्मचारियों/निदेशकों के रिक्त पदों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने हेतु कामगारों/कर्मचारियों/निदेशकों की नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) 5 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कर्मकार कर्मचारी निदेशकों के पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई पहले ही की जा रही है।

रुपये की विनिमय दर

5503. श्री अजीत जोगी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियन विकास बैंक ने वर्ष 1997–98 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में रुपए की विनिमय दर में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) वर्ष 1997 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एशियाई विकास बैंक (ए. डी. बी.) ने निम्नलिखित उल्लेख किया है :

"आर्थिक विकास, विशेष रूप से औद्योगिक विकास में तेजी

लाने से प्रयासों के अतिरिक्त, वर्ष 1997 में आर्थिक प्रबन्ध में विनिमय दर से सम्बद्ध चिन्ताओं पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित रहा और कमोवेश वर्ष के उत्तरार्ध में एशियाई वित्तीय संकट के प्रभाव को सीमित करने का प्रयास किया गया। मौद्रिक नीति को उधार पर खरीद को प्रोत्साहन देने तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उसे पुनः अप्रैल और अक्तूबर, 1997 में उदार बनाया गया। तथापि, नवम्बर में सेंट्रल बैंक ने रुपए पर दबाव को कम करने के प्रयास में मौद्रिक नीति को कठोर बनाया। विनिमय दर को छोड़कर, अर्थव्यवस्था पर संकट के प्रतिकूल प्रभाव को, सीमित किया गया है। इण्डोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, फिलिपींस तथा थाइलैंड में हुए भारी अवमूल्यन को देखते हुए और विदेशी प्रतिस्पर्द्धा को बनाए रखने के लिए रुपए की विनिमय दर में कुछ सुधार किए जाने की आवश्यकता सम्भावित है।"

(ग) भारत में विनिमय दर का निर्धारण बाजार पर आधारित है। भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा की खरीद तथा बिक्री करता है तथा विनिमय दर पर संदिग्ध दबावों का मुकाबला करने तथा सुव्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजार दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए जब कभी आवश्यक हो, उपयुक्त मौद्रिक नीति सम्बन्धी उपायों को प्रारम्भ किया जाता है।

मणिपुर के पर्यटक केन्द्र

5504. कुमारी किम गंगटे : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मणिपुर में पर्यटक महत्त्व के क्षेत्रों में पर्यटक सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए कोई योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार मणिपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां पर लागू प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट प्रणाली को हटाने पर विचार कर रही है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्तर-पूर्व के लिए गठित कार्य बल ने मणिपुर में पर्यटन आधारिक संरचना के विकास के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक स्थल चिन्हित किए हैं। तदनुसार राज्य में पर्यटक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वर्ष 97-98 के दौरान 186.11 लाख रुपए की राशि की चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है।

(ग) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में मणिपुर राज्य में पर्यटकों के लिए कई क्षेत्र खोल दिए हैं।

विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क

5505. श्री सी. पी. राधाकृष्णन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान पवन ऊर्जा क्षेत्र में सीमा शुल्क के जरिए कितने राजस्व की वसूली की गई; और

(ख) वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान नई/नए शुरू किए गए विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क सहित सीमा शुल्क के जरिए कितना राजस्व एकत्र होने का अनुमान है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) आयात संबंधी आंकड़े क्षेत्र-वार आधार पर नहीं रखे जाते हैं और इसलिए अपेक्षित सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। तथापि, सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों का बंद होना

5506. श्री सदाशिव राव दादोवा मंडलिक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को बंद करने संबंधी आदेश दिए गए; और

(ख) कितनी कम्पनियों ने इस आदेश के विरुद्ध न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में 378 रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की गत पांच वर्षों (1.4.1993 से 31.3.1998) के दौरान उसने रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 (सिका) की धारा 20(1) के अंतर्गत समापन के लिए संबंधित उच्च न्यायालय को सिफारिश की है। तथापि, इन 378 रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के नामों को भेजने में लगा समय और श्रम प्राप्त किए जाने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(ख) सिका की धारा 20(1) के अधीन बाइफर को यह शक्ति दी गई है कि वह अनर्थक्षम रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के समापन के लिए सिफारिश करे। समापन के लिए सिफारिशों को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित उच्च न्यायालय को भेजा जाता है। जब तक कि उच्च न्यायालय मामलों को वापस न कर दे, ऐसे मामलों को डील करने के लिए बाइफर के पास और अधिकार क्षेत्र नहीं है। बाइफर ने सूचित किया है कि न्यायालयों में कंपनियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं के संबंध में अलग से आंकड़े बाइफर के द्वारा नहीं रखे जा रहे हैं।

[अनुवाद]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति

5507. श्री वीरेन्द्र वर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग संबंधी कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों पर कौन–कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम बनाये गये थे;

(ग) क्या यह आयोग उद्यमियों को सीधे धन दे रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या महिला उद्यमियों को ऋण देने के लिए भी आयोग द्वारा कोई प्रावधान किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) जी, हां।

(ख) उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों के अनुसार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 2 मिलियन अतिरिक्त रोजगारों का सृजन करने के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के रूप में ज्ञात एक कार्यक्रम बनाया था। इसने, कार्यक्रम के भाग के रूप में, जीव्यक्षम ग्रामोद्योग परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए सीमान्त धन योजना नाम से एक योजना भी शुरू की थी।

(ग) जी, हां। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ग्रामोद्योग परियोजनाओं के लिए वैयक्तिक और संस्थागत उद्यमियों को अपनी सीमान्त धन योजना के माध्यम से निधियां प्रदान करता है।

(घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अंतर्गत, इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित उद्योग–वार परियोजनाओं का 30.6.98 तक का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया था।

(ङ) महिला उद्यमियों के लिए निधियों का अलग से कोई निर्धारण नहीं किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग महिला उद्यमियों और महिला संस्थाओं के मामले में 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीमांत धन प्रदान करता है।

(च) उपर्युक्त (ङ) में दिये गये उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

30.6.98 की स्थितिनुसार परियोजनाओं और स्वीकृत और संवितरित

(राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	उद्योग का नाम	*स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या*			*स्वीकृत राशि*			*संवितरित राशि*		
		संस्था–गत	वैय–क्तिक	जोड़	संस्था–गत	वैय–क्तिक	जोड़	संस्था–गत	वैय–क्तिक	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ग्रामीण इंजी.	7	6	13	44.105	30.908	75.013	11.204	7.137	18.341
2.	पी॰ सी॰ पी॰ आई॰	33	13	46	316.82	89.82	406.64	108.89	16.81	125.70
3.	चूना	5	4	9	38.73	30.18	68.91	18.118	-	18.118
4.	रेशा	—	1	1	—	2.07	2.07	—	1.50	1.50
5.	पामगुड	—	1	1	—	3.56	3.56	—	2.195	2.195
6.	एफ॰ वी॰ पी॰ आई॰	6	5	11	79.06	24.42	103.48	29.59	10.764	40.354
7.	जी॰ एण्ड के॰	1	12	13	5.50	7.89	13.39	—	—	—
8.	चमड़ा	22	4	26	11.42	5.651	17.071	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	प्लास्टिक	2	3	5	27.15	24.439	51.589	—	73.84	73.84
10.	मधुमक्खी पालन	—	3	3	3.55	10.99	14.54	—	2.73	2.73
11.	सी. एम. आई.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	एन. एस. आई.	6	2	8	36.415	4.52	40.935	13.317	—	13.317
13.	भाण्ड कर्म	9	10	19	56.64	49.50	106.14	5.681	6.473	12.154
14.	एच. एम. पी. आई.	7	6	13	121.10	28.90	150.00	46.64	23.05	69.69
15.	वी. ओ. आई.	7	9	16	52.50	40.86	93.36	—	3.744	3.744
16.	इलैक्ट्रानिक्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	एम. पी. आई.	6	1	7	52.11	6.12	58.23	12.31	—	12.31
18.	एफ. बी. आई.	—	—	—	13.50	—	13.50	—	—	—
	योग	97	80	177	857.60	359.828	1218.428	245.75	148.23	393.993

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सुरक्षा

5508. श्री पी.आर.किन्डिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर हुए व्यापक हमलों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार ने राज्यों को सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सतर्क कर दिया है;

(ख) क्या सरकार इन हमलों को कुछ विकसित देशों द्वारा भारत पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के विरुद्ध स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा प्रकट किया गया प्रतिशोध मानती है;

(ग) यदि हां, तो वे प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन–सी हैं जिन्हें खतरे की आशंका है और क्या उनमें से किसी ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध उक्त हमले जारी रहने की स्थिति में देश छोड़कर चले जाने की धमकी भी दी है; और

(घ) यदि हां, तो उन संभाव्य विदेशी निवेशकों को पुनः आकृष्ट करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है जिनका हाल में मूडी द्वारा किए गए स्तर–निर्धारण के कारण मोहभंग हो गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कम राख वाले कोयले का उपयोग

5509. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कम राख वाले कोयले के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कोयले की उपलब्धता के स्रोत क्या हैं;

(ग) क्या कम राख वाले कोयले का वातावरण पर वही प्रभाव पड़ता है जो अम्लीय वर्षा का पड़ता है;

(घ) क्या देश में अधिक ऊष्मा और कम राख वाले कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) देश में कम राख वाले कोयले के किए जा रहे विभिन्न उपयोगों का ब्यौरा निम्न है :

(i) ब्लॉस्ट फर्नेस में कोयले के अंतःक्षेपण

(ii) लौह अयस्क के प्रगलन में कमी करने

(iii) कोक को बनाने में कम राख एम. ई. टी.

(iv) कार्बन आर्टिफैक्ट्स

(v) मिश्रण में

(vi) हाइड्रो उत्पादन

(vii) दहन

(ख) देश में कम राख वाले कोयले की उपलब्धता के विभिन्न स्रोत निम्न हैं :

(i) रानीगंज क्षेत्र (सामला–जामबाद)

(ii) साउथ करनपुरा (हुटार/डाल्टनगंज)

(iii) गिरीडीह

(iv) चिरीमिरी

(v) विश्रामपुर

(vi) मुकुम, डिल्ली, जॉयपोर (असम)

(vii) कालाकोट, जंगलगाली (जम्मू और कश्मीर)।

(ग) अम्लीय वर्षा से संबंधित घटना दहन के दौरान सल्फर डायआक्साइड के उत्पादन से संबंधित है जो पुनः कोयले में विद्यमान गंधक के स्तर से संबंधित है। यह राख की प्रतिशतता से संबंधित नहीं है। यद्यपि असम के कम राख वाले कोयले में गंधक की मात्रा अधिक होती है, किन्तु इनका उपयोग विद्युत उत्पादन में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) कोल इंडिया लि. के अनुसार कम राख वाले भारतीय कोयले का उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केवल इस्पात संयंत्र कोयला मिश्रण के संबंध में "सेल" ने कोक के निर्माण हेतु कोयले के 5 प्रतिशत तक के मिश्रण के स्तर तक के कम राख वाले असम के कोयले के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स को बजटीय सहायता

5510. श्री एम. मास्टर मथान : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स को उसके कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए पुनरुद्धार पैकेज को अंतिम रूप देने तक कंपनी के वित्तीय संकट को देखते हुए कोई बजटीय सहायता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) और (ख) सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स को निम्नलिखित बजटीय क्षमता उपलब्ध कराई है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	योजना	गैर–योजना वी. आर. एस.
93–94	–	12.00 4.25
94–95	40.54	– 5.00
95–96	35.00	– 2.00
96–97	6.16	29.50 1.50
97–98	2.50	– 3.35

बैंक कर्मचारियों के वेतन में संशोधन

5511. श्री देवेन्द्र बहादुर राय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक कर्मचारियों के वेतन में सितम्बर, 1997 में ही संशोधन होना था किन्तु बैंक कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उनके वेतन में संशोधन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का बैंक कर्मचारियों के वेतन में कब तक संशोधन करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) बैंकिंग उद्योग में 1.11.92 से 31.10.97 की अवधि के दौरान वेतन संशोधन के संबंध में छः द्विपक्षीय समझौते हुए। पश्चातवर्ती वेतन संशोधन के लिए भारतीय बैंक संघ और बैंक कर्मचारियों के यूनियनों/संघों के बीच विचार–विमर्श के कुछ दौर हुए हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम के गैर-योजना खर्च में वृद्धि

5512. श्री चेंगारा सुरेन्द्रन : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम की इकाइयों/मंडलों में मनोरंजन खर्च, विदेशी यात्रा, पेट्रोल की खपत, टेलीफोन, अधिकारियों के फ्लैटों का बार–बार और परिहार्य नवीकरण, स्टाफ कारों, समयोपरि भत्ते और सवारी भत्ते के कारण गैर–योजना खर्च में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस गैर–योजना खर्च को कम करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में गैर–योजना व्यय की (प्रचालन व्यय) तुलना में कारोबार के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	1995–96	1996–97	1997–98
कुल गैर–योजना व्यय	226.40	236.50	255.13
कारोबार	298.05	315.90	310.21
कारोबार की तुलना में गैर–योजना व्यय की प्रतिशतता	75.95	74.86	82.24

वर्ष 1997–98 के दौरान गैर–योजना व्यय की प्रतिशतता में वृद्धि के मुख्य कारण, अर्थव्यवस्था में मंदी होने के कारण व्यावसायिक कारोबार में कमी, व्यावसायिक यात्रियों के आगमन में कमी, दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों में मुद्रा–संकट और निवेशों की लागत में सामान्य वृद्धि है। इसके अतिरिक्त पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के कारण वेतनों में संशोधन, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी अंशदानों में वृद्धि के कारण गैर–योजना व्यय में वृद्धि हुई है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा गैर–योजना व्यय को नियंत्रित करने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों में नियमित मानीटरिंग/बजटगत नियंत्रण द्वारा समीक्षा, प्रबंध सूचना व्यवस्था, विभिन्न प्रचालन क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का अवलोकन और क्रिया–कलापों को कम्प्यूटरीकृत करना शामिल है।

ओरियंटल इंश्योरेंस कारपोरेशन द्वारा कम्प्यूटरों की खरीद

5513. श्री ए. सी. जोस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओरियंटल इंश्योरेंस कारपोरेशन आप इंडिया, नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने वरिष्ठ अधिकारियों की सांठ–गांठ से पिछले तीन वर्षों के दौरान खुले बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर कम्प्यूटरों की खरीद की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस पर कितना खर्च आया और खरीद के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि उनके नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई कम्प्यूटर नहीं खरीदा है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

हस्तशिल्प विपणन और सेवा विस्तार केन्द्र

5514. श्री के. पी. नायडू : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुर्शिदाबाद, नाडिया, मिदनापुर, 24 परगना, उत्तर एवं दक्षिण पुरुलिया जिलों के शिल्पकारों को बुर्दवान स्थित हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्रों तक जाने के लिए कलकत्ता से होकर जाना पड़ता है, जिससे एक दिन की अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है और परिणामतः आय में हानि होती है; और

(ख) यदि हां, तो शिल्पकारों को इतनी लम्बी यात्रा से बचाने के लिए प्रस्तावित उपाय क्या हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) देश में 47 हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र हैं। परिणामतः कुछ शिल्पकारों, जिनमें पश्चिम बंगाल के शिल्पकार भी शामिल हैं, को इन केन्द्रों में पहुंचने में अधिक समय लगता है। पश्चिम बंगाल के मामले में वे शिल्पकार जिनको कलकत्ता नजदीक पड़ता है, वे विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र की सेवाएं ले सकते हैं। देश में कुछ और हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्रों को खोलने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा दौरों के दौरान शिल्पियों से भी सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मिलों की जमीन को बेचने की अनुमति

5515. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीमार कपड़ा मिलों की जमीन को इस शर्त पर बेचने की अनुमति प्रदान कर दी है कि इससे प्राप्त धनराशि को मिलों के पुनरुद्धार पर खर्च किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कौन–कौन सी बीमार कपड़ा मिलों को ऐसी अनुमति दे दी गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस कारण से मुम्बई में कई जगहों पर झड़पें हो चुकी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) वर्ष 1995 में सरकार द्वारा एन. टी. सी. मिलों के लिए अनुमोदित संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति के अनुसार 2005.72 करोड़ रु. के निवेश से आधुनिकीकरण के लिए 79 मिलों को लेने का प्रस्ताव था। जिसके वित्त की व्यवस्था एन. टी. सी. की अधिकांशतः मुंबई में स्थित मिलों के पास उपलब्ध वेशी भूमि तथा अन्य परिसम्पत्तियों को बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि से की जानी थी।

तथापि, बेशी भूमि को बेचने के लिए महाराष्ट्र सरकार से

अनुमति प्राप्त न होने के कारण इस नीति को क्रियान्वित नहीं किया गया। नीति को क्रियान्वित न कर पाने का अन्य कारण एन. टी. सी. के 8 सहायक निगमों के मामलों को बी. आई. एफ. आर. को भेजा जाना था।

(ग) सरकार को एन. टी. सी. मिलों के संबंध में मुंबई में ऐसी किसी झड़प की जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान

5516. श्री गिरिधर गमांग : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों ने राज्य की अनुसूचित जनजातियों के विकास और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और शेष क्षेत्र के प्रशासन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है और उसे अनुच्छेद 275 के प्रथम परंतुक के अंतर्गत भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित क्षेत्रों वाले 8 राज्यों से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। ये राज्य आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान हैं। तथापि भारत सरकार अनुसूचित आबादी वाले 22 राज्यों के साथ-साथ अनुसूचित क्षेत्रों वाले 8 राज्यों को अनुदान दे रही है। राज्यों को ये अनुदान जनजातीय विकास के लिए परियोजनाओं की लागत को पूरा करने तथा राज्य के शेष अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। इस सहायता का पैटर्न शत-प्रतिशत अनुदान है।

(ग) वर्ष 1997-98 से संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि में से एक भाग के रूप में कक्षा 6 से 12 तक के जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 100 आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 250 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी शिक्षा के उच्च और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उच्च स्तरों में नौकरियों में आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने में समर्थ हो सकें।

वाणिज्यिक गतिविधियां

5517. श्री टी. गोविन्दन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों और उनकी साम्यवादी सरकारों के पतन के कारण वाणिज्यिक गतिविधियों/व्यवसाय में आई भारी गिरावट पर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त के कारण अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) पूर्वी यूरोप के देशों द्वारा बाजार विनियमित अर्थव्यवस्था को अपनाए जाने के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप आर्थिक पुनर्संरचना का जो संक्रमणकालीन चरण शुरू हुआ उसके कारण द्विपक्षीय व्यापार में हुए उतार-चढ़ाव को केन्द्र सरकार ने नोट किया है।

(ख) पूर्वी यूरोप के देशों द्वारा आर्थिक पुनर्संरचना के संदर्भ में अनुमानित हानि की मात्रा बतलाना कठिन है। वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार विस्तृत व्यापार संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

(मूल्य अमरीकी मिलियन डालर में)

वर्ष	निर्यात	परिवर्तन की प्रतिशतता	आयात	परिवर्तन की प्रतिशतता
1990-91	314.60	—	462.13	—
1991-92	312.71	— 0.60	271.17	— 41.32
1992-93	207.41	— 33.67	299.83	10.57
1993-94	207.57	0.08	182.91	— 38.99
1994-95	155.99	— 24.85	218.41	19.41
1995-96	195.87	25.57	450.71	106.36
1996-97	187.24	— 4.41	325.96	— 27.68
1997-98	194.20	3.72	214.01	— 34.34

[हिन्दी]

बी. डी. आई. एस. फार्मों की छपाई

5518. श्री आदित्यनाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वैच्छिक आय घोषणा योजना के लिए विभिन्न फार्म सिर्फ अंग्रेजी में ही छपवाये थे न कि दो भाषाओं में;

(ख) यदि हां, तो नियमों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं। स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना, 1997 के अन्तर्गत घोषणाकर्ताओं द्वारा भरे जाने वाले सांविधिक फार्म द्विभाषी रूप में छपवाए गये थे।

(ख) और (ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न के इन भागों के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खालसा पंथ

5519. श्री सत्य पाल जैन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "खालसा पंथ" की स्थापना के 300 वर्ष पूरे होने पर आयोजित होने वाले समारोह के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रावधान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने आनंदपुर साहिब, पंजाब में एक पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण करने के लिए वर्ष 1998–99 के दौरान 97.64 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

कच्चे काजू का आयात

5520. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997–98 के दौरान देश में कितनी मात्रा और कितने मूल्य के कच्चे काजू का आयात किया गया;

(ख) यह कच्चा काजू किन–किन देशों से आयात किया गया था;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान केवल सरकार ने काजू का आयात किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) वर्ष 1997–98 के दौरान 781 करोड़ रु. मूल्य का 2,41,495 मी. टन काजू की गिरी का आयात किया गया था।

(ख) आयात के प्रमुख स्रोत तंजानिया, गुएना, बिसू, इंडोनेशिया आईवरी कोस्ट, मोजाम्बिक, बेनिन, नाइजीरिया हैं।

(ग) और (घ) केरल राज्य काजू विकास निगम लि., ने वर्ष 1997–98 के दौरान निम्नलिखित मात्रा/मूल्य के कच्चे काजू का आयात किया है :

(i) पश्चिम अफ्रीका से आइवरी कोस्ट के मूल के 700 अमरीकी डॉलर मी. टन (अर्थात् 25,630 रु. मी. टन) की दर से 5019.245 मी. टन।

(ii) पश्चिम अफ्रीका से गुएना और बिसू के मूल के 975 अमरीकी डॉलर/मी.टन (अर्थात् 38145 रु./मी. टन) की दर से 7527.684 मी. टन।

(क) के संबंध में आंकड़े अन्तिम हैं और स्रोत डी.जी.सी.आई. एण्ड एस. कलकत्ता है।

(ख) का स्रोत काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोचीन है।

(ग) और (घ) का स्रोत केरल राज्य काजू विकास निगम लिमिटेड है।

[हिन्दी]

नमक के लिए यूनीसेफ से प्राप्त धनराशि

5521. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नमक विभाग को यूनीसेफ से अब तक कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) यह राशि किन–किन मदों पर खर्च की गयी है; और

(ग) उक्त धनराशि के उपयोग से किन–किन क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सार्वभौमिक नमक आयोडीकरण पर भारत सरकार–यूनिसेफ कार्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993–94 से 1997–98 तक की अवधि के दौरान नमक विभाग को यूनिसेफ से 67,73,292/– रुपये प्राप्त हुए हैं।.

(ख) यह राशि निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों पर खर्च की गई है :

* सूचना, शिक्षा तथा संचार संबंधी गतिविधियां।
* राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय बैठकें, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं।
* उत्पादन स्रोतों पर गुणवत्ता मानीटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।
* आयोडीकरण संयंत्रों, क्रशर तथा आयोडीन रसायन (पोटेशियम आयोडेट) की निःशुल्क आपूर्ति करके लघु नमक उत्पादकों की सहायता करना।
* चुनिन्दा राज्यों में आयोडीन युक्त नमक की उपलब्धता,

गुणवत्ता तथा कीमतों पर अध्ययन/स्थिति संबंधी विश्लेषण चालू करना।

(ग) यूनिसेफ से प्राप्त राशि का उपयोग करके निम्नलिखित क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की गई हैं :

* आयोडीकरण क्षमता तथा आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन में वृद्धि।
* आयोडीन युक्त नमक की मांग में वृद्धि।
* आयोडीन युक्त नमक की गुणवत्ता में सुधार।
* उत्पादन स्रोतों पर गुणवत्ता मानीटरिंग तंत्र में सुधार।
* आयोडीन की कमी के कारण विकारों के परिणामों तथा आयोडीनयुक्त नमक के उपभोग के लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क एजेंटों, कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

5522. श्री विकास चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में सीमा शुल्क एजेंट/कर्मचारी जून, 1998 में एक सप्ताह की हड़ताल पर चले गए थे;

(ख) यदि हां, तो इन कामगारों की मांगें क्या हैं और मुम्बई पत्तनों पर कार्य पर इस हड़ताल का क्या प्रभाव पड़ा; और

(ग) इस हड़ताल को अंतिम रूप से किस प्रकार समाप्त किया गया ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) जी, हां, मुम्बई में सीमा शुल्क गृह एजेंट कर्मचारी अपने मालिकों से अपनी सेवा संबंधी परिस्थितियों के संबंध में कुछेक मांगें उठाते हुए 12.06.98 से 18.06.98 तक हड़ताल पर चले गए थे, जिसके फलस्वरूप पत्तनों और सीमा शुल्क निकासी का कार्य प्रभावित हुआ। पार्टियों द्वारा राज्य सरकार के उप मुख्य आयुक्त (श्रम) के समक्ष समझौता वार्ता करने पर सहमत होने पर हड़ताल को समाप्त कर दिया था।

शेयरों का विनिवेश

5523. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों में अभी तक किए गए सभी प्रकार के विनिवेश से प्राप्त की गई प्रति शेयर कीमत कितनी है;

(ख) प्रत्येक सरकारी उपक्रम में विनिवेशित शेयरों की कुल संख्या कितनी है और प्राप्त की गई कुल धनराशि कितनी है; और

(ग) प्रयोग कर ली गई/अन्य सरकारी उपक्रमों को धन देने के लिए अलग रखी गई विनिवेश से अर्जित प्राप्तियों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) विनिवेश से अब तक हुई संपूर्ण प्राप्तियां भारत की समेकित निधि में जमा कर दी गई हैं। सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि विनिवेश के जरिए सृजित किए जाने वाले राजस्व का 10 प्रतिशत हिस्सा विनिवेश कोष के लिए रखा जाएगा जिसे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को मजबूत बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	1991–92		1992–93 से 1997–98		
		बेचे गए शेयरों की संख्या (लाख में)	वसूल की गई राशि (करोड़ रुपये)	बेचे गए शेयरों की राशि (लाख में)	वसूल की गई राशि (करोड़ में)	प्रतिशेयर औसत मूल्य (रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	एण्ड्रू यूल	10.15	–	0.00	0.00	–
2.	भारत अर्थमूवर्स लि.	60.00	–	15.00	48.27	321.80
3.	भारत इलैक्ट्रानिक्स लि.	160.00	–	33.10	47.17	142.50

1	2	3	4	5	6	7
4.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लि.	489.52	--	280.41	309.55	110.39
5.	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि.	100.00	—	50.00	331.18	622.36
6.	बोंगाईगांव रिफाइनरीज लि.	399.61	—	107.91	45.40	42.07
7.	सी. एम. सी. लि.	25.28	—	0.00	0.00	—
8.	कोचिन रिफाइनरीज लि.	42.19	—	0.00	0.00	—
9.	कन्टेनर कारपो. ऑफ इंडिया लि.	—	—	149.81	113.83	75.98
10.	ड्रेजिंग कारपो. ऑफ इंडिया लि.	4.02	—	0.00	0.00	—
11.	इंजीनियर्स इंडिया लि.	—	—	10.78	67.53	626.43
12.	फर्टिलाइजर्ज एण्ड कैमि. (त्रावणकोर) लि.	52.32	—	5.00	1.30	26.00
13.	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	—	—	285.29	194.12	68.04
14.	एच. एम. टी. लि.	42.68	—	42.28	23.38	55.29
15.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	16.69	—	0.00	0.00	—
16.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	—	—	34.11	8.07	23.65
17.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमि. लि.	98.70	—	0.00	0.00	—
18.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो. लि.	127.68	—	108.53	894.96	824.62
19.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्यु. कं. लि.	191.90	—	0.00	0.00	—
20.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	807.46	--	209.74	81.55	38.88
21.	इंडियन ऑयल कार्पो. लि.	—	—	145.03	1033.65	712.71
22.	इंडियन पैट्रो. कैमि. कार्पो. लि.	372.00	—	0.00	0.00	—
23.	"इरकॉन" इंटरनेशनल लि.	0.13	—	0.00	0.00	—
24.	इंडियन टेलि. इंड. लि.	175.38	—	17.00	15.63	91.94
25.	इंडिया टूरिज्म एण्ड डेव. कार्पो.	—	—	67.51	51.99	77.01
26.	कुद्रेमुख आयरन एण्ड ओर. कं. लि.	—	—	61.63	11.40	18.49
27.	मद्रास रिफाइनरीज लि.	193.16	—	0.00	0.00	—
28.	महानगर टेली. निगम लि.	1200.00	—	1256.27	2364.07	188.18
29.	मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कार्पो. लि.	3.34	—	0.00	0.00	—
30.	नेशनल अल्यूमिनियम कं. लि.	351.00	—	1299.15	244.30	18.80
31.	नेशनल फर्टिलाइजर्ज लि.	111.63	—	3.77	1.00	26.52
32.	नेशनल मिनरल डेव. कार्पो. लि.	0.00	—	21.40	17.88	83.55

1	2	3	4	5	6	7
33.	नेइवेली लिग्नाइट कार्पो.	717.91	—	325.74	70.43	21.62
34.	तेल और प्राकृतिक गैस निगम	—	—	70.50	1056.67	1498.82
35.	राष्ट्रीय कैमि. एण्ड फर्टि. लि.	311.36	—	102.37	30.36	29.65
36.	भारतीय नौवहन निगम लि.	522.46	—	38.64	28.08	72.67
37.	राज्य व्यापार निगम	23.93	—	3.00	2.26	75.00
38.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	1990.75	—	2280.06	736.06	32.28
39.	विदेश संचार निगम लि.	120.00	—	39.00	379.00	971.79
	जोड़	8721.25	--	3038.00@	7063.03	8209.09

@ चूंकि 1991–92 में शेयर समूह में बेचे गए थे, इसलिए सरकारी क्षेत्र के उद्यम–वार वसूल की गई राशि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

इंजीनियरी संवर्ग में अवरोध

5524. श्री माधवराव पाटील : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामूहिक इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से इंजीनियरी संवर्ग में नियुक्त वर्ग "क" के अधिकारी जिन्होंने तत्कालीन डी. जी. टी. डी. में कार्यभार संभाला था और अब उद्योग मंत्रालय में काम कर रहे हैं; पिछले 15 से 23 वर्षों से 3000–4500 रु. संशोधन–पूर्व वेतन मान में रुद्ध पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने विकास अधिकारी (रु. 3000–4500) के 10 पदों का वरिष्ठ विकास अधिकारी (रु. 3700–5000) के पद पर उन्नयन करने के बारे में विशेष रूप से सिफारिश की है;

(घ) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले वर्ग "क" के अधिकारियों की 13 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद रु. 4500–5700 के वेतनमान में पदोन्नति करने संबंधी सिफारिश मान ली गई है और यह सिफारिश भारत सरकार के सभी इंजीनियरी संवर्गों (रिपोर्ट का पैरा 50–45) पर भी लागू होगी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा तत्कालीन डी. जी. टी. डी. के वर्ग "क" के इंजीनियरी संवर्ग के अधिकारियों के मामले में इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) और (ख) मार्च, 1994 में डी. जी. टी. डी. की परिसमाप्ति के बाद, सामूहिक इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से नियुक्त और पूर्ववर्ती तकनीकी विकास महानिदेशालय (डी. जी. टी. डी.) में कार्यरत इंजीनियरिंग संवर्ग के वर्ग "क" के अधिकारियों को प्रयोक्ता मंत्रालयों में नव–नियुक्त/स्थानांतरित किया जा चुका है। चूंकि डी. जी. टी. डी. की परिसमाप्ति से पूर्व, उद्योग मंत्रालय में कोई तकनीकी अधिकारी नहीं था, अतः इस मंत्रालय में स्थानांतरित तकनीकी अधिकारियों को एक अलग ही संवर्ग में रखा गया जिनमें नियुक्ति/प्रोन्नति इत्यादि के लिए अलग नियम लागू होते हैं।

(ग) से (ङ) 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग (सी. पी. सी.) ने यह सिफारिश की है कि उद्योग मंत्रालय के संबंध में विकास अधिकारियों के 10 पदों का उन्नयन वरिष्ठ विकास अधिकारियों के रूप में किया जा सकता है। सरकार ने सी. पी. डब्लू. डी. के इंजीनियरों के संबंध में 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को मान लिया है। यद्यपि यह स्वतः सभी इंजीनियरिंग संवर्गों पर लागू नहीं होता क्योंकि 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग ने विशेष रूप से यह भी सिफारिश की है कि उद्योग मंत्रालय में तकनीकी अधिकारियों के संवर्ग को बनाये रखने की जरूरत की मंत्रालय द्वारा पुनरीक्षा की जाए।

[हिन्दी]

कोयला कम्पनियों द्वारा निविदाएं

5525. श्री लरंग साय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि. की वे अनुषंगी कम्पनियां कौन–कौन सी हैं जिन्होंने विश्व बैंक योजना के अंतर्गत शुरू की जाने वाली विकास कार्यों संबंधी निविदाएं जारी की हैं;

(ख) निविदाएं जारी करने की क्या उपयोगिता है; और

(ग) विकास संबंधी कार्यों के लिए चयनित कोयला खानों की क्या संभावनाएं हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) नार्दन कोलफील्ड्स लि. (ना. को. लि.) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (सा.

ई. को. लि.), महानदी कोलफील्ड्स लि. (म. को. लि.) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (वे. को. लि.) तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (से. को. लि.) द्वारा विश्व बैंक योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के संबंध में निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

(ख) निविदाएं आमंत्रित किए जाने का उद्देश्य सभी वास्तविक अभिकरणों को निविदा में भाग लेने के अवसर उपलब्ध करवाना और कोयला कंपनियों द्वारा तर्कसंगत एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक लागत पर कार्य सम्पन्न किये जाने को सुनिश्चित करना है।

(ग) 87.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष की अधिकतम उत्पादन क्षमता उत्पन्न किए जाने हेतु कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सी. एस. आर. पी.) के अंतर्गत 24 कोयला खानों का विकास किया जाएगा।

[अनुवाद]

नए आर्थिक मानदंड के अन्तर्गत आयकर योजना

5526. श्री नरेश पुगलीया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नए आर्थिक मानदंड के अन्तर्गत आयकर रिटर्न भरने हेतु आयकर भुगतानकर्त्ताओं के लिए शहरों में एक नई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा इसे किन-किन शहरों में शुरू किया गया है;

(ग) क्या दिल्ली के आस-पास गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा तथा गुड़गांव जैसे सैटेलाइट शहरों में रहने वाले आयकर भुगतानकर्त्ता भी इस योजना के दायरे में आते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) कर आधार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से आर्थिक मानदंडों के आधार पर आय विवरणी को अनिवार्य रूप से दाखिल करने से संबंधित उपबंधों को बढ़ाने और विस्तार करने के लिए एक नयी पहल की जा रही है। वित्त (सं. 2) विधेयक, 1998 में संगत प्रस्ताव में मौजूदा चार मानदंडों में दो मानदंड जोड़े गए हैं और विवरणी को दाखिल करने की अनिवार्यता निम्नलिखित 6 मानदंडों में से किसी एक को पूरा करने पर होगी, नामशः-

(i) स्वामित्व, किराएदारी अथवा अन्यथा किसी अन्य रूप में विशिष्ट फ्लोर एरिया की अचल सम्पत्ति का कब्जा।

(ii) मोटर वाहन का स्वामित्व अथवा पट्टा

(iii) टेलिफोन धारक

(vi) विदेश यात्रा

(v) क्रेडिट कार्ड को धारण करना जो एड ऑन कार्ड न हो।

(vi) किसी क्लब की सदस्यता जहां प्रवेश शुल्क पच्चीस हजार रुपये अथवा इससे अधिक लिया जाता हो।

(vii) संशोधित प्रस्ताव "आर्थिक सम्पन्नता के छः में से एक मानदंड" वन बाई सिक्स स्कीम के नाम से जाना जाता है। वित्त अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात् संशोधित स्कीम पहले से ही अधिसूचित किए गए 12 शहरों और उनकी शहरी बस्तियों पर लागू होगी। इसके अलावा, 23 और शहरों को उनकी शहरी बस्तियों के साथ अधिसूचित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है वे आगरा, इलाहाबाद, भोपाल, कोयम्बटूर, धनबाद, इंदौर, जबलपुर, जमशेदपुर, कल्याण कोची, कोजीकोड़, लखनऊ, मदुरै, मेरठ, नागपुर, पटना, सूरत, थाणे, त्रिवेन्द्रम, बड़ोदरा, वाराणसी, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम हैं।

(ग) और (घ) यथा अधिसूचित दिल्ली की बस्तियों में वे करदाता शामिल हैं जो दिल्ली के आस-पास सेटेलाइट शहरों अर्थात् गुड़गांव फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में रह रहे हैं।

दोहरी प्रशुल्क नीति

5527. श्री सोडे रमैया : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनुमोदित होटल आवास के संबंध में "दोहरी प्रशुल्क नीति" समाप्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव का औचित्य क्या है;

(ग) यह नीति बनाए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस प्रस्ताव के परिणाम के बारे में संबंधित उद्योग से परामर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपयों, दोनों में, एकल शुल्क वसूल करने के लिए अनुमोदित होटलों को सलाह दी है। कुछ होटल, निर्णय के खिलाफ न्यायालय में चले गए हैं। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

निर्यात में वृद्धि के लिए ऋण और अनुदान

5528. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

श्री चिन्ता मोहन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, देश से निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा विदेश में निर्यात क्षमता की निगरानी के लिए देश के बाहर संस्थाएं खोलने के लिए अनुदान और राजसहायता के रूप में ऋण दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष उक्त शीर्ष के अंतर्गत व्यय की गई अनुमानित राशि क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) वाणिज्य मंत्रालय निर्यातकों को बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.) कोष में से माने गए निर्यात/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/टर्मिनल उत्पाद शुल्क/शुल्क वापसी के लाभों के वितरण के लिए और केन्द्रीय बिक्री कर इत्यादि की प्रतिपूर्ति के लिए 'निर्यात इमदाद' के रूप में सहायता प्रदान करता है और निर्यात संवर्धन परिषदों और गारंटी संगठनों को "सहायता अनुदान" प्रदान करता है, ताकि उनके द्वारा व्यापार का संवर्धन और देश की निर्यात संभावना का उपयोग किया जा सके।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात इमदाद और सहायता अनुदान के रूप में किए गए व्यय का वर्ष वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

शीर्ष	1995–96	1996–97	1997–98
निर्यात इमदाद	302.00	377.50	420.61
सहायता अनुदान	16.00	19.82	20.67

[अनुवाद]

मुम्बई सीमा शुल्क द्वारा जब्त विदेशी मुद्रा

5529. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में सीमा शुल्क अधिकारियों ने एयर इंडिया के कुछ कर्मचारियों के घर से काफी अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा जब्त की थी और उन्हें गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी हां, एअर इंडिया मुम्बई के प्रचालन विभाग में कार्य कर रहे एक कर्मचारी को उसके घर से विदेशी मुद्रा पकड़ी जाने के बाद, अपराध में शामिल उसके एक सहयोगी के साथ मई, 98 में गिरफ्तार किया गया था।

(ख) उपरोक्त मामले के ब्यौरे इस सूचना पर आधारित हैं कि श्री अजय गुरुदासमल रोहरा, जो कि शान्ता कुंज (पूर्वी) स्थित एयर इंडिया, मुम्बई के प्रचालन विभाग में कार्यकारी सचिव केपद पर कार्यरत हैं, के घर की 8.5.98 को सीमा शुल्क निवारक, मुम्बई के अधिकारियों द्वारा तलाशी ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 58.07 लाख रु. के बराबर विभिन्न देशों की विदेशी मुद्रा बरामद हुई और उसे जब्त कर लिया गया, श्री अजय गुरुदासमल रोहरा को 9.5.98 को गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे की गई जांच पड़ताल के परिणामस्वरूप अपराध में शामिल उनके एक सहयोगी मलाद (मुम्बई) के श्री मनोज खटवानी को 4.6.98 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में दोनों को मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था। आगे जांच–कार्य जारी है।

[हिन्दी]

कालीन उद्योग में बाल श्रमिक

5530. श्री सी. डी. गामीत : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक यूरोपियन देशों ने बाल श्रमिकों के मुद्दे पर भारतीय कालीनों के आयात पर रोक लगा दी है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय कालीन निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार ने कालीन व्यापार से जुड़े बाल श्रमिकों को मुक्त करवाकर उन्हें पुनर्वासित करने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्य–वार विशेषकर गुजरात राज्य में इन प्रयासों की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) किसी यूरोपीय देश द्वारा बाल श्रम समस्या के कारण भारतीय कालीनों के आयात पर रोक लगाने संबंधी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

(ख) और (ग) वर्ष 1994 में कालीन उद्योग सहित जोखिम वाले रोजगारों में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा एक मुख्य योजना आरम्भ की गई। अब तक, गुजरात राज्य के सूरत और पंचमहल जिलों के 1.5 लाख बच्चों के पुनर्वास के लिए दो परियोजनाओं सहित 76 राष्ट्रीय बालश्रम परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। प्राप्त सूचना के अनुसार इस परियोजना के अन्तर्गत 1.05 लाख बच्चों को पहले ही नामित कर लिया गया है। बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आहार, छात्रवृत्ति आदि प्रावधान सहित विशेष विद्यालयों की स्थापना करना, एक मुख्य कार्यकलाप है। कालीन उद्योग सहित जोखिम वाले रोजगारों से हटाये गये बच्चों को उनके पुनर्वास के लिए इन विशेष विद्यालयों में रखा जाता है। कालीन सहित जोखिम वाले रोजगारों से हटाये गये बच्चों के पुनर्वास के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10.12.96 के फैसले में कई निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अधिकतर बाल श्रम वाले राज्यों में पहले ही कदम उठा लिए गए हैं।

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में कालीन उद्योग से हटाए गए बच्चों के लिए उन्हें अनौपचारिक शिक्षा तथा दोपहर के भोजन संबंधी सुविधा के लिए 24 स्कूल स्थापित किए हैं।

[अनुवाद]

आवास संबंधी कानूनों में परिवर्तन

5531. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार ऋण देने वालों द्वारा की गई चूक के मामले में बंधक रखने के लिए वित्तीय संस्थानों के अधिकार बढ़ाने हेतु आवास ऋण कानूनों में संशोधन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विधान कब तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) चूककर्ता उधारकर्ताओं से अन्य बातों के साथ–साथ देय राशियों की शीघ्र वसूली करने में आवास वित्त संस्थाओं को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के कुछ उपबंधों में संशोधन हेतु मसौदा प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

इस समय यह बता पाना व्यावहारिक नहीं होगा कि कितने समय में इस संबंध में विधान लागू किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

पूंजी बाजार में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी

5532. श्री पंकज चौधरी :

श्री रामपाल सिंह :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) :

श्री महेश कनोडिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूंजी बाजार में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी होने संबंधी शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन कंपनियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या सरकार का विचार निदेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों/संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई करने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त न्यायालयों द्वारा कब तक कार्य आरम्भ कर देने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना, अन्य बातों के अलावा, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए सेबी अधिनियम 1992 के अन्तर्गत की गई है। सरकार द्वारा प्राप्त की गई निवेशकों की सभी शिकायतें उपयुक्त कार्रवाई हेतु सेबी को अग्रेषित कर दी जाती हैं।

(ग) से (ङ) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

दार्जिलिंग चाय का पेटेन्ट

5533. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दार्जिलिंग चाय का पेटेन्ट करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसका पेटेन्ट कब तक हो जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी करार के उपबंधों के तहत पेटेंट किसी भी प्रकार के ऐसे अविष्कार के लिए उपलब्ध होता है जो नया होता है और जिसमें अन्वेषणकारी प्रयास निहित हो तथा जिसका औद्योगिक उपयोग हो सकता है।

दार्जिलिंग चाय एक नया उत्पाद नहीं है और इसके उत्पादन में कोई अन्वेषणकारी प्रयास निहित नहीं हैं। अतः इसे पेटेंट संरक्षण के योग्य अन्वेषण तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि जर्मप्लाज्म से कोई ऐसी नई उत्पाद किस्म विकसित न की जाए जिसमें अन्वेषणकारी प्रयास निहित हो।

[अनुवाद]

तम्बाकू उगाने वाले किसानों द्वारा आत्म-दाह

5534. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू उगाने वाले किसानों ने जून, 1998 को आई. टी. सी. देवरपल्ली के परिसर में आत्मदाह करने का प्रयास किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी मदद के लिये क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

5535. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बिना किसी वास्तविक प्रतिभूति के एक लाख रुपये और इससे अधिक की राशि तक का ऋण असम में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वितरित किये गये ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) कुल अग्रिम राशि की तुलना में कितना प्रतिशत ऋण राज्य में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों को दिया गया है;

(ग) क्या ऋण मंजूर करने की कोई समय–सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाता है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या कोई निगरानी प्रणाली है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि बैंक की नीति के अनुसार एक लाख रु. और उससे ज्यादा राशि के ऋण, बिना मूर्त जमानत के स्वीकृत नहीं किए जाते।

(ख) 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान असम में युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किए गए ऋणों में से अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को दिए गए ऋणों का प्रतिशत नीचे दिया गया है :

(राशि करोड़ रु. में)

	कुल संवितरित ऋण	अनुसूचित जातियों/ जनजातियों को दिए गए ऋण
1995–96	26.52	7.8
1996–97	33.31	10.7
1997–98	38.00	9.5

(ग) से (च) जैसाकि युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि बैंक ऋण लेने के लिए बैंक को पूरी सूचनाएं देने के बाद ऋण स्वीकृत करने के लिए निर्धारित की गई समय–सीमा नीचे दी गई है:

25000 रु. तक के ऋण प्रस्ताव	–	15 दिन
25000 रु. से ज्यादा के ऋण प्रस्ताव	–	8–9 सप्ताह

बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक इन समय–सीमा रखे जाने के बारे में निगरानी रखते हैं।

सी. एण्ड ए. जी. रिपोर्ट

5536. श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री तारिक अनवर :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने हाल ही की रिपोर्ट में शुल्क के कम निर्धारण और सीमा शुल्क राजस्व हानि के बारे में बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा बताए गए सीमा शुल्क और राजस्व की हानि के संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) क्या सरकार को सीमा शुल्क अधिकारियों तथा माल आयात के विभिन्न स्थानों पर, तैनात अन्य कर्मचारियों की सांठ–गांठ से सीमा शुल्क के बिना भुगतान अथवा कम आंकलन कर बड़ी मात्रा में आयात किए जाने की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट में 3392.51 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष कर के अवनिर्धारण और 4108.32 करोड़ रुपए के उत्पाद शुल्क के अवउद्ग्रहण/अल्प उद्ग्रहण के बारे में संकेत किया है।

(ग) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए गए सभी मामलों की व्यक्तिगत रूप से जांच की जाती है, और जहां कहीं आवश्यकता होती है उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

भौगोलिक संकेतकों संबंधी कानून

5537. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल भौगोलिक संकेतकों के संबंध में कानून का प्रारूप तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या प्रयोजन है;

(ग) क्या कानून बनाने के पहले मंत्रालय ने सभी संबद्ध अधिकारियों से परामर्श कर लिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस नीति को कब तक घोषित किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ङ) यह मंत्रालय वस्तुओं के भौगोलिक संकेतन के पंजीयन और अनुरक्षण के लिए एक कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। इस कानून का उद्देश्य भौगोलिक संकेतों वाली वस्तुओं के बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना है और डब्ल्यू. टी. ओ. करार के अंतर्गत भारतीय वचनबद्धताओं को पूरा करना है कानून बनाने के लिए संबद्ध मंत्रालयों/विभागों, वकीलों और निर्यातकों से संपर्क किया जा रहा है। संसद में इस कानून के लिए एक बिल पेश करने के लिए अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है।

प्रतिभूति घोटाले संबंधी की गई कार्रवाई प्रतिवेदन

5538. डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिभूति और बैंककारी लेन–देन में हुई अनियमितताओं की जांच करने हेतु गठित संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदन के संशोधित पैराग्राफों में संयुक्त समिति ने "प्रोमोटर के शेयरों के माध्यम से फेयर ग्रोथ फाइनैंस सर्विसेज लिमिटेड द्वारा सरकारी अधिकारियों तथा मंत्रियों को प्रभावित किए जाने के बारे में की गई विपरीत टिप्पणियों पर असंतोष व्यक्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सी. बी. आई. के माध्यम से उसके बाद कभी–भी उक्त फेयर ग्रोथ फाइनैन्सियल सर्विसेज लिमिटेड से प्रोमोटर के शेयर प्राप्त करने वाले किसी भी मंत्री के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने का क्या कारण है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ङ) प्रतिभूतियों और बैंकिंग लेन–देनों में अनियमितताओं की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में क्रम संख्या 25 पर दी गई सिफारिश का संबंध अन्य बातों के साथ–साथ फेयर ग्रोथ फाइनेंसियल सर्विसेज लि. (एफ. एफ. एस. एल.) द्वारा उच्च मूल्य वाले शेयरों को अंकित मूल्य पर दिए जाने से था। संसद में विभिन्न विपक्षी दलों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखने के बाद दिसम्बर 1994 में संसद में पेश की गई कार्रवाई रिपोर्ट के संशोधित पैराग्राफों में उपर्युक्त सिफारिश के संबंध में सरकार का उत्तर निम्नानुसार है :

"जहां तक सरकारी अधिकारियों को एफ. एफ. एस. एल. के शेयरों के आबंटन का संबंध है, केन्द्रीय सिविल सेवाओं के कर्मचारियों के बारे में निर्देश पहले से विद्यमान हैं कि कंपनियों के निदेशकों के मित्रों और सहयोगियों के लिए आरक्षित कोटे में से सरकारी कर्मचारियों को शेयर नहीं खरीदने चाहिए। चूंकि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए इस बारे में कोई विशिष्ट और सुस्पष्ट अनुदेश नहीं थे, इसलिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में जनवरी, 1993 में इसी प्रकार के अनुदेश जारी किए। जिन कर्मचारियों ने प्रवर्तक कोटे से शेयर लिए थे, उनकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो से यथा प्राप्ति सूची कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा, सभी मंत्रालयों/विभागों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों और सम्बद्ध आचरण नियमों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए परिचालित की गई।

जहां तक बैंकों के कर्मचारियों का संबंध है सरकार ने मार्च, 1993 में अनुदेश जारी किए हैं, जिनमें अधिमान्य/रिजर्व कोटे जैसे प्रवर्तक के कोटे में से शेयरों/डिबेंचरों के अधिग्रहण में किए गए निवेशों के लिए मना किया गया था। अधिमान्य कोटे में से शेयरों/डिबेंचरों के अधिग्रहण के पिछले मामलों के बारे में बैंकों को मेरिट के आधार पर प्रत्येक मामले की जांच करने के लिए कहा गया था। ऐसे मामलों में जहां प्रत्यक्षतः यह सिद्ध हो जाए कि सरकारी पद का दुरुपयोग अंतर्ग्रस्त था, संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए बैंकों को परामर्श दिया गया था।"

जहां तक मंत्रियों द्वारा एफ. एफ. एस. एल. के प्रवर्तक कोटे के शेयरों की खरीद का संबंध है, मंत्रियों की आचार संहिता में कंपनियों के निदेशकों के मित्रों और सहयोगियों के लिए आरक्षित प्रवर्तक कोटे से शेयरों के अधिग्रहण की विशेष रूप से मनाही नहीं है।

चंदन की लकड़ी की तस्करी

5539. श्री पी. सी. थामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारत को की जाने वाली चंदन की लकड़ी की तस्करी के संबंध में कोई आंकड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) सरकार के पास हाल के वर्षों में भारत में चंदन की लकड़ी की तस्करी के बारे में न तो कोई आंकड़े और न ही कोई सूचना अथवा आसूचना है।

(ख) उपर्युक्त "क" को देखते हुए शून्य।

[हिन्दी]

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

5540. श्री सूर्यकांता पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देश के कुछ जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले घोषित करने के लिए अध्यादेश जारी करने का है;

(ख) क्या महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ जिले तथा कतिपय अन्य राज्य औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं तथा वहां स्थानीय रोजगार के लिए कोई औद्योगिक विकास नहीं है;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण के अनुसार चयन किए गए जिलों की क्या संख्या है; और

(घ) इन अविकसित तथा औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता तथा पैकेज दिए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) सरकार ने 31.3.1999 से 31.3.2000 को अथवा इससे पूर्व वर्ग क और वर्ग ख में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थापित औद्योगिक उपक्रमों को राजकोषीय लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से 1998 के वित्त विधेयक (सं. 2) में प्रस्ताव किया है।

(ख) और (ग) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत दो राज्यों में अभिनिर्धारित वर्ग "क" और वर्ग "ख" औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का उल्लेख ।नेम्नानुसार है :

गुजरात

डांग्स (वर्ग क)

बनासकंठा (वर्ग ख)

साबरकंठा (वर्ग ख)

महाराष्ट्र

गडचिरोली (वर्ग क)

बीड़ (वर्ग ख)

वर्ग क और वर्ग ख के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की कुल संख्या क्रमशः 53 और 70 है।

(घ) आयकर अधिनियम में 31.3.2000 तक औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थापित उपक्रमों को दो प्रकार के राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ग क के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले पांच वर्षीय करावकाश और आगामी पांच वर्षों के लिए किसी उपक्रम के लाभों तथा अभिलाभों से 25 प्रतिशत (कम्पनी के मामले में 30 प्रतिशत) की कटौती के पात्र हैं। औद्योगिक रूप से पिछड़े वर्ग ख के जिले तीन वर्षीय करावकाश और किसी उपक्रम के लाभों से 25 प्रतिशत (कम्पनी के मामले में 30 प्रतिशत) की कटौती के पात्र हैं।

इस संबंध में आयकर अधिनियम में कोई अन्य परिवर्तन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

भारी उद्योग

5541. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री विट्ठल तुपे :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्षेत्र के अधिकांश भारी उद्योग वर्ष 1996–97 और 1997–98 के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन एककों द्वारा उपयोग की गई उत्पादन क्षमता की प्रतिशतता क्या है; और

(घ) उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) और (ख) 1996–97 और 1997–98 के वर्षों के दौरान भारी उद्योग विभाग के तहत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लक्ष्य और उत्पादन उपलब्धि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। सरकारी क्षेत्र के इन कुछ उपक्रमों के लक्ष्य की उपलब्धि में कमी के कारणों में : संयंत्रों, मशीनरी तथा प्रौद्योगिकी का पुराना होना, निम्न उत्पादकता, क्रयादेशों की कमी और कार्यशील पूंजी इत्यादि की कमी का होना शामिल है।

(ग) इंजीनियरिंग यूनिटों के विशेष उत्पाद और कारखाना क्षमता इत्यादि के संदर्भ में साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य और साथ ही साथ विगत वर्ष की उपलब्धि के संबंध में निष्पादन आंका जाता है।

(घ) निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों में : क्रयादेशों को सुनिश्चित बनाने में सहायता जुटाना, कार्यशील पूंजी की सहायता देना, आधुनिकीकरण का चयन करने और बाधाओं इत्यादि को दूर करने के लिए सहायता देना, शामिल है।

विवरण

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	1996–97 (लक्ष्य)	1996–97 (वास्तविक)	% उपलब्धि	1997–98 (लक्ष्य)	1997–98 (वास्तविक अनंतिम)	% उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एण्ड्रू यूल एंड कंपनी लि.	368.35	238.00	64.61	370.41	245.61	66.30
2.	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लि.	2.76	2.61	94.56	3.10	2.21	71.29
3.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	4750.00	5755.00	121.15	5850.00	6450.00	110.25
4.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि.	294.31	245.27	83.33	322.40	249.60	77.42
5.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लि.	10.50	10.52	100.00	14.36	12.80	89.13
6.	रेरोल बर्न लिमिटेड	3.50	2.37	67.71	3.50	2.81	80.28
7.	जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड	146.56	62.80	42.85	143.93	48.37	33.67
8.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	137.71	143.46	104.17	191.28	159.08	83.16
9.	भारत वैगन एण्ड इंजी. कं. लि.	101.39	104.20	102.77	111.45	113.49	101.83
10.	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजी. लि.	4.00	1.50	37.50	5.79	0.61	10.53
11.	वेबर्ड इंडिया लिमिटेड	0.75	0.48	64.00	0.86	0.55	63.95
12.	लंगन जूट मशीनरी कं. लि.	9.55	5.94	62.19	9.59	5.29	55.16
13.	बी. बी. जे. कंस्ट्रक्शन कं. लि.	30.94	17.12	55.33	29.00	23.19	80.00
14.	भारत हेवी प्लेट एण्ड वैसल्स लि.	270.00	305.68	113.22	325.00	284.79	87.62
15.	भारत पम्पस एंड क्रम्प्रेसर्स लि.	65.00	76.37	117.49	86.00	76.51	88.96
16.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1978) लि.	60.00	69.32	115.53	92.00	78.41	85.22
17.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	55.00	58.58	106.51	72.00	61.77	85.79
18.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लि.	50.00	30.70	61.40	45.00	32.35	71.88
19.	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.	240.00	237.29	98.87	270.00	276.00	102.22
20.	साईकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	3.68	0.20	5.44	1.23	0.09	7.31
21.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	639.45	357.62	55.93	660.25	258.34	39.13
22.	हैवी इंजी. कारपोरेशन लि.	401.66	263.25	65.54	337.93	255.73	75.67
23.	एच. एम. टी. लिमिटेड	1029.00	909.36	88.37	1131.00	890.14	78.70
24.	प्रागा टूल्स लिमिटेड	43.00	4.44	10.32	43.00	13.63	31.69
25.	एच. एम. टी. (बियरिंग्स) लि.	46.45	46.74	100.62	55.58	41.05	73.85

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	एच. एम. टी. (इंटरनेशनल) लि.	80.00	46.16	57.70	0.00	50.10	—
27.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	134.75	123.28	91.49	135.00	118.00	87.40
28.	राजस्थान इलैक्ट्रानिक एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लि.	22.50	16.94	75.28	22.00	19.07	86.68
29.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.	72.00	24.28	33.72	45.00	13.23	29.40
30.	नेशनल बाइसिकिल कारपो. ऑफ इंडिया लि.	0.50	0.27	54.00	0.30	0.24	80.00
31.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.	9.00	2.59	28.77	6.65	2.60	39.09
32.	स्कूटर्स इंडिया लि.	95.05	123.68	130.12	143.94	124.62	86.58
33.	भारत आफ्थाल्मिक ग्लास लि.	4.88	3.86	79.09	5.87	3.59	61.15
34.	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	406.43	405.13	99.68	523.00	236.73	45.26
35.	हिन्दुस्तान पेपर कारपो. लि.	460.01	353.34	130.83	368.00	330.97	89.94
36.	माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि.	—	—	—	—	2.27	—
37.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि.	—	—	—	—	—	—
38.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड	270.07	154.72	57.28	225.54	183.54	81.37
39.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्यु. कंपनी लि.	111.05	15.64	14.08	117.02	38.58	32.96
40.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	8.64	5.56	64.35	6.01	3.40	56.57
41.	सांभर साल्ट्स लि.	9.03	6.33	70.10	7.94	5.90	74.30
42.	नेपा लिमिटेड	168.85	40.71	24.11	126.52	69.65	55.04
43.	रिहैब्लिटेशन इंडस्ट्रीज कारपो. लि.	15.00	4.97	33.13	16.00	5.90	36.87
44.	टैनरी एण्ड फुटवियर कारपो. इंडिया लि.	11.70	0.41	3.50	0.87	0.48	54.54
45.	टॉयर कारपो. ऑफ इंडिया लि.	166.42	110.34	66.30	228.56	94.00	41.13
46.	भारत लैदर कारपो. लि.	8.50	7.40	87.05	2.64	6.95	263.26
47.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (आई.) लि.	150.00	155.04	103.36	140.00	144.44	103.17
48.	नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपो. लि.	7.65	9.50	124.18	9.35	7.11	76.04

स्रोत पर कर कटौती

5542. श्री अनन्त गंगाराम गीते :

श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार बैंकों में (बैंक–वार) कुल कितनी राशि जमा थी;

(ख) वर्ष 1997–98 के दौरान उपर्युक्त जमाराशि पर जमाकर्ताओं को ब्याज स्वरूप कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक बैंक द्वारा स्रोत पर कर कटौती करके आयकर के रूप में कितनी राशि वसूल की गई;

(घ) क्या बैंक जमाराशि पर स्रोत पर कर कटौती वर्ष 1995–96 से 1997–98 के बजट अनुमानों के अनुरूप है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र और गैर–सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशियां और वर्ष 1997–98 के दौरान इन बैंकों द्वारा अदा किए गए ब्याज की राशि क्रमशः संलग्न वितरण I और II में दी गयी है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण–I

31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियां और वर्ष 1997–98 के दौरान उनके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज

(करोड़ रु.)

बैंक का नाम	जमा राशियां	भुगतान किया गया ब्याज
1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	131091.32	9586.24
बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	6525.36	505.92
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	8648.62	610.40
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	3368.78	240.02
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	4793.23	362.16
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	7737.42	578.66
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	3994.70	298.81
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	7468.06	659.11
इलाहाबाद बैंक	13540.76	959.02
आन्ध्रा बैंक	7920.73	575.23
बैंक ऑफ बड़ौदा	39125.83	2675.65
बैंक ऑफ इंडिया	39338.62	2468.70
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9134.30	595.78
केनरा बैंक**	36243.14	उ.न.
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	26373.49	1871.77
कार्पोरेशन बैंक	9351.56	622.94
देना बैंक	10115.28	734.79
इंडियन बैंक*	14220.48	1176.18
इंडियन ओवरसीज बैंक	19328.64	1444.27
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	13058.02	938.50
पंजाब नेशनल बैंक	35173.56	2534.91
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	7609.56	589.53
सिंडिकेट बैंक	16816.15	1118.13
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	23055.63	1674.31
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	11518.74	उ.न.
यूको बैंक	14462.46	1042.38
विजया बैंक	8215.82	538.13
कुल	528,230.26	334,406.54

स्रोत–31.3.1998 की स्थिति के अनुसार बैंकों से प्राप्त तुलन–पत्र और अन्य विवरणियां :

* तुलन पत्र प्राप्त नहीं हुए। डी.एस.बी. विवरणियां आंकड़े बैंकों से प्राप्त हुई।

** तुलन–पत्र प्राप्त नहीं हुए। फार्म "ए" में विशेष विवरणी से आंकड़े। उ.न. –उपलब्ध नहीं।

विवरण–II

31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार गैर सरकारी वाणिज्यक क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियां और वर्ष 1997–98 के दौरान उनके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज

(करोड़ रु.)

बैंक का नाम	जमा राशियां	भुगतान किया गया ब्याज
1	2	3
बैंक ऑफ मदुराई लि.*	2772.71	175.56
बैंक ऑफ राजस्थान लि.	2826.73	265.28
बरेली का. बैंक लि.**	316.44	उ.न.
बनारस स्टेट बैंक लि.	595.08	47.06
भारत ओवरसीज बैंक लि.	1091.46	89.63
कैथौलिक सिरियन बैंक लि.**	1818.90	उ.न.

1	2	3
सिटी यूनियन बैंक लि.	1021.92	92.81
धनलक्ष्मी बैंक लि.	1040.29	92.60
फेडरल बैंक लि.	6424.42	535.63
जम्मू व कश्मीर बैंक लि.	4882.46	328.12
कनार्टक बैंक लि.*	3405.84	266.08
करूर वैश्य बैंक लि.	2137.85	173.35
लक्ष्मी विलास बैंक लि.*	1418.93	104.63
लार्ड कृष्णा बैंक लि.	672.80	74.31
नैनीताल बैंक लि.**	320.22	उ.न.
नेदनगडी बैंक लि.	834.56	68.38
रत्नाकर बैंक लि.	274.07	20.45
सांगली बैंक लि.	1070.58	70.39
साउथ इंडियन बैंक लि.	2738.27	249.01
तमिलनाडु म. बैंक लि.	1604.45	128.59
यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	2668.38	179.57
वैश्य बैंक लि.**	5176.29	उ.न.
यूटीआई बैंक लि.	2730.55	205.37
एस. बी. आई. कॉम. एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	432.62	37.14
गणेश बैंक ऑफ क. लि.	92.26	7.75
इंडुसिंड बैंक. लि.	4273.33	370.50
आई. सी. आई. सी. आई. बैं. का. बैंक लि.	2629.02	161.95
ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	3285.37	302.76
एच. डी. एफ. सी. बैंक लि.	2191.74	103.97
सेंचुरियन बैंक लि.	1247.05	124.61
बैंक ऑफ पंजाब लि.	1320.68	105.72
डेव. क्रेडिट बैंक लि.	1436.37	109.61
टाइम्स बैंक लि.	2214.39	165.73
आई. डी. बी. आई. बैंक लि.	1845.53	81.09
कुल	68,811.46	4,737.65

स्रोत : बैंकों से प्राप्त तुलन–पत्र और अन्य विवरणियां।

* बैंकों से प्राप्त डी.एस.बी. विवरणियों से आंकड़े।

** बैंकों से प्राप्त विशेष फार्म ए विवरणियों से आंकड़े।

उ.न.–उपलब्ध नहीं।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

5543. श्री दत्ता मेघे :

श्री तथागत सत्पथी :

श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक सहित विदेशी सहायता से देश में कार्यान्वित की जा रही प्रत्येक परियोजना की मूल लागत कितनी है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार प्रत्येक परियोजना में कितनी प्रगति हुई है और ये परियोजनाएं कितने समय में पूरी हुई हैं और इनके पूरा होने की वर्तमान अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या कुछ नई परियोजनाएं भी अनुमोदन हेतु लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो निकट भविष्य में कितनी नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी;

(ङ) क्या सरकार को इन परियोजनाओं में कुछ अनियमितताओं और धन के दुर्विनियोग की जानकारी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने कदाचार रोकने के लिए क्या कदम उठाए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी

5544. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कानपुर में पंजाब नेशनल बैंक की द्वारकाधीश शाखा में 65 लाख रुपये का घोटाला हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मामले की कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ङ) पंजाब नेशनल बैंक (पी.एन.बी.) ने सूचित किया है कि सितम्बर, 1997 से मार्च 1998 तक की अवधि के दौरान द्वारकाधीश रोड़, कानपुर शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अप्राधिकृत और अनियमित क्रियाकलापों में लिप्त थे और उन्होंने पर्याप्त प्रतिभूति लिए बिना मांग ऋण, सावधि ऋण, ओवर ड्राफ्ट, नकदी ऋण आदि के रूप में विभिन्न पार्टियों को सहायता प्रदान की। उन्होंने जाली प्रलेखी बिलों की खरीद करके दो पार्टियों की सहायता भी की। विभिन्न अनियमितताओं में अन्तर्ग्रस्त कुल राशि 122.09 लाख रु. थी। बैंक ने इस मामले की जांच की थी और उस प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया था। इस शाखा के पांच अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू की गई है। बैंक ने सतर्कतापूर्ण अनुपालन के लिए शाखाओं और नियंत्रक कार्यालयों पर निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करने पर जोर दिया है।

बंगाल, नागपुर सूती मिलों के कामगारों को वेतन नहीं दिया जाना

5545. श्री मोती लाल वोरा : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनंदगांव जिले की बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स में कार्यरत श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन कामगारों को समय पर इनका वेतन दिया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या मई, 1998 का वेतन 19 जून, 1998 तक नहीं मिल पाने के कारण उक्त मिलों के कामगार गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां तो इस देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केवल राजनंदगांव की सूती मिल के आधुनिकीकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो 1998–99 के दौरान कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) 31.3.98 तक की स्थिति के अनुसार बंगाल–नागपुर सूती मिलों में श्रमिकों/कामगारों की कुल संख्या 1471 है।

(ख) से (घ) एन. टी. सी. की मिलों के कामगारों को मजदूरियों का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा एन. टी. सी. को गैर–योजना ऋणों के रूप में निधियां जारी की जाती हैं। कभी–कभी बजटीय अड़चनों के कारण निधियां रिलीज करने में कुछ विलम्ब हो जाता है। कर्मचारियों को मई, 1998 तक की मजदूरियों का भुगतान कर दिया गया है।

(ङ) और (च) एन. टी. सी. (मध्य प्रदेश) जिसके अधीन यह मिल आती है, बी. आई. एफ. आर. द्वारा सहायक निगम को बंद करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। उनके द्वारा अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है। इसी बीच, एन. टी. सी. द्वारा किए गए एकक वार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर सरकार एन. टी. सी. की अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति पर विचार कर रही है। जिसमें बी. आई. एफ. आर. द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की निवल पूंजी के सकारात्मक बन जाने के बी. आई. एफ. आर. के मानदण्ड को ध्यान में रखा जा रहा है। संशोधित योजना में कामगारों के हित को ध्यान में रखा जाएगा।

[अनुवाद]

वित्तीय संस्थाओं को निवल लाभ

5546. श्री जोगेन्द्र कवाड़े : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996–97 और 1997–98 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अर्जित निवल लाभ आरक्षित राशि और अधिशेष का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के इसकी स्थापना से लेकर अब तक वर्ष 1997–98 के दौरान पहली बार निवल लाभ और आरक्षित राशि में गिरावट आई है और यह पिछले वर्ष की तुलना में भी कम था; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. वी. आई.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले दो वर्षों के संस्था–वार निवल लाभ एवं आरक्षित निधि तथा अधिशेष निम्नानुसार हैं :

(रुपए करोड़ में)

	आई. डी. बी. आई.		आई. एफ. सी. आई.		आई. सी. आई. सी. आई.	
	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98
निवल लाभ	1144.2	1501.3	378.56	370.50	752.22	1086.32
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	6460.0	7343.5	1350.86	1243.95	3900.21	4192.17

(ख) और (ग) जी हां, वर्ष 1997–98 के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. आई. एफ. सी. आई. के निवल लाभ तथा आरक्षित निधि और अधिशेष में कमी आई है। तथापि, पिछले चार वर्षों अर्थात् 1994–95 से 1997–98 के दौरान कर पश्चात् लाभ की औसत वार्षिक वृद्धि 30.1 प्रतिशत रही है जबकि पूर्व के चार वर्षों के दौरान यह 21.6% थी। आई. एफ. सी. आई. ने आगे सूचित किया है कि वर्ष 1997–98 के दौरान ब्याज दर सीमा और मूल उधार दर (पी. एल. आर.) में कमी के कारण वर्ष 1997–98 के लिए लाभ कम रहा जिसके परिणामस्वरूप प्रसार में कमी हुई। ऐसा, प्रसार को कारोबार की मात्रा में वृद्धि के अनुरूप करने के लिए, आई. एफ. सी. आई. के विवेचित नीति के कारण हुआ। इसके अलावा, वर्ष 1997–98 के दौरान आई. एफ. सी. आई. ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i) (viii) के अन्तर्गत, विशेष आरक्षित निधि से 287 करोड़ रुपए की राशि (पिछले वर्ष 160 करोड़) आहरित कर ली, यह भी आरक्षित निधि में कमी का एक कारण है।

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुखी इकाइयां

5547. श्री राम टहल चौधरी :

डॉ. रामविलास वेदान्ती :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997–98 के दौरान देश में निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से कितने प्रस्तावों को राज्य–वार अनुमोदन मिला;

(ख) इनमें से कितनी इकाइयों को उत्पादन शुरू करने के लिए आधारभूत संरचना और अन्य सुविधाएं दी गयी हैं;

(ग) इन इकाइयों में कितनी धनराशि निवेश की गयी है; और

(घ) वर्ष 1997–98 के दौरान इन इकाइयों में नियोजित कर्मचारियों की राज्य–वार संख्या क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) वर्ष 1997–98 के दौरान देश में निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना करने के बारे में 426 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से 365 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई थी। मंजूर किए गए निर्यातोन्मुखी इकाइयों का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है;

(ख) निर्यातोन्मुख इकाई योजना भारत सरकार द्वारा तैयार की गई है। यह उद्यमियों पर निर्भर करता है कि वे भवन निर्माण, मशीनरी, कच्ची सामग्री तथा उपयोगिताओं का प्रावधान करके इकाइयों की स्थापना कर सकते हैं और उत्पादन शुरू करने के लिए अन्य कदम उठा सकते हैं। भारत सरकार उद्यमियों को उनके द्वारा जब कभी भी संपर्क किया जाता है सीमा शुल्क बॉडिंग सुविधा प्रदान करती है।

(ग) और (घ) वर्ष 1997–98 के दौरान मंजूर किए गए प्रस्तावों में 4646.42 करोड़ रु. का निवेश करने तथा 42781 कामगारों को रोजगार देने की व्यवस्था है।

विवरण

वर्ष 1997–98 के दौरान मंजूर की गयी निर्यातोन्मुख इकाइयों की राज्य–वार संख्या

राज्य का नाम	सं.
1	2
आंध्र प्रदेश	21
गुजरात	79
हरियाणा	12
हिमाचल प्रदेश	2
जम्मू और कश्मीर	1
कर्नाटक	37
केरल	1
मध्य प्रदेश	13
महाराष्ट्र	49
उड़ीसा	8
पंजाब	14
राजस्थान	16
तमिलनाडु	64
उत्तर प्रदेश	20
पश्चिम बंगाल	6
अण्डमान और निकोबार	2
दादरा और नगर हवेली	2

1	2
दिल्ली	9
गोवा	3
पांडिचेरी	1
दमन और दीव	5
कुल	365

[अनुवाद]

आयकर विभाग की आय

5548. डॉ. वल्लभभाई कथीरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आयकर विभाग से आय का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल आय में से कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से अलग-अलग आय कितनी थी; और

(ग) सरकार द्वारा आयकर देयों की वसूली के सरलीकरण हेतु गठित कार्य बल अथवा इस संबंध में बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है। पूरे देश में फैले क्षेत्रीय कार्यालयों से अपेक्षित सूचना के संग्रहण और संकलन में अत्यधिक प्रयास और समय भी लगेगा जो वांछित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं होगा।

(ग) इस समय आयकर देयों की वसूली के सरलीकरण के लिए सरकार द्वारा कोई टास्क फोर्स अथवा योजना नहीं बनायी गई है। तथापि, बजट लक्ष्यों के संग्रहण की निरंतर निगरानी करने और करों की वसूली की प्रगति की समीक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

उड़ीसा टेक्सटाइल मिल, चंदवार

5549. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंदवार में उड़ीसा टेक्सटाइल मिल रुग्ण मिल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके रुग्ण मिल होने के क्या कारण हैं;

(ग) इसके कारण लगभग कितने कामगार प्रभावित हुए हैं; और

(घ) उक्त मिल को पुनः चालू करने और अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां। चंदवार स्थित उड़ीसा टेक्सटाइल मिल रुग्ण हो गई है।

(ख) कम्पनी द्वारा पंजीकरण के समय औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को रुग्णता के जो कारण बतलाए गए थे उनमें बाजार की परिवर्तनीय मांगों के अनुरूप अवस्थापना और प्रौद्योगिकी तथा मशीनों की कमी, अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति, निधियों की कमी और संबद्ध वित्तीय कठिनाइयां, बाजार में मंदी, विकेन्द्रीकृत क्षेत्र/आधुनिकीकृत मिलों से प्रतियोगिता आदि शामिल हैं।

(ग) बी. आई. एफ. आर. के पास अपने पंजीकरण के समय कम्पनी द्वारा नियोजित 4364 कामगार बतलाए गए थे।

(घ) बी. आई. एफ. आर. ने दिनांक 17.2.98 के आदेश द्वारा मिल का पुनरुद्धार करने के लिए एक योजना को स्वीकृत किया है।

[हिन्दी]

बिहार में पर्यटकों के लिए पैकेज

5550. श्री रामचन्द्र बैंदा :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सारनाथ, बोधगया, अजन्ता, सांची इत्यादि जैसे स्थानों के लिए छोटे टूरिस्ट पैकेज शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पैकेज कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) से (ग) पैकेज टुअर्स, मुख्य रूप से यात्रा प्रचालकों द्वारा तैयार किए जाते हैं और बेचे जाते हैं। कुछ राज्य पर्यटन विकास निगम पर्यटकों के लिए पैकेजों की पेशकश करते हैं। पर्यटन मंत्रालय सूचना प्रदान करता है और प्रचार अभियान चलाता है।

[अनुवाद]

ऊर्जा क्षेत्र हेतु पैकेज

5551. प्रो. पी. जे. कुरियन :

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य संबंधित मंत्रालयों की समीक्षा करने के पश्चात् ऊर्जा क्षेत्र हेतु एक पैकेज की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु कोयले के लिए 4,200 करोड़ रुपए का "सिंकिंग फंड" स्थापित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन किए जाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस अधिनियम में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) जहां तक कोयला मंत्रालय का संबंध है, कोयला उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा "सिंकिंग फंड" ऊर्जा क्षेत्र हेतु किसी पैकेज को स्वीकृत प्रदान नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन किए जाने हेतु संसद में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

उत्तराखंड में पर्यटक सर्किट्स

5552. श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड क्षेत्र में और अधिक पर्यटक सर्किट्स बनाने संबंधी कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य में इस योजना को कब तक लागू कर दिए जाने का विचार है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) और (ख) पयर्टन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड क्षेत्र में निम्नलिखित पर्यटक परिपथों/तीर्थ केन्द्रों को अभिनिर्धारित किया है :

1. बद्रीनाथ
2. ऋषिकेश–नरेन्द्रनगर–गंगोत्री–बद्रीनाथ

वर्ष 1998–99 के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने उत्तराखंड क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं अभिनिर्धारित की हैं, जिनमें शामिल हैं :

1. औली में आवास
2. जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी में पार्किंग स्थल
3. चीनियालिसौर में यात्री निवास
4. गंगोत्री और यमुनोत्री में पर्यटक कुटीरें
5. गौचर में यात्री निवास
6. श्रीनगर में स्वागत केन्द्र
7. गुप्तकाशी में यात्री निवास
8. महाकाली गंगा नदी में रिवर रैफ्टिंग के लिए उपकरण
9. पारिस्थितिकीय पर्यटन/कूड़ा करकट निपटान सुविधाएं
10. उत्सव
11. प्रचार सहायता

विदेशी बैंक

5553. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकट भविष्य में विदेशी बैंक खोलने के लिए सरकार के पास लंबित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में समय–समय पर इन बैंकों की कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारत में एक–एक शाखा खोलने के लिए दो विदेशी बैंकों के आवेदन लंबित हैं।

(ख) और (ग) भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के कार्यनिष्पादन की निगरानी उनके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों की सहायता से की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक का पर्यवेक्षण विभाग बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अन्तर्गत इन बैंकों का वार्षिक निरीक्षण भी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग द्वारा भारत के कार्यरत सभी विदेशी बैंकों के कार्यकरण की वार्षिक आधार पर समीक्षा भी की जाती है। समीक्षा में, पूंजी पर्याप्तता, अनिष्पादित अग्रिमों, जमाराशि में वृद्धि, लाभप्रदता आदि जैसे कतिपय पैरामीटरों के संदर्भ में विदेशी बैंकों के कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है।

[हिन्दी]

निर्यात संवर्धन परिषद की शाखा

5554. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "रेशम के शहर" भागलपुर (बिहार) में निर्यात संवर्धन परिषद की शाखा खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत गारंटी द्वारा सीमित की गई एक कम्पनी के रूप में 16 जून, 1983 को निगमित भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद् को प्राकृतिक रेशम के सामान से संबंधित निर्यात संवर्धन क्रिया-कलापों के उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। परिषद् का मुख्यालय मुंबई और क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा उसकी देश में कोई भी शाखा नहीं है। भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद् के अनुसार रेशम के शहर भागलपुर में निर्यात संवर्धन परिषद् की कोई भी शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान व विकास और प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए भागलपुर में चार एकक हैं :

(1) प्रमाणन केन्द्र

(2) कच्चा माल बैंक उप-डिपो

(3) तकनीकी सेवा व प्रशिक्षण केन्द्र

(4) पारि-परीक्षण प्रयोगशाला

[अनुवाद]

आयकर विवरण प्रस्तुत करने से छूट

5555. श्री पी. शंकरन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग सहकारी समितियों पर आयकर विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए जोर देता है जबकि वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (पी) (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) सहकारी समितियों के लिए गैर बैंकिंग गतिविधियों से प्राप्त अपनी आय के संबंध में आयकर विवरणी दाखिल करना आवश्यक है जिसे आयकर अधिनियम की धारा 80(त)(2) की परिसीमा से बाहर रखने के लिए माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (119 आई. टी. आर. 327) ने रोक लगा दी है और जिसकी माननीय उच्चतम न्यायालय (218 आई. टी. और 438) ने पुष्टि कर दी है।

टी. डब्ल्यू. आर. एफ.

5556. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टी. डब्ल्यू. आर. एफ. के स्थापित किए जाने से लेकर अब तक निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की अलग-अलग वर्ष-वार, राज्य-वार, एवं क्षेत्र-वार कितनी वस्त्र मिलें बन्द हो गईं तथा इसके परिणामस्वरूप कितने कामगार बेरोजगार हुए; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान निजी, एवं सार्वजनिक क्षेत्र के अलग-अलग कामगारों के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही पुनर्वास/राहत योजनाओं का ब्यौरा क्या है, तथा वर्ष-वार, योजना-वार और क्षेत्र-वार इसके लिए कितनी धनराशि व्यय की गई ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) 30.4.98 तक की स्थिति अनुसार 223 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें (गैर एस. एस. आई.) वित्तीय कठिनाइयों, हड़ताल/श्रमिक समस्याओं, तालाबंदी आदि जैसे कारणों से बंद पड़ी थी। तथापि, उसी तिथि के अनुसार देश में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत कोई भी सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिल (गैर एस. एस. आई.) बंद नहीं थी। मिलों के बंद हो जाने के कारण प्रभावित कामगारों की संख्या 2 लाख 63 हजार नौ सौ एक थी। इस संबंध में वर्ष-वार तथा राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) वस्त्र एकक/मिलों के स्थायी रूप से बंद हो जाने अथवा एककों के आंशिक रूप से बंद हो जाने के परिणामस्वरूप बेरोजगार हो गए कामगारों को अलग-अलग मामले के आधार पर अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना प्रचालन में है। इसके लागू होने से ही योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ केवल निजी क्षेत्र की मिलों को ही दिए गए हैं। वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राहत के वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में निर्दिष्ट हैं।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत बंद पड़े उपक्रमों के कामगारों को भी राहत दी जाती है।

राष्ट्रीय नवीकरण निधि में से सहायता केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तथा सुव्यवस्थित कामगारों को सलाह देने, पुनः प्रशिक्षित करने तथा पुनः तैनात करने की योजनाओं के लिए ही उपलब्ध है।

विवरण–I

सरकारी, निजी और सहकारी क्षेत्र में बंद पड़ी सूती/मानव–निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की संख्या तथा बेरोजगार हुए कामगारों की संख्या

प्रबंधन

वर्ष	राज्य का नाम	सरकारी		सहकारी		निजी		कुल	
		मिलों की संख्या	नामावली में कामगार	मिलों की संख्या	नामावली में कामगार	मिलों की संख्या	नामावली में कामगार	मिलों की संख्या	नामावली में कामगार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1985–86	आंध्र प्रदेश	1	92					1	92
तक	बिहार	1	500					1	500
	गुजरात	3	3246			8	12699	11	15945
	हरियाणा	1	1513					1	1513
	कर्नाटक	1	624					1	624
	महाराष्ट्र	5	14726					5	14726
	राजस्थान	1	821			1	947	2	1768
	तमिलनाडु	—	—			2	320	2	320
	प. बंगाल	1	837					1	837
	उत्तर प्रदेश	3	4752					3	4752
	कुल	17	27111	0	0	11	13966	28	41077
1986–88	आंध्र प्रदेश					2	795	2	795
	गुजरात					11	24997	11	24997
	कर्नाटक					1	298	1	298
	मध्य प्रदेश					2	625	2	625
	तमिलनाडु					1	1187	1	1187
	प. बंगाल					1	1484	1	1484
	कुल	0	0	0	0	18	29386	18	29386
1987–88	आंध्र प्रदेश					2	93	2	93
	गुजरात					6	10061	6	10061
	कर्नाटक					1	320	1	320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	महाराष्ट्र					1	547	1	547
	तमिलनाडु					2	1057	2	1057
	प. बंगाल					2	7688	2	7688
	कुल	0	0	0	0	14	19766	14	19766
1988–89	उत्तर प्रदेश	1	743					1	743
	प. बंगाल	1	2226					1	2226
	कुल	2	2969	0	0	0	0	2	2969
1989–90	कर्नाटक					1	3304	1	3304
	उत्तर प्रदेश					1	3619	1	3619
	कुल	0	0	0	0	2	6923	2	6923
1990–91	गुजरात					1	1744	1	1744
	उत्तर प्रदेश	1	2604					1	2604
	कुल	1	2604	0	0	1	1744	2	4348
1991–92	आंध्र प्रदेश			2	1490	1	541	3	2031
	गुजरात					5	12525	5	12525
	कर्नाटक					1	150	1	150
	मध्य प्रदेश					4	11378	4	11378
	महाराष्ट्र	1	49			1	1197	2	1246
	राजस्थान					1	1196	1	1196
	तमिलनाडु					1	34	1	34
	उत्तर प्रदेश	1	2417			1	2323	2	4740
	कुल	2	2466	2	1490	15	29344	19	33300
1992–93	असम							0	0
	गुजरात	4	4386					4	4386
	कर्नाटक	1	2313	1	356			2	2669
	केरल					1	2178	1	2178
	मध्य प्रदेश					1	6746	1	6746
	महाराष्ट्र			2	850			2	850
	तमिलनाडु					2	2987	2	2987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	उत्तर प्रदेश	1	1029					1	1029
	कुल	6	7728	3	1206	4	11911	13	20845
1993–94	आंध्र प्रदेश					1	116	1	116
	गुजरात	1	470			4	2957	5	3427
	हरियाणा					1	30	1	30
	कर्नाटक					1	562	1	562
	महाराष्ट्र			1	783	1	1113	2	1896
	उड़ीसा					1	48	1	48
	तमिलनाडु			1	459	5	944	6	1403
	कुल	1	470	2	1242	14	5770	17	7482
1994–95	आंध्र प्रदेश			1	719			1	719
	असम	1	569	1	1			2	570
	गुजरात	1	1275			6	11508	7	12783
	मध्य प्रदेश	1	1792			1	550	2	2342
	महाराष्ट्र			2	1774	1	1544	3	3318
	तमिलनाडु					6	1027	6	1027
	उत्तर प्रदेश	1	3513			2	3903	3	7416
	प. बंगाल					1	3687	1	3687
	मणिपुर	1	475					1	475
	कुल	5	7624	4	2494	17	32219	26	32337
1995–96	बिहार			1	लागू नहीं			1	0
	गुजरात	1	1999			2	4003	3	6002
	हरियाणा					1	847	1	847
	महाराष्ट्र			3	2005	1	3602	4	5607
	पंजाब			1	1235			1	1235
	तमिलनाडु					6	988	6	988
	उत्तर प्रदेश					1	1442	1	1442
	कुल	1	1999	5	3240	11	10882	17	16121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1996–97	आंध्र प्रदेश	1	804	2	873	2	543	5	2220
	गुजरात	12	13554			2	435	14	13989
	हरियाणा					3	1508	3	1508
	महाराष्ट्र			2	1473			2	1473
	पंजाब			1	1082			1	1082
	राजस्थान					2	2110	2	2110
	तमिलनाडु					6	2193	6	2193
	उत्तर प्रदेश	1	2093			1	861	2	2954
	प. बंगाल	2	826					2	826
	दिल्ली	1	1318			2	4799	3	6117
	कुल	17	18605	5	3428	18	12449	40	34482
1997–98	आंध्र प्रदेश					3	957	3	957
	असम	1	लागू नहीं			1	1509	2	1509
	गुजरात							0	0
	हरियाणा					2	117	2	117
	कर्नाटक							0	0
	महाराष्ट्र			2	773			2	773
	राजस्थान					3	1644	3	1644
	तमिलनाडु					8	5913	8	5913
	उत्तर प्रदेश					0	0	0	0
	प. बंगाल					2	1538	2	1538
	कुल	1	0	2	773	19	11678	22	12451
1998–99	गुजरात		1 लागू नहीं					1	लागू नहीं
	तमिलनाडु					0	0	0	0
	प. बंगाल					2	2414	2	2414
	कुल	0	0	1	0	2	2414	3	2414
30.4.98 के अनुसार		53	71576	24	13873	146	178458	223	263901

विवरण–II

टी. डब्ल्यू. आर. एफ. एस. के अंतर्गत प्रदान की गई राहत के वर्ष–वार राज्य–वार ब्यौरे

वर्ष	राज्य	प्रदान की गई राहत (रु.)
1988–89	गुजरात	1,62,77,719
1989–90	गुजरात	9,57,74,553
	तमिलनाडु	41,55,583
1990–91	गुजरात	12,37,83,799
	तमिलनाडु	1,89,88,298
	महाराष्ट्र	1,47,96,951
	दिल्ली	7,65,57,891
1991–92	गुजरात	6,20,75,645
	तमिलनाडु	19,95,235
	महाराष्ट्र	2,65,24,832
	दिल्ली	2,73,10,599
1992–93	गुजरात	13,07,25,319
	तमिलनाडु	12,66,524
	महाराष्ट्र	64,89,514
	दिल्ली	1,53,47,181
1993–94	गुजरात	10,73,09,078
	महाराष्ट्र	1,10,28,039
1994–95	गुजरात	5,43,60,219
	महाराष्ट्र	2,38,607
1995–96	गुजरात	3,14,98,039
	महाराष्ट्र	63,149
1996–97	गुजरात	5,88,18,652
	महाराष्ट्र	26,684
	दिल्ली	15,604
1997–98	गुजरात	6,86,99,901
	तमिलनाडु	3,39,91,610
1998–99	गुजरात	4,95,09,808

शुल्क हकदारी पास बुक योजना

5557. श्री संदीपान थोरात : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ई. पी. जेड. एस.) में 100% निर्यातोन्मुखी इकाइयों द्वारा निर्मित/प्रसंस्कृत माल के संबंध में अनेक निर्यातकों ने शुल्क हकदारी पास बुक (डी. ई. पी. बी.) और अग्रिम लाइसेंसकारी (ए. एल.) योजनाओं के अंतर्गत नाजायज फायदा उठाया है;

(ख) यदि हां, तो अनियमितताओं के ऐसे कितने मामलों का पता चला और कितने मामलों की जांच चल रही है और इनमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त होने का अनुमान है; और

(ग) त्रुटियां दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और बेईमान निर्यातकों के खिलाफ क्या दंडात्मक कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) एकिजम नीति में निर्यात अभिमुख इकाइयों/निर्यात संसाधन क्षेत्र की इकाइयों द्वारा किए गए निर्यात के बारे में डी. ई. पी. बी. तथा अग्रिम लाईसेंस के लाभों को प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, ऐसे कुछ उदाहरणों की सूचना मिली है जहां निर्यातकों ने ई. ओ. यू./ई. पी. जेड. द्वारा किए गए निर्यातों पर अग्रिम लाईसेंसों के लाभ प्राप्त किए हैं। इस संबंध में नीति को दोहराते हुए नीति संबंधी एक परिपत्र फिर से जारी किया गया है। ऐसे मामलों में दंडनीय कार्रवाई शुरू करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक हिदायतें जारी कर दी गई हैं।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक आय घोषणा योजना

5558. श्री जयसिंहजी चौहान : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा घोषित आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना के अन्तर्गत विज्ञापनों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) इस योजना के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी;

(ग) उक्त योजना के तहत कितने व्यक्तियों ने अपनी परिसंपत्तियों की घोषणा की तथा इससे, राज्यवार कितनी राशि इकट्ठी की गई;

(घ) क्या उक्त योजना का प्रतिकूल प्रभाव देखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) सरकार द्वारा घोषित स्वैच्छिक

आय घोषणा योजना के अन्तर्गत विज्ञापनों पर 27.5 करोड़ रुपये की कुल धनराशि खर्च की गई।

(ख) स्वैच्छिक आय घोषणा योजना, 1997 की स्कीम के जनता का जबरदस्त समर्थन मिला।

(ग) कुल 4,95,798 घोषणाकर्ताओं द्वारा इस योजना का लाभ उठाया गया था और उनसे 9583 करोड़ रुपये की धनराशि वसूल की गई है। इसका विस्तृत विवरण मुख्य आयुक्त प्रभार–वार रखा जाता है और ये आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) पैरा (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पैरा (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

स्वैच्छिक आय घोषणा योजना, 1997 को दर्शाने वाला चार्ट

क्र.सं.	मुख्य आयकर आयुक्त प्रभार	कुल चुकाया गया कर (कर + ब्याज) (करोड़ों में)
1.	अहमदाबाद	921.87 रु.
2.	बंगलौर	581.67 रु.
3.	भोपाल	302.36 रु.
4.	कलकत्ता	714.70 रु.
5.	चण्डीगढ़	609.74 रु.
6.	चेन्नई	783.44 रु.
7.	कोचीन	139.29 रु.
8.	दिल्ली	1,218.26 रु.
9.	हैदराबाद	375.36 रु.
10.	जयपुर	269.98 रु.
11.	कानपुर	346.09 रु.
12.	लखनऊ	219.00 रु.
13.	मुम्बई	1,978.48 रु.
14.	पटना	256.14 रु.
15.	पुणे	867.45 रु.
	कुल	9,583.83 रु.

[अनुवाद]

कारों का आयात

5559. श्री रवि सीताराम नायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापारिक/निर्यात घरानों को कार्यालय उपयोग के लिए कारों के आयात की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयातित कारों की संख्या कितनी है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(घ) क्या इन कारों की बिक्री बाजार में की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। एग्जिम नीति एवं कार्यविधि (आर. ई.–98), 1997–2002 के अध्याय 12 के अनुसार व्यापार घराने/निर्यात घराने मान्यता की वैध अवधि के दौरान वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन कारों का आयात कर सकते हैं।

(ग) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, डी. जी. सी. आई. एंड एस. कलकत्ता द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार गत तीन वित्तीय वर्षों (1995–96, 1996–97 और 1997–98 (अप्रैल–अगस्त) के दौरान भारत में कुल 598.1 लाख रु. मूल्य की कुल 79 नई कारों का आयात किया गया था।

(घ) और (ङ) एग्जिम नीति एवं कार्यविधि (1997–2002) के अनुसार निर्यात घराने/व्यापार घराने द्वारा इस प्रकार से आयात की गई कार को आयात की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के भीतर बेचा नहीं जा सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विदेशी ऋण निवेश

5560. श्री डी. एस. अहिरे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विदेशी ऋण लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम–वार ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त अवधि के दौरान इन उपक्रमों में कितनी राशि के विदेशी ऋण का निवेश किया गया;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने उपर्युक्त अवधि के दौरान विदेशी ऋण पर ब्याज का भुगतान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेशित विदेशी ऋण का उपक्रम–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान विदेशी ऋणों पर दिए गए ब्याज का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	विदेशी ऋण पर दिया गया ब्याज
1994–95	2213
1995–96	2483
1996–97	2594

विवरण

ऋण–विदेशी पार्टियों से (आस्थागित ऋण सहित)

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	सरकारी उपक्रम का नाम	31.3. 97 तक	31.3. 96 तक	31.3. 95 तक
1	2	3	4	5
1.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	255	264	228
2.	भारत डायनामिक्स लि.	158	179	197
3.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.	454	697	840
4.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	492	557	553
5.	कंटेनर कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	41	10	0
6.	ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	124	154	167
7.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	400	413	268
8.	इलेक्ट्रानिक्स कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	19	24	30
9.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजी.	62	26	28
10.	भारतीय गैस प्राधिकरण लि.	468	377	307
11.	गोवा शिपयार्ड लि.	29	48	53
12.	हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.	14	22	32
13.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि.	57	73	173
14.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	29	26	27
15.	आवास एवं शहरी विकास निगम लि.	33	0	0
16.	आइटीआई लि.	35	37	37
17.	इण्डियन एयरलाइन्स लि.	2493	2758	2876
18.	इण्डियन ऑयल कारपो. लि.	1693	1308	1241
19.	इण्डियन पैट्रोकैमिकल्स कारपो. लि.	1955	1033	980
20.	इण्डियन रेलवे फाइनेंस कारपो.	550	301	148
21.	कोंकण रेलवे कारपो. लि.	265	13	13
22.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	161	63	0
23.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	34	39	44
24.	नाथपा झाकड़ी पावर कारपो.	234	186	74
25.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.	580	1025	1774
26.	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपो.	1759	1766	1265
27.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.	44	22	22
28.	नेशनल थर्मल पावर कारपो.	3698	4037	4488
29.	नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपो.	89	93	0
30.	नार्दन कोलफील्ड्स लि.	38	55	76
31.	भारतीय आणविक ऊर्जा निगम लि.	50	68	67
32.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.	9324	11286	11807
33.	ऑयल इण्डिया लि.	1	26	168
34.	पारादीप फास्फेट्स लि.	6	10	13
35.	विद्युत वित्त निगम	877	623	630
36.	पावरग्रिड कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	1695	1409	1239
37.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	313	632	650
38.	भारतीय नौवहन निगम लि.	1321	1518	1371
39.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.	2224	1936	2014
40.	अन्य सरकारी क्षेत्र उद्यम*	15	15	34

*तीनों वर्ष के दौरान 10 करोड़ रुपए से कम।

कोयले की अवैध ढुलाई

5561. श्री रंजबी बिस्वाल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न कोलफील्ड्स में कोयले की अवैध रूप से लाने–ले–जाने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या विभिन्न कोलफील्ड्स में अवैध रूप से कोयले के डिपो स्थापित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) हाल में कोयले के अवैध रूप से लाने–ले–जाने के मामले में वृद्धि हुई है इस बात की कोई सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश में हथकरघा किस्मों का विकास

5562. डॉ. राम विलास वेदान्ती : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में हथकरघा किस्मों का विकास करने और विपणन सुदृढ़ करने के बारे में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों से समय–समय पर अनुरोध किया गया है कि वे चालू योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करें। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा परियोजना प्रस्तावों का प्रतिपादन एवं प्रस्तुतीकरण और भारत सरकार द्वारा निधियों की स्वीकृति एक नियमित प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश से प्राप्त व्यवहार्य परियोजना प्रस्तावों पर केन्द्रीय अनुदान जारी करने के लिए योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार विचार किया जा रहा है।

सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1992–93 से उत्तर प्रदेश को कुल 117.44 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

विकसित देशों में भारतीय जड़ी-बूटियों की मांग

5563. श्री अजय कुमार एस. सरनायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देशों में भारतीय आयुर्वेदिक औषधियों की मांग में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1997–98 के दौरान और मई, 1998 तक निर्यात की गई आयुर्वेदिक औषधियों का मूल्य क्या था; और

(घ) इन देशों में भारतीय आयुर्वेदिक औषधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) जी, हां। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1995–96, 1996–97 तथा 1997–98 (अगस्त, 97 तक) के दौरान विकसित देशों को भारतीय आयुर्वेदिक औषधियों के निर्यात से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	मूल्य के रूप में निर्यात
1995–96	33.67
1996–97	51.51
1997–98 (अगस्त, 97 तक)	22.51

(ग) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1997–98 (अगस्त, 97 तक) के दौरान निर्यात की गई भारतीय आयुर्वेदिक औषधियों का मूल्य 69.93 करोड़ रुपये है।

(घ) इन देशों में भारतीय आयुर्वेदिक औषधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं : निर्यात से संबंधित समस्याओं का पता लगाने तथा उनके समाधान के लिए व्यापार तथा उद्योग जगत के साथ लगातार परस्पर विचार–विनियम, व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों के माध्यम से निर्यातक समुदाय को बाजार विकास सहायता का प्रदान करना; पश्चिमी यूरोप में भारतीय आयुर्वेदिक औषधियों के लिए एकीकृत बाजार कार्यक्रम तथा अन्य बाजार संवर्धन क्रिया–कलाप।

आयकर आयुक्तों की शक्तियां

5564. श्री विजय कुमार "विजय" : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का देश भर में आयकर आयुक्तों को और अधिक शक्तियां देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त को पहले से दी गई शक्तियों के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) और अधिक शक्तियां किस उद्देश्य के लिए देने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) आयकर आयुक्तों को प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए सांविधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा पारित कानूनों और उनके अन्तर्गत निर्धारित नियमों के दायरे के अन्तर्गत किया जाता है। इस समय कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत आयकर आयुक्तों को प्रदान की गई शक्तियां प्रत्यक्ष कर कानूनों के सुचारु प्रशासन के लिए पर्याप्त समझी गई हैं।

केनरा बैंक

5565. प्रो. अजीत कुमार मेहता :

श्री सीता राम यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जून, 1998 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित "सी. बी. आई. रजिस्टर्स केस अगेन्स्ट केनरा बैंक विनाइल फ्लोरिंग ऑफिसियल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केनरा बैंक ने सूचित किया है कि बैंक की सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया शाखा को ओवरसीज चाइनीज बैंक तायून से समाहरण के आधार पर 1,13,040 अमरीकी डालर तथा 243250.02 अमरीकी डालर के दो निर्यात बिल इस शर्त पर प्राप्त हुए थे कि ये दस्तावेज भुगतान प्राप्त होने के बाद और ड्राफ्ट के एक मामले में विनिमय–पत्र पर भुगतान की स्वीकृति लेने के बाद ही सुपुर्द किए जाने चाहिए। दस्तावेजों की संवीक्षा करने पर यह पाया गया कि शाखा के अधिकारियों ने दस्तावेज अर्थात् बैंक द्वारा विधिवत चुकाए गए और कंपनी के पक्ष में प्रेषित/पृष्ठांकित लदान बिल और बीजक कंपनी द्वारा बैंक को कोई भुगतान किए बिना सुपुर्द कर दिए थे ताकि वे सीमा शुल्क अधिकारियों से माल की सुपुर्दगी प्राप्त कर सकें। बैंक की आंतरिक जांच से पता चला कि कंपनी और उसके निदेशकों ने शाखा के अधिकारियों के साथ सांठ–गांठ करके बैंक को 1,41,81,277 रुपए की हानि पहुंचाई थी। यह भी पता चला है कि बैंक के मुख्य प्रबंधक और एक अधिकारी को उपर्युक्त अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी पाया गया था और उन्हें निलंबनाधीन रखा गया है। बैंक ने धोखाधड़ी/घोर लापरवाही में कथित रूप से अन्तर्ग्रस्त होने के कारण शाखा के तीन और अधिकारियों को भी निलंबनाधीन रखा है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कंपनी के निदेशकों/अधिकारियों के अतिरिक्त, शाखा के मुख्य प्रबंधक और एक अधिकारी के खिलाफ बैंक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दिनांक 3.6.98 को एक मामला दर्ज किया है।

खाद्य कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु "पाइटो सैनिटरी" प्रमाण-पत्र

5566. श्री वैको :

श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन :

श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि खाद्य कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु 'पाइटो सैनिटरी' प्रमाण पत्र को केवल चेन्नई पत्तन से ही वर्ष 1997 से अनिवार्य बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्यातकों तथा किसानों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में इस आदेश को वापिस लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) नहीं, महोदय।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अफीम की खेती के लिये लाइसेंस जारी करना

5567. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफीम की खेती घटाकर खेती के लिये लाइसेंस अधिक संख्या में जारी किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अधिक लाइसेंस जारी करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को उत्तर प्रदेश के बाराबांकी जिले के किसानों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं, केवल पिछले वर्ष को छोड़कर।

(ख) पिछले वर्ष खेतिहरों द्वारा काफी कम मात्रा में अफीम बोने

के परिणामस्वरूप अधिक लाइसेंस जारी किए गए थे और इसलिए वार्षिक घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक लाइसेंस जारी किया जाना अपेक्षित था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विदेशी निवेश में इक्विटी

5568. श्रीमती शीला गौतम :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उन उद्योगों का चयन किया है जिनमें विदेशी कंपनियों को 40% तक इक्विटी कैपिटल निवेश करने की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र को इस सूची से बाहर रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। 40% तक विदेशी इक्विटी भागीदारी के स्वतः अनुमोदन के लिए कोई सूची नहीं बनायी गयी है। 50%, 51%, 74% और 100% तक स्वतः अनुमोदन की 4 अलग-अलग सूचियां हैं। तथापि अनिवासी भारतीयों तथा विदेशी निगमित निकायों के लिए 40% की एक योजना है, जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्ण प्रत्यावर्तन के लाभों सहित स्वतः अनुमोदन प्रदान किये जाते हैं। इस योजना के तहत निर्धारित क्षेत्रों में 40% तक निवेश की अनुमति दी जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ढांचागत परियोजनाओं को धन देना

5569. श्री एच. जी. रामुलु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केनरा बैंक ने ढांचागत परियोजनाओं को धन देने के लिए कितनी धनराशि नियत की थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कर्नाटक में केनरा बैंक ने किन-किन परियोजनाओं के लिए धन दिया;

(ग) कर्नाटक की इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई और अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) इन परियोजनाओं को धन देने के लिए क्या शर्तें रखी गयी हैं; और

(ङ) केनरा बैंक द्वारा कर्नाटक के बेल्लारी, रायचूर और कोपल जिलों में कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) केनरा बैंक ने सूचित किया है कि आधारिक परियोजनाओं के निधीकरण के लिए अलग से कोई राशि नहीं रखी गयी है। ऐसी परियोजनाओं के लिए ऋण सुविधाएं गुणावगुण आधार पर प्रदान की जाती हैं। फिर भी, 1997-2000 की अवधि के लिए बैंक ने आधारिक परियोजनाओं के लिए 1250 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की है।

(ख) और (ग) केनरा बैंक ने अलग से क्षेत्रवार राशियां निर्धारित नहीं की हैं। हालांकि बैंक ने ऋण देकर या बाण्डों में निवेश के जरिए कर्नाटक में चार ऐसी परियोजनाओं के लिए धन दिया है। लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीय बाध्यता) अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के समान, बैंकों में व्यवहार और प्रचलन के अनुसार और सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप यूनिट-वार ब्यौरों को प्रकट नहीं किया जा सकता।

(घ) ऐसी परियोजनाओं के निधीयन के लिए केनरा बैंक द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित भी शामिल हैं : ऋण इक्विटी अनुपात 2.55 : 1 से 4 : 1 तक हो, प्रवर्तक का योगदान परियोजना लागत के 11% से कम न हो, ऋण-स्थगन और ऋण-सेवा व्याप्ति अनुपात 1.50 से कम न होने समेत, पुनः भुगतान अवधि 12 वर्ष तक हो।

(ङ) केनरा बैंक ने सूचित किया है कि उसने रायचूर जिले में एक परियोजना के लिए धन मुहैया करवाया है।

सीमा शुल्क विभाग में भ्रष्टाचार

5570. श्री माधवराव सिंधिया :

प्रो. अजित कुमार मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 नवम्बर, 1997 के टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित समाचार "स्पीड मनी इज द कस्टम हियर" की ओर दिलाया गया है। जिसमें सीमाशुल्क विभाग में भ्रष्टाचार की स्थिति का वर्णन था, जिससे की निर्यातकों को अपना व्यापार छोड़ना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं, और उक्त विभाग

के कार्यकलापों की जांच करने और कार्यकरण को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) भारत सरकार को, दिनांक 12 नवम्बर, 1997 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" संस्करण में "स्पीड मनी इज द कस्टम हियर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है।

2. इन समाचारों के प्रकाशित होने के बाद, महानिदेशक सतर्कता के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने 25.11.97 और 26.11.97 को मुम्बई और न्हवा शेवा पत्तनों पर सीमा शुल्क गृहों का आकस्मिक दौरा किया। विभिन्न दलों को गोदियों, साथ न लाए गए असबाब केन्द्रों और न्हवा शेवा पत्तन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की जांच करने के लिए तैनात किया गया था।

3. सीमा शुल्क विभाग ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अवांछनीय प्रथाओं को रोकने के लिए हाल ही के वर्षों में बहुत से उपाय किए हैं। इनमें से अधिक महत्त्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं :

(i) अभिज्ञात आयातकों और वस्तुओं के मामले में तीव्रगामी निकासी योजना (फास्ट ट्रैक क्लीयरेंस स्कीम) आरम्भ करना।

(ii) साथ न लाए गए असबाब की निकासी और पोत–परिवहन दस्तावेजों पर कार्रवाई करने से संबंधित प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना।

(iii) कार्गो निकासी से संबंधित सभी मौजूदा प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाना ताकि उनमें और अधिक स्पष्टता लाई जा सके।

(iv) विलम्ब और उत्पीड़न संबंधी शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही के लिए लोक शिकायत सैलों की स्थापना करना।

(v) आकस्मिक जांचों और निरीक्षणों द्वारा सीमा शुल्क गृह में सतर्कता संबंधी गतिविधियों में चुस्ती लाना।

इसके अतिरिक्त, इस समय दिल्ली एअर कार्गो और 6 अन्य स्थलों में लागू स्वचालित सीमा शुल्क निकासी पद्धति को सभी सीमा शुल्क स्थलों में लागू किया जा रहा है। इस पद्धति से विलम्ब के मामलों में कमी होगी और अधिकारियों से बार–बार भेंट नहीं करनी पड़ेगी और इस प्रकार कथित रूप से अवांछनीय प्रथाओं की गुंजाइश कम हो जाएगी।

उरूग्वे वार्ता दौर

5571. श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उरूग्वे वार्ता दौर और मारकेश घोषणाओं के पश्चात् कितने समझौते किये गये और कितने निर्णय लिये गये;

(ख) श्रेणीवार उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत के लिए ये किस तरह लाभकारी होंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) मराकेश घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने के समय से डब्ल्यू. टी. ओ. सदस्यों के बीच जो मुख्य करार समझौते और निर्णय हुए वे डब्ल्यू. टी. ओ. व्यापार मंत्रियों के अभी तक हुए दो सम्मेलनों के परिप्रेक्ष्य में हुए हैं अर्थात् सिंगापुर में 9–13 दिसम्बर, 1996 के बीच और हाल ही में जेनेवा में 18–20 मई, 1998 को हुए सम्मेलनों के परिप्रेक्ष्य में सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन (एस.एम.सी.) एस. एम. सी. में लिए गए प्रमुख निर्णय उसके उपरान्त के निर्णय निम्नांकित क्षेत्रों में थे :

* व्यापार एवं पर्यावरण व्यापार उदारीकरण आर्थिक विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा के बीच पूरक विचारों की संभावना की जांच के लिए और कार्य करने का निर्णय किया गया।

* वस्त्र एवं क्लोदिंग–वस्त्र और क्लोदिंग उत्पादों को शासित करने वाली व्यवस्था को गैट के प्रावधानों के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया; यह निर्णय लिया गया कि टेक्सटाइल्स मानिटरिंग निकाय अपने सुझावों में पारदर्शिता लाएगा और वस्तुओं के व्यापार की परिषद वस्त्र एवं क्लोदिंग समझौते की कार्यप्रणाली की देखरेख करेगी।

* निवेश एवं प्रतिस्पर्द्धा नीति–इन विषयों और व्यापार के बीच संबंध की जांच करने के लिए कार्यदल बनाने पर सहमति हुई।

* सरकारी खरीद पारदर्शिता पहले से संबंधित चर्चाओं पर शासनादेश प्राप्त हुए हैं और कार्यदल स्थापित किया गया है।

* व्यापार और सेवाओं के बारे में सामान्य करार (गैट्स) चल रही वार्ताओं को संपन्न करने और रुकी हुई वार्ताओं को पुनः शुरू करने पर सहमति हुई। इस निर्णय के पश्चात् हुई वार्ताओं के परिणामस्वरूप वित्तीय सेवाओं के बारे में गैट्स का द्वितीय संलेख मूल निवासियों के आवागमन के बारे में गैट्स का तृतीय संलेख एवं मूल दूर–संचार सेवाओं के बारे में गैट्स का चौथा संलेख सम्पन्न हुआ। तदुपरान्त वित्तीय सेवाओं के बारे में आगे वार्ताएं हुईं जो 12.12.97 को सम्पन्न हुईं और इन वार्ताओं के परिणामों को समाहित करने वाला गैट्स का पांचवां संलेख अब हस्ताक्षर/अनुसमर्थन के लिए तैयार है। इसके साथ–साथ, पेशेवर सेवाओं से संबंधित कार्यदल ने लेखा परीक्षा क्षेत्र में पारस्परिक मान्यता समझौतों या व्यवस्थाओं के लिए गैर–बाध्यकारी दिशा–निर्देशों को भी अंतिम रूप दिया है।

व्यापार को सुविधाजनक बनाना; यह निर्णय लिया गया कि वस्तुओं के व्यापार की परिषद् इस क्षेत्र में डब्ल्यू. टी. ओ. नियमों के कार्यक्षेत्र का आंकलन करने के लिए व्यापार प्रक्रियाओं के सरलीकरण के बारे में खोज संबंधी कार्य करेगी।

*श्रम मानदंड–यह निर्णय किया गया था कि "संरक्षणवादी प्रयोजनों के लिए श्रम मानदंडों के उपयोग का बहिष्कार किया जाय"

और इस पर "सहमति हुई थी कि देशों को खासकर कम मजदूरी वाले विकसित देशों को मिलने वाले तुलनात्मक लाभों पर किसी भी हालत में प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जाय"।

* आसूचना प्रौद्योगिकी करार–एस. एम. सी. ने उन अनेक डब्ल्यू. टी. ओ. सदस्यों और डब्ल्यू. टी. ओ. में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले अन्य राष्ट्रों द्वारा शुरू किए गए कदमों का स्वागत किया, जिन्होंने एम. एफ. एन. आधार पर आसूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों में व्यापार के लिए टैरिफ हटाने पर सहमति बताई। भारत ने अपने उद्योग और अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ व्यापक बातचीत करने के बाद 25.3.97 को जेनेवा में आसूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों से संबंधित रियायतों को अपनी अंतिम अनुसूची प्रस्तुत की और आई. टी. ए. के भागीदारों ने आम सहमति से भारत की अनुसूची को अनुमोदित कर दिया है।

जिनेवा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (जी. एम. सी.)

जी. एम. सी. ने अपनी 20 मई, 1998 की अपनी मंत्रिस्तरीय घोषणा द्वारा :

* संरक्षणवादी उपायों के इस्तेमाल को अस्वीकार करने का निश्चय किया है और रेखांकित किया कि विश्व व्यापार के कार्य संचालन में सभी बाजारों को खुला रखना एक मूल तत्त्व होना चाहिए;

* इस बात पर जोर दिया कि "डब्ल्यू. टी. ओ. करार और मंत्रिस्तरीय निर्णयों का मुकम्मल और निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है;

* इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के बारे में अबाध्यकारी स्वरूप की एक पृथक घोषणा को अंगीकार किया जिसमें इस महत्त्वपूर्ण विषय पर कार्यक्रम की जरूरत पर सहमति व्यक्त की जिसके अनुसार विकासशील देशों की आर्थिक/वित्तीय और विकासपरक जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा तथा इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशनों पर आयात शुल्कों की मौजूदा स्थिरता को जारी रखने और यदि आवश्यक हुआ तो अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में बहुमत के आधार पर ही उसकी समीक्षा करने और उसमें वृद्धि करने का भी निर्णय लिया गया।

* ऐसी मंत्रिस्तरीय घोषणा की परिणिति जिसके तहत मौजूदा डब्ल्यू. टी. ओ. करारों के मुकम्मल और निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के तीसरे सत्र की तैयारी करने के लिए महापरिषद् के निर्देशानुसार एक प्रक्रिया की स्थापना की गई है। इस प्रक्रिया के अनुसार महापरिषद् अपने कार्यक्रम के माध्यम से मौजूदा करारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों के बारे में सिफारिशें करने, पहले से ही स्वीकृत बातचीत/भावी कार्य करने, सिंगापुर में हुए प्रथम मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में की गई सिफारिशों के अनुसार भावी कार्य करने, सबसे कम विकसित देशों पर हुई उच्च स्तरीय बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई पर सिफारिशें करने, "सदस्यों द्वारा अपने–अपने बहुपक्षीय व्यापार संबंधों से संबंधित प्रस्तावित और सहमत अन्य मामलों" के विचार से उत्पन्न होने वाली सिफारिशें करने के लिए समर्थ हो जाएंगी;

(ग) चूंकि, निष्पादित किए गए करार परम मित्र राष्ट्रों के आधार पर हैं इसलिए डब्ल्यू. टी. ओ. के अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई प्रतिवद्धताओं में वस्तुओं और सेवाओं के हमारे निर्यातों के लिए वर्धित बाजार पहुंच संबंधी अवसरों की व्यवस्था की गई है। मंत्रिस्तरीय घोषणाओं में स्थापित किए गए सिद्धांतों का उद्देश्य डब्ल्यू. टी. ओ. प्रणाली को और अधिक समतामूलक और पारदर्शी बनाना है और इस प्रकार ये भारत सहित डब्ल्यू. टी. ओ. के सदस्यों के लिए आमतौर पर लाभकारी हैं।

कालीन उद्योग

5572. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की ऊंची कीमतों एवं विश्व बाजार में भारी स्पर्धा के कारण देश के हस्त निर्मित कालीन उद्योग में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/प्रस्तावित उपाय क्या हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) हाथ से बुने कालीन उद्योग विश्व बाजार में कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि और कड़ी प्रतिस्पर्धा, जैसे कारणों से गिरावट की आशंका का सामना कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय कालीन उद्योग के लिए कच्चे माल की ऊंची कीमतों पर नियंत्रण रखेन के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उपायों में कालीन श्रेणी वूल पर आयात शुल्क में कमी, शुल्क वापसी की प्रतिपूर्ति, निर्यातकों द्वारा मुक्त सामान्य लाइसेंसिंग के अन्तर्गत कच्चे ऊन का आयात और अग्रिम लाइसेन्सिंग योजना के अन्तर्गत स्पन सिल्क यार्न का आयात, विदेशों में बिक्री–सह–अध्ययन दल को प्रायोजित करना, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/त्यौहारों में भाग लेना, विदेशों में प्रचार, क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन करना, कार्यशालाओं व सेमिनारों का संचालन करना और वार्षिक पुरस्कार और कालीन एक्सपो का आयोजन शामिल है।

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए निधियां

5573. श्री समर चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर राज्यों को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के साथ सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार प्राप्त सहायता को राज्य योजना के लिए अतिरिक्त सहायता माना जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में राज्यवार मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष के दौरान असम और मणिपुर ने बाह्य सहायता के रूप में अभी तक क्रमशः 6.42 करोड़ और 4.48 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1997–98 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में अनुमोदित परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	बाह्य सहायता की राशि
1.	अरुणाचल प्रदेश	(i) प्रकृति परिरक्षण और पर्यावरणीय संवर्धन को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा तथा क्षमता विनिर्माण।	3.16 करोड़ रुपए (अनुदान)
2.	असम	(i) एन. ई. ई. पी. सी. ओ. (नेपको) का असम गैस टरबाइन विद्युत स्टेशन और ट्रांसमीशन (आई. डी. पी.–96)	15821 मिलियन येन (ऋण)
		(ii) आई. पी. पी. IX (2630–आई. एन.)	87.102 मिलियन अमरीकी डालर (ऋण)
		(iii) डी. पी. ई. पी. (2630–आई. एन.)	251.291 मिलियन अमरीकी डालर (ऋण)
		(iv) डी. पी. ई. सी. (2876–आई. एन.)	403.820 मिलियन अमरीकी डालर (ऋण)
		(v) ग्रामीण अवसंरचनात्मक कृषि संबंधी विकास परियोजना।	112.185 मिलियन अमरीकी डालर (ऋण)
3.	मणिपुर	(i) लोकटक झील का दीर्घाकालीन विकास और संसाधन प्रबंधन	14.39 करोड़ रुपए (अनुदान)
		(ii) मणिपुर रेशम उत्पादन परियोजना (आई. डी. पी. 134)	3962 मिलियन येन (ऋण)
		(iii) उच्च क्षमता पेय जल के लिए एकीकृत पैकेज जल निष्पादन स्टाल (छतरी) (इम्फाल)	4.60 करोड़ रुपए (ऋण)
		(iv) इम्फाल उख्रूल रोड़ में सुधार	4.90 करोड़ रुपए (ऋण)
4.	मेघालय	(i) उमियम हाइड्रो–इलैक्ट्रिक पावर स्टेशन परियोजना (आई. डी. पी.–118)	1700 मिलियन येन (ऋण)
5.	मिजोरम	(i) तुईरियाल हाइड्रो–इलैक्ट्रिक पावर स्टेशन परियोजना (आई. डी. पी.–119)	11695 मिलियन येन (ऋण)
6.	नागालैण्ड	(i) नागालैण्ड पर्यावरण संरक्षण तथा आर्थिक विकास	12.60 करोड़ रुपए (अनुदान)
7.	**बहु-राज्यीय परियोजनाएं**		
(i)	अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर	एन. कुष्ठ निवारण (2528–आई. एन.)	84.679 मिलियन अमरीकी डालर (ऋण)
(ii)	असम और मणिपुर	क्षय रोग नियंत्रण (2936 आई. एन.)	136.105 मिलियन अमरीकी डालर (ऋण)
(iii)	असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा	मलेरिया नियंत्रण (2964–आई. एन.)	164.800 मिलियन अमरीकी डालर (ऋण)
(iv)	असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश	आर. सी. एच. एस. (018–आई. एन.)	248.300 मिलियन अमरीकी डालर (ऋण)
(v)	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा	भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में लघु जल (हाइडेल) संसाधनों का अधिकतम विकास।	7.5 मिलियन अमरीकी डालर (ऋण)

केरल में केन्द्रीय निवेश

5574. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में सार्वजनिक उद्यमों में कुल कितना केन्द्रीय निवेश हुआ;

(ख) क्या सरकार केरल में केन्द्रीय निवेश के निराशाजनक रूप से कम स्तर के बारे में अवगत है जो कि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम स्तर पर है;

(ग) क्या सरकार राज्य में केन्द्रीय निवेश में भारी वृद्धि करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) वर्ष 1994–95, 1995–96 और 1996–97 के लोक उद्यम सर्वेक्षण के अनुसार 31.3.1995, 31.3.1998 तथा 31.3.1997 को सकल ब्लॉक के रूप में केरल राज्य के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में यथा निवेशित केन्द्रीय निवेश की प्रमात्रा क्रमशः 2905.65, 3390.02 तथा 3991.76 करोड़ रुपए थी। इस अवधि के दौरान सकल ब्लॉक के मामले में विभिन्न राज्यों में केरल 15वें से लेकर 17वें स्थान पर था।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में केन्द्रीय निवेश की योजना राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। फिर भी तकनीकी, आर्थिक व्यवहारिता की अवहेलना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के पिछड़ेपन को काफी तरजीह दी जाती है।

पेट्रोलियम, इस्पात और पूंजीगत सामान का आयात मूल्य

5575. श्री विठ्ठल तुपे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों, इस्पात और पूंजीगत सामान जैसी मुख्य मदों का आयात मूल्य बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विदेशी व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा; और

(ग) देश में उक्त अवधि के दौरान कुल आयात में से उक्त मदों का प्रतिशत क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ग) वर्ष 1995–96, 1996–97 के दौरान पेट्रोलियम और उसके उत्पाद, लोहा तथा इस्पात और पूंजीगत सामान का आयात मूल्य नीचे दिया गया है :

(मूल्य लाख रु. में)

आयात की मद	1995–96	1996–97	1997–98
पेट्रोलियम एवं उत्पाद	25,17360	35,62,872	30,55,823
	(20.5%)	(25.6%)	(20.2%)
लोहा तथा इस्पात	4,48,106	4,57,893	5,29,374
	(3.7%)	(3.3%)	(3.5%)
पूंजीगत सामान	28,28,846	29,86,854	26,53,079
	(23.1%)	(21.5%)	(17.5%)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े देश में कुल आयात का प्रतिशत प्रदर्शित करते है।

(आंकड़े अनंतिम हैं)

स्रोत : डी. जी. सी. आई. एण्ड एस., कलकत्ता

उपरोक्त विवरण से यह देखा जा सकेगा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त मदों के संबंध में आयात मूल्य में जो परिवर्तन हुए हैं वे घरेलू मांग और अंतर्राष्ट्रीय कीमत संबंधी स्थिति के अनुसार उचित सीमा के भीतर रहे हैं।

[हिन्दी]

भंडार का सत्यापन

5576. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोकिंग कोल लि. की विभिन्न खानों के भूमि–भंडार का किस तारीख को अंतिम सत्यापन किया गया था;

(ख) सत्यापन के दौरान कितनी मात्रा में कोयले की कमी होने का अनुमान है;

(ग) क्या कोल इंडिया लि. ने इस संबंध में कोकिंग कोल लि. के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) के माप दल द्वारा वर्ष 1997–98 के लिए सेकोलि की सभी खानों में भूतल स्थित स्टॉकों का सत्यापन दिनांक 3.4.1998 से 4.5.1998 की अवधि में किया गया। को. इं. लि. के अन्य दल द्वारा दिनांक 2.7.1998 को उक्त माप की जांच की गई।

(ख) से. को. लि. की केवल एक खान अर्थात् सौदा "डी" में (+) (–) 5% की स्वीकार्य सीमा से अधिक का विचलन पाया गया। इस संबंध में स्थिति निम्न प्रकार थी :

बुक स्टाक	46,191 टन
प्रत्यक्ष स्टाक	35,737 टन
कमी	10,454 टन

(ग) से (ङ) कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है कि इस मामले में कोई कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि–

(i) लगभग 11,000 टन कोयले का स्टॉक आग से प्रभावित था जिसकी माप को. इं. लि. के माप दल ने नहीं की। इस संबंध में उन्होंने जांच दलों को जारी उन निदेशों का अनुपालन किया जिसमें यह निर्देश था कि आग से प्रभावित स्टॉकों की माप नहीं की जानी है।

(ii) स्टॉक में लगी आग बुझा दी गई और तत्पश्चात् उक्त कोयले को प्रेषित कर दिया गया।

(iii) बाद में, को. इं. लि. के जांच दल ने 2.7.1998 को इन स्टॉकों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जिसमें इस बात की पुष्टि की गई कि स्टॉक में कमी 5% से अधिक नहीं हुई है।

[अनुवाद]

एन. जे. एम. सी. के लिए पुनरुद्धार योजना

5577. डॉ. असीम बाला : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम (एन. जे. एम. सी.) का पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण करने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां।

(ख) एन. जी. एम. सी. का पुनरुद्धार/पुनर्निर्माण करने की योजना में 248.05 करोड़ रु. की निधियों की व्यवस्था करना निहित है जिसके निम्नलिखित संघटक हैं :

संघटक	निधियों की व्यवस्था (करोड़ रु. में)
1. पूंजीगत व्यय	35.70
2. प्रारम्भिक खर्चे	106.12
3. क्रियान्वयन अवधि के दौरान होने वाला अनुमानित नकदी घाटा	88.66
4. राष्ट्रीय नवीकरण निधि	17.57
कुल	248.05

तथा इसके साथ ही अब तक मौजूदा ऋण पर प्रभारित/प्रभारित किए जाने वाले समग्र ब्याज को छोड़ने तथा 31.3.1998 तक नकदी घाटे की प्रतिपूर्ति करने तथा आधुनिकीकरण के ऋण को इस तरह से पुनर्निर्मित करने ताकि 300 करोड़ रु. की राशि को 7 प्रतिशत की ब्याज दर से गैर संचयी पुनः प्राप्त करने योग्य वरीयता शेयरों में परिवर्तित किया जा सके जिसे कि 10 वर्षों के बाद चरणबद्ध तरीके से वापस लिया जा सकता है तथा 439.83 करोड़ रु. की बाकी राशि को इक्विटी पूंजी के रूप में परिवर्तित करने की भी व्यवस्था है।

केरल में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

5578. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों, यदि कोई हो, की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन्हें फिर से चालू करने के लिये सरकार द्वारा उठाये जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) केरल राज्य में अपने पंजीकृत कार्यालय वाले 5 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से कोई भी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) में रुग्ण उपक्रम के रूप में पंजीकृत नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

लघु उद्योग संबंधी समिति

5579. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के संबंध में एस. एल. कपूर की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार लघु उद्योग एककों के लिए ऋण वितरण प्रणाली के कार्य की पुनरीक्षा करने के लिए दिसम्बर, 1997 में गठित एस. एल. कपूर समिति ने 30 जून, 1998 को भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

लघु उद्योगों में अपेक्षाकृत छोटे उद्योगों के साथ विशेष व्यवहार, संमिश्र ऋण की प्रमात्रा में वृद्धि, लघु उद्योग अग्रिमों के रास्ते में आने

वाली प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को दूर किया जाना, स्टाम्प शुल्क हटाने और साम्यिक बंधकों की अनुमति देने सहित भूमि को बंधक रखने से संबंधित मामलों को निपटाना, लघु उद्योग ऋणों का पुनर्वित्त पोषण करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को निम्न लागत वाली निधियां जुटाने की अनुमति, 2 लाख रु. तक के ऋणों पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त न करना, नए उद्यमियों, जो सम्पार्श्विक प्रतिभूतियों या अन्य पक्ष गारंटी दे पाने में कठिनाई महसूस करते हैं, को सहायता प्रदान करने के लिए सम्पार्श्विक आरक्षित निधि की स्थापना, महानगरीय और शहरी क्षेत्रों में/के आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए लघु उद्योग आधारिक विकास निधि की स्थापना, रुग्ण लघु उद्योग एककों की परिभाषा में परिवर्तन, राज्य स्तरीय अंतर-संस्थागत समिति (एस. एल. आई. आई. सी.) को सांविधिक शक्तियां देना, अलग से एक गारंटी संगठन की स्थापना और 1000 अतिरिक्त विशेषज्ञ शाखाएं खोलना इस समिति द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण सिफारिशों में से है।

इस समिति ने ये सिफारिशें भी की हैं : सिडबी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के समकक्ष लाने के लिए उसकी भूमिका और हैसियत में वृद्धि की जाए। लघु उद्योगों के विभिन्न उप-क्षेत्रों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के बारे में सुझाव दिए जाएं, बैंकों से लघु उद्योगों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त तदर्थ सीमाएं मंजूर की जाएं और सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक की पहल और आरंभिक संग्रह (कोरपस) लेकर पुनर्निर्माण निधि की स्थापना करना ताकि शाखा प्रबंधकों को ऐसी अतिरिक्त सुविधाओं के लिए आरंभिक संग्रह (कोरपस) मार्जिन मनी, यदि आवश्यक हो, प्रदान करने में समक्ष बनाया जा सके, अत्यन्त लघु क्षेत्र को सिडबी के संसाधनों का कम से कम 40 प्रतिशत निर्धारित किया जाए, लघु उद्योगों को संयुक्त रूप से सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी सीमा प्रदान करने के लिए राज्य वित्तीय निगमों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच अत्यधिक सहयोग हो, 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत वाले ग्रामीण औद्योगिक एककों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय इक्विटी निधि जैसी निधि की नाबार्ड स्थापना करे, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिंग ओमबड्समैन योजना में शामिल न किए गए प्रत्येक बैंक में शिकायतों के लिए अलग से ओमबड्समैन की नियुक्ति किया जाना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन दिया जाए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस समिति की सिफारिशों की सिडबी, भारतीय बैंक संघ, बैंक और राज्य सरकार सहित सरकारी विभागों जैसी विभिन्न एजेंसियों के परामर्श से जांच की जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में आवश्यक कदम उठा रहा है।

शेयर दलालों द्वारा कुछ शेयरों की भारी खरीद

5580. श्री अमन कुमार नागरा :

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक शेयर दलालों द्वारा कुछ शेयरों की भारी खरीद की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय चल रही "बदला प्रणाली" किस हद तक दलालों की सहायता करने और कतिपय शेयरों के मूल्यों में कृत्रिम वृद्धि के लिए उत्तरदायी है;

(घ) क्या ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए "सेबी" द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि कुछ ब्रोकरों ने बी. पी. एल. लिमिटेड, वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सामान्य कारोबार और वायदा व्यापार प्रणाली दोनों में ही, की स्क्रिपों में शेयरों की भारी खरीद की है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सेबी द्वारा हाल ही में किए गए कुछ उपायों में शामिल हैं-वर्धित वायदा व्यापार खरीदों पर वर्धनात्मक मार्जिन, नकदी और वायदा व्यापारों में स्क्रिपों में संकेन्द्रित खरीदों पर मार्जिन, कीमत के उतार-चढ़ाव से संबंधित श्रेणीकृत अस्थिरता मार्जिन, आदि।

कमजोर वर्गों को ऋण

5581. डॉ. रवि मल्लू : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र विशेष रूप से कमजोर वर्गों और किसानों को ऋण देने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए;

(ख) क्या इन सभी बैंकों ने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित भारतीय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र और उसके उप-क्षेत्रों को ऋण देने के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :

कुल प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम	:	निवल बैंक ऋण का (एन. बी. सी.) 40 प्रतिशत
कुल कृषि अग्रिम		एन. बी. सी. का 18%
कमजोर वर्गों को अग्रिम	:	एन. बी. सी. का 10 प्रतिशत

(ख) और (ग) मार्च, 1998 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, प्राथमिकता क्षेत्र और उसके उपक्षेत्रों को ऋण देने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्यनिष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों जिन्होंने मार्च, 1997 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, 40 प्रतिशत का कुल प्राथमिकता क्षेत्र के उधार देने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, से कहा गया है कि वे सम्पूर्ण कमी का राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के ग्रामीण आधारभूत विकास निधि–III (आर. आई. डी. एफ.–III) में अंशदान करें सरकारी क्षेत्र के वे बैंक जिन्होंने इसी तारीख को कृषि उधार देने के 18 प्रतिशत के उप–लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है उनसे कहा गया है कि वे यथानुपात के आधार पर 928 करोड़ रुपए की राशि की आर. आई. डी. एफ.–III में अंशदान करें।

विवरण

मार्च 1998 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र और उसके उप–क्षेत्रों को ऋण देने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्यनिष्पादन

(प्रतिशत में)

बैंक का नाम	कुल प्राथमिकता क्षेत्र (लक्ष्य : 40%)	इसमें से कृषि को (लक्ष्य : 18%)	इसमें से कमजोर वर्गों को (लक्ष्य : 10%)
1	2	3	4
1. भारतीय स्टेट बैंक	37.46	14.63	7.00
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	40.61	12.66	7.58
3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	37.60	15.65	14.72
4. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	45.22	17.58	6.38
5. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	41.84	16.86	7.13
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	39.88	17.03	8.59
7. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	44.41	14.50	4.58
8. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	57.99	21.40	25.37
9. इलाहाबाद बैंक	36.10	13.25	8.43
10. आंध्रा बैंक	41.37	18.28	9.63
11. बैंक ऑफ बड़ौदा	46.86	17.99	8.13
12. बैंक ऑफ इंडिया	48.27	18.46	4.92
13. बैंक ऑफ महाराष्ट्र	41.02	16.50	7.27
14. केनरा बैंक	48.57	20.25	11.22
15. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	40.56	10.99	9.73
16. कारपोरेशन बैंक	42.65	11.56	3.34
17. देना बैंक	42.33	14.00	3.69
18. इंडियन बैंक	43.18	19.21	12.28
19. इंडियन ओवरसीज बैंक	44.61	19.12	11.13
20. ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	44.18	20.02	8.89
21. पंजाब नेशनल बैंक	40.66	13.08	9.17
22. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	44.24	14.93	5.76
23. सिंडिकेट बैंक	42.63	15.87	8.52
24. युनियन बैंक ऑफ इंडिया	46.16	15.53	7.47
25. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	41.94	15.35	9.68
26. यूको बैंक	37.28	13.35	8.56
27. विजया बैंक	44.65	15.12	10.01
योग	41.85	15.72	8.31

यूरोमनी कान्फ्रेंस

5582. श्री अजीत जोगी :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 25 जून, 1998 को "यूरोमनी इन्वेस्टर्स कांफ्रेंस" हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूरोमनी निवेशकों ने डर और आशंकाएं व्यक्त की हैं, यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके डर और आशंकाओं को दूर

करने के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) इस कांफ्रेंस से उभरे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अद्यतन परिदृश्य क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) हमें ज्ञात हुआ है कि "यूरोमनी पब्लिकेशन्स पी. एल. सी. लंदन" के एक स्कंध "यूरोमनी कांफ्रेंस" ने "भारत–आधार ढांचा परियोजनाओं और वित्तीय बाजारों में विदेशी निवेश" विषय पर 25 और 26 जून, 1998 को एक सम्मेलन का आयोजन किया था यह सम्मेलन हाल में हुई राजनीतिक घटनाओं और भारतीय अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय बाजारों पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का भारत के प्रगतिशील और तेजी से औद्योगीकृत होते राज्यों में–विशेषकर आधार ढांचा परियोजनाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अवसरों पर ध्यान केन्द्रित करने का भी प्रस्ताव था।

समाचार रिपोर्टों से पता चला है कि सम्मेलन में अन्य बातों के अलावा, हाल की घटनाओं, जैसे संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और भारत में विदेशी निवेशों के संबंध में भारत की "सॉवरेन रेटिंग का दर्जा नीचे करने, पर भी चर्चा की गई लेकिन सम्मेलन के दौरान इन घटनाओं के प्रभाव पर कोई सर्वसम्मत राय क़ायम नहीं हो सकी।

इन प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार का सामान्य रवैया यह रहा है कि दूसरे देशों को हमारी स्थिति की बेहतर जानकारी दी जाए और निजी पूंजी प्रवाहों को प्रोत्साहित किया जाए। इस प्रयोजन के लिए, सरकार यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अनिवासी भारतीयों और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए जाने वाले निवेश के अन्तर्प्रवाहों को प्रोत्साहित करने की अपनी घोषित नीतियों का पालन कर रही है।

[हिन्दी]

पूर्वी यूरोपियन बाजार को निर्यात

5583. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पूर्वी यूरोपियन बाजार में अपेक्षित स्तर तक अपने निर्यात में वृद्धि नहीं कर पाया है, जहां कि इसकी असीमित संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वे क्षेत्र या वस्तुएं कौन–कौन सी हैं जिनमें भारत पूर्वी यूरोप के बाजार में अपना निर्यात बढ़ा सकता है;

(घ) क्या सरकार निर्यात में वृद्धि करने हेतु एक दीर्घ कालीन नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) वर्ष 1996–97 की तुलना में वर्ष 1997–98 में 3.72% की वृद्धि हुई है। पूर्व यूरोपीय देशों को कुल निर्यात वर्ष 1997–98 में 194.20 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा 1996–97 में 187.24 मिलियन अमरीकी डॉलर का था।

(ख) इस उपान्तिक वृद्धि के कुछ कारणों में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल है : बल्क व्यापार के स्थान पर खण्डशः बल्क व्यापार शुरू होने के कारण सुस्थापित व्यापार संगठन का विफल होना, इन देशों में आर्थिक और वित्तीय अस्थिरता का प्रारम्भिक दौर होने के कारण नकदी संबंधी अड़चनें आना, द्विपक्षीय व्यापार की प्रणाली और अवस्थिति में कुछेक फेरबदल होना आदि।

(ग) सहायक उपकरणों, कॉफी, औषधियों, भेषजों और परिष्कृत रसायन, हस्तशिल्प आदि सहित कॉटन यार्न, फेब्रिक्स, निर्मितियों चाय, आरएमजी कॉटन जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाने तथा सॉफ्टवेयर, रत्न एवं आभूषण, ऑटोमोबाइल पुर्जों आदि के विविधीकरण की गुंजाइश है।

(घ) से (च) निर्यात में और अधिक वृद्धि के लिए सरकार पहले से ही सकारात्मक प्रोत्साहनों/नीतियों को प्रवृत्त कर चुकी है, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ शामिल है :

(i) सीधे व्यापार सम्पर्कों को प्रोत्साहन देना, उदाहरण के लिए व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, प्रतिनिधिमंडलों को भेजने और बुलाने, संयुक्त व्यापार परिषदों आदि के माध्यम से;

(ii) संयुक्त उद्यमों और आर्थिक सहयोग के अन्य तरीकों का संवर्धन;

(iii) प्रति–व्यापार और इसके विविध स्वरूपों को प्रोत्साहन;

(vi) संयुक्त आयोगों, संयुक्त समितियों की स्थापना और इनकी बैठकों का आयोजन;

(v) आर्थिक सहयोग के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना;

(vi) बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण को प्रोत्साहन;

(vii) परेषण निर्यातों और भण्डागार सुविधाओं को प्रोत्साहन;

(viii) पारस्परिक वाणिज्यिक दौरों को प्रोत्साहन;

(ix) इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर, रत्न और आभूषण समुद्री उत्पाद आदि जैसी मदों के निर्यात क्षेत्रों में वस्तुओं के विविधीकरण को प्रोत्साहन।

[अनुवाद]

आयकर जांच निदेशक

5584. श्री वीरेन्द्र वर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर जांच निदेशक के अधीन कार्य कर रहे एककों को वर्ष 1994–95, 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 131 और 132 के अन्तर्गत कर मामलों के संबंध में सूचना भेजने के लिए कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुम्बई में अलग–अलग वर्षवार ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अन्तर्गत तलाशी और अभिग्रहण कार्रवाइयां प्राधिकृत की जाती हैं। आयकर अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत सांविधिक रूप से कोई सूचना प्रस्तुत किए जाने हेतु नहीं कहा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 131(1क) के अधीन वर्ष 1994–95, 1995–96, 1996–97 और 1997–98 के दौरान दिल्ली, मुम्बई, उत्तर प्रदेश का क्षेत्राधिकार रखने वाले संबंधित आयकर निदेशक (जांच) के अधीन कार्यरत यूनिटों द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं ताकि कुछेक सूचना की वास्तविकता की जांच की जा सके और अथवा तलाशी पूर्व जांच करने के प्रयोजनार्थ सूचना प्राप्त की जा सके। चूंकि जांच के मामलों के संबंध में ये नोटिस भिन्न–भिन्न फाइलों, जिनकी संख्या अनेक से जारी किए गए हैं। अतः उन मामलों की संख्या प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं है जिसमें उपर्युक्त वर्षों के लिए ऐसे नोटिस जारी किये गए हैं।

[हिन्दी]

जांच समितियों का गठन

5585. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला उद्योग में हुई दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए गठित की गई समितियों का आज तक का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन समितियों द्वारा क्या सिफारिशें की गईं;

(ग) क्या उक्त समितियों की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन जांच समितियों में से खान सुरक्षा महानिदेशालय के स्तर पर कितनी समितियां हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) 1973 में कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से, 14 बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनके लिए खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 के अंतर्गत भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जांच न्यायालय का गठन किया गया जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) से (घ) प्राप्त रिपोर्ट की सिफारिशों तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है। न्यू केन्डा और गजलीटांड में हुई दुर्घटनाओं की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) श्रम मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में संदर्भगत किसी समिति/जांच न्यायालय की अध्यक्षता नहीं की गई है।

विवरण–I

क्र.सं	तारीख	कोलियरी	निम्न की अध्यक्षता	कारण	हताहतों की संख्या में गठित जांच न्यायालय
1	2	3	4	5	6
1.	18.3.73	जितपुर, इस्को	श्री आर. सी. दत्त, भूतपूर्व एम. डी., एनसीडीसी	विस्फोट	48
2.	9.8.75	केसुरगढ़, भाकोकोलि	–वही–	छत का गिरना	11

1	2	3	4	5	6
3.	20.11.75	सिलेवारा,	श्री पी. एम. नायक, आई. ए. एस.	जलाप्लावन	10
		वेकोलि	सेवा–निवृत्त सचिव		
4.	27.12.75	चासनाला,	न्यायाधीश यू. एन. सिन्हा,	–वही–	375
		इस्को	भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश,		
			पटना उच्च न्यायालय		
5.	5.4.76	–वही–	–वही–	–वही–	5
6.	16.9.76	सेंट्रल सौंदा,	श्री एन. पी. दुबे,	–वही–	10
		सेकोलि	भूतपूर्व–सचिव, भारत सरकार		
7.	4.10.76	सुदामडीह,	श्री एच. सी. सरीन,	विस्फोट	45
		भाकोकोलि	भूतपूर्व–सचिव, भारत सरकार		
8.	22.10.79	बारागोलाई,	श्री टी. एस. संकरन,	–वही–	16
		नाईको	आई. ए. एस., अपर सचिव		
9.	24.6.81	जगन्नाथ,	श्री के. राममूर्ति, सदस्य,	आग	10
		सेकोलि	राजस्व बोर्ड,		
		(अब मकोलि में)	उड़ीसा सरकार		
10.	16.7.82.	टोपा,	न्यायमूर्ति पांडेय,	छत पर गिरना	16
		सेकोलि	भूतपूर्व जज, जबलपुर		
			उच्च न्यायालय		
11.	14.11.83	हुरीलाडीह,	न्यायाधीश सी. टी. दीघे,	जलाप्लावन	19
		भाकोकोलि	भूतपूर्व जज,		
			बंबई उच्च न्यायालय		
12.	13.11.89	महाबीर,	श्री पी. सी. होटा,	–वही–	6
		ईकोलि	अपर सचिव, भारत सरकार		
13.	25.1.94	न्यू केंदा,	न्यायमूर्ति शमसुद्दीन अहमद,	आग	55
		ईकोलि	भूतपूर्व जज,		
			कलकत्ता उच्च न्यायालय		
14.	26.9.95	गैसलीटांड,	न्यायमूर्ति एस. के. मुखर्जी,	जलाप्लावन	64
		भाकोकोलि	भूतपूर्व जज, इलाहाबाद		
			उच्च न्यायालय		

विवरण–II

1. विषयों जैसे खान पंखों का प्रचालन, आप्लावन के विरुद्ध सावधानियां, सतह की आग, खान योजनाओं के अनुरक्षण, आकस्मिक योजनाओं का तैयार किया जाना, और बचाव और बरामद आपरेशनों का नियंत्रण, से संबंधित 17 सिफारिशें हैं। खान नियम 1995, खान बचाव नियम 1985 और कोयला खान विनियम 1957, के उपबंधों में संशोधनों द्वारा आवश्यक परिवर्तनों को सम्मिलित किया गया है।

2. 46 सिफारिशें प्रशासनिक गठन में सुधार और नीति परिवर्तनों के लिए हैं। कोयला कंपनियों ने ऐसी सिफारिशों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर आवश्यक अनुदेशों और मार्गदर्शनों को जारी किया है। पिट–सेफ्टी समितियों, आंतरिक सुरक्षा संगठन, कर्मकार निरीक्षकों, और सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका को सक्रिय बताया गया है। अधिकारियों द्वारा भूमिगत निरीक्षणों की आवृत्ति के लिए निर्धारित नियमों का अब अनुसरण किया जा रहा है। खानों के निरीक्षणों में कर्मकार संघों के सक्रिय सहयोग को प्रोत्साहित किया गया है और कर्मकार निरीक्षकों को अब आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा की जाने वाली दुर्घटना जांचों के साथ संबद्ध किया जा रहा है। रविवार को रोस्टर ड्यूटियों की अतिरिक्त पद्धति और किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए चार्ज भत्ते को शुरू किया गया है। कंपनी की योजना विंग को मजबूत किया गया है। कर्मकारों के प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण को प्रबलता से अग्रसर किया जा रहा है और पुनश्चर्या व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण में सुधार किया गया है। खानों में अवर–प्रबंधकों/सहायक प्रबंधकों/पर्यवेक्षकों और अन्य कानूनी कार्मिकों की कमी को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं और डी. जी. एम. एस. निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3. विभिन्न जांचों द्वारा सामान्य प्रकृति के किए गए 28 मदों (संप्रेक्षणों) को मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए सभी संबंधितों में व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है।

4. 10 सिफारिशों, मैथनोमीटरों, कार्बन मोनोक्साइड डिटेक्टर्स, पोर्टेबिल बोरिंग उपकरणों और एंबुलेंसों, जो तब से प्राप्त किए गए हैं और अनुरक्षण किए गए हैं, सुधार किए गए निवेश (इन–पुट्स) से संबंधित है। एस. टी. डी. टेलीफोन सेट्स/वी. एच. एफ. और अन्य वायरलैस पद्धतियों की शुरुआत के साथ ही खानों की टेली कम्प्यूनिकेशन पद्धतियों में अच्छा सुधार हुआ है। सभी आवश्यक मामलों में पर्यावरण पर्यवेक्षणों और हाइड्रो–जीयोलोजिकल अध्ययन किए गए हैं।

5. 5 सिफारिशों के पूर्ण क्रियान्वयन में देश में, निधियों (कोषों) की बाधाओं और उपयुक्त तकनीकी की कमी के कारण कठिनाइयां अनुभव की गई हैं। इनमें, स्वयं बचाव, सांस लेने के उपस्कर और भूमिगत पर्यावरण मानिटरिंग को निरंतर रिकार्ड करने वाली प्रणालियों की व्यवस्था सम्मिलित हैं। कुछ मामलों में, उपयुक्त तकनीकियों जैसे, संक्षिप्त समयावधि के लिए भूमि रिवास युक्तियों, गैस डिटेक्टरों के लिए सेंसर के विकास के लिए अन्वेषणों और फील्ड परीक्षणों को अभी भी किया जा रहा है। असर्वेक्षित पुराने कार्यस्थलों में नये पानी निकायों का पता लगाने के लिए विदेशी सहायता मांगी गई है।

[अनुवाद]

मकान किराया भत्ता

5586. डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभी (भाई की पत्नी) मकान किराया भत्ता पाने की हकदार है जबकि वह अपने देवर/जेठ को आबंटित सरकारी मकान में रह रही है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर सरकारी आदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे मामलों में मकान किराया भत्ते देने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) सरकारी कर्मचारी यदि वह किराया अदा करता/करती है या किराए या गृहकर अथवा सम्पत्ति कर के संबंध में कोई अंशदान करता/करती है तो वह समय–समय पर यथा अधिसूचित दरों के अनुसार मकान किराया भत्ता पाने का हकदार है।

तथापि कोई भी सरकारी कर्मचारी मकान किराए भत्ते का हकदार नहीं है, यदि वह;

(i) किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को आबंटित किराया मुक्त आवास में रहे; अथवा

(ii) सरकार द्वारा अपने माता–पिता/पुत्र/पुत्री को आबंटित मकान में रहे; अथवा

(iii) यदि उसके पति/पत्नी को भी सरकार द्वारा उसी स्टेशन में मकान आबंटित किया गया हो।

चमड़े के सामान का निर्यात

5587. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997–98 के दौरान चमड़े की वस्तुओं के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) गत वर्ष के दौरान भारत से चमड़े की वस्तुओं का किन–किन देशों ने आयात किया;

(ग) क्या भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों का चमड़े की वस्तुओं

के निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) वर्ष 1997–98 के दौरान 259.66 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की चमड़े की वस्तुओं का निर्यात किया गया था, जो कि चर्म क्षेत्र से विदेशी मुद्रा में प्राप्त कुल आय का लगभग 18% बैठता है।

(ख) जर्मनी, यू. एस. ए., यू. के. इटली, फ्रांस का नाम उन देशों की सूची में सबसे ऊपर है, जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान भारत से चमड़े की वस्तुओं का आयात किया था। आस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, रूस, स्पेन आदि अन्य प्रमुख आयातक देश हैं।

(ग) उद्योग क्षेत्र से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार प्रतिबंधों द्वारा भारत से होने वाले चमड़े की वस्तुओं के निर्यात प्रभावित नहीं हुए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मीथेन गैस

5588. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों से पाइपलाइन के जरिए मीथेन गैस निकालने का कोई प्रयोग और उसका उपयोग देश में कहीं पर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मीथेन गैस निकालने पर कितना व्यय किया गया तथा इसका उपयोग किस–किस तरह से किया जा सकता है; और

(ग) क्या मीथेन गैस निकालने की उपरोक्त प्रणाली आर्थिक रूप से सस्ती है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) जी, नहीं। किन्तु भा. को. को. लि. की सुदामडीह और मूनीडीह खानों में कोयला मंत्रालय और यू. एन. डी. पी./ग्लोबल इनवायरमेंट फेसिलिटी (जी. ई. एफ.) द्वारा "कोलबैड मीथेन की प्राप्ति और उसकी वाणिज्यिक उपयोगिता" नाम की एक परियोजना का प्रस्ताव किया गया है। विद्युत उत्पादन के लिए मीथेन गैस को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है तथा इसे ओपनकास्ट परियोजनाओं में डंप ट्रकों के लिए सम्पीडित प्राकृतिक गैस के रूप में ईंधन के उपयोग में लाया जा सकता है।

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयला सीमों से मीथेन गैस वाणिज्यिक आधार पर निकाली जा रही है।

[अनुवाद]

कचार पेपर मिलें

5589. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्य में स्थित कचार पेपर मिलों की विपणन समस्याओं के बारे में भारतीय व्यावसायिक कर्मकार ट्रेड यूनियन केन्द्र से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के मुख्य पेपर उपभोक्ता विभागों से हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की असम में स्थित नौगांव पेपर मिल तथा कछार पेपर मिल, दो निर्माणकारी इकाइयों के उत्पादित पेपर को संरक्षण देने का अनुरोध किया गया है।

नासिक में कुम्भ मेला

5590. श्री माधवराव पाटील : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी वर्ष नासिक में होने वाले कुम्भ मेले के लिए बजट में कोई आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) हरिद्वार में हुए कुम्भ मेले के लिए केन्द्र सरकार ने कितनी धनराशि प्रदान की थी; और

(ङ) इसी प्रयोजन हेतु महाराष्ट्र को केन्द्रीय सहायता देने में असमानता के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) अगले वर्ष नासिक में होने वाले कुम्भ मेले के लिए कोई विशेष आवंटन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह सम्बन्धित राज्य सरकार का दायित्व है कि वह मेलों तथा तीर्थ यात्रियों के लिए राशि उपलब्ध कराए।

(घ) इस प्रयोजनार्थ वित्त मंत्रालय द्वारा कोई विशिष्ट राशि उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आदिवासियों को ऋण

[हिन्दी]

5591. श्री ए. सी. जोस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में आदिवासियों को ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई दिशा–निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो केरल में किस–किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में अपनी शाखायें खोली हैं और राज्य के विभिन्न जिलों में आदिवासियों को ऋण दे रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना जैसी ऋण से जुड़ी गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन योजनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने और उनको लाभान्वित करने की शर्त जुड़ी है।

(ख) केनरा बैंक (राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति) (संयोजक बैंक) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केरल के वयनाड और इडुक्की दो जिलों में जहां अनुसूचित जनजातियों की तुलनात्मक जनसंख्या अधिक है, राष्ट्रीयकृत बैंकों का शाखा नेटवर्क नीचे दिया गया है :

बैंक का नाम	वयनाड	इडुक्की
	शाखाओं की संख्या	
केनरा बैंक	12	1
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	7	25
सिंडिकेट बैंक	2	1
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	4	25
भारतीय स्टेट बैंक	4	13
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3	2
बैंक ऑफ बड़ौदा	–	1
कारपोरेशन बैंक	–	–
विजया बैंक	2	–
पंजाब नेशनल बैंक	1	–

ये शाखाएं अनुसूचित जनजातियों समेत, सभी वर्गों के ऋण लेने वालों को ऋण सुविधाएं प्रदान करती हैं।

खुले मुहाने वाली खानों को भरना

5592. श्री लरंग साय : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि. की अनुषंगी कंपनियों द्वारा कोयला खनन की जा रही खुले मुहाने वाली खानों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या खुले मुहाने वाली खानों के क्षेत्रों को भरने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कोयला अनुषंगी कंपनियों की संख्या क्या है और किन–किन खानों को भरा जा चुका है और किन–किन को अभी भरा जाना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) की सहायक कंपनियों में चालू ओपनकास्ट खानों के नामों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) चालू ओपनकास्ट खानों में समतलीकरण तथा गढ्ढों को भरने से संबंधित क्रिया–कलाप अनवरत प्रक्रिया स्वरूप के हैं जोकि खानों में उत्खनन किए जाने से संबंधित हैं। इन क्रिया–कलापों को निम्नलिखित बातों पर विचार करते हुए शुरू किया जाता है :

(i) सीम का इन्क्लाइन किया जाना।

(ii) समीपस्थ सीम की उपस्थिति/भूमिगत सीमों की संख्या।

(iii) खान का आकार।

(iv) खान की आकृति।

बहुत छोटी खानों से खनन कार्य पूरा होने के बाद ही गढ्ढों को भरने का कार्य किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	नाम
1	2
ई. सी. एल. :	
1.	कोटाडीह
2.	शंकरपुर
3.	सोनपुर बाजारी
4.	जामबाद

1	2
5.	जोरा
6.	केंदा
7.	बंसरा
8.	परासिया
9.	संग्रामगढ़
10.	बोंजेमेहारी
11.	मोहनपुर
12.	गौरंगडीह
13.	सीतलदासजी
14.	अर्द्धग्राम
15.	राजमहल
16.	सिमलोंग
17.	चित्रा "ए"
18.	चित्रा "बी"
19.	निरसा
20.	खुदिया
21.	राजपुरा
22.	बरमूरी
बी. सी. सी. एल. :	
23.	गोलकडीह
24.	एस. तिसरा
25.	भौरा
26.	चंदन
27.	दामोदर
28.	मुराइडीह
29.	नदखुरकी
30.	बेनीडीह
31.	ब्लाक–II
32.	जमुरिया
33.	एनाफायर
34.	वेस्ट मुडीडीहि/केशलपुर
35.	आर. ओ. सी. पी./एस. झरिया
36.	एन. एल. ओ. सी. पी./के. सी. ओ. सी. पी.
37.	दामागोरिया
38.	भातडीह
39.	बसुरिया
40.	गोधर
41.	कुसुंडा
42.	धनसार
43.	गांडीडीह
44.	ईस्ट बसुरिया
45.	घानूडीह
46.	एन. तिसरा
47.	दामोदा
48.	फुलारीटांड
49.	कूरीडीह/बी I–IV
50.	गोविंदपुर
51.	आकाशकिनारी
52.	केसलपुर
53.	रामकनाली
54.	बांसजोरा
55.	निचितपुर
56.	तेतुलमारी
सी. सी. एल. :	
57.	भूरकुंडा
58.	सौंदाडीह
59.	उरीमारी
60.	एन. उरीमारी

1	2
61.	गिड्डी–ए
62.	गिड्डी–सी
63.	सिरका
64.	सरुबेरा
65.	कर्मा
66.	पूंडी
67.	पराज–बी
68.	झारखंड
69.	केडला
70.	तपिन (नार्थ)
71.	तपिन (साउथ)
72.	राजरप्पा
73.	कथारा
74.	बोकारो
75.	कारो
76.	कारगली
77.	खासमहल
78.	अमलो
79.	धोरी
80.	साउथ धोरी क्वारी–1
81.	साउथ धोरी क्वारी–3
82.	गिरीडीह
83.	गिरीडीह पी. डी. एस.
84.	कबरीबांध
85.	डकरा–बुकबुका
86.	के. डी. हेंसलोंग
87.	करकट्टा
88.	रोहिणी
89	पिपरवार
90.	अशोका
91.	राझरा
92.	तेतरीआखर
93.	रेलीगारा
94.	कुजू
95.	टोपा
96.	आरा
97.	जरनडीह
98.	सवांग
99.	गोविंदपुर
100.	धोरी (के)
एन. सी. एल. :	
101.	झिंगुर्दा
102.	गोरबी–बी
103.	जयंत
104.	अमलोहरी
105.	निगाही
106.	बीना
107.	ककरी
108.	खादिया
109.	दुधीचुआ
110.	एच. एल. सी.
111.	दुर्गापुर
112.	पदमपुर
113.	भट्टडीह
114.	एस. सस्ती
115.	बल्लारपुर विस्तार
116.	एन. धूपताला
117.	गौरी–I

1	2
118.	गौरी–II
119.	पौनी
120.	एन. माजरी/कौंडा
121.	कवाडी
122.	चारगांव 1 और 2
123.	सिरना
124.	तेलवासा
125.	घुगुस
126.	नीलगाय–I
127.	नीलगाय–II
128.	नईगांव/बेलोरा
129.	मूनपोली
130.	उकनी
131.	पिपंलगांव
132.	कोलार–पिंपरी
133.	कम्पटी
134.	गुंडेगांव
135.	उमरेर
एस. ई. सी. एल. :	
136.	धनपुरी
137.	सारदा
138.	अमलई
139.	बईगा
140.	जमूना
141.	कोटमा
142.	राजनगर
143.	चिरीमिरी
144.	बिसरामपुर
145.	दुग्गा
146.	माहन
146.	मानिकपुर
147.	कुसमुंडा
149.	लक्ष्मण
150.	गेवरा
151.	दीपिका
152.	दीपिका–औग.
153.	बरौद
154.	कुरासिया
155.	कोरिया
156.	वेस्ट चिरीमिरी
एम. सी. एल. :	
157.	लाजकुरा
158.	सामलवाडी
159.	लिलारी
160.	बेलपहाड
161.	लखनपुर
162.	वसुंधरा ईस्ट
163.	कलिंगा
164.	भरतपुर
165.	बालंदा
166.	जगन्नाथ
167.	अनंत्र
168.	लिंगराज
169.	हिंगुला
एन. ई. सी./सी. आई. एल.	
170.	तिरप
171.	टिकाक

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड

5593. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को दिल्ली में किसी राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड के होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार की अनुमति प्राप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस फर्जी बैंक के बारे में आम जनता को जानकारी देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) इस बैंक के कथित प्रमोटरों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापनों के आधार पर नेशनल अरबन को–आपरेटिव बैंक लि. दिल्ली (एन. यू. सी. बी. एल. डी.) नाम वाली संस्था के अस्तित्व का पता चला था। इसके निदेशकगण न्यूनतम 20 शेयरों की गड्डी वाले 100 रु. के इक्विटी शेयरों की बिक्री भी कर रहे थे। नेशनल अरबन को–आपरेटिव बैंक लि., दिल्ली ने इस आशय की भी घोषणा की है कि उन के निदेशक मंडल में, अन्यों के साथ–साथ, भारतीय रिजर्व बैंक के तीन निदेशक और दिल्ली सरकार के पांच निदेशक हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने बैंकिंग कारोबार करने के लिए उक्त बैंक को न तो कोई लाइसेंस जारी किया है, न ही सहकारी समिति, दिल्ली के रजिस्ट्रार द्वारा इसे पंजीकृत किया गया है।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 18 जून, 1998 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें जनता को नेशनल अरबन को–आपरेटिव बैंक लि., दिल्ली के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करने के लिए सतर्क किया गया था तथा इस प्रेस विज्ञप्ति को बैंक के क्रिया–कलापों के ब्यौरे के साथ समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468 और 471 के अधीन 25 जून, 1998 को दिल्ली पुलिस में एक मामला भी दर्ज करवाया था और उसी दिन कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थीं। पुलिस अधिकारी आगे की जांच कर रहे हैं।

आवासों के लिए निधि

5594. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास वित्त उद्योग अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है जिससे इसके कार्यनिष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऋण दरों में भी गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में आवास उद्योग को अधिक धन उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थाओं की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने सूचित किया है कि आवास क्षेत्र पूंजी की कमी, संस्थागत निधियों का दीर्घावधिक आवास वित्त की अवधि और परिपक्वता के पर्याप्त रूप से समान न होना, आवास बाजार में अनिश्चितता जिसके परिणामस्वरूप निधियां अवरुद्ध हो रही हैं, रियायती निधियों की अनुपलब्धता और प्रभावी एवं त्वरित मोचन–निषेध तंत्र जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है।

(ग) और (घ) वर्ष 1998–99 की प्रथम छमाही के लिए 29 अप्रैल, 1998 को भारतीय रिजर्व बैंक की मैद्रिक एवं ऋण नीति की घोषणा के पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों और मुख्य रूप से बैंक दर में अप्रैल, 1997 से पूर्व के 12 प्रतिशत से 29 अप्रैल, 1998 को किए गए 9 प्रतिशत के परिवर्तन के फलस्वरूप, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्राथमिक उधार दरों (पी. एल. आर.) में गिरावट आई है।

(ङ) आवास के लिए ऋण के प्रवाह के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान निर्धारण निम्नानुसार हैं :

(i) 5 लाख रु. तक के समी आवास ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र उधार के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।

(ii) आवास सहित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत अग्रिमों का लक्ष्य 10 प्रतिशत पर निर्धारित किया जाता है।

(iii) यह अपेक्षा की जाती है कि बैंक आवास क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष की वृद्धिशील जमाराशियों का न्यूनतम 1.5 प्रतिशत आबंटित करें।

हाल ही में, एनएचबी ने स्वर्ण जयन्ती आवास वित्त योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत वर्ष 1998–99 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में एक

लाख आवासों के वित्त पोषण का लक्ष्य स्वीकार किया गया है।

कपास प्रौद्योगिकी मिशन

5595. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय ने प्रस्तावित कपास प्रौद्योगिकी मिशन, जिसका उद्देश्य कपास उत्पादकता में सुधार लाना है, के लिए कुल परिव्यय का 25 प्रतिशत अंशदान देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय की भूमिका कपास में मिलावट को रोकने की है;

(ग) मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कुल कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी; और

(घ) कपास प्रौद्योगिकी निकाय को स्थापित करने के लिए क्या मुख्य कार्य किये जायेंगे ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) सरकार, कृषि मंत्रालय का कपास के विकास पर एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो कि कपास के उत्पादन और उत्पादकता से संबंधित समस्याओं के साथ-साथ कपास के विपणन, जिनिंग तथा प्रैसिंग संबंधित मुद्दों का कपास उपजाने वाले राज्यों में समन्वित तथा ध्यानपूर्वक ढंग से निवारण करेगा। अन्य बातों के साथ-साथ कपास के दूषण को रोकने की दृष्टि से कपास जिनिंग और प्रैसिंग फैक्टरियों के आधुनिकीकरण को सुकर बनाने का भी प्रस्ताव है। मिशन के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

फल एवं सब्जी उत्पादकों तथा निर्यातकों को राजसहायता

5596. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री डी. एस. अहिरे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ए. पी. ई. डी. ए. द्वारा फल एवं सब्जी उत्पादकों तथा निर्यातकों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार दी गई राज सहायता की कुल धनराशि कितनी है;

(ख) क्या उन्हें दी गई राज सहायता की जांच कमी वास्तविक कार्य संचालन क्षेत्र में की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज सहायता के समुचित उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एपीडा की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत फलों और सब्जियों के उत्पादकों और निर्यातकों को एपीडा द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता की कुल राशि निम्नानुसार है :

वर्ष	सहायता की राशि (लाख रु. में)
1995-96	592.62
1996-97	1008.36
1997-98	2068.07

राज्य-वार दी गई इमदाद का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। एपीडा की वित्तीय सहायता योजनाएं प्रतिपूर्ति योजनाएं हैं। एपीडा लाभ प्राप्तकर्ताओं की पात्रता की जांच करता है, लाभ प्राप्तकर्ताओं द्वारा किए गए खर्च के दावे को अपने क्षेत्र अधिकारियों के जरिए सुनिश्चित करता है और तब उपयुक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित मापदंड के अनुसार सहायता की स्वीकृति प्रदान करता है। उपर्युक्त प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि उत्पादकों और निर्यातकों को दी गई सहायता का उचित उपयोग किया जाए।

आयात-निर्यात नीति

5597. श्री अनन्त गंगाराम गीते : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में घोषित नई आयात-निर्यात नीति के प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पोखरनोत्तर घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में नई आयात-निर्यात नीति के विभिन्न संघटकों को नए सिरे से तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यूरोपीय संघ के देशों ने भारत से नई आयात-निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) और (ख) निर्यात संवर्धन परिषदों तथा वाणिज्य एवं उद्योग के शीर्षस्थ मण्डलों द्वारा एक्जिम नीति में हाल ही में घोषित किए परिवर्तनों, जैसे कि कुछेक क्षेत्रों के लिये शून्य शुल्क ई. पी. सी. जी. योजना के निमित्त न्यूनतम सीमा को कम करना, डी. ई. पी. बी. दर की गणना में विशेष सीमा शुल्क को शामिल करना, लाइसेंसिंग अपेक्षा का विकेन्द्रीकरण तथा लाइसेंस प्रदान करने में स्वतः प्रक्रिया का आमतौर पर स्वागत किया गया है।

(ग) और (घ) पोखरनोत्तर घटनाओं का देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विशेष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ङ) और (च) पोखरनोत्तर घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय संघ द्वारा भारत के आयातों/निर्यातों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। लेकिन, यूरोपीय संघ ने भारत से निर्यातित कुछ उत्पादों के विरुद्ध पाटन रोधी/इमदाद रोधी जांच शुरू की है।

[हिन्दी]

विदेशी/घरेलू ऋणों पर ब्याज-दर

5598. प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा :

श्री चिन्ता मोहन :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी और घरेलू ऋणों दोनों पर अलग-अलग दर पर ब्याज देना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान सरकार द्वारा दोनों ऋणों पर अलग-अलग किन दरों पर ब्याज का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या भारत ने भी दूसरे देशों को ऋणों का भुगतान किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर लगाई गई ब्याज दर क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) बहुपक्षीय स्रोतों से प्राप्त विदेशी ऋणों पर वर्ष 1996-97 के दौरान ब्याज 6% और 6.05% के बीच रहा। वर्ष 1997-98 के दौरान यह 6.54% और 6.98% के बीच था। द्विपक्षीय स्रोतों से प्राप्त ऋण दोनों वर्षों के दौरान 0.75% और 4% के बीच रहे। सरकार द्वारा जुटाए गए घरेलू बाजार ऋणों पर ब्याज की औसत भारित दर वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान क्रमशः 13.69% तथा 12.01% थी। विदेशी ऋण में निहित विनिमय जोखिम के कारण विदेशी ऋणों पर ब्याज दरें तथा रुपया ऋण पर ब्याज की दर पूरी तरह तुलनीय नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रभारित ब्याज की दर, सिवाय वियतनाम के मामले में जहां यह 5 प्रतिशत थी, छः माह के लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) पर लागू दर के अनुसार थी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर किए गए मामले

5599. डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक करोड़ों रुपये की संपत्ति रखने के मामले में आयकर न्यायाधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकार या स्वशासी निकायों सहित सहकारी क्षेत्र में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने वाले अन्य व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव ऐसे लोगों को पकड़ने पर जोर देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1990-97 की अवधि के दौरान अभियुक्त श्री तुकाराम ए. बुक्टे, सदस्य आयकर अपीलीय अधिकरण ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नामों में तथाकथित रूप से अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से बेमेल अनुपात में विपुल परिसम्पत्तियां एकत्र की थीं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) ने इस मामले में जांच अपने हाथ में ले ली है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दिनांक 31 मई, 1998 तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 243 व्यक्तियों द्वारा तथाकथित रूप से उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से बेमेल अनुपात में परिसम्पत्तियां रखने के लिए उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं।

(घ) और (ङ) सरकार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी लड़ाई में आय के अपने ज्ञात स्रोतों के बेमेल अनुपात में परिसम्पत्तियां एकत्र करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर हमेशा निगरानी रखती है। जब कभी किसी ऐसे मामले का पता चलता है, उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

सेटलमेंट कमीशन (इन्कम टैक्स एण्ड वेल्थ टैक्स)

नई दिल्ली

5600. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेटलमेंट कमीशन (इन्कम टैक्स एण्ड वेल्थ टैक्स) नई

दिल्ली में निर्धारितियों के ऐसे कितने आवेदन हैं जिनमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 245(घ) की उपधारा (2क), (2ग), (2ङ) में अंतर्विष्ट प्रावधानों का वर्ष 1.1.92 और 31.12.94 (उन पर कार्रवाई करते समय) के दौरान उल्लंघन किया गया था; और

(ख) ऐसे उल्लंघन के कारण सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई और ऐसे उल्लंघनों से सरकारी राजस्व की हानि के लिए जिम्मेदार पाए गए आयोग के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) समझौता आयोग के किसी भी अधिकारी द्वारा कानून के किसी उपबंध के उल्लंघन का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भीलवाड़ा (राजस्थान) में वस्त्र उद्योग

5601. श्री रामपाल उपाध्याय : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भीलवाड़ा राजस्थान क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण वस्त्र उद्योग स्थल है, और यदि हां, तो क्या सरकार इसे अधिक अर्थक्षम बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग से सरकार द्वारा अर्जित वार्षिक लाभ कितना है तथा देश के कुल वस्त्र (उद्योग) लाभ की तुलना में इसकी प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) क्या भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग को मानचेस्टर माना गया है और यहां से कितने यार्न का निर्यात किया गया है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है तथा सरकार भीलवाड़ा क्षेत्र सहित सम्पूर्ण देश में वस्त्र उद्योग का विकास करने के लिए अनेक कदमों पर विचार कर रही है। जिनमें वस्त्र उन्नयन निधि तथा कपास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करना शामिल है।

(ख) चूंकि इस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार का कोई वस्त्र उपक्रम नहीं है, इसलिए सरकार द्वारा लाभ अर्जित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निर्यात आय की कोई क्षेत्रवार सूचना नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

भैंसों और बछड़ों के मांस का निर्यात

5602. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भैंस के मांस के निर्यात और 16 सप्ताह के बछड़े के वध करने के संबंध में कोई अधिसूचना जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मांस का निर्यात करने वाले बूचड़खानों को भारतीय मानक से छूट मिली हुई है;

(ग) क्या संविधान के अनुच्छेद 48 के अन्तर्गत और उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए बछड़ों/भैंसों के वध की अनुमति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) जी, नहीं। भैंस के कटरे के मांस का निर्यात तथा 16 सप्ताह के बछड़े का वध करने की अनुमति देने के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। तथापि, निर्यात से पूर्व गुणवत्ता नियंत्रण तथा निरीक्षण की शर्त लगाते हुए 15.1.93 के बादेश का. आदेश 203 के द्वारा निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण तथा निरीक्षण अधिनियम, 1963 की धारा 6 के तहत कच्चे मांस (शीतित और प्रशीतित) को अधिसूचित किया गया है। कच्चे मांस (शीतित तथ प्रशीतित) के लिए मानक विशिष्टियां आदेश की अनुसूचियों में निर्धारित की गई हैं। अनुसूची IV में भैंस के कटरे के मांस की विशिष्टियों का वर्णन किया गया है। भैंस के कटरे के मांस को 4 से 12 माह की आयु वाले पशु से प्राप्त भैंस के शव/मांस के रूप में वर्णित किया गया है।

(ख) जी, नहीं। किसी भी ऐसे अनुमोदित बूचड़खाने के लिए न्यूनतम आवश्यकता, जो आईएस 4393–1979 के अनुरूप नहीं है, दिनांक 15.1.93 के उक्त आदेश का.आ. 203 की अनुसूची–I के तहत निर्धारित की गई है।

(ग) और (घ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में दिया गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का निषेध करने के लिए कदम उठाए गए।

पेंशन के लंबित मामले

5603. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में आज तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (ए. एण्ड ई.–I) में परिवार पेंशन के लंबित दावों की संख्या कितनी है;

(ख) ये मामले कब से लंबित हैं और उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (ए. एण्ड ई.–I) महाराष्ट्र को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), मुम्बई से पत्र संख्या बी–एडमिन–I 35/(1)/74 को दिनांक 21 नवम्बर, 1975 और बी. एडमिन–I/35(1)/74-पार्ट–II दिनांक 15 जून, 1998 प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो लेखापरीक्षा विभाग ने उन पर क्या कार्रवाई की है;

(ङ) इन मामलों को अंतिम रूप देने में असाधारण विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(च) लंबित मामलों को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (च) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

उड़ीसा को अनुदान

5604. श्री गिरिधर गमांग : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवें वित्त आयोग ने जिला प्रशासन में सुधार लाने और उड़ीसा सरकार की विशेष समस्याओं के समाधान हेतु वर्षवार कितने अनुदान की सिफारिश की है;

(ख) केन्द्र सरकार ने अब तक कितना अनुदान जारी किया है और राज्य द्वारा उक्त अनुदान के संवितरण और उपयोग के लिए क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या संविधान के अनुच्छेद 275(आई) और प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत उड़ीसा के अनुसूचित क्षेत्रों को इस अनुदान में से पर्याप्त धन मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने पुष्टि की है कि जिला प्रशासन के स्तरोन्नयन के लिए अनुदानों का उपयोग करते समय अनुसूचित क्षेत्रों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा गया है तथापि विशेष समस्याएं अनुदान क्षेत्र तथा योजना विशेष के लिए निर्दिष्ट है।

विवरण

(लाख रुपए में)

वर्ष	जिला प्रशासन का स्तरोन्नयन		विशेष समस्या	
	दसवें वेतन आयोग द्वारा संस्तुत	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना पर आधारित जारी की गई राशि	दसवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना पर आधारित जारी की गई राशि
1996–97	388.12	231.16	1020.00	405.00
1997–98	485.15	189.25	1275.00	911.25
1998–99	582.17	—	1530.00	—
1999–2000	485.15	—	1275.00	—
कुल	1940.59	420.41	5100.00	1316.25

सूचना देने वाले को ईनाम

5605. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काले धन का पता लगाने के लिए सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1997–98 के दौरान झंडेवालान स्थित आयकर कार्यालय द्वारा कुल कितनी शिकायतें प्राप्त की गईं और उनमें से अब तक कितनी शिकायतों का निपटान कर दिया गया है;

(घ) क्या झंडेवालान स्थिति आयकर कार्यालय कथित रूप से इस संबंध में सरकार द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इन शिकायतों को नजर अंदाज कर रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखे जाने के संबंध में उन्हें 8.10.1997 को प्राप्त हुई शिकायतों और उसके पश्चात् 29.12.97 और 6.4.1998 को दिए गए अनुस्मारकों के बावजूद कोई कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं; और

(च) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) कर अपवंचन के संबंध में सूचना देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार देने की एक स्कीम है। यह स्कीम समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों द्वारा विनियमित की जाती है।

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान आयकर निदेशालय (जांच) झंडेवालान, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त कुल 471 शिकायतें प्राप्त की गई थीं। सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायतों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। गहन जांच और सत्यापन के लिए अपेक्षित शिकायतों के संसाधन और निपटान में समय लगता है। अपवंचन की 471 शिकायतों में से 197 शिकायतों का निपटान संबंधित कर निर्धारण अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित करके किया गया है क्योंकि उनमें पर्याप्त कर अपवंचन के मामले नहीं थे अथवा उनकी शिकायतें दर्ज की गई हैं जिनमें कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

(घ) से (च) यह कथन सही नहीं है कि आयकर निदेशालय (जांच) झंडेवालान, नई दिल्ली कर अपवंचन संबंधी शिकायतों की उपेक्षा कर रहा है। तथापि, मामलों जिनके लिए किसी निश्चित दिन को शिकायतें प्राप्त हुई थीं, के नामों के अभाव में कार्यवाही न किये जाने के बारे में सूचना देना कठिन है।

आयकर विभाग में आरक्षण

5606. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण के लिए समूह "ग" सेवाओं में आयकर निरीक्षक के पद की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1996 के केन्द्रीय अधिनियम (संख्यांक 1) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम की धारा 32 की शर्तों के अनुसार उन्हीं आधारों पर समूह "ख" सेवाओं में आयकर अधिकारी के पद की भी पहचान की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; तथा समूह "ख" तथा "ग" सेवाओं में आरक्षण में अलग-अलग व्यवहार किए जाने के क्या आधार हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मंत्रालयों की स्टाफ कारें

5607. श्री जयसिंह जी चौहान : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रालयों के अधीन, मंत्रालयवार, कुल कितनी स्टाफ कारें हैं;

(ख) उनमें से मंत्रियों एवं उनके स्टाफ के लिए कितनी कारें दी गईं;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पेट्रोल आदि पर कितनी राशि व्यय की गई;

(घ) क्या सरकार द्वारा पेट्रोल की खपत पर कोई सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ङ) सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है और इसे पूरे देश में फैले सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से एकत्र करना पड़ेगा। इन आंकड़ों को प्राप्त करने में अपेक्षित समय और श्रम की तुलना में प्राप्त परिणाम अनुपातिक नहीं होंगे। स्टाफ कार खरीदने और पेट्रोल की खपत पर पहले ही पाबन्दी लगी हुई है।

उड़ीसा काटन मिल्स

5608. श्री खारवेल स्वाईं : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक जिले की भागलपुर स्थित उड़ीसा काटन मिल्स को लघु इकाइयों के रूप में चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के तहत लघु इकाइयों के रूप में चलाई जा रही मिलों की संख्या क्या है और इन मिलों को प्रति माह सरकारी और निजी संस्थानों द्वारा कितनी राशि मुहैया करवाई जा रही है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) एन टी सी (डब्ल्यूबीएबी एण्ड ओ) लि., के एक एकक उड़ीसा काटन मिल्स,

दिसम्बर, 1997 से जॉब कन्वर्शन कार्य कर रही है। वर्ष 1997–98 में मिल्स ने 1.35 करोड़ रु. (अनंतिम) मूल्य का जॉब कन्वर्शन कार्य किया था।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार मई, 1998 के दौरान अधिकाधिक एनटीसी की 56 मिलें लघु इकाइयों के रूप में चल रही हैं। वर्ष 1997–98 के दौरान जॉब कार्य से कुल समग्र औसत मासिक आय 9.39 करोड़ रु. मूल्य (अनंतिम) की थी। सरकार इन 56 मिलों के लिए मजदूरियों और वेतन में आने वाली कमी को पूरा करने के लिए लगभग 16 करोड़ रु. प्रति मास प्रदान कर रही है।

[हिन्दी]

राजीव गांधी फाउन्डेशन

5609. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राजीव गांधी फाउंडेशन को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस फाउंडेशन को कर में कोई रियायत दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) योजना आयोग ने गत तीन वर्षों के दौरान राजीव गांधी फाउन्डेशन को पंचायती राज की प्रोन्नति के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाओं संबंधी परियोजना के लिए निम्नलिखित अनुदान आबंटित किए हैं :

वर्ष	रुपये
1995–96	1,77,000
1996–97	9,47,000
1997–98	शून्य

(ख) और (ग) इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा 10(23–ग)(iv) के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 1995–96 से 1997–98 तक के लिए फाउन्डेशन को आयकर से छूट प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात

5610. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले–सिलाए वस्त्रों के निर्यातक कोटा व्यवस्था की अवहेलना करके निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को तीसरे देश को भेज रहे हैं और फिर उन पर पुनः लेबल लगाकर उन्हें अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं; और

(ग) ऐसी फर्मों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) किसी भी परिधान निर्यातक द्वारा तीसरे देश को माल का निर्यात करके और अन्य देशों को निर्यात के लिए उसको बेच कर कोटा प्रणाली का उल्लंघन करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

झण्डेवालां में आयकर भवन

5611. श्री विजय सिंह सोय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने झण्डेवालां में तीन मंजिला भवन 25 लाख रुपये प्रतिमाह किराए पर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा करार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या किराए पर लिया गया भवन अनधिकृत है तथा कार्य के लिए अनुपयुक्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त भवन के शीतागार भण्डार से व्यावसायिक भवन में परिवर्तित करने के लिए दिल्ली अग्नि शमन सेवा से स्वीकृति ले ली गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, हां। आयकर विभाग ने सन् 1991 से ई–2 ए. आर. ए. एक्सटेंशन, झण्डेवालां, नई दिल्ली स्थित भवन के भूतल तथा द्वितीय तल को किराए पर लिया है। इन तलों का कुल निर्मित क्षेत्र 67,187 वर्ग फीट है। इस समय इन दो तलों के लिए 26,28,662 रु. प्रति माह/किराया दिया जा रहा है। भू–स्वामी के साथ किए गए पट्टे समझौते की शर्तों के अनुसार मकान मालिक को स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इस भवन पर लगाए गए सभी दरों और करों आदि का भुगतान करना अपेक्षित है तथा वह आवश्यक मरम्मत हेतु अपेक्षित सभी व्ययों को भी वहन करता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) दिल्ली अग्नि शमन सेवा द्वारा केवल उन भवनों के मामले में अग्नि निकासी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जो 15 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। झण्डेवालां स्थित उपर्युक्त भवन इस श्रेणी में नहीं आता है।

(च) और (छ) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

आयकर और सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों की परिसंपत्तियां

5612. श्री भीम दाहाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयकर विभाग और सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों के पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसंपत्तियां हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन विभागों के कर्मचारियों के परिसरों पर छापे मारे गए थे; और

(ग) सरकार ने दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात

5613. श्री वी. वी. राघवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऋण–सकल घरेलू उत्पाद और ऋण–सेवा अनुपात क्या रहा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : 1994–95, 1995–96 और 1996–97 अवधि के लिए विदेशी ऋण–सकल घरेलू उत्पाद और ऋण शोधन अनुपात (नकद अदायगियां पद्धति का प्रयोग करते हुए परिकलित) निम्नलिखित हैं :

वर्ष	ऋण सं. घ. उ. अनुपात (%)	ऋण–शोधन अनुपात (%)
1994–95	32.3	25.6
1995–96	28.2	24.8
1996–97	25.9	22.6

सुधार कार्यों की गति

5614. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1997 में हुए भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में अनेक विदेशी निवेशकों ने देश में किए जा रहे सुधार कार्यों की गति पर अपना असंतोष व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस शिखर सम्मेलन में उठाए गए अन्य विशिष्ट मुद्दे कौन–कौन से हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) विश्व आर्थिक मंच ने दिसम्बर, 1997 माह में नई दिल्ली में एक भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन (इण्डिया इकॉनोमिक समिट) का आयोजन किया। कुछ वक्ताओं के अनुसार आर्थिक सुधारों की गति अत्यधिक धीमी है और भारत विश्व में अन्यत्र हो रहे सुधारों की दौड़ में काफी पीछे है। आगे यह कहा गया कि राजनैतिक अस्थिरता, दृढ़ संकल्प की कमी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में विलम्ब आदि भी विकास की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं।

(ग) 1998–99 के केन्द्रीय बजट में कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना सार्वजनिक क्षेत्र और पूंजी बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों की घोषणा की है जिससे निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके और समग्र विकास प्रक्रिया की गतिशीलता प्रदान की जा सके।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध दर्ज मामले

5615. श्री सुरेश कुरूप : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गत तीन वर्षों के दौरान किन्हीं पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध आयकर अधिनियम के उल्लंघन के कोई मामले दर्ज किए थे;

(ख) यदि हां, तो इस समय ऐसे कितने मामले लम्बित हैं; और

(ग) अब तक ऐसे कितने मामले निपटाए जा चुके हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

एल. सी. फ्राड

5616. श्री अनूप लाल यादव :

श्री पी. एस. गढवी :

श्री विजय कुमार "विजय" :

क्या वित्त मंत्रीन यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जून, 1998 के "द इकानोमिक

टाइम्स" में "27 अरेस्टेड फार एल.सी. फ्राड, सम आलसो इक्यूज्ड इन शेयर स्कैम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें दिए गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस धोखाधड़ी में अन्तर्ग्रस्त लगभग 25 करोड़ रुपए की वसूली के लिए क्या उपाय किए जाएंगे ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वैशाली में आयकर परिसर

5617. श्री विजय सिंह सोय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने गाजियाबाद में वैशाली नामक स्थल पर 10 करोड़ रुपये की लागत वाला एक परिसर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परिसर पिछले कई वर्षों तक खाली पड़ा रहा जबकि विभाग अपने सरकारी आवास के लिए किराए के रूप में भारी राशि का भुगतान कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, हां। आयकर विभाग ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से वैशाली में 19.93 करोड़ रु. की लागत पर एक कार्यालय भवन का अधिग्रहण किया है। खरीदा गया कुल कार्यालय स्थान पन्द्रह हजार (15,000) वर्ग मीटर है।

(ग) और (घ) आयकर विभाग द्वारा उपर्युक्त भवन का कब्जा मार्च, 1997 में ही लिया गया था। इस भवन में कमरों और केबिनों का विभाजन एवं बिजली की फिटिंग जैसे कुछेक कार्य अभी पूरे किए जाने हैं। जिसके बाद यह विभाग अपने कुछ कार्यालयों को इस भवन में स्थानान्तरित करेगा।

[हिन्दी]

हवाला घोटाला

5618. श्री मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हवाला मामले के संबंध में अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कितने लोगों को हिरासत में लिया था;

(ग) अब तक कितने मामलों का अंतिम रूप से निपटान कर दिया गया है और कितने मामले लंबित हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच और मुकदमे पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) द्वारा तीन व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो दायर किए गए चौंतीस आरोप पत्रों में से 29 को जांच अदालतों (ट्रायल/उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया है तथा 5 मुकदमे बकाया हैं।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच–पड़ताल तथा मुकदमेबाजी में 32.5 लाख रुपए (लगभग) व्यय किए गए हैं।

[अनुवाद]

नई उत्पाद नीति

5619. डॉ. असीम बाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई उत्पाद नीति का लघु तथा सीमान्त मछुआरों तथा समुद्री उत्पाद उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : वर्ष 1998–99 के बजट प्रस्तावों के एक अंग के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के उपशीर्ष सं. 1601.10 के अंतर्गत आने वाले "मीट, मछली, पपड़ीदार (क्रस्टेशियन) चूर्णप्रावार (मोलस्कस) और अन्य बिना रीढ़ वाले जलीय प्राणियों की पैक की गई और ब्रांडिड निर्मितियों, पर मूल्यानुसार 8% उत्पाद शुल्क लगाया गया है। वे निर्मितियां जिन्हें कंटेनरों में नहीं रखा जाता है अथवा ब्रांड नहीं किया जाता है और समुद्री आहार उद्योग के अन्य उत्पाद, जिन्हें केवल शीतित करने, जमाने, नमक लगाने, सुखाने, धुंआ लगाने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट है। शुल्क माल के छोटे उत्पादकों के लिए एक वर्ष में 50 लाख रुपये तक की निकासियों पर उत्पाद शुल्क की अदायगी करना अपेक्षित नहीं है और 50 लाख रु. से अधिक और 100 लाख रु. तक की निकासियों पर कम शुल्क अदा करना होगा। इस प्रकार लेवी का छोटे और सीमान्तिक मछुआरों और समुद्री आहार उद्योग पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

आई. टी. सी. के निदेशक द्वारा दायित्वों का पूरा न किया जाना

5620. श्री नकली सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलिमोरिया समिति ने अपनी रिपोर्ट में इंडियन टोबेको कम्पनी पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वित्तीय संस्थाओं के निदेशक गैर कार्यकारी निदेशक कम्पनी के गलत कार्यों के बारे में न बताकर अपना दायित्व पूरा नहीं कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : (क) से (ज) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

असम में प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र

5621. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने इम्प्रूव्ड सिल्क रीलिंग के प्रदर्शन हेतु असम में सौल कुएही में एक प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रशिक्षण केन्द्र में अब तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है; और

(ग) सरकार ने सौल कुएही प्रशिक्षण केन्द्र की जानकारी लोगों को देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां। उत्तर कोसा तकनीकी सेवा केन्द्र के साथ–साथ रेशम रीलिंग तथा स्पिनिंग की उन्नत तकनीकों में रेशम रीलर्स तथा रीलर्स सह बुनकर को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रदर्शनी सह–प्रशिक्षण केन्द्र सुआलकुची में स्थापित किया गया है।

(ख) कुल 495 व्यक्तियों को अब तक इस प्रशिक्षण केन्द्र में रेशम रीलिंग तथा स्पिनिंग की उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को सुआलकुची में ऐसे एक प्रशिक्षण केन्द्र के बारे में जानकारी है, केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) उन्नत मूगा रेशम रीलिंग प्रौद्योगिकी तथा बुनाई, डिगमिंग तथा रंगाई की उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए एक वृहत प्रदर्शनी तथा तसर तथा मूंगा रीलिंग मशीनों के उन्नत रूपांतरण तथा उन्नत डिगमिंग/रंगाई प्रौद्योगिकी तथा डिगमिंग तथा रंगाई के लिए प्रयुक्त नुस्खे पर मार्च, 1997 में सुआलकुची में पांच प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं।

(2) प्रत्येक एकक का निरीक्षण कर रेशम रीलिंग तथा बुनाई एककों पर सर्वेक्षण।

(3) रीलर्स तथा बुनकरों द्वारा दिए गए कोसों तथा अपरिष्कृत रेशम का परीक्षण तथा गुणवत्ता–मूल्यांकन।

प्रदर्शनी सह–प्रशिक्षण केन्द्र तथा उत्तर कोसा तकनीकी सेवा केन्द्र दोनों के कार्यकरण के बारे में इन सभी क्रियाकलापों का व्यापक प्रचार किया गया है।

[हिन्दी]

राजस्थान मिल मजदूरों का पुनर्वास

5622. डॉ. प्रभा ठाकुर : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत महालक्ष्मी मिल, एडवर्ड मिल्स और जिय कॉटन मिल्स के प्रबंधन द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं के संबंध में अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) इस संबंध में कोई शिकायत वस्त्र मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आई. टी. डी. सी. जम्मू के होटलों का ग्राहकों पर बकाया

5623. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आई.टी.डी.सी. के होटल किन–किन स्थानों पर हैं तथा इनके नाम क्या हैं और विगत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तथा एकक–वार प्रत्येक एकक को कितना लाभ–हानि हुई है;

(ख) क्या कुछ गैर–सरकारी या सरकारी व्यक्ति इन

होटलों/मोटलों में निर्धारित दर पर भुगतान करके ठहरने तथा खाने दोनों की सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु प्राधिकृत है; यदि हां, तो इन व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा विगत तीन वर्षों के दौरान एवं चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने में कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) क्या कुछ व्यक्ति आई.टी.डी.सी. के होटल जम्मू अशोक में स्थायी रूप से रह रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितनी राशि का व्यय किया गया ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओमाक अपांग) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) निजी व सरकारी ग्राहकों के भुगतान के आधार पर भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में ठहरने व खाने–पीने की व्यवस्था, भारत पर्यटन विकास निगम की सामान्य व्यावसायिक गतिविधि है। अपने ग्राहकों को इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने पर पिछले 3 वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का प्रचालनगत व्यय निम्न प्रकार है :

वर्ष	प्रचालनगत व्यय (करोड़ रु. में)
1995–96	रु. 132.03
1996–97	रु. 135.79
1997–98	रु. 149.19 (अनन्तिम)
1998–99 (केवल पहली तिमाही)	रु. 35.67 (अनन्तिम)

(ग) होटल जम्मू अशोक में कोई व्यक्ति स्थायी रूप से गेस्ट रूम में नहीं रह रहा है/रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1994–95, 1995–96 और 1996–97 के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की लाभदायकता दर्शाने वाला विवरण।

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	होटल का नाम और अवस्थिति	1994–95 निवल लाभ/ हानि	1995–96 निवल लाभ/ हानि	1996–97 निवल लाभ/ हानि
1	2	3	4	5
1.	होटल बोधगया अशोक	4.58	22.37	18.62
2.	होटल पाट्लिपुत्र अशोक पटना	– 26.50	– 5.29	6.45
3.	अशोक होटल, नई दिल्ली	1526.78	2300.29	2126.53
4.	होटल सम्राट, नई दिल्ली	147.18	369.40	422.00
5.	कुतुब होटल, नई दिल्ली	153.95	130.82	488.70
6.	होटल कनिष्का, नई दिल्ली	247.60	453.39	670.28
7.	होटल जनपथ, नई दिल्ली	96.30	218.02	200.68
8.	लोधी होटल, नई दिल्ली	30.93	77.66	295.63
9.	होटल रणजीत, नई दिल्ली	–60.63	–93.23	–118.17
10.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	–61.60	–39.60	4.38

1	2	3	4	5
11.	होटल मनाली अशोक, मनाली	−3.59	−11.18	−33.76
12.	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	−28.48	−40.30	−31.12
13.	होटल अशोक, बंगलौर	110.22	310.14	351.42
14.	ललित महल पैलेस होटल, मैसूर	108.51	228.38	254.64
15.	होटल हासन अशोक, हासन	12.61	44.75	42.21
16.	कोवलम अशोक बीच रिजार्ट, कोवलम	140.36	411.59	279.86
17.	होटल खजुराहो अशोक	−28.51	−40.66	−58.75
18.	होटल औरंगाबाद अशोक	−32.87	−38.40	−47.23
19.	होटल कलिंगा अशोक, भुवनेश्वर	−30.84	−35.28	−31.12
20.	होटल जयपुर अशोक, जयपुर	−19.35	19.95	−61.27
21.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	71.42	129.15	110.36
22.	टेम्पल वे अशोक बीच रिज़ार्ट, मामल्लापुरम	10.60	33.39	22.93
23.	होटल मदुरै, अशोक	1.26	5.90	−3.37
24.	होटल वाराणसी, अशोक	−67.88	−76.46	−99.35
25.	होटल आगरा अशोक, आगरा	−47.08	−46.47	−70.44
26.	होटल एअरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	−52.84	−68.46	221.23
		2202.13	4259.87	4961.34

शैक्षिक संस्थाओं को आयकर से छूट

5624. श्रीमती कृष्णा बोस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब आयकर अधिनियम की धारा 10 के खण्ड 22 के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाओं को आयकर में मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं को आयकर संबंधी छूट से वंचित किया जाएगा; और

(ग) वास्तव में लोकोपकारी कार्य में लगी लाभ न कमाने वाली शैक्षिक संस्थाओं की अनुचित कर भार से रक्षा करने के लिए कौन से सुरक्षोपाय अपनाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 22 को वित्त (संख्या–2) विधेयक, 1998 द्वारा 1.4.1998 से समाप्त कर दिया गया है, जिसे लोक सभा ने पारित कर दिया है। इस प्रकार अब तक शैक्षिक संस्थाओं द्वारा धारा 10(22) के अन्तर्गत खुली छूट का लाभ उठाया गया जो कर निर्धारण वर्ष 1999–2000 से उपलब्ध नहीं होगी। तथापि, वास्तविक शैक्षिक संस्थाएं उक्त छूट का लाभ उठाती रहेंगी बशर्ते कि वे कुछेक शर्तों को पूरा करती हैं। उक्त शर्तें निम्नानुसार हैं :

(i) कोई विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षिक संस्था जो मात्र शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विद्यमान है न कि लाभ कमाने के उद्देश्य हेतु तथा जिनका वित्त पोषण पूर्णतया अथवा पर्याप्त रूप से सरकार द्वारा किया जाता है, उसे धारा 10(23–ग) के अन्तर्गत स्वतः ही छूट दी जाएगी।

(ii) कोई विश्वविद्यालय अथवा शैक्षिक संस्था जो मात्र शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विद्यमान है और न कि लाभ के उद्देश्यों हेतु, को भी धारा 10(23–ग) (iii क घ) के अधीन सरकार से छूट दी गई है बशर्ते कि इसकी वार्षिक प्राप्तियां 1 करोड़ रुपये से अधिक हों।

(iii) कोई विश्वविद्यालय अथवा शैक्षिक संस्था जो मात्र

शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए कार्यरत है और न कि लाभ के प्रयोजनार्थ कार्यरत है और जो उपर्युक्त दोनों उपबंधों के अन्तर्गत आते हैं; के अलावा, और जिन्हें विहित प्राधिकारी (धारा 10(23–ग) के उपखण्ड (VI) के अनुसार) द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) में भ्रष्टाचार

5625. श्री सी. डी. गामीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा नये इश्यू/राइट इश्यू को उच्च और अवास्तविक मूल्यों पर मंजूरी देने में भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसके कार्यकरण के बारे में कोई जांच करवाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सेबी एक स्वायत्त संस्था है जिसका कार्यकरण सेबी अधिनियम 1992 द्वारा शासित होता है।

भारतीय विद्या भवन को कर रियायत

5626. श्री सुव्रत मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विद्या भवन कई वर्षों से आयकर अधिनियम की धारा 35(i) (ii) के अन्तर्गत कर रियायत का लाभ ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान शुरू और पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय विद्या भवन ने पिछले पांच वर्षों के दौरान धारा 35(i) (ii) के अन्तर्गत कुल कितनी राशि एकत्र की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां। भारतीय विद्या भवन आयकर अधिनियम की धारा 35(i) (ii) के अन्तर्गत छूट का लाभ प्राप्त कर रहा है और उन्हें मंजूर किया गया अद्यतन अनुमोदन 1.4.97 से 31.3.98 तक प्रभावी है।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान शुरू की गई और पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) धारा 35(i) (ii) के अन्तर्गत गत पांच वर्षों के दौरान अनुसंधान कार्य–कलापों के लिए एकत्र किये गए कुल अंशदान/दान निम्न प्रकार हैं :

कर निर्धारण वर्ष	वित्त वर्ष	प्राप्त किये गए दान	अनुसंधान कार्यकलापों पर व्यय
93–94	92–93	4479833/– रु.	15371814/– रु.
94–95	93–94	4456043/– रु.	4456043/– रु.
95–96	94–95	2842262/– रु.	2842262/– रु.
96–97	95–96	5519360/– रु.	5519360/– रु.
97–98	96–97	11055666/– रु.	12402056/– रु.

विवरण

शुरू किए गए अनुसंधान कार्यक्रम/परियोजना का ब्यौरा :

1. संक्षारण निरोधकों पर अध्ययन।
2. ब्रिज ट्रस डिजाइन के लिए विशेषज्ञ प्रणाली।
3. हेटीरोसाइक्लिक केटोन और इसके डेरीवेटिव्ज के हाइड्राजोनस के सिंथेसिस और प्रापर्ट्रीज में अध्ययन।
4. रियू मैटोलाजी।
5. गांधी केन्द्र द्वारा प्राचीन इंडियन विजडम में अनुसंधान परियोजनाएं।

अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों का ब्यौरा :

1. खुदरा और सील शुदा पैकों में उपलब्ध किण्वित दुग्ध उत्पादों का सूक्ष्म जैविकी विश्लेषण।
2. सिल्क कॉटन के लिए वास्ट पोटेंशियल।
3. अमोनियम मोलिबडो टंगस्टैट का इन्फ्रारेड स्पेस्ट्रा एण्ड वितरण कोइफिशॅन्ट अध्ययन।
4. कुछ एन्ट्रोपैथोजंस पर ताम्बा, पीतल और चांदी का बैक्ट्रीसाइडल प्रभाव।
5. चोपिंग ब्लोक सरफेसों के विशेष संदर्भ सहित अल्ट्रा वायलेट लाइट का प्रयोग करने वाली मीट और मुर्गी की दुकानों में बैक्ट्रीरिया संदूषण का नियंत्रण।
6. ब्रिज ट्रस डिजाइन के लिए विशेषज्ञ प्रणाली।
7. न्यूमेरिकल मशीन एक्सपेरीमेंटेशन के लिए स्कीम।
8. मुख्य कार्यक्रम का (स्पैक्स) ढांचा।
9. आयरन और मैंगनीज के जी. मूल्या एण्ड ओ. मोसाबिक्स की व्यवहार्य प्रतिक्रिया।

[हिन्दी]

नियुक्तियों पर प्रतिबंध

5627. श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा" : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रतिबंध नई मिलों की स्थापना करते समय अथवा उनमें नई योजनाओं को लागू करते समय लागू नहीं होगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) इस समय ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उनकी रुग्णता अथवा कार्यालयों में पहले से ही अधिक कर्मचारी होने को ध्यान में रखते हुए, विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतया किसी भी प्रकार की भर्ती की अनुमति नहीं दी जा रही है।

[अनुवाद]

प्रति व्यक्ति बैंक ऋण

5628. डॉ. रामविलास वेदान्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार प्रति व्यक्ति बैंक ऋण की राशि क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति बैंक ऋण बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयासों के क्या परिणाम रहे ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम. आर. जनार्दनन) : (क) मार्च 1995, मार्च 1996 और मार्च 1997 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति–व्यक्ति बकाया की राज्य–वार राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों से निधियों के कुल प्रवाह में वर्ष 1997–98 के दौरान 51.353 करोड़ रुपए (17.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसमें परम्परागत गैर–खाद्य ऋण, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और गैर–सरकारी कंपनी क्षेत्र द्वारा जारी बांडों/डिबेंचरों/शेयरों तथा वाणिज्यिक पत्रों में बैंक का निवेश शामिल है।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का प्रति व्यक्ति बकाया ऋण मार्च 1995 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 821 रुपये से बढ़कर मार्च, 1997 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 956 रुपये हो गया है।

विवरण

मार्च 1995, 1996 और 1997 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनु. वाणिज्यि. बैंकों का राज्यवार प्रतिव्यक्ति औसत ऋण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मार्च 1995	मार्च 1996	मार्च 1997
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकाबोर	660	769	868
2.	आंध्र प्रदेश	2107	2419	2749
3.	अरुणाचल प्रदेश	379	361	393
4.	असम	607	693	711
5.	बिहार	558	615	683
6.	चंडीगढ़	47351	67581	11731
7.	दादरा व नगर हवेली	585	751	881
8.	दमन व दीव	1772	3213	3583
9.	दिल्ली	26567	27018	26605
10.	गोआ	5708	6052	6638
11.	गुजरात	2151	2910	3127
12.	हरियाणा	1830	2213	2337
13.	हिमाचल प्रदेश	1257	1353	1395
14.	जम्मू व कश्मीर	1756	1730	1991
15.	कर्नाटक	2773	3281	3763
16.	केरल	2478	2901	3110
17.	लक्षद्वीप	314	382	423
18.	मध्य प्रदेश	897	1201	1255
19.	महाराष्ट्र	6559	7797	7965
20.	मणिपुर	485	566	668
21.	मेघालय	525	496	579

1	2	3	4	5
22.	मिजोरम	354	409	465
23.	नागालैंड	762	711	778
24.	उड़ीसा	823	955	1006
25.	पांडिचेरी	2953	3168	3238
26.	पंजाब	3380	3758	3969
27.	राजस्थान	989	1126	1225
28.	सिक्किम	778	818	841
29.	तमिलनाडु	3934	4946	5424
30.	त्रिपुरा	735	743	766
31.	उत्तर प्रदेश	821	905	956
32.	पश्चिम बंगाल	2081	2325	2407
	अखिल भारत	2420	2820	2971

यू. टी. आई. द्वारा लाभार्जन

5629. डॉ. सरोजा वी. : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने 1997–98 के दौरान लाभ अर्जित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1997–98 के दौरान ट्रस्ट की अनुप्रयोज्य आस्तियों में भी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो यह वृद्धि किस सीमा तक हुई है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान यू.टी.आई. द्वारा दिए गए कुल ऋणों की तुलना में अनुप्रयोज्य आस्तियों के कुल मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि यह प्रत्येक वर्ष लाभों की रिपोर्ट नहीं देता क्योंकि इसके पास अपना अलग तुलन–पत्र नहीं है। तथापि, अनंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 1997–98 के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 7100 करोड़ रु. की निवल वितरण योग्य आय अर्जित की है।

(ग) से (ङ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस ट्रस्ट की गैर–निष्पादनकारी परिसंपत्तियां निम्नानुसार हैं :

		31.12.97	30.06.97
(i)	गैर–निष्पादनकारी परिसंपत्तियां (करोड़ रु.)	2312	2424
(ii)	कुल ऋण प्रपत्रों के प्रति गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों का अनुपात (प्रतिशत)	7.6	8.3

(च) यू. टी. आई. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 द्वारा शासित किया जाता है और भारतीय यूनिट ट्रस्ट का बोर्ड इसके निर्णय के लिए उत्तरदायी होता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि इसने अपनी गैर–निष्पादनकारी परिसंपत्तियों को कम करने के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) अनुवर्ती कार्रवाई तथा वसूली प्रयासों में तेजी लाने के लिए फरवरी, 1997 में निवेश मानीटरिंग विभाग स्थापित किया गया है।

(ii) अनेक मामलों में, जब तक बाकीदारी पूरी तरह चुका नहीं दी जाती, चूककर्ता कम्पनियों को लाभांश घोषित करने से रोक दिया गया है।

(iii) उपयुक्त मामलों में कानूनी कार्रवाई जैसे कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण में मुकदमा दायर करना, की गई है।

(iv) बी. आई. एफ. आर. के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों के मामले में, बी. आई. एफ. आर. द्वारा मंजूर की जाने वाली राहत/एकबारगी समझौता पैकेजों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राजसहायता भुगतान संबंधी समिति

5630. डॉ. प्रभा ठाकुर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा एन.टी.सी. मिलों के कामगारों को जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, निधियां/राजसहायता स्वीकृत करने के लिए समिति गठित करने हेतु कोई निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या तब से समिति का गठन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एन.टी.सी. के कई कामगार जिन्होंने इस राजसहायता से आकृष्ट होकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, सरकार से निधियों की प्राप्ति में असाधारण विलंब के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कामगारों को वित्तीय संकट से उबारने के लिए निधि उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोयला खानों द्वारा प्रदूषण

5631. श्री जुआल उराम : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा राज्य के सुन्दर गढ़ जिले में एम.सी.एल. वसुन्धरा क्षेत्र में कोयला खानों के कारण् उस क्षेत्र के वन नष्ट हो जाने, जल स्तर के कम हो जाने और पर्यावरणीय खतरे की संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) से (ग) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से वानिकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में महानदी कोलफील्ड्स लि. (एस.सी.एल.) के वसुंधरा (ईस्ट) ओ.का.प. में सिर्फ 21.58 हैक्टेयर वन–भूमि को खनन कार्य हेतु उपयोग में लिया गया है। उक्त खान लगभग शुष्क है और इसलिए उस क्षेत्र में जल–स्तर के नीचे गिरने की कोई संभावना नहीं है। पर्यावरण को मानक नियमों के तहत बनाए रखने हेतु सभी संभव पर्यावरणीय उपाय किए गए हैं। वसुंधरा (ईस्ट) ओ.का.प. जो कि वसुंधरा क्षेत्र की एकमात्र चालू खान है, हेतु एक अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना पर कार्य किया जा रहा है। पर्यावरण–प्रबोधन का कार्य एक स्वतंत्र सरकारी एजेंसी, केन्द्रीय खान अनुसंधान संस्थान, धनबाद, द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है। इस एजेंसी की रिपोर्ट में न तो उस क्षेत्र में जल–स्तर नीचे गिरने और न ही स्वीकार्य–सीमा के बाहर वायु/जल/ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ने की बात का उल्लेख किया गया है। इस क्षेत्र में 1997–98 में 35,000 बाल–वृक्ष का रोपण किया गया है और 1998–99 में 50,000 बाल–वृक्ष लगाए जाने का प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र की एन.टी.सी. मिलों में केन्द्रीय वेतन तथा भत्तों का लागू न किया जाना

5632. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकोला (महाराष्ट्र की एन.टी.सी. मिल्स इम्प्लाइज एसोसिएशन ने केन्द्रीय वेतन तथा भत्तों को लागू नहीं किए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया है, क्योंकि अन्य राज्यों में समकक्ष कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते 12 वर्ष पहले संशोधित हो चुके थे;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र (अकोला) एन.टी.सी. मिल के कर्मचारियों के प्रति निरंतर भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें संशोधित वेतन तथा भत्ते और बकाया राशि का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) एन.टी.सी. मिल्स तकनीकी कर्मचारी एवं अधिकारी संघ, महाराष्ट्र (अकोला) से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

तकनीकी पर्यवेक्षकीय अधिकारी, बंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आते हैं तथा उनके वेतनमान और सेवाएं क्षेत्रीय सह–उद्योग आधार पर किए गए निर्णय/करारों द्वारा नियत बंबई काटन टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर लागू सेवा शर्तों द्वारा अधिशासित होती हैं।

मिल के लिपिकीय/पर्यवेक्षकीय अधिकारियों ने एन.टी.सी. के कर्मचारियों के वेतन के बराबर वेतन देने की याचिकाएं दायर की हैं। ये उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं। मुंबई उच्च न्यायालय में तकनीकी कर्मचारियों और पर्यवेक्षकीय अधिकारियों द्वारा एक अन्य याचिका दायर की गयी है। वे सभी याचिकाएं इस समय न्यायिक निर्णयाधीन हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

भारतीय जूट निगम लिमिटेड, इंडियन जूट इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कलकत्ता की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि।

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) भारतीय जूट निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय जूट निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1338/98]

(ख) (एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष

1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1339/98]

(3) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्ज एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन जूट इन्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1340/98]

(5) (एक) मैन मेड टैक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे)।

(दो) मैन मेड टैक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1341/98]

(7) (एक) सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1342/98]

(9) (एक) वस्त्र समिति, मुम्बई के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे)।

(दो) वस्त्र समिति, मुम्बई के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1343/98]

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अधीन प्रपत्रों और अधिसूचना की प्रतियों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा के पटल पर रखता हूं :

(1) 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1344/98]

(2) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एसबीडी सं. 21/1997 जो 2 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर/हैदराबाद/इंदौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र और ट्रावनकौर कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1345/98]

(3) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) दि इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1997 जो 13 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ./लीगल/430 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1997 जो 11 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी. ओ. पी. आर. एस. आई. आर. पी. 97–98 : 1135 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1346/98]

(4) (एक) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 की धारा 29 की उपधारा (5) और धारा 34 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, कलकत्ता के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, कलकत्ता के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1347/98]

(6) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 42 के अंतर्गत जून 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की भारत में आवास संबंधी प्रवृत्ति और प्रगति पर प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1348/98]

(8) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 42 के अंतर्गत जून, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की भारत में आवास संबंधी प्रवृत्ति और प्रगति पर प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1349/98]

(10) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1350/98]

(12) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के कार्यकरण के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1351/98]

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैकचिरंग कम्पनी लिमिटेड, उटकमंड का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख़्त) : मैं श्री सुखबीर सिंह बादल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 को धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उटकमंड के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में दो विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उटकमंड का वर्ष 1996–97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1352/98]

अपराह्न 12.02 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदनलाल खुराना): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 27 जुलाई, 1998 से प्रारम्भ होने वाली शेष सत्रावधि के दौरान इस सदन में अभी तक निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी अन्य मद पर विचार।

2. निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचार और पारित करना:

(क) कपास ओटाई और ट्रबाई कारखाना (निरसन) विधेयक, 1998

(ख) लघु और अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों को विलम्बित संदाय पर ब्याज (संशोधन) विधेयक, 1998

(ग) तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 1998।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय जोड़े जायें :–

1. देश के करोड़ों युवाओं की समस्याओं का समग्रता से विचार कर समाधान के लिए "राष्ट्रीय युवा नीति" बनाने की आवश्यकता।

2. मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ठप्प पड़ी दूरसंचार व्यवस्था पर चर्चा की आवश्यकता।

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये :–

1. औद्योगिक नगर कोटा सहित मध्य प्रदेश के गुना एवं भोपाल क्षेत्र को विभिन्न धार्मिक स्थल वाले नगर अजमेर, पुष्कर से सीधा रेल मार्ग से जोड़ने के लिए बूंदी से अजमेर तक नये रेल मार्ग निर्माण के लिए सर्वे करवाया जाये।

2. ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्व नगर बूंदी (राजस्थान) को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा योजना तैयार की जाये।

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आज दिनांक 24 जुलाई, 1998 को विशेष उल्लेख के जरिये निम्न वक्तव्य देने की अनुमति प्रदान करें :

गोरखपुर उर्वरक कारखाना एक साधारण दुर्घटना के बाद वर्ष 1990 को बन्द कर दिया गया था। वर्तमान सरकार के प्रयासों से कृषक भारतीय को. लि. ने पुराने कारखाने की आधार संरचना के साथ नई यूनिट लगाने का जिम्मा लिया है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि :–

1. कृभको द्वारा स्थापित नये खाद कारखाने में पहले से कार्यरत सभी कार्मिकों का समायोजन अवश्य किया जाये।

2. यदि ऐसी व्यवस्था में कोई बाधा आ रही हो तो कार्मिकों के पूर्ण कल्याण हेतु एक व्यापक आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की जाये।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को 24 जुलाई 1998 की कार्यवाही में शामिल करने की अनुमति प्रदान करें–

1. वर्तमान संयुक्त सरकार के गठन होने के समय देश में एक संदेश भेजने का प्रयास था कि एक स्वस्थ, साफ और सुविधाजनक शासन जनता को सुलभ कराया जाएगा। सरकार ने अनेक वायदों को पूरा करने के लिए प्रयास किए भी हैं। आज आटा, दाल, तेल, सब्जियों की कीमतों में महंगाई, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव, आम आदमी को खटक रहा है।

अतः मेरा मानना है कि प्रशासनिक व्यवस्था को जवाबदेह और पारदर्शी बनाना होगा और इसके लिए सरकार को मौजूदा प्रशासन की शक्ल और कार्य शैली में भारी परिवर्तन और सुधार करने होंगे। अतः अविलम्ब, आवश्यक कार्यवाही के लिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस लोक महत्व के राष्ट्रीय विषय पर आगामी सप्ताह सदन में विचार करना आवश्यक है।

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़ा जाए–

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थान पर उच्च न्यायालय के खण्डपीठ की स्थापना की जाए।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह के कार्यों के बारे में निम्न बिन्दुओं पर निवेदन करना चाहूंगा:

संयुक्त राज्य अमेरिका से सात भारतीय वैज्ञानिकों का निष्कासन गंभीर चिंता का विषय है। सरकार को इस बारे में अविलम्ब कार्यवाही करनी चाहिए।

भारतीय जूट निगम द्वारा कच्चे जूट की खरीद न करने से जूट उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और मीलें जूट के अभाव से त्रस्त हैं।

श्री श्रीराम चौहान (बस्ती) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को जोड़ा जाए–

प्रथम पंचवर्षीय योजना के पश्चात् अब तक उपेक्षित कृषि एवं ग्रामीण विकास को नेशनल एजेंडे के प्रथम संकल्प के मुताबिक सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश के सभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर एक सक्षम राष्ट्रीय विकास बैंक "भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक" की स्थापना की जाए।

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमुन्द) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह के लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा रखे जाने वाली कार्यसूची में निम्नलिखित विषय जोड़े जाएं–

1. वन संरक्षण अधिनियम को अद्यतन कर एक नई राष्ट्रीय वन–नीति का निर्माण।

2. छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु विशेष आर्थिक पैकेज के साथ विधेयक।

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाए –

1. आगरा व फतेहाबाद, बटेश्वर एवं बाहा, जैतपुर, उदी मौड, इटावा से नई रेलवे लाइन को जोड़ा जाए।

2. शिकोहाबाद रेलवे फाटक पर नया ओवर ब्रिज बनाये जाने के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या–7 को लेगी। नियम 193 के अर्न्तगत चर्चा। श्री शरद पवार।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी सभी माननीय सांसदों से अपील है कि वे कृपया इस बात को समझें कि आज क्योंकि अत्यधिक काम है, अतः हम माननीय सांसदों द्वारा शून्यकाल के लिए दी गई सूचनाओं को सोमवार को लेंगे। आज शून्य काल नहीं है। समय का अभाव है। कृपया समझने का प्रयास करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज हमें अत्यधिक कार्य निबटाना है। सोमवार को हम शून्य काल रखेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इसे सोमवार को लेंगे। कृपया समझने का प्रयास करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सांसदो मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि आज हमारे पास अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सोमवार को लूंगा। श्री शरद पवार, कृपया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं, हम इसे सोमवार के लेंगे।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट बोलने का समय दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं, मैं आपको सोमवार को बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री खुराना जी को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर) : अध्यक्ष महोदय, दूरदर्शन पर 20 तारीख को साढ़े नौ बजे एक ड्रामा दिखाया गया था, जिसमें नर्मदा योजना के विरोध में बात थी।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को सूचना और प्रसारण मंत्री जी तक पहुंचा कर उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस पर सोमवार को सदन में अपना वक्तव्य दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : महोदय, देश के गौरव की बाजी लगी है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज का मद 'महिलाओं पर अत्याचार पर चर्चा', भी अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। हमें पहले उस पर चर्चा करनी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, सर्वप्रथम आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदया आप पहले अपनी जगह जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? यह अच्छी बात नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज हमारे पास निबटान के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। हमें 'महिलाओं पर अत्याचार' विषय पर चर्चा करनी है व इस पर चर्चा पूरी भी करनी है। इसलिए मैं माननीय सांसदों से अनुरोध करता हूं कि हम शून्य काल सोमवार को रखेंगे।

(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : महोदय, श्री खुराना जी ने प्रेस के समक्ष सभा के कार्य की घोषणा की है। उन्हें इसकी घोषणा

संसद में करनी चाहिए थी, जबकि संसद चल रहा है। यह विशेषाधिकार का हनन है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत से सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के नेता पहले ही बोलने के लिए खड़े हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री टी. आर. बालू, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

अपराह्न 12.15 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

महिलाओं पर बढ़ता अत्याचार

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष जी, कल नियम 193 के अन्तर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय गीता मुखर्जी ने सदन के सामने रखा। इस बारे में मैंने कुछ बातें सदन के सामने कही थीं। महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं वे अलग–अलग किस्म के होते हैं, चाहे शारीरिक अत्याचार हों, मानसिक अत्याचार हों, शिक्षा–क्षेत्र के अत्याचार हों, मीडिया–क्षेत्र के अत्याचार हों, पुलिस द्वारा अत्याचार हों, इन अत्याचारों की संख्या दिन–प्रति–दिन बढ़ रही है। देश में हर दिन और हर घंटे में कितने अत्याचार महिलाओं पर होते हैं यह भी मैंने सदन में रखने की कोशिश की थी। मैंने यह भी कहा था कि जब तक हम पुरूष वर्ग की महिलाओं के प्रति मानसिकता को बदलने में कामयाब नहीं होते तब तक परिस्थितियों में सुधार होना आसान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में हमें सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का क्षेत्र है। पिछले 50 वर्षों में प्राइमरी–शिक्षा के विस्तार के लिए इस देश में काफी राशि खर्च की गयी है और उन्हें शिक्षित करने के लिए काफी मेहनत की गयी है, फिर भी हम केवल 50 प्रतिशत महिलाओं को ही शिक्षित कर सके हैं। इसमें भी खास करके दलित और आदिवासी महिलाओं का प्रतिशत 60 से ऊपर है जिन्हें हम शिक्षित नहीं कर सके हैं। जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को सहयोगी नहीं बनाते हैं तब तक हम उनका भविष्य नहीं बना सकते हैं। इसलिए इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

वायलैंस अगेंस्ट वीमैन के ऊपर यहां बातें हुई हैं। मुझे लगता है कि इस बारे में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। पुलिस बल के ऑफिसरों की मानसिकता बदलने की अवश्यकता है। पुलिस स्टेशन में जो थानेदार है, उसकी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। उनके स्लेबस में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जिस महिला के ऊपर अत्याचार होता है और जब वह थाने जाती है तो उसको ठीक से जवाब नहीं मिलता है। एक महिला ने मुझे बताया कि अपने पति द्वारा मारने–पीटने पर उसने जब थानेदार से शिकायत की तो थानेदार ने कहा कि आपको नहीं मारेगा तो क्या पड़ोसी की पत्नी को मारेगा। यह थानेदार की मानसिकता को दर्शाता है। इसलिए पुलिस की जो ट्रेनिंग का सिलेबस है उसमें परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता है और पुलिस बल में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने की भी आवश्यकता है।

आज कुछ राज्यों में 25 प्रतिशत तक महिलाओं को पुलिस दल में शामिल किया गया है जबकि कुछ राज्यों में यह 6 प्रतिशत से कम हुआ है। जहां महिलाओं को पुलिस दल में आफिसर के रूप में काम करने का मौका मिला है, वहां उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। हम रोजाना हवाई अड्डे पर जाते हैं जहां पुलिस दल में महिला सब इंसपैक्टर्स हैं। लेकिन पुरूष और महिला रिक्रूटमेंट, सेवा शर्तें, उनकी शिक्षा और अधिकारों के बारे में समानता की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है यदि महिलाओं को यह अधिकार देंगे तो परिस्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरे राज्य महाराष्ट्र में मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। जब सरकार की जिम्मेदारी मुझ पर थी तो उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के सवाल पर एक बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ था। इस निर्णय पर कुछ साल अमल नहीं हो सका। कुछ समय बाद जब मैंने सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करके तैयारी की तो मैंने कुछ जिलों में झगड़ा होने और नौजवानों द्वारा सड़क पर आने की आशंका व्यक्त की थी। अमल करने के बाद मालूम हुआ कि जो जिला सबसे ज्यादा संवेदनशील था, वहां पूरी तरह से शान्ति रही। जब गहराई से देखा गया तो पता चला कि वहां पर महिला पुलिस अधिकारी नियुक्त थी जिसने बहुत अच्छा काम किया था। मैंने नौजवानों से पूछा कि आप लोग तो संघर्ष करने वाले थे, कैसे शान्त रहे। उन्होंने जवाब दिया कि जिले की पुलिस अधिकारी एक महिला थी और यदि हम सड़कों पर संघर्ष करने के लिये आते तो वह हमारी पिटाई करती। इस पिटाई से बेहतर तो घर पर ही रहना था। यही कारण है कि हम लोगों ने शान्ति का मार्ग स्वीकार किया। इस उदाहरण से यह स्वीकार करना पड़ा कि ऐसी जिम्मेदारी महिला पुलिस अधिकारी को दे सकते हैं। इस संदर्भ में महिलाओं की सर्विसेज़ इंटर चेंजेबल होनी चाहिए। खासकर मैट्रोपालिटन सिटीज जैसे दिल्ली में महिलाओं पर अत्याचार की घटनायें बढ़ रही हैं। इसके लिए 20–25 पुलिस स्टेशनों पर महिला पुलिस अधिकारियों को लगाने से परिस्थिति से निपटने के लिये सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल महिला और कानून तथा व्यवस्था का आता है। मेरा मानना है कि इस संबंध में परिस्थिति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है क्योंकि महिलाओं को सबसे ज्यादा डर उनकी असुरक्षा का लगा रहता है। शादी के बाद पति के घर भेज दिया, आगे

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शरद पवार]

की जिन्दगी कैसे चलेगी, कहां रहना है, ऐसी फीलिंग्ज़ से उन्हें बहुत तकलीफ होती है। इसके लिये कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि महिलाओं में असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिये एक बहुत बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिये उसे शादी से पहले और शादी के बाद अपने पति से प्रॉपर्टी का अधिकार मिलने की आवश्यकता है। पिता अपने लड़के को प्रॉपर्टी दे सकता है लेकिन लड़की को नहीं दे सकता। यदि देता है तो मेहरबानी से देता है, उन्हें अधिकार से नहीं देता। इसके लिये एक समानता लाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, फैमिली कोड्स में काम करने की पद्धति है, उसमें बहुत कुछ संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। तीसरी बात यह है कि हिन्दू सक्सेशन ऐक्ट 1956 के मुताबिक महिलाओं को–पर्सनरी अधिकार देने के लिए सेक्शन 125 में सुधार करने की आवश्यकता है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 में सुधार करने की आवश्यकता भी मुझे लगती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब घटस्फुटित महिला डाइवोर्स के लिए कोर्ट में जाती है तो डाइवोर्स मिलने के बाद कोर्ट की तरफ से उनको जो मेनटेनेन्स लेने का अधिकार है, इसके लिए आज के कानून में जो सीमा रखी है, वह ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये की है। भारत का कोई भी बड़ा उद्योगपति अगर अपनी पत्नी को घटस्फोट दे दे तो उस पत्नी को 500 रुपये महीना तक मांगने का अधिकार है। 500 रुपये महीने से ज्यादा देने की सुविधा कानून में नहीं है। यह अपर लिमिट जो 500 रुपये महीना की है, इसको निकालने की आवश्यकता है। हो सकता है तो लंप–सप पेमेण्ट की परिस्थिति भी पैदा करनी चाहिए और जहां तक नौकरी करने वाला आदमी है, इनसे घटस्फोट और मेनटेनेन्स लेने की परिस्थिति आती है तो उनकी जो आय का स्रोत होता है, वहां से सीधे पैसे लेने का प्रबंध करने की आवश्यकता है। इससे महिलाओं को जरूर मदद मिलेगी।

एक और सवाल आता है कि जब घर में अत्याचार होता है, संघर्ष होता है, कोर्ट में जाने की परिस्थिति आती है, तब महिला कहां जाए, यह बहुत बड़ा सवाल आता है। उनके साथ उनके बाल–बच्चों की परिस्थिति भी होती है। आज इंग्लैण्ड में एक कानून है कि जब पति–पत्नी में झगड़ा होता है और कोर्ट में वह केस चलता है तो जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं होता, तब तक पति को उस घर में रहने का अधिकार नहीं है, यह व्यवस्था आज ब्रिटेन ने की है। अपने देश में जितने डाइवोर्स के केसेज़ हैं, इस बारे में जानकारी लेने के बाद आपको पता लगेगा कि हमारे देश में डाइवोर्स के केस ऐवरेज 13 साल तक चलते हैं। 13 साल तक वह महिला कहां रहेगी, बच्चे कहां रहेंगे, यह बड़ी गंभीर परिस्थिति पैदा होती है। इसलिए क्या यू. के. पैटर्न पर हम कुछ कर सकते हैं, इस बारे में भी सोचना होगा।

हिन्दू मैरिज ऐक्ट में भी कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। आज नीदरलैण्ड्ज़ के कानून में एक प्रोविज़न ऐसा है कि शादी होने के बाद पति ओर पत्नी दोनों ही अपनी प्रॉपर्टी में 50 प्रतिशत के हिस्सेदार होते हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि भारत में भी शादी होने के बाद अगर पत्नी की प्रॉपर्टी हो तो पति को 50 प्रतिशत हिस्सा मिलना चाहिए और पति की प्रॉपर्टी हो तो पत्नी का 50 प्रतिशत हिस्सा होना चाहिए। इससे असुरक्षा की जो भावना हमेशा उनके सिर पर रहती है, उससे छुटकारा दिलाने में मदद होगी और हमें कुछ न कुछ परिवर्तन करना होगा। यह परिवर्तन केवल हिन्दू मैरिज ऐक्ट में नहीं करना होगा, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज ऐक्ट, 1872; इंडियन डाइवोर्स 1869; पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स ऐक्ट, 1936; और मुस्लिम विमेन्स राइट्स एंड डाइवोर्स ऐक्ट में भी संशोधन करने की आवश्यकता है, यह सुझाव मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

ऐडॉप्शन की बात जब आती है तो पुरूषों को ही संतान ऐडॉप्ट करने का अधिकार है, लेकिन महिलाओं को बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि यह अधिकार दोनों को ही होना चाहिए। सिर्फ पति को ही संतान अडॉप्ट करने की जो परिस्थिति हमने आज के कानून में रखी है, वह न्यायोचित नहीं लगती है। कई जगहों पर शिकायतें आती हैं कि जब घटस्फोट लेने के लिए महिलाओं को कोर्ट में जाना पड़ता है, तो उनकी परिस्थितियां अलग होती है, वह बिल्कुल बेसहारा रहती हैं। ऐसे समय पर मेनटेनेन्स, प्रॉपर्टी, वॉयलेन्स और डायवोर्स के बारे में जितने केसेज़ होते हैं, इस बारे में जितनी कोर्ट की फीस होती है, वह महिलाओं के लिए समाप्त करने की आवश्यकता है। लोक अदालत जैसे जो इंस्टीट्यूशन है, जिससे हमें जल्दी से जल्दी निर्णय मिल सकता है, वह महिलाओं के लिए अलग करने की आवश्यकता हैं और सी. आर. पी. सी. के सेक्शन 304 (3) में जो लीगल ऐड का प्रबंध किया गया है, महिलाएं जब अडंर ट्रायल होती हैं, तब उनको लीगल एड देने के लिए खास लीगल एड का प्रबंध करने की आवश्यकता है क्योंकि उनकी परिस्थिति बहुत खराब होती है। इस पर एक और छोटी सी सूचना मेरे पास है। आज रेंट एक्ट में संशोधन किया जाए। कोई आर्म्ड फोर्सेज का आदमी है जब वह अपना मकान किसी को किराये पर देता है तो वापस आने के बाद, रेट कंट्रोल के मुताबिक वहां रहने वाला जो भी व्यक्ति है, उसको संरक्षण नहीं दिया गया है। आर्म्ड फोर्सेज से आदमी जब वापस आता है, उसे उसका मकान मिलता है। ... *(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम (गढ़वाल) : नहीं मिलता है, कायदा है।

श्री शरद पवार : मिलता है, प्रोवीजन है, कायदा है, कायदे के आधार पर यही प्रबंध, यह संशोधन विधवाओं के बारे में करिये। अब हम महिलाओं के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उनकी परिस्थिति और बुरी होती है। वह अकेली हो, उसके मकान में या अपार्टमेंट में दूसरा कोई व्यक्ति रहता हो और 15–15, 20–20 साल तक कोर्ट में केस चलेगा तो क्या वे सड़क पर रहेंगे, इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें भी हमें संशोधन करने की आवश्यकता है।

एक और महत्वपूर्ण इश्यू महिलाओं के इकोनोमिक स्टेटस का है। आज कई क्षेत्रों में महिलाएं आगे आ रही हैं, उनको थोड़ा सा मौका मिल रहा है और इससे एक बात साबित हो रही है कि कोई भी जिम्मेदारी महिलाओं को दे दो तो वे उसे ठीक तरह से संभाल सकती हैं। मुझे याद है जब इस देश के रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी तब मैंने सीनियर आफिसरों को बुलाकर यह बात अनके सामने रखी कि आर्मी और एयर फोर्स में महिलाओं को प्रवेश क्यों नहीं देते? इस बारे में 10–15 मीटिंग्स की गईं, परंतु वे लोग तैयार नहीं हुए। आखिर में मैंने कहा कि यह सरकार का निर्णय है, आपको उनको कुछ प्रतिशत जगह देनी ही होगी और आज भारत की आर्मी और एयर फोर्स में महिला आफिसर अच्छी तरह के काम कर रही हैं। मुझे एयर फोर्स का एक सीनियर आफिसर मिला था, मैंने उससे पूछा कि इस बारे में आपका क्या अनुभव है। उसने कहा कि इंडियन एयर फोर्स के सामने एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी कि हमारे देश में एक्सीडेंट रेट दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले में ज्यादा थे और जब से इंडियन एयर फोर्स में महिलाएं पायलट बनी हैं, तब से एयर फोर्स में एक्सीडेंट रेट नीचे आ गया है। क्योंकि महिलाओं की आदत होती है कि आप उनको कोई भी जिम्मेदारी सौंपिये, वे उसको ठीक तरह से निभाती हैं, उनका ध्यान उसी पर रहता है। आज एक्सीडेंट रेट कम हुए हैं, यह एक अच्छी बात है।

जब हम आरक्षण की बात करते हैं, मैं बैकवर्ड और फारवर्ड में नहीं जाना चाहता, मगर जितने गवर्नमेंट और सेमी–गवर्नमैंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें महिलाओं को आरक्षण देने के बारे में सोचने की आवश्यकता है, नियमों में कुछ न कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, यह बात मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ऐसी कुछ सूचनाएं इस बारे में हो सकती हैं, जब सरकार की तरफ से समाज के गरीब वर्गों को मदद करने के लिए हम कदम उठाते हैं तो वे कदम उठाते समय महिलाओं की रक्षा की बात को हमेशा सामने रखना चाहिए। जहां स्टेट गवर्नमेंट या सैंट्रल गवर्नमेंट के हाउसिंग डिपार्टमेंट हैं, किसी एक व्यक्ति को राज्य सरकार के हाउसिंग डिर्पाटमेंट की तरफ से एक छोटा सा मकान दे दिया गया, जमीन का पट्टा दे दिया गया, नेहरू योजना के अंतर्गत, जवाहर योजना के अंतर्गत छोटा मकान दे दिया गया, उस मकान को देते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह मकान अकेले पुरुष के नाम पर न हो। वह मकान हो या जमीन का पट्टा हो, पति–पत्नी दोनों के नाम पर होना चाहिए। इस पर 50 प्रतिशत अधिकार महिला का होना चाहिए। फिर उस महिला को घर से बाहर निकालने की ताकत उस आदमी में नहीं होगी। इस तरह से हम जहां–जहां भी किसी की सरकार की तरफ से मदद करेंगे तो वह मदद एकतरफा नहीं होगी, वह दोनों के नाम पर होगी। इस तरह के सुझाव को यदि हम स्वीकार करेंगे तो उनको जीवन में असुरक्षा की भावना से छुटकारा मिलने में मदद मिलेगी।

मीडिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, मीडिया की तरफ से भी बहुत बड़े अत्याचार होते हैं, सिनेमा के द्वारा होते हैं। आजकल जब हम कोई भी हिंदी मूवी देखते हैं तो क्या देखते हैं कि विलेन हीरो को पकड़कर उस पर हमला करने आता है और हीरो उससे छुटकारा पाने में कामयाब होता है। लेकिन आखिरी क्षण में एक महिला, उसकी पत्नी, लड़की या मां को खड़ा कर देते हैं कि वह हमारे कब्जे में है, अब तुम ठीक हो जाओगे। आप कोई भी हिंदी सिनेमा देखिये, यह परिस्थिति हमेशा आती है।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दी सिनेमा में स्त्री पर जो अत्याचार दिखाए जाते हैं वे बन्द होने चाहिए। ऐसे दृश्यों को फिल्माने पर पूर्ण पाबंदी लगानी चाहिए। इस प्रकार का एक भी केस हमको अलाऊ नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें फिल्म सेंसर बोर्ड या फिल्म सेंसर ट्रिब्यूनल में कम से कम 50 प्रतिशत महिला सदस्यों को नामित करना चाहिए। इस बोर्ड या ट्रिब्यूनल में जो महिलाएं नियुक्त की जाती हैं, वे प्रायः सरकार की तरफ से नामित की जाती है उनमें कोई बड़े उद्योगपति की पत्नी होती है, कोई बड़े घर की महिला होती है, जिन्हें न वहां जाने की फुर्सत मिलती है और न फिल्में देखने की इच्छा होती है और न उन्हें समय मिलता है। यह सब बन्द होना चाहिए और कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन है, जिसमें सभी महिला सांसद मैम्बर हैं उन्हें फिल्म सेंसर बोर्ड या फिल्म सेंसर ट्रिब्यूनल में 50 प्रतिशत महिलाओं को अपाइंट करने का अधिकार देना चाहिए। जिससे ठीक प्रकार से महिलाएं फिल्मों को देखकर ऐसे दृश्यों को फिल्मों में से निकलवाएंगी और स्वस्थ मनोरंजन की फिल्में ही आ पाएंगी। जब महिलाओं पर अत्याचार की फिल्में बन्द होंगी, तब देश में एक प्रकार का अच्छा माहौल बन सकेगा। यह सब करने के लिए सबसे आवश्यक बात है प्रशासन में बैठने वाले लोगों की मानसिकता बदले और मैं समझता हूं कि धीरे–धीरे लोगों की मानसिकता बदल रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो उदाहरण सदन में देना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि इंडियन एयर लाइंस और एयर इंडिया में काम करने वालों में महिला और पुरुष दोनों ही होते है। केबिन क्रू में काम करने वाली एक महिला होती है और एक पुरूष होता है। अभी तक इंडियन एयर लाइंस और एयर इंडिया में ऐसा था कि यदि महिला की उम्र 50 साल हो जाती है, तो उसे केबिन क्रू से निकाल कर ग्राउंड ड्यूटी दे दी जाती है जबकि पुरुष के ऊपर आयु संबंधी कोई बंधन नहीं है। भारत सरकार ने 1997 में डायरैक्शन दी कि महिला होने के आधार पर भेद नहीं किया जाना चाहिए और पुरुष तथा महिलाओं को एक समान आधार पर कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इंडियन एयर लाइंस ने तो भारत सरकार की यह सूचना स्वीकार कर ली और वहां इस प्रकार का भेदभाव बंद कर दिया गया, लेकिन भारत सरकार द्वारा तीन बार लिख कर देने के उपरान्त एयर इंडिया ने अभी तक यह नियम अपने यहां स्वीकार नहीं किया है और अभी तक वहां महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और 50 साल की उम्र में महिला केबिन क्रू को ग्राउंड ड्यूटी दे दी जाती है जिससे उसके वेतन में लगभग 20 हजार रूपए की कमी हो जाती है। मेरा कहना यह है कि जब आप पुरुष को 60 वर्ष तक कार्य करने का अधिकार देते हैं, तो महिला को क्यों नहीं देते। यह बात मेरी अभी तक समझ में नहीं आई। यदि महिला के काम में कमी है, या वे गलती करती हैं; तो बेशक बदल

[श्री शरद पवार]

दीजिए, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन पुरुष और महिला को समान अधिकार होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा केस कावेरी मुखर्जी का है जिसके बारे में पूरे देश के अखबारों में आ रहा है। उनके ऊपर अनेक वर्षों से टेलीविजन पर न्यूज देने की जिम्मेदारी थी। बाद में दूरदर्शन की तरफ से आर्डर निकाला गया कि अब आप यह काम बन्द करिए और उनको यह बोला गया आप प्राइम टाइम में हिन्दी और अंग्रेजी में बुलेटिन देती हैं, इसलिए आप काम बन्द करिए। जब उन्होंने पूछा कि मैं काम क्यों बन्द करूं, तो उन्हें जवाब मिला कि "अब वे वृद्ध दिखने लगी है" दूरदर्शन की तरफ से इस प्रकार का जवाब दिया गया कि अब आप वृद्ध दिखने लगी हैं। मैं समझ नहीं पाया कि दूरदर्शन की तरफ से ऐसा क्यों और किस नियम तथा कानून के तहत लिख दिया गया। मैं समझता हूं कि इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता है। महिलाओं के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार और अन्याय बन्द होने चाहिए।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : माननीय सांसद को मालूम है यह घटना कब की है ? मैं बताना चाहता हूं कि यह घटना 1997 की है।

श्री शरद पवार : चाहे यह घटना 1997 की हो और उस समय कौन सी सरकार थी, इन सब बातों में मैं नहीं जाना चाहता और मेरा निवेदन है कि आप भी इस बात का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास न करें। मेरा कहना यह है कि जब तक मानसिकता नहीं बदलती है तब तक महिलाओं के साथ अन्याय होता रहेगा। इसलिए आज सबसे आवश्यक चीज है हमारी मानसिकता को बदलने की। उसमें हम सभी आते हैं। मैं तो कहूंगा कि हम सांसदों से बदलाव की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। अपने घर से बदलाव शुरू होगा, तो देश में भी बदलाव आएगा। यह बदलाव चाहे मंत्री हों, सांसद हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, सब में लाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी जी ने महिलाओं के बारे में क्या कहा था, इस बात को सदन में पढ़कर सुनाते हुए मैं खुशी महसूस करता हूं। मैं उसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं। महात्मा गांधी प्रगतिशील विचारों के क्रान्तिकारी थे। उन्होंने कहा कि पुरुषों को जितना विश्वास रहता है कि मैं आजाद हूं, तो उतना ही विश्वास जब तक इस देश की महिलाओं के मन में नहीं आयेगा तब तक इस समाज में परिवर्तन नहीं होगा। यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने आगे कहा कि जब तक लड़के और लड़की के साथ यह समाज समान व्यवहार नहीं करता तब तक भारत देश आगे नहीं जायेगा। गांधी जी ने यह भी कहा कि आज तक जितने कानून और नीति नियम इस देश में बने हैं, इसको बनाने वाले बहुसंख्यक पुरुष थे इसलिए स्त्री वर्ग को, महिलाओं को इनसे न्याय नहीं मिला। इसमें संशोधन और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। गांधी जी ने आखिर में कहा कि महिलाओं को अच्छी शिक्षा देना यानी पति को न करने की ताकत देना, करने की आवश्यकता देश में है। आज हमें इस पर ध्यान देना होगा। मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि आज महिलाओं के अत्याचारों की परिस्थिति देखने के बाद जब तक हम उनकी शिक्षा का विस्तार, आर्थिक स्वतंत्रता और एक मजबूत शक्ति नहीं देंगे तब तक इस देश की स्त्रियां मजबूत नहीं होगी। इसलिए आज हमें एक माहौल बनाना होगा कि हमारी स्त्री सरस्वती की भक्त हो। हमारी स्त्री लक्ष्मी की भक्त हो और हमारी स्त्री दुर्गा माता की भक्त हो तभी इस परिस्थिति में परिवर्तन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अभी लगभग 40 माननीय सदस्यों को बोलना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : यहां भी आप हम लोगों को ही डाटेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया : मैं जानती हूं । ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पी. सी. थामस जी, कृपया पहले आप मेरी बात सुनिए।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : आप महिला सदस्यों को बोलने का मौका दें सकते हैं लेकिन हमें एक–तिहाई अवसर दिये जायें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी को बोलने का मौका दूंगा, लेकिन इसमें आपत्ति यह है कि अभी ऐसे 40 माननीय सदस्य हैं जो चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। क्या हम योजनावकाश भी न करें, क्योंकि 3.30 बजे हमें गैर सरकारी सदस्यों के कार्य लेना है ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया(जूनागढ़) : अध्यक्ष जी,

हमारी बहन श्रीमती गीता मुखर्जी ने नियम 193 के तहत महिलाओं के ऊपर अत्याचारों के बारे में जो चर्चा उठाई है, उसके बारे में मैं भी अपने विचार रखना चाहती हूं। हमारी युगों पुरानी, गौरवपूर्ण संस्कृति और संस्कार हैं। आज भी हम भारत देश को भारत माता कहते हैं। पूरे संसार में कहीं भी कोई अपने देश को माता के रूप में नहीं मानता। केवल भारत देश ही ऐसा है जिसमें हम भारत को माता कहते हैं। धरती को माता कहते हैं और गाय को भी हम माता के रूप में स्वीकार करते हैं। ... *(व्यवधान)* हर नदी को हम पवित्र और माता मानते हैं। यह कहा गया है कि "यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता।" इसी तरीके से हमारे गुजराती में कहावत है कि "जे कर जुलावे पारणो, ते जगत पर शासन करे।" लेकिन आज तो अनुभव हुआ है, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहती हूं।

अपराह्न 12.44 बजे

(श्री रघुवंश प्रसाद *पीठासीन हुए*)

अगर वह आंकड़े भी देखे जायें तो हम लोगों को अफसोस होगा कि हिन्दुस्तान की आजादी के 50 वें साल में हमने इस विषय पर संसद में चर्चा कराना जरूरी समझा और हम चर्चा कर रहे हैं। यह भी एक दुखद घटना है।

सभापति जी, 1952 से पूरे विश्व में सबसे पहले भारत की महिलाओं को मताधिकार मिला है। लेकिन इस स्वतंत्र भारत में महिला स्वतंत्र नहीं है, यह हमारा अनुभव रहा है। इस पर बहुत चर्चा हुई है। महिलाओं को मिलकियत के रूप में देखा गया है, जाना गया है, माना गया है। किसी ने नारी को इंसान के रूप में मानने की मानसिकता अभी भी तैयार नहीं की है। जो नारी इंसान को जन्म देती है, उसे इंसान मानने की मानसिकता हमारे पुरुष प्रधान समाज में अभी भी नहीं बनी है। यदि शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आज भी लड़कों की शिक्षा के प्रति ज्यादा ध्यान दिया जाता है लेकिन लड़कियों की शिक्षा के बारे में उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने अपने राष्ट्रीय एजेंडा में लड़कियों को कालेज के स्तर तक, जिसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शामिल है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की योजना शुरू करने की बात कही है। मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं कि उसने महिलाओं की शिक्षा के बारे में कदम उठाया है। महिलाओं को शक्ति सम्पन्न करने की दृष्टि से संसद और राज्य की विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाने की कोशिश भी की गई है।

श्री शरद पवार ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत नमूने भी बताए। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहती हूं कि महिला आरक्षण बिल पेश करने के दिन इस हाउस में जो घटना घटी, श्री लालू प्रसाद और श्री मुलायम सिंह ने पिछड़ी जाति और मुस्लिम महिलाओं के नाम पर उस बिल को रोकने की कोशिश की। साथ ही मैं कांग्रेस के नेताओं को भी यह याद दिलाना चाहती हूं कि 33 प्रतिशत रिजर्वेशन के लिए जब इस बिल लाना था तो पहले कहते थे हम आपके साथ हैं लेकिन बाद में पलट गए। हम जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर क्या दबाव आ रहा है जिसके कारण यह हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : हमारी पार्टी के बारे में गलत उद्धरण नहीं दिया जाना चाहिए। यह बात नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया : धन्यवाद। ग्रामीण महिलाएं, झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाली महिलाएं, मध्यम वर्ग की महिलाएं, जिसका पति या पिता शराबी होता है, उसके कारण उसे मानसिक या शारीरिक रूप से अत्याचार सहन करना पड़ता है। कामकाजी महिलाओं के लिए जो कानून बना है, उसका सख्ती से अमल न होने के कारण भी महिलाओं को अत्याचार सहन करना पड़ता है। हमारे संविधान में मिनिमम वेजेस के बारे में जो कहा गया है, उस पर अमल नहीं हुआ है जिसके कारण कामकाजी महिलाओं पर मानसिक रूप से अत्याचार हो रहे हैं।

मैटरनिटी लीव सिर्फ तीन महीने की दी गई है जो बिल्कुल गलत है। बच्चे और मां के स्वास्थ्य के लिए कम से कम छः महीने की छुट्टी होनी जरूरी है। यदि इस देश में नारी स्वस्थ नहीं होगी तो इस देश का स्वास्थ्य कैसा होगा। स्वामी विवेकानंद ने 101 वर्ष पहले कहा था कि यदि इस देश को आबाद करना है तो इस देश की नारी को आबाद करना होगा, उसे शिक्षित करना होगा और उसे स्वाभिमान से जीने का हक दिलाना होगा।

दहेज के बारे में बहुत बात हुई है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि दहेज का दानव आज तक बहुत–सी महिलाओं को निगल चुका है और निगलता रहेगा। सख्ती से नियम बनाकर ही दहेज प्रथा को बंद किया जा सकता है। श्रीमती गीता मुखर्जी ने इस हाउस में कहा कि हम अपने से इसकी शुरुआत करें। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहती हूं कि हमारे देश का संविधान, नियम, अधिनियम और कानून का सख्ती से पालन करना और कराना जरूरी है। साथ में जो व्यसनमुक्ति का संदेश है, वह देने के लिए हम लोगों को कुछ ठोस कार्यक्रम करने पड़ेंगे। छोटी बच्चियों और बड़ी महिलाओं या कोई भी ऐसी स्त्री है, जिसके ऊपर रेप होता है, मैं कहना चाहूंगी कि जो दुष्कृत्य होता है, उन दुष्कृत्य करने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।

बेरोजगारी दूर करने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह बेरोजगारी जब तक दूर नहीं होगी, तब तक इस देश में महिलाएं स्वाभिमान से नहीं जी सकेंगी। मीडिया, जिसका जिक्र यहां चर्चा में बहुत हुआ है, मैं भी कहना चाहती हूं कि टी॰ वी॰, रेडियो, सिनेमा, पोस्टर्स के द्वारा जो मानसिक रूप से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वे भी बन्द होने चाहिए।

[श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया]

लास्ट में मैं यह कहना चाहूंगी कि स्कूल और कालेजों में बच्चियों को और महिलाओं के लिए कराटे का शिक्षण कम्पलसरी होना चाहिए, जिसके कारण महिला खुद स्वाभिमान से अपना काम कर सकती है और स्वाभिमान से अपना निर्वाह चला सकती हैं। इस देश में हम लोगों ने हमेशा महसूस किया है, नारी को देवी के रूप में हम पूजते हैं। कोई भी यज्ञ हो या कोई भी अच्छा काम बिना नारी के नहीं होता है, यह हमारी संस्कृति है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में आज भी नारी की स्थिति दयनीय है और इसके ऊपर हमको विचार करना पड़ेगा।

आज मुझे भी यहां इस चर्चा में भाग लेने का जो मौका मिला है, इसके लिए मैं आभारी हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो. प्रेमाजम।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, उनसे पहले मुझे बोलने दिया जाए। अपने दल का नेता होने के नाते में अपने पद का ठीक प्रयोग या दूरुपयोग कर रहा हूं। मैं इस विषय पर अपने दल के विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

महोदय, यह अति गंभीर मामला है। मैं श्रीमती गीता मुखर्जी को यह मामला उठाने तथा माननीय अध्यक्ष जी को इसकी अनुमति देने के लिए बधाई देता हूं। शायद, इस मामले को बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ऐसा मामला है जिस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। शायद, हम इस देश कि महिलाओं के मामले में केवल दिखावटी आदर दिखा रहे हैं। ये महिलाएं हमारी जनसंख्या का आधा भाग हैं। यह शर्म की बात है की स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष बाद भी, जबकि हम इस वर्ष स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हमें इस सभा में महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित मामले पर चर्चा करनी पड़ रही है। इससे अधिक शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। इसलिए यह आत्मनिरीक्षण करने का भी समय है। हो न हो हम इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। एक दिन हमने इसका सिर्फ जिक्र किया था। लेकिन इस पर वास्तव में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

महोदय, कुछ वर्ष पहले हमारे देश में सती प्रथा का प्रचलन था। स्वतंत्र भारत में सती प्रथा चालू थी। मुझे चर्चा में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ था। चर्चा के दौरान कुछ राय प्रकट की गयी थी जिन्हें याद करके मैं कांप उठता हूं।

यह वह देश है जहां लड़कियों से घृणा की जाती है तथा इन्हें गर्भ में ही मार डालने के प्रयास किये जाते हैं। इस धारणा को बदलना है। महोदय, दहेज प्रथा से बुरी प्रथा, और कोई नहीं हो सकती है मैं अपनी पार्टी के विचारों को नहीं जानता हूं लेकिन मेरे विचार से यह ठीक मामला है जिसमें दहेज देने वालों तथा दहेज लेने वालों को ऐसा दंड दिया जाना चाहिए जिससे दूसरों को चेतावनी मिल सके। *लेकिन फिर भी ये ऐसे मामले हैं। जिन पर हम न केवल कभी-कभी चर्चा करते हैं बल्कि जिन पर हम अपनी चिन्ता व्यक्त करते हैं।* लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। दहेज से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। परिवार में लड़की को इस तरह देखा जा रहा है जैसे कि उसकी कोई जरूरत न हो। उन्हें कोई शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। इसलिए हमारा मानना है कि आर्थिक स्वतंत्रता तथा शिक्षा के बिना उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान करना बहुत कठिन है। उन्हें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। मुझ मालूम है कि इस सभा की कई प्रतिष्ठित महिला सदस्य महिला आरक्षण विधेयक, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, के पुरःस्थापन और विचार के लिए भरसक प्रयास करती रही हैं। मैं श्रीमती गीता मुखर्जी से सहमत हूं।

वास्तव में, मैंने उन्हें बताया कि यह महिलाओं पर अत्याचार का एक स्पष्ट उदाहरण है और यह सभा इस विधेयक पर चर्चा भी नहीं कर सकती। यह इस देश का सबसे छोटा दायित्व अथवा वचनबद्धता है। हमें उनमें कम से कम आत्मविश्वास तो जगाना चाहिए। उन्हें इस देश के राजनीतिक मामलों में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और हमें उन्हें राजनीतिक और राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। यहां तक कि उस पर भी विचार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यहां बहुत से सदस्यों की जो भी धारणा अथवा मत रहे हों, इस मामले पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये था। मुझे इस बात का खेद है कि सरकार यह कर रही है कि बिना सर्वसम्मति के वह विधेयक नहीं लाएंगी। हमें यह पता लगाना चाहिए कि वे कौन सा विधेयक सिर्फ सर्वसम्मति के आधार पर ला रहे हैं। अतः सर्वसम्मति का यह तर्क हमें बिल्कुल अमान्य है। हममें से अनेक लोग कहते रहे हैं कि इस पर सभा में चर्चा की जाये और यदि बहुमत पक्ष में न हो तो यह अस्वीकृत हो जायेगा। परंतु आप पहले ही इस सभा में चर्चा करने से इंकार कैसे कर सकते हैं ? गृह मंत्री और बहुत वरिष्ठ सदस्य यहां उपस्थित हैं। यहां पर यह तर्क नहीं चलेगा। इसे पुरःस्थापित किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए. ..*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी ए. वी. एस. एम. (गढ़वाल): महोदय, आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको किसी के भाषण में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। एक विद्वान गृह मंत्री यहां हम सभी को जवाब देने के लिए मौजूद हैं।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, ए. वी. एस. एम. : आपने कहा कि सरकार सर्वसम्मति का तर्क दे रही है। क्या आप सर्वसम्मति के बिना लड़ाई को टाल सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अतः, हमें यह सामान्य प्रभाव नहीं देना चाहिए कि इस सभा का कोई भी सदस्य, अथवा सदस्य समूह इस सभा में अनिश्चित काल तक इस प्रकार की स्थिति बनाये रख सकते हैं। फिर आपको वह स्थिति भी स्वीकार करनी है।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, ए. वी. एस. एम. : हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए और हम इस मामले में आपका सहयोग चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे मन में आपके लिए सम्मान है। परन्तु यह एक ऐसा मामला है, जिस पर इस सभा के प्रत्येक सदस्य को ध्यान देना चाहिए। इस महान संस्था के भविष्य के लिए, मेरा प्रत्येक सदस्य से, उन लोगों सहित जो इसके बारे में दृढ़ भावना रखते हैं। और मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर विचार करें कि हम अपनी भावनाओं को किस प्रकार प्रकट करें। हमें अपनी बात किस प्रकार अभिव्यक्त करनी चाहिए। जैसा कि कामरेड़ इंद्रजीत गुप्त ने कहा है, यदि हम कोई अन्य तरीका अपनाना चाहते हैं। तो अन्यत्र जाना बेहतर होगा। हम पहले ही यह अनुरोध कर चुके हैं। अतः मैं आशा करता हूं कि सरकार इस विधेयक को पुरःस्थापित करने पर दृढ़ है। आजकल, हम सुन रहें है कि सर्वसम्मति के बिना हम इसे कैसे पेश कर सकते हैं। कृपया यह बहाना मत बनाइये। इससे महिला सदस्यों को बहुत गलत संदेश गया है।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, सोमनाथ जी ने इस मामले को उठाया है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार विधेयक को प्रस्तुत करना चाहती है और प्रस्तुत करते हुए, हम उस दृश्य की पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं। उसी दृश्य की पुनरावृत्ति होगी, स्थिति उससे भी बदत्तर होगी, जब यह कहा गया तो उसके बाद संकोच होने लगा।

[अनुवाद]

मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं कि कोई भी सदस्य अथवा सदस्यों का समूह सभा की कार्यवाही में इस प्रकार विघ्न नहीं डाल सकते और यहां तक कि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने से रोक नहीं सकते। अतः गीताजी अथवा आपके द्वारा यह कहना बिल्कुल ठीक है कि यह ज्यादती है कि सदन को विधेयक पर बहस भी नहीं करने देना। मैं इससे सहमत हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस सभा का बड़ा भाग इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन कर रहा है। हमारा मत आपके मत से बिलकुल अलग है और इसमें चोरी–छिपे वाली बात नहीं हैं। माननीय गृह मंत्री और इस ओर के मेरे सभी मित्र यह जानते है, परन्तु हम इस मुद्दे पर एक हैं। अतः, सरकार इसका फायदा क्यों नहीं उठाती ?

हालांकि, महोदय मैं इस विषय पर और अधिक नहीं बोलना चाहता हूं। यह आवश्यक है कि हमें अपना रूढ़िवादी दृष्टिकोण बदलना होगा। इस मामले में रूढ़िवादी दृष्टिकोण से कोई भी मदद नहीं मिलेगी अपितु इससे मामला और खराब हो जाएगा। मैं किसी एक विशेष माननीय सदस्य का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन कुछ माननीय सदस्य यह विचार व्यक्त कर रहे हैं और बाहर भी कुछ अन्य भी कह रहे हों कि यदि महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं किया जाता है तो हम अपनी पत्नियों और बेटियों को चुनावों में खड़ा कैसे करेंगे। यदि इस तरह की भावना है तो हम न्याय कैसे कर सकते हैं ? इसलिए हमें केवल दिखावामात्र ही प्रदर्शन कर अपनी विश्वसनीयता नहीं बनाए रखनी चाहिए।

अपराह्न 1.00 बजे

महिलाओं की भलाई के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने के अतिरिक्त यह निःसंदेह शर्म का विषय है कि हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। हम देश में अपनी महिलाओं की रक्षा करने में असमर्थ हैं। हम कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं लेकिन हमारे देश में महिलाएं पीड़ा से कराह रही हैं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक मानव में सामान्य मानव अस्तित्व हो। महिलाओं को हम चल संपत्ति और लोलुपता और कामवासना के विषय के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या महिला केवल उसी उद्देश्य के लिए जीवित रहती है ? क्या महिला का अस्तित्व केवल घरेलू नौकर ही बने रहने में है ? क्या महिला का अर्थ केवल बच्चों को जन्म देना ही है ?

इसलिए में सभा के सभी वर्गों से अनुरोध करता हूं कि महिलाओं को समाज में उनका उचित स्थान दिया जाना चाहिए। सदस्य इस मामले में चिंतित हैं। अब अवसर आ गया है जब इस संसद को स्वतंत्रता के पचासवें वर्ष में देश की जनता को वचन देना चाहिए कि महिलाओं को समाज में उनका उचित स्थान दिया जाएगा। महिलाएं हमारी जनसंख्या का 50 प्रतिशत हैं और वे हमारी जनसंख्या का सर्वोत्तम हिस्सा हैं। वे बच्चों, सदाचार, नैतिकता और उदारवादी दृष्टिकोण की प्रथम शिक्षिका हैं। यदि महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो बच्चों की क्या स्थिति होगी ? इसलिए मैं महसूस करता हूं कि सभा के सभी सदस्यों को इस मामले को बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : सभापति महोदय, मुझे श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा नियम 193 के अधीन उठाए गए इस विषय पर चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर देने के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं बड़े दुःख के साथ इस राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मामले में चर्चा करने के लिए सम्माननीय सभा के समक्ष खड़ी हुई हूं।

मैं यह भी अनुभव करता हूं कि यह विरोधावास ही है कि यह सभा महिलाओं पर अत्याचार पर इस सभा में चर्चा कर रही है। मैं अनुभव करती हूं कि महिलाओं पर अत्यधिक गम्भीर मानसिक और मनोवैज्ञानिक अत्याचार किए गए हैं, यदि मैं गलती कर रही हूं और यदि मैं गलत हूं तो मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें, 13 व 14 जुलाई को सदस्यों ने इस सभा में अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं। पूरे देश की महिलाओं पर मानसिक और मनोवैज्ञानिक अत्याचार किया जा रहा

[प्रो. ए. के. प्रेमाजम]

हैं। हम अपनी स्ववत्रंता की पचासवीं वर्षगांठ आगामी एक सप्ताह में पूरी कर लेंगे। हमारे देश में महिलाएं जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत से थोड़ा अधिक हैं और यदि हम इस देश में निर्णय लेने वाले निकायों, विधान मंडलों, लोक सभा और राज्य सभा में महिलाओं द्वारा धारण की गई सीटों की गणना करें तो मुझे शर्म महसूस होती है कि हमारे देश और संविधान के नाम पर, हमारे देश में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 8 प्रतिशत से कम है। यह बहुत धीमी गति से थोड़ा बहुत बदल रहा है और महिलाओं का स्थान इस विशेष प्रश्न द्वारा भी तय होता है।

मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान, हमारे देश के महान सपूत और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पं. जवाहरलाल नेहरू के शब्दों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि देश की सभ्यता की कसौटी वास्तव में देश में महिलाओं का स्थान होता है। यदि हम उसे ध्यान में रखें–वास्तव में जिसे हमें ध्यान में रखना होता है–तो यह हमारे लिए बेहतर होगा कि हम अतीत का चिंतन करें और हम इसका आत्म–विश्लेषण करें कि हमारी संस्कृति का स्थान या उद्देश्य इस शताब्दी के वर्तमान में क्या है, अर्थात् हम इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने की दहलीज पर खड़े हैं।

विषय वस्तु पर आते हुए, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं की दर में अत्यधिक वृद्धि हुई है और इन में अत्याचार और इनकी प्रकृति अलग–अलग है। इनमें दुल्हन की हत्या, दहेज के कारण हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़, छींटाकसी, जन–साधारण के बीच नंगा करके परेड करना हैं, और इनमें वृद्धि हो रही है।

मैं विस्तार में नहीं, जाऊंगी। इसके पीछे क्या कारण हैं ? निसन्देह, एक तो महिला का स्तर है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पचास वर्ष के बाद भी, इस देश में महिलाओं का स्तर हर तरह से बहुत ही नीचा है। जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है कि यह हिंसा केवल शारीरिक प्रताड़ना अथवा शारीरिक हिंसा ही नहीं है, बल्कि वास्तव में हिंसा की मात्रा और प्रकृति अलग–अलग है। यह राजनैतिक हिंसा भी है।

इस सभा में इस माह की 13 और 14 तारीख को जो हुआ, वह महिलाओं के अधिकारों के साथ राजनीतिक हिंसा है। 13 अगस्त, 1997 को दिये गये एक महत्वपूर्ण निर्णय में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि समानता के अधिकार में महिलाओं के साथ यौन और अन्य प्रताड़नाओं को रोकना शामिल है। क्या हमारे समाज में समानता का अधिकार है ? संविधान में कहा गया है कि सभी नागरिक समान हैं और लिंग अथवा भाषा अथवा धर्म अथवा क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु देश की आधी जनसंख्या के साथ क्या हो रहा है ? हर तरह से महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है। यहां जो हो रहा है, वह किसी एक महिला पर वैयक्तिक हिंसा अथवा शारीरिक हिंसा अथवा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा एक महिला विशेष पर हमला नहीं है, अपितु जो हो रहा है वह एक अलग तरह की हिंसा है, जो विभिन्न मात्राओं में हो रही है।

महिलाओं पर राजनैतिक हिंसा होती है। यह केवल एक महिला पर नहीं होती बल्कि महिलाओं के समूह पर होती है। सामूहिक हिंसा *भी होती है। जब एक महिला को समाज में वास्तव में उसके उचित स्थान से वंचित किया जाएगा, तो क्या होगा ?* उदाहरण के लिए, यदि किसी महिला को इस महान सभा में और इस देश में जितनी भी विधान सभायें हैं, में लोगों का प्रतिनिधित्व करने के अपने अधिकार से वंचित किया जाता है, तो वह अपने आप में महिला के प्रति हिंसा है क्योंकि यह इस देश में बड़ी संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व किये जाने के उसके अधिकार का अतिक्रमण है। अब इस तरह की बातें हो रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि यह विरोधाभास है कि हम इस महान सभा में इस विषय विशेष पर चर्चा कर रहे हैं जबकि इस महान सभा ने ही यह कदम उठाया है। विभिन्न विधान सभाओं और निर्णय लेने वाले निकायों में प्रतिनिधित्व करने के महिलाओं के समानता के अधिकार को इस माह की 13 और 14 तारीख को इस सभा में चर्चा नहीं करने दी गयी थी...*(व्यवधान)* मैं इसके विस्तार में नहीं जा रही हूं। मेरी इस सभा के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का प्रयास किया जाये।

मैं अभी संख्या खेल के बारे में बताऊंगी। यदि हम इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का सिर्फ निर्णय लेते हैं, जैसा कि वित्त विधेयक और बजट सहित हमने कई अन्य विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। मुझे यकीन है कि वामपंथ के समर्थन से कांग्रेस और भाजपा जो कि इस सरकार का बड़ा दल है विधेयक पारित किया जा सकता है। मैं इसके राजनैतिक पहलू में नहीं जा रही हूं, किन्तु मैं इसका एक व्यावहारिक समाधान बता रहा हूं। आप चिन्ता क्यों करते हैं ? आप चाहे इसकी गणना कीजिए और यह संख्या 368 से अधिक है। सहयोगी दलों के साथ, जो इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं और सभी वामपंथी और पूरी की पूरी कांग्रेस, आप संख्या लीजिए – मैं गणना नहीं दे रही हूं – आप गणना कीजिए, यह इस महान सभा में दो–तिहाई बहुमत से अधिक बनती है। किन्तु सरकार की राजनीतिक इच्छा की कमी है...*(व्यवधान)* मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगी। इस पहलू पर मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। किन्तु मैं महिलाओं से न्याय होता देखना चाहती हूं। इस सभा में केवल 44 महिला सदस्य हैं। हम इस महान सभा में किसी पुरुष सदस्या से कैसे पीछे हैं ? आप इस महान सभा की किसी भी महिला सदस्य को लीजिए। हम किसी पुरुष सदस्य से कैसे पीछे हैं ? मैं एक नई सदस्या हूं। किन्तु मैं नहीं समझती कि मैं किसी पुरुष सदस्य से पीछे हूं। मैं अवसर पाने का प्रयत्न करती हूं, मामले का अध्ययन करती हूं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा मुझ में व्यक्त किये गए आत्मविश्वास के साथ मौके का उपयोग करने का प्रयास करती हूं। इस तरह, अन्य महिला सदस्य भी अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से निर्वहन कर रही हैं। जहां तक महिलाओं का संबंध है, शिक्षा अथवा शिक्षित न होना, अयोग्यता नहीं है। मेरे विचार से कुछ सदस्य अपनी सीटों को अपनी जागीर के रूप में रखना चाहते हैं। यह एक सच्चाई है। वे हमें घरेलू कामों से बांध कर रखना चाहते हैं। यह भी एक तरह की हिंसा है। यह अपने आप में यहां और सार्वजनिक जीवन में अधिकारों का अतिक्रमण है।

महोदय, मैं एक अथवा दो मिनट और लूंगी। मैं कुछ और बातें कहना चाहती हूं। मेरे पास कहने के लिए बहुत–सी बातें हैं। किन्तु मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। किन्तु कृपया मुझे एक अथवा दो मिनट और दीजिए।

यहां हिंसा साधारण अनपढ़ व्यक्ति के द्वारा नहीं की जाती। राज्य हिंसा का एक उपकरण अथवा हथियार है। न्यायपालिका का क्या कहना ? न्यायपालिका भी कई बार महिलाओं के विरुद्व अत्यधिक पक्षपातपूर्ण हैं और इस संबंध में मेरे पास बहुत से मामले हैं, जो मैं यहां उद्धृत कर सकती हूं। उदाहरण के लिए रूपकंवर का मामला। उस 'सती' के मामलों में, दोषी लोगों का क्या हुआ ? उनमें से 48 व्यक्तियों को माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया, गया है। यह कहकर मैं इस देश में सम्माननीय न्यायपालिका पर दोषारोपण नहीं कर रही हूं किन्तु इसी के साथ ही मैं इसका उल्लेख किए बिना नहीं रह सकती। तत्पश्चात् भंवरी देवी के मामले में क्या हुआ ? दोषी व्यक्ति को दोषमुक्त करने का जो आधार दिया गया वह आघात पहुंचाने वाला था। यह तर्क दिया गया कि "ऊंची जाति के व्यक्ति बलात्कार नहीं कर सकते।" कितना घटिया तर्क है ! मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, क्योंकि इससे देश में महिलाओं का खून उबलेगा। कुछ मामलों का इस प्रकार निपटारा किया गया है। किन्तु अन्य बहुत अच्छे निर्णय भी हैं, जिन्हें मैंने पहले उद्धृत किया है।

कितनी महिलायें राज्यों के द्वारा ऊंची शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली अत्याचारों का सामना कर पायेंगी ? उदाहरण के लिये, एक प्रशासनिक सेवा अधिकारी का बहुत प्रसिद्ध मामला था, जिसमें उसकी मर्यादा को भंग किया गया था। उस मामले में एक शीर्षस्थ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी शामिल था और न्यायालय को महिला के पक्ष में निर्णय देने में आठ वर्ष लग गए। इस देश में कितनी महिलायें, आम महिलायें, अशिक्षित महिलायें और निर्धन महिलायें इस तरह के अत्याचारों का सामना कर सकती हैं और लम्बे समय तक उनके विरुद्ध लड़ सकती हैं।

इसलिये हम इन महान निकायों, निर्णय लेने वाले निकायों और कानून बनाने वाले निकायों में अधिक महिला प्रतिनिधि चाहते हैं। क्योंकि अधिक सशक्त कानून बनाने पड़ेंगे। कुछ सशक्त कानून विधमान हैं और इस देश मे विद्यमान उन सशक्त कानूनों को महिलाओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा के लिये उनके लाभ के लिये उपयोग किया जाना चाहिये।

एक और बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। और वह नई आर्थिक नीति के बारे में है। मैं इसका उल्लेख किए बिना नहीं रह सकती। नई आर्थिक नीति, जो 1991 से आरम्भ की गयी है, उससे इस देश में वास्तव में असंतुलित विकास हो रहा है और वह भी संविधान द्वारा दिये गये महिलाओं के हितों के लिये हानिकारक है। नई आर्थिक नीति के कारण महिलाओं की स्थिति – मैं समय की कमी के कारण विस्तार में नहीं बताऊंगी–ऐसी है कि जो महिलाओं को उनके घरों से, उनके कार्यस्थल से निकाल रही है। कार्य स्थल का क्या कहना? यहां तक कि उच्च शिक्षा प्राप्त पुरुष अपनी महिला सहकर्मियों का फायदा उठा रहे हैं। अतः पर्याप्त और सशक्त कानूनों के द्वारा इसे रोका जाना चाहिये और विद्यमान कानूनों में सुधार किया जाना चाहिये और उसे ठीक तरह से कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[*हिन्दी*]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : सभापति महोदय, महिलाओं पर अत्याचार विषय पर वैसे तो इसके पहले भी चर्चायें हो चुकी हैं लेकिन मेरा अपना यह मानना है कि जब तक स्थिति में सुधार के बजाय स्थिति सुधार की मानसिकता, सामाजिक स्थिति में सुधार, सामाजिक मानसिकता में बदलाव नहीं आता तब तक इसमें कोई प्रभावशील सुधार नहीं होगा। जब हम स्त्री के बारे में विचार करते हैं तो कहते हैं कि वह एक महिला या नारी है या कभी–कभी उसे माता कहते हैं। यदि इन शब्दों की तरफ ध्यान दें तो उस शब्द में महिला की मानसिकता समाहित है। यदि उसे नारी कहते हैं तो उसमें न+री यानी वह किसी की शत्रु नहीं अर्थात् उसका कोई शत्रु नहीं है। माता शब्द में तो पूरा विश्व समाहित हो जाता है। कभी–कभी उसे अबला कहा जाता है और हम अपने आपको अबला मानती भी हैं कि हम दुर्बल हैं।

चर्चा का मतलब ही यह है कि हम मान जाते हैं कि अबला यानी दुर्बल। पंडित सातवलेकर जी बहुत बड़े विद्वान थे। मुझे याद है कि एक बार उन्होंने इस शब्द के बारे में कहा था कि आप सोचिए कि जब आप किसी को कहते हैं कि सागर कैसा है–अथाह है, तो किसी शब्द के पहले जब 'अ' लगाते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं रहती है। ऐसे ही जब हम कहते हैं कि सागर 'अथाह' है, अर्थात् जिसकी कोई थाह नहीं होती है। जब 'असीम सौंदर्य' कहते हैं, अर्थात् जिस सौन्दर्य की कोई सीमा नहीं होती है, तो फिर 'अबला' के लिए दुर्बल क्यों ? 'अबला' मतलब यह होना चाहिए जिसके बल की कोई सीमा नहीं होती है। कहीं–न–कहीं हमें उस मानसिकता से विचार करना चाहिए, लेकिन यह मानसिकता आएगी कैसे ?

एक बात होने लगी है। जब–जब जहां–जहां कोई संघर्ष होता है, चाहे वह वर्ग संघर्ष हो, धार्मिक संघर्ष हो या आक्रमण हो, परकीय आक्रमण हो या आपस में दो जातियों में लड़ाई होती है– देखने में आता है कि यह मानसिकता हमने कहीं न कहीं से ली है कि सबसे पहले जब अत्याचार होता है तो वह स्त्री पर होता है। कई बार सदन में चर्चा उठी है। पिछली बार भी मुझे याद है, बिहार में एक घटना हुई थी तो उस पर चर्चा हुई थी। वहां किसी व्यक्ति का ईंट–भट्टा था और शायद एक भट्टे के मालिक ने उसको वहां से हटाना था। इसके लिए उसने रात को ईंट–भट्टे पर काम करने वाले मज़दूरों पर हमला कर दिया लेकिन उसका शिकार कौन हुआ ? वहां पर काम करने वाली जो मज़दूर स्त्रियां थी, उन पर अत्याचार होता है, उन पर बलात्कार होता है।

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

अगर हम इतिहास को ध्यान में रखें तो हम देखेंगे कि यह भी मानसिकता हमने ली कि हमारे देश में स्त्री की पूजा होती है। स्त्री को कहीं न कहीं हमने स्वाभिमान की चीज़ माना है क्योंकि 'माता' शब्द से ही पूरे विश्व की उत्पत्ति हम मानते हैं। यह उत्पत्ति करने वाली है और अगर उत्पत्ति करने वाली ठीक रहेगी, सम्मानजनक स्थिति में रहेगी तो जो उत्पत्ति वह करती है, वह भी उत्तम होगी, यह भाव उसके पीछे था। इसी भाव को कहीं न कहीं किन्हीं मध्ययुगीन आक्रमणकारियों ने पकड़ा और कहा कि इस मानव बिन्दु पर प्रहार करो तो हिन्दुस्तान को जीता जा सकता है। इसलिए जब हिन्दुस्तान पर आक्रमण शुरू हो गए तो कहा कि सबसे पहले आक्रमण इस देश के नारीत्व पर करो, इस देश के सतीत्व पर सबसे पहले आक्रमण करो और इसीं भाव से उन आक्रमणकारियों ने, पहले वे मुस्लिम, तो फिर अंग्रेज रहे, उन्होंने अलग–अलग तरीके से इसको कहीं न कहीं कायम रखा और मुझे लगता है कि वही मानसिक गुलामी लेकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं, जब किसी भी स्त्री के प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि वास्तव में मैं दुर्बल नहीं हूं, यह भाव अगर स्त्री में आए और यह भाव जिस दिन आएगा, तो स्त्री कहेगी कि उसको केवल देवी बनाकर नहीं रखना है या पांव की जूती भी नहीं बनाना है। स्त्री के मन में भाव आना चाहिए कि मैं एक इंसान हूं, मैं निर्माण करने वाली भी हूं, इसलिए मुझे इंसान की तरह देखो। मुझे भी चोट लग सकती है, मेरा भी कुछ वजूद है, यह भाव स्त्री के मन में और पूरे समाज के मन में आना चाहिए कि हमें देवी मत कहो। हम यह नहीं कहते हैं कि हमें घर में रखकर पूजा करो या पांव की जूती बनाओ लेकिन इंसान के रूप में भी हमें देखना सीखो। जिस प्रकार आपका इस समाज में महत्व है, उससे कहीं ज्यादा हमारा भी इस समाज में महत्व है। इस चीज की मानसिकता बनानी पड़ेगी मगर उसके लिए स्त्री को सबसे पहले यह बल देने के लिए शिक्षित करना पड़ेगा। हमने 50 साल में उस तरफ क्या किया ? आज भी शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो स्त्रियों की शिक्षा 1981 में 25 प्रतिशत के आस–पास थी तो आज 32 प्रतिशत हो गई है। आज भी हमारी मानसिकता यह है कि किसको घर में पढ़ाना है ? अगर माता–पिता सोचते हैं कि हम एक ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो वह सोचते हैं कि कितनी भी लड़की स्कॉलर क्यों न हो, उसको हायर सैंकंडरी के बाद घर बैठने दो, लड़के को आगे जाने दो।

कहीं न कहीं हमारी आज भी यही मानसिकता है। इसलिए हमें स्त्री की शिक्षा को आवश्यक करना पड़ेगा। आज जो सरकार है, उसने इस संबंध में कुछ सोचना शुरू किया है। जिस दिन सबसे पहले हमारे संवेदनशील प्रधान मंत्री जी ने यह ऐलान कर दिया कि स्त्री, महिला या लड़की किसी भी क्षेत्र में जितना पढ़ना चाहे, उसको पूरी की पूरी शिक्षा फ्री मिलेगी, इस दिशा में वास्तविक रूप से यह हमारा पहला कदम है कि स्त्री की शिक्षा हिंदुस्तान में पूर्णतया फ्री हो। लेकिन उस दृष्टि से हमें कार्य भी करना पड़ेगा, केवल कह देने से कुछ नहीं होगा, प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी उतनी होनी चाहिए, सामाजिक व्यवस्थाएं भी कहीं न कहीं होनी चाहिए, इस सोच में हमें जाना पड़ेगा। मैं केवल प्वाइंट ही रख रही हूं, नहीं तो आप घंटी बजा देंगे। इसके साथ–साथ हमें यह भी देखना है कि शारीरिक दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से भी स्त्री ठीक रहे, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि यहां फिर वही बात आती है कि वह निर्माण करने वाली है और वास्तव में है भी, लेकिन पूरे परिवार का लालन–पालन भी एक प्रकार से स्त्री ही करती है। लेकिन स्त्री के स्वास्थ्य पर, देश की नारी के स्वास्थ्य पर हम कितना ध्यान देते हैं अगर परसेंटेज निकालें, एनिमिया से, कमजोरी से, ट्यूबरकोलोसिस से या प्रसूति के समय मरने वाली स्त्रियों का प्रतिशत अगर हम देखें, तो वह बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं मुझे तो कभी–कभी ऐसा लगता है कि अगर हम गांवों में देखें, चूंकि गांवों और शहरों में बड़ा अंतर है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वहां भी हम देखते हैं कि स्त्री के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना आवश्यक हैं। उनकी तरफ आज ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं केवल यह नहीं कह रही हूं कि लड़के को ज्यादा खिलाया जाता है, लड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, वैसे यह स्थिति आज भी कई घरों में मौजूद है। यह मानसिकता की समस्या है। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब कुछ योजनाएं हमने सोची थीं, हालांकि वे बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुईं, लेकिन वे सोची गई थीं कि अगर कोई महिला गर्भधारण करती है तो कुछ क्राइटीरिया उसमें दिया गया था कि अगर वह गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है तो तुरंत उसके खान–पान की व्यवस्था के लिए या मेडिकल ऐड के लिए पांच सौ रुपये की व्यवस्था की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर पति को हॉस्पीटलाइज करना पड़ता है तो यह होता है कि सेवा के लिए पत्नी, माता या बहन वहां होती है, लेकिन जब किसी पत्नी, बहन या महिला को हॉस्पीटलाइज करने का सवाल आता है तो यह सोचा जाता है कि अगर उसको हास्पीटल में रखोगे तो घर का काम कौन करेगा, उसको हास्पीटल में कौन अटेंड करेगा। इससे अच्छा तो यह है कि उसे घर में ही जो दवाई आदि देनी है वह दे दें। यह हमारी मानसिकता है। उस समय हमने सोचा था कि हास्पीटल में जो अटेंडेन्ट जायेगा, उस अटेंडेन्ट के सात–आठ दिन का खर्च सरकार देगी, ताकि महिला को अटेंड करने के लिए भी कोई रहे। इस तरह से स्त्री के स्वास्थ्य के बारे में भी हमें और कदम उठाने पड़ेंगे।

इसी से जुड़ी हुई एक और बात है। जब हम महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करते हैं, कल भी जब यहां चर्चा हो रही थी कि प्रसूति के समय सरकार जो छुट्टी देती है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तीन महीने के स्थान पर हम छः महीने की छुट्टी कर सकते हैं। उसके भी कई कारण हैं। लेकिन जब कल इस बारे में बात की गई थी कि दो बच्चों के बाद तीसरा बच्चा होने पर छुट्टी नहीं दी जायेगी–प्रसूति छुट्टी के बारे में या तो हम कोई कानून बनायें, क्योंकि आज की सामाजिक परिस्थिति में गर्भधारण करे या न करे, यह निर्णय स्त्री अपने आप नहीं ले सकती है। कई बार मजबूरी में हो जाता है, उसकी बात नहीं सुनी जाती है। क्योंकि अगर घर में लड़के की राह देखते–देखते दो से अधिक लड़कियां हो गईं, तो भी घर के लोग लड़के की राह

देखते हुए नहीं थकते। चाहे वह स्त्री मर भी जाए तो भी वे इसकी परवाह नहीं करते हैं, यह वस्तुस्थिति है। इसलिए जब हम इस बारे में कोई ऐसा कानून बनाते हैं तो उस कानून के बारे में यह सोचने की आवश्यकता है कि हम उस स्त्री पर अत्याचार तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अत्याचार केवल शारीरिक या बलात्कार इतनी ही बात नहीं हैं, अगर हम स्त्री को पीछे रखते हैं चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या निर्णय लेने के क्षेत्र में हो, कानून में जो है वह बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन व्यवहार में वैसा नहीं होता है। शरद पवार जी ने बहुत कुछ अच्छी बातें अपने भाषण में कही हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहती हूं। जो उन्होंने कहा है उसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूं कि जो भी इस प्रकार के कानून हैं उन पर सोचने की आवश्यकता है। जो डायइवोर्स के केसेस आते हैं, उनके लिए शार्ट स्टे होम बनाने की बहुत आवश्कता है। पति जब पत्नी को कह देता है कि घर से निकल जाओ, तो वह रात में कहां जाए और ऐसे में कुछ गलत कदम भी उठ सकता है। ऐसे उदाहरण हैं। इसलिए शार्ट स्टे होम की स्थापना की तरफ हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर बोलने वाले माननीय सदस्य एवं सदस्याओं की सूची बहुत लंबी है और इसको आज कन्क्लूड करना है क्योंकि फिर प्राइवेट मैम्बर्स बिजनैस का समय हो जाएगा। इसलिए उससे पहले इसे समाप्त करना है। अतः मेरा अनुरोध है कि कृपया पाइंट ही रखिए।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति महोदय, मैं सिर्फ पाइंट्स का ही उल्लेख करना चाहती हूं। यदि प्रशासन उदारता से सोचे, तो सब कुछ हो सकता है। आज से 250 वर्ष पहले ...*(व्यवधान)* आप इस प्रकार से सिर मत हिलाइए। जो बात मैं कह रही हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है और इसको गंभीरता से लीजिए। यदि आप इसी प्रकार से मेरी हर बात के ऊपर सिर हिलाएंगे, तो मैं अपनी बात बीच में ही छोड़कर बैठ जाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। मैं जो बोल रही हूं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। आज से 250 साल पहले अहिल्याबाई होलकर ने, ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्या से मैं कहना चाहूंगा कि समय की लिमिट है। इसलिए मोटा–मोटी बोल लीजिए और समाप्त कीजिए।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति महोदय, मोटा–मोटी बोलने से काम नहीं चलेगा। इस विषय पर बहुत गहराई और गंभीरता से बोलने का समय है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलंगीर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्या बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर भाषण कर रही हैं। आप उन्हें इस प्रकार से बीच में मत टोकिए और मत रोकिए। यह क्या कारण है कि जब भी महिलाओं का कोई विषय बोलने के लिए आता है, तो आप हमेशा इसी प्रकार से करते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शांति रखिए। बैठिए। चूंकि सूची बहुत लंबी है इसलिए मेरा आग्रह है कि 10 मिनट में कन्क्लूड करें।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : जो कानून है, उसमें समान नागरिकता होनी चाहिए। हम केवल किसी संप्रदाय पर प्रहार न करें बल्कि महिलाओं के हितों की चर्चा ज्यादा करें। किसी संप्रदाय की महिला को कुछ अधिकार नहीं हैं और किसी संप्रदाय की महिला को बहुत अधिकार हैं। इस पर भी हमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। हालांकि यह अलग विषय है और इसका उल्लेख यहां नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे विवश होकर कहना पड़ रहा है कि अभी दो–तीन दिन पहले मैंने अखबारों में पढ़ा कि महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए मौका देना चाहिए। मुझे इस बात को पढ़कर अच्छा नहीं लगा। हम आज इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं और अब भी हम ऐसी बातें कह रहे हैं। राजनीति में महिलाओं का आना बहुत आवश्यक है। महिलाएं सभी समान हैं, चाहे वे किसी भी धर्म की हों, किसी भी जाति की हों और चाहे किसी भी वर्ण की हों। इनके आधार पर उनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सब समान हैं। किसी भी महिला के साथ मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सबके लिए एक समान कानून बनना चाहिए। इस दृष्टि से समान नागरिकता का कानून आवश्यक ही नहीं आनिवार्य भी है।

सभापति महोदय, लड़कियों की भ्रूण हत्या न हो, इस बारे में देश में अनेक कानून बने हुए हैं, लेकिन अभी भी लड़कियों की भ्रूण हत्या होती है क्योंकि कानून का पालन नहीं होता है। इसके कारण लड़का और लड़की के अनुपात में अन्तर आ रहा है जो प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से लाया जा रहा है। यह देश और मानव जाति के लिए घातक हो सकता है। दूरदर्शन द्वारा महिला और पुरुष में अन्तर किए जाने की बात अभी आपके सामने पवार साहब ने कही। इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि सुन्दर दिखना यदि जरूरी है, तो वह नियम केवल महिला के ऊपर ही लागू नहीं होता है, वह पुरूष के ऊपर भी लागू होता है। पुरुष को भी सुन्दर दिखना चाहिए। इसलिए दोनों के लिए समान कानून बनाना चाहिए और दर्शनीय दृष्टि से दोनों के लिए समान कानून होना चाहिए। वर्किंग विमेन का जो अनेक प्रकार से शोषण होता है, उस पर भी बैठकर सोचने और विचार करने की जरूरत है। हमने महिला को काम के लिए इसलिए बाहर भेजा है क्योंकि घर में पैसे की कमी हो गई है। हमने उसे इस मानसिकता से बाहर निकाला है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। आखिर में मैं इतना ही कहूंगी क्योंकि आप बोलने नहीं दे रहे हैं। जो भाव उर्मिला ने प्रकट किए थे, उनको मैं यहां प्रकट करना चाहती हूं।

दास बनने का बहाना किसलिए, दासी ही मुझे रखना इसलिए,

देव तुम मेरे सदा बनकर रहो और देवी ही मुझे रखो।

आज अगर महिलायें इस प्रकार सबल हो जाती हैं तो अच्छा होगा। अबला बनने के बजाए सबला एक नयी कहानी लिखो, ऐसा मैं कहूंगी। मगर यह तभी हो सकता है जब महिलाओं पर अत्याचार बंद हों।

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

आखिर में मैं महिला आरक्षण बिल के बारे में कहना चाहूंगी कि महिलाओं की निर्णय में भागीदारी हो, इस बिल में यह महत्वपूर्ण बात है। महिलायें जो कि समाज का 50 प्रतिशत हिस्सा हैं, उनकी निर्णय में भागीदारी होनी चाहिए, इस दृष्टि से महिला आरक्षण बिल की तरफ देखना चाहिए। महिला आरक्षण बिल प्रोड्यूस करते समय ही यह हम पर अत्याचार करने लगे हैं तो फिर यहां पर हम महिलाओं की बात किस मुंह से करें और उसे कैसे रखें। इस दृष्टि से इन सब बातों पर हम सोचें।

कानून परिवर्तन की बात कही गयी है। मैं कहना चाहती हूं कि कई कानून ऐसे हैं जो अमल में नहीं आते। लेकिन जब कहीं स्त्री बैठेगी, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि नार्वे की पूर्व प्रधानमंत्री जो आज डब्लयू. टी. ओ. की प्रेजीडैंट बन गई हैं, उन्होंने वहां जाते ही कहा कि यहां 50 प्रतिशत महिला अधिकारी होनी चाहिए क्योंकि वह अच्छा काम करती हैं। अगर यहां भी महिलायें आती हैं तो अच्छा होगा क्योंकि साढ़े चार सौ पुरुषों में से पांच पुरुष ही अच्छा बोलते हैं और 33 प्रतिशत महिलाओं में से दस महिलाएं अच्छा बोलती हैं या अपना पक्ष रखती हैं। आप देखिये कि क्या परसेंटेज है ? इस पर आप सोचें। महिलाओं को हम कहीं से भी दुर्बल न मानें और न रखें, इतना ही मेरा निवेदन है।

श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज) : सभापति जी, आपने मुझे नियम 193 के अन्तर्गत महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। देश और समाज के निर्माण में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो लक्ष्मीबाई, चांदबीबी, वीरांगना उदा देवी आदि बहुत सी महान महिलायें हुई हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में लें तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी महिलाओं के लिए एक आदर्श रही हैं। इसी तरह प्रशासनिक क्षेत्र में भी महिलाओं ने निपुणता के साथ काम किया है और कर रही हैं। परन्तु आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी, महिलाओं के इतने योगदान के बाद भी हमें बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि जब हम सुबह अखबार उठाकर पढ़ते हैं तो उसमें कहीं न कहीं दहेज की वजह से जलकर मरने की खबर जरूर पढ़ने को मिलती है। उनको पुरुष जलाकर मार देते हैं। भारत वर्ष में हर 20 मिनट में एक महिला जलकर मरती है। इसी तरह जो सती प्रथा है उसको 1832 में गैरकानूनी करार दे दिया गया था परन्तु इसके बावजूद भी 1997 में राजस्थान में रूपकंवर कांड हुआ। यह एक शर्मनाक घटना थी। हर साल 15 हजार महिलायें बलात्कार का शिकार होती हैं बकौल गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया था कि गत वर्ष 1993 में 14846 बलात्कार के मामले हुए और 27513 केस छेड़छाड़ के हुए जिसमें 1034 दलित वर्ग की महिलायें थी और 312 आदिवासी महिलायें थी।

सभापति जी, यह सरकारी आंकड़ें हैं। अगर असलियत में देखा जाये तो आंकड़े इससे भी ज्यादा होते है। यह हमारे लिए शर्म की बात है। इसी तरह दहेज की बात है। आज आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी जो व्यक्ति खुद नहीं कमा सकता, उसके अंदर यह इच्छा रहती है कि हमारी जो अतिरिक्त इच्छायें हैं, जो सामान हम खुद नहीं ले सकते, जो सुख–सुविधायें हम खुद नहीं एकत्र कर सकते, उसे हम शादी करके दहेज के रूप में पा लें। यह बात मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रही हूं। लेकिन एक महिला को भी अपनी भूमिका पर गौर करना होगा क्योंकि जब दहेज का कांड होता है तो उसमें सास और ननद की अहम भूमिका होती है। महिलाओं को भी एक बार अपनी भूमिका पर गौर करना होगा क्योंकि दहेज के जितने भी कांड होते हैं, उसमें सास और नन्द की ही अहम भूमिका होती है। यदि इसकी शुरुआत घरों से करें तो शायद हम महिलाएं ही मिलकर समाज में काफी परिवर्तन ला सकती हैं क्योंकि महिलाओं में वह क्षमता है कि वे समाज और राष्ट्र के स्वरूप में परिवर्तन ला सकती हैं। इसकी पहल महिलाओं को ही करनी होगी। जिस दिन दहेज हत्याकांड में सास और नन्द की भूमिका कम हो जाएगी, उस दिन हम मानेंगे कि समाज में वास्तव में परिवर्तन आना शुरू हो गया है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि बलात्कार के दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा दिलवाएंगे। वास्तव में बलात्कार एक ऐसा कृत्य है जो किसी महिला के पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। जैसे महिलाओं को निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया जाता है, इस तरह के कार्य जो भी व्यक्ति करता है उसे वास्तव में फांसी की सजा ही दी जानी चाहिए क्योंकि यह किसी महिला की जिंदगी का प्रश्न है। जिस महिला के साथ ऐसा कांड हो जाता है, उसे पूरा समाज बड़ी हेय दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। इसके लिए समाज में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है क्योंकि जिस महिला के साथ ऐसा काम होता है वह उसकी इच्छा के विरुद्ध होता है। इसलिए उसके प्रति हमारी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। जिस दिन हमारे अंदर इस तरह का परिवर्तन आ जाएगा, निश्चित ही समाज में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा।

पति जब शराब पीकर घर आता है तो महिला को ही मारता है। शराब पर भी रोक लगनी चाहिए। जो पुरुष शराब पीकर महिलाओं को मारते हैं, पीटते हैं, उन पर अपना सारा पुरुषत्व निकालते हैं, उसके खिलाफ भी कदम उठाने चाहिए।

शहरों में नहीं लेकिन गांवों में एक बहुत गंभीर समस्या है कि जब भी पुलिस दबिश के लिए गांव में जाती है, वह जिसे पकड़ने जाती है यदि वह नहीं मिलता तो अपना सारा गुस्सा महिला पर उतार देती है। कभी–कभी सिपाही महिलाओं के साथ बलात्कार तक कर देते हैं। मैं मांग करना चाहती हूं कि गांव में पुलिस जब भी दबिश के लिए जाए तो उनके साथ महिला कांस्टेबल को अवश्य भेजा जाए क्योंकि बड़े अधिकारियों को पता नहीं चल पाता लेकिन उनके सिपाही महिलाओं के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार करते हैं। आजकल

उत्तर प्रदेश में एक बहुत गंभीर समस्या आ रही है। यदि पुलिस पुरुष को घर में नहीं पाती तो वह बेगुनाह महिला को, जिसके पास दो वक्त की रोटी के लिए पैसा नहीं है, जबरदस्ती एन. डी. पी. एस. में रखकर जेल भेज देती है। इसमें महिलाओं का क्या दोष है। यदि पुरुष ने गलती की है तो उसे ढूंढे, उसे सजा दे। मैं यह मानती हूं कि पति–पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं लेकिन पुरुष के गुनाह की सजा बेगुनाह बीवी को दी जाए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं मानती हूं कि इसके पक्ष में सदन की कोई भी महिला नहीं होगी।

एयर इंडिया में महिलाओं को 50 वर्ष की आयु में रिटायर कर दिया जाता है। इस बारे में मैं कहना चाहती हूं कि जब पुरूष 58 साल तक कार्य कर सकता है तो महिला क्यों नहीं कर सकती क्योंकि परिवार के प्रति जितनी जिम्मेदारी पुरुष की है उतनी ही महिला की भी है। उसके ऊपर परिवार को पालने की जिम्मेदारी होती है, इसलिए महिलाओं को भी 58 साल तक की उम्र तक काम करने देना चाहिए।

गांवों में जब किसी की बेटी को मार दिया जाता है और गरीब आदमी थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती, उसे रफा–दफा करने के चक्कर में लग जाती है।

जो व्यक्ति सक्षम है, वह रफा–दफा करा लेता है, लेकिन गांव का गरीब व्यक्ति न्याय मांगने वहां जाये ? एक तो बेटी खोने का दुख और ऊपर से पुलिस जो हमारी रक्षक है, वही हमारा साथ नहीं देगी तो वह व्यक्ति न्याय मांगने कहां जायेगा। इसलिए दहेज की जितनी भी घटनाएं हों, उनको तुरन्त गांव के स्तर पर दर्ज किया जाये। हमारी न्याय प्रदान करने वाली एजेंसियां सरकार के दबाव में रहती हैं, इस वजह से वे स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पातीं। उनको इतना स्वतंत्र किया जाये कि वे अपने ढंग से काम कर सकें।

आप मुझे बार–बार बैठने के लिए कह रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूं कि महिलाओं के लिए जैसा कहा गया कि महिला आरक्षण बिल का हम लोग विरोध कर रहे थे, हम उसका विरोध नहीं कर रहे थे, हम उसके स्वरूप का विरोध कर रहे थे, क्योंकि हम चाहते हैं कि दबे–कुचले वर्ग की महिलाएं भी इस देश की सर्वोच्च संस्था में बैठने का हक पायें। हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे थे, न कि हम महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे थे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब की भावनाओं की कद्र करते हुए, सब की भावनाओं से अपनी भावनाएं जोड़ते हुए आपका धन्यवाद करती हूं।

[अनुवाद]

श्री के. पी. मुनूसामी (कृष्णा गिरि) : सभापति महोदय, इस सदन में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी माता–तुल्य, पथप्रदर्शक और दार्शनिक प्रिय नेता डॉ. पुरातची तलाइवी को मुझे इस सदन में भेजने के लिए धन्यवाद देता हूं।

यह अत्यन्त दुःख की बात है कि स्वतन्त्रता के 50 वर्षों के बाद भी हम महिलाओं पर अत्याचार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारत के अतिरिक्त किसी भी अन्य देश में नारी जाति को इतना सम्मान नहीं दिया गया है। दुर्भाग्य से ऐसा कोई दिन नहीं जाता जबकि समाचार पत्रों में महिलाओं पर अत्याचार के बारे में कोई समाचार न हो। कल ही, अंग्रेजी दैनिक 'द हिन्दु' में एक समाचार प्रकाशित हुआ था। मैं इसे सदन के समक्ष पढ़कर सुनाता हूं :

"हिन्दी साप्ताहिक के सम्पादक को केन्द्रीय दिल्ली के पहाड़गंज स्थित कार्यालय में एक 28 वर्षीय महिला जो कि एक सात वर्षीय बच्चे की मां है पर एक माह से निरन्तर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।"

यह सर्वविदित तथ्य है कि महिलाओं पर अत्याचार की हमारी प्राचीन काल से चली आ रही जागीरदारी प्रथा के समय से होते आ रहे हैं। जमींदार महिलाओं को बंधुआ मजदूर बनाकर और उन पर अत्याचार करते रहे हैं। जमींदार गरीब औरतों, अधिकांशतः जनजातीय महिलाओं का शारीरिक शोषण करते थे। कुछ स्थानों पर तो जीवन–यापन के लिए खानों में काम करने वाली महिलाओं का दैहिक शोषण माफिया और खानों के मालिकों द्वारा किया जाता है।

ऐसा इसलिए किया जाता है कि इन गरीब महिलाओं की पहुंच न तो कार्यपालिका और न ही न्यायपालिका में होती है।

सभापति महोदय, मुझे इस बात को उल्लेख करने में अत्यन्त दुख हो रहा है कि प्रतिवर्ष बलात्कार, अपहरण और दहेज को लेकर हत्याओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं। संयुक्त मोर्चे की सरकार के शासनकाल में गृह मंत्री, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने वर्ष 1996 में बलात्कार के मामलों में 28 प्रतिशत और दहेज हत्या के मामलों में 33 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की थी। वर्ष 1997 में भी महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में औसतन वृद्धि 12 प्रतिशत रही। यह मात्र यही दर्शाता है कि संसद अथवा राज्य विधान सभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों को दृढ़ राजनैतिक इच्छा शक्ति से लागू नहीं किया जा रहा है।

महोदय मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए उनकी कोई योजना है। साक्षरता दर में बढ़ोतरी भी महिलाओं को बढ़ते अत्याचारों से बचाने में कोई मदद नहीं कर सकती। कार्यस्थलों पर महिलाओं से छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले बारम्बार प्रकाश में आते हैं।

महोदय, मैं तमिलनाडु की एक घटना जो कि एक तमिल दैनिक, में प्रकाशित हुई थी को उदधृत करना चाहता हूं। इसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है :

"एक महिला कुमारी चित्रा जो कि छावनी क्षेत्र में क्षेत्रीय उप निदेशक कार्यालय, अग्निशमन विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है, ने त्रिची मास्टर्स कोर्ट में एक शिकायत दर्ज करवाई है कि श्री सामिदोरै, उपनिदेशक ने उसे अपनी ओर खींचकर तथा उससे आलिंगनबद्ध होकर उससे छेड़छाड़ करने

[श्री के. पी. मुनूसामी]

का प्रयास किया है। उसने यह भी बताया कि उसने उसको एक चार्ज ज्ञापन भी दिया क्योंकि वह उसकी हरकतों के सामने नहीं झुकी। उसने अपना संदेह व्यक्त किया है कि उसे अन्यत्र कहीं स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।"

महोदय, अग्निशमन विभाग के एक कनिष्ठ सहायक के साथ एक उप निदेशक ने छेड़छाड़ की।

महोदय, अगस्त 1997 में उच्चतम न्यायालय ने एक युगान्तकारी निर्णय दिया था जिसके अनुसार कार्यस्थलों पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का कार्य नियोक्ता को करना होगा। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि इस निर्णय को न्यायालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार संविधान की धारा 141 के अर्न्तगत एक कानून माना जाए।

महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसरण में क्या सरकार का कोई विधेयक को लाने का प्रस्ताव है ? हमारे समाज में पुरुष की प्रधानता, महिलाओं पर अत्याचार का मूल कारण है। यह बात तब भी दिखाई दी थी जब संसद में तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक लाये जाने को था। मेरी प्रिय नेता ने भी उस विधेयक का दिल से स्वागत व समर्थन किया था। किन्तु उस विधेयक का विरोध कुछ ऐसे लोगों ने किया जो कि महिलाओं को समान स्तर प्रदान नहीं करना चाहते थे।

महोदय, मुझे इस सभा को यह बताते हुए गर्व होता है कि जब हमारी प्रिय नेता डॉ. पुरातची थालैवी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने स्वर्गीय मदर टेरेसा की अध्यक्षता में महिलाओं के बारे में एक सभा आयोजित की थी। उस सभा में हमारी नेता ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए समाजिक कल्याण योजना हेतु विजिन–2000 परियोजना की घोषणा की थी। यूनेस्को तथा केन्द्र सरकार ने इस परियोजना की प्रशंसा की थी।

अंत में, मैं इस सभा को बताना चाहूंगा कि किस प्रकार कुछ राजनीतिज्ञों ने हमारी आदरणीय नेता डॉ. पुरातची थालैवी को आतंकित किया, जब हमारी प्रिय नेता, जनता की नेता डॉ. पुरातची थालैवी विपक्ष की नेता थी तो डा. करूणानिधि के कहने पर उनके समर्थको ने 1989 में तमिलनाडु विधानसभा में उन पर हमला किया। ...*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : मैं उनके बोलने में विघ्न नहीं डालना चाहता हूं लेकिन वह बिल्कुल असंगत बातें कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री के. पी. मुनूसामी : महोदय, यह सत्य घटना है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ... *(व्यवधान)*

श्री के. पी. मुनूसामी : *मैं यहां केवल सच बोल रहा हूं।*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री के. पी. मुनूसामी : फिर 1996 में राजनैतिक बदला लेने तथा शक्ति का दुरुपयोग करके डी एम की सरकार द्वारा हमारे नेता डॉ. पुरातची थालैवी को जेल में डाल दिया गया। डी एम की सरकार ने तमिलनाडु की पहली निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया।

एक बार फिर, मैं सभापति महोदय तथा अपने प्रिय नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्रीमति जयन्ती पटनायक (बरहामपुर) (उड़ीसा) : आरम्भ में, मैं श्रीमती गीता मुखर्जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने चर्चा के लिए सभा में ऐसा गंभीर विषय प्रस्तुत किया। जब प्रत्येक व्यक्ति की सर्वसम्मति से यह राय है कि महिलाओं को सभी क्षेत्रों में आगे आना चाहिए। ताकि वे महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों का मुकाबला कर सकें। इस विषय पर सभी सदस्यों द्वारा बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

भारत के संविधान में बिना किसी लिंग–भेद के प्रत्येक नागरिक को समान स्थिति तथा समान अवसर देने की गारंटी दी गई है। लेकिन स्वतंत्रता के 50 वर्ष के बाद भी महिलाएं जो जनसंख्या का आधा भाग है उन्हें समानता और न्याय नहीं मिल पाया है। इनमें भी निर्धनों, कुपोषितों, बेरोजगारों तथा अशिक्षितों की संख्या अत्यधिक होती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1981–1991 के दशक के दौरान अब जनसंख्या 24.7 प्रतिशत की गति से बढ़ रही थी, वर्ष 1981 में महिलाओं की जनसंख्या 48.3 प्रतिशत थी जो 1991 में घट कर 48.2 हो गयी। इससे महिलाओं की समाज में सभी क्षेत्रों में गिरी हुई सामाजिक स्थिति की सच्चाई की पुष्टि होती है, चाहे ये क्षेत्र शैक्षिक, समाजिक, सांस्कृतिक आर्थिक या राजनैतिक हों।

आज जब उनकी मुक्ति के लिए तथा उन्हें अधिकार देने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं, अत्याचारों का बढ़ना एक बहुत ही गंभीर मामला है। आलंकारिक तथा साहित्यिक रूप से ऐसा कहा जाता है कि महिला एक कमजोर वर्ग से होती है। शायद उसे जन्म से मरण तक अत्याचारों को सहना ही उसका भाग्य है।

एक बालिका भ्रूण को उस वक्त भी शुभ नहीं माना जाता है जब वह अपनी मां के गर्भ में होती है। आप इस बात को अच्छी तरह जानते ही हो कि देश में बालिका भ्रूण–हत्या की कई घटनाएं घट रही हैं। यदि एक लड़की जन्म ले भी लेती है तो उसे बालिका शिशु हत्या की धमकी का सामना करना पड़ता है। देश के कई भागों में बालिका शिशु हत्या की कई घटनाएं हो रही हैं। यदि लड़की जिन्दा रह भी जाती है तो उसके दुःख शुरू हो जाते हैं। उसकी मुसीबत रोटी, कपड़ा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के अभाव में शुरू होती है। उसे वे बुनियादी वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पातीं जो उसके भाई को मिल जाती है। यदि वह अपनी मां के संग खेत में जाकर या घर के कामकाज में अपनी

मां की सहायता करके या बड़े होने पर अपने भाई–बहनों की देखभाल करके बाल श्रम द्वारा अपने को जीवित रख भी लेती है तो उसे दहेज की मांग का सामना करना पड़ता है। जब वह दहेज की मांग को पूरा करके अपनी ससुराल जाती है तो भी उसकी मुसीबतें खतम नहीं होतीं। यातना तथा क्रूरता उसके पूरे जीवन में बनी रहती हैं। कोई नहीं जानता कि वह अपनी पूरी जिन्दगी जियेगी भी या नहीं। किसी को नहीं पता कि उसे एक अप्राकृतिक मौत मरना पड़े। उसकी मुसीबत यहां खतम नहीं होती है। हम सभी जानते हैं तथा बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां पहले ही सती का जिक्र कर दिया जैसा कि 1987 में राजस्थान में हुआ था। वहां भी एक महिला को अपने पति की चिता के साथ जलना पड़ा था।

यहां, मुझे आदि शंकराचार्य की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि एक **माता** कभी भी **कुमाता** नहीं हो सकती है। एक **पुत्र, कुपुत्र** हो सकता है। लेकिन फिर भी हरेक व्यक्ति ने सती होने के बाद भी **माता** का गुणगान किया। अभी भी लोग **सती माता की जय-जय** करके **सती माता** का गुणगान कर रहे हैं। एक **माता** का गुणगान कैसे हो सकता है ? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि **सती माता** का गुणगान कैसे किया जा सकता है। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि महिला अपने जीवन के हरेक पल में किसी न किसी किस्म के अत्याचार का सामना करती है।

अपराध की घटनाएं परिवार, कार्यालय, कृषक खेतों, उद्योग या एक सार्वजनिक स्थान पर हो सकती हैं। महिलाओं के लिए इतने व्यापक कानूनी नियम बनाने के बावजूद भी, हमारे देश में घर से बाहर या घर के अन्दर महिलाओं के खिलाफ हिंसा निरंतर बढ़ रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि महिला के खिलाफ हिंसा एक विश्वव्यापी समस्या है फिर भी इसे अभी मानवाधिकार उल्लंघन के एक मुद्दे के रूप में पहचाना जाना है। महिलाओं के मानवाधिकारों के लिए सबसे बड़ा समाधान महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी संयुक्त राष्ट्र कानवेंशन है जिसे 1979 में आम सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत ने इसकी पुष्टि कर दी है। मैं बढ़ते हुए अपराधों का विवरण नहीं देना चाहता हूं क्योंकि श्रीमती गीता जी और शरद पवार जी पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं तथा हरेक व्यक्ति ने इसका जिक्र किया है। हमें जो पता लगा है वह यह है कि कुल मिलाकर महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण, छेड़छाड़, दहेज से होने वाली मौतें इत्यादि अपराध प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं। अपराध की दर भी बढ़ रही है। अपराध की घटनायें 1951 में प्रति लाख जनसंख्या में 8.7 से बढ़कर 1941 में 11.5 हो गईं।

अपराह्न 1.59 बजे

(डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए)*

जैसा कि गीता जी ने बताया है, यह आंकड़ा सही और पूर्ण स्थिति का ब्यौरा नहीं देता क्योंकि हिंसा के बहुत से मामले जानकारी में नहीं आते भारतीय दण्ड संहिता और अन्य कानूनों में निर्धारित अपराधों के अलावा, हमारे नोटिस में और कई प्रकार के अपराध जैसे वस्त्र उतारना, नग्नावस्था में महिलाओं को परेड करवाना, चमड़ी को गोदना इत्यादि आये हैं। ये अपराध अपराध–सूची में नहीं आते।

मजेदार बात यह है कि 1974 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर आयोग की उल्लेखनीय रिपोर्ट में हिंसा पर कोई अध्याय नहीं था न ही संयुक्त राष्ट्र संघ की महिलाओं से संबंधी दसवर्षीय विश्व सम्मेलन की कार्य–सूची में यह मुख्य मद थी।

अपराह्न 2.00 बजे

वर्ष 1980 के बाद ही महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, चर्चाओं और वाद–विवादों का घटक बना।

इस संबंध में हमारे सामने वास्तविक स्थिति क्यों नहीं आ रही है ? इसका कारण यह है कि पुलिस का अपराध–बगैरा शिकायतों और पंजीकृत मामलों पर आधारित होता है, जो अपराध की रिपोर्ट लिखवाने संबंधी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। सामाजिक, सांस्कृतिक और परंपरागत बंधनों के कारण पीड़ित महिला यह सोचती है कि यदि उसने अपराध की रिपोर्ट लिखवायी तो उसकी बदनामी होगी। महिलाओं के विरुद्ध अपराध होने पर पुलिस का रवैया और जांच पड़ताल करने की प्रवृत्ति भी इस दुःखद स्थिति का कारण है। अपराध–सूची तो वस्तुस्थिति की झलक–मात्र है।

मैं कहना चाहूंगी कि बलात्कार एक जघन्य अपराध है। यौनापराधों की पूरे देश की तस्वीर हमारे सामने नहीं है परन्तु औसतन इस देश में प्रतिवर्ष बलात्कार के 40,000 मामले दर्ज होते हैं।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : कृपया नियम बतायें।

श्री तथागत सत्पथी : मुझे नियम पुस्तिका चैक करनी पड़ेगी।

माननीय सदस्य ऊपरी झलक के बारे में बोल रहे थे। मैं सिर्फ यही जानना चाहता था कि क्या उड़ीसा की स्थिति इससे अच्छी है।

श्रीमती जयंती पटनायक : कृपया मेरे भाषण में व्यवधान न डालें। यह हर जगह रिकॉर्ड अथवा इसकी रिपोर्ट नहीं की जाती यदि यह दर्ज हुआ है तो आकर इसका पता लगायें।

भारतीय समाज में बलात्कार की शिकार महिला का उत्पीड़न विशेष आयु अथवा जाति समूह तक ही सीमित नहीं है। महोदय, मुझे यह सुनकर दुःख हुआ कि कुछ मामलों में पांच वर्ष से कम आयु वर्ग के मामले दर्ज हुए हैं। 7–16 वर्ष के आयु वर्ग में बलात्कार के शिकार लोगों की संख्या अधिकतम है। यह 54.29 प्रतिशत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बाल–बलात्कार के संबंध में सिफारिशें दी हैं। जब 18 वर्ष से कम आयु में विवाह पर बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 के अंतर्गत रोक लगाई गई है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 में संशोधन करना चाहिए ताकि इस खण्ड में विनिर्धारित आयु को 16 से बढ़ाकर 18 किया जा सके। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375

[श्रीमती जयंती पटनायक]

कहती है कि 16 वर्ष तक की आयु में हुआ बलात्कार अपराध माना जायेगा परंतु 18 वर्ष की आयु तक नहीं। जबकि बाल–विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु होने के उपरांत ही किसी लड़की का विवाह हो सकता है। यही बात भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 कहती है। यह कहती है कि बलात्कारियों को सख्त से सख्त सजा दी जाये। अविवाहित महिलायें इस अपराध का अधिक शिकार होती हैं। यह एक अत्यधिक जघन्य और अमानवीय अपराध है। ऐसे अपराधों के लिए अपराधी को कठोरतम दण्ड दिया जाना चाहिये।

दहेज के मामलों में हुई मौतों के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे प्रगतिशील विधान, महिला–विशेष–प्रकोष्ठ, पारिवारिक–परामर्श इत्यादि के बावजूद भी युवा–विवाहित महिलाओं पर उनके ससुराल वालों द्वारा अत्याचार अभी भी जारी हैं। अनेक बार, उन्हें मार दिया जाता है। श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा है कि जो दहेज लेता है उसे जन प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित नहीं होने दिया जाना चाहिए। मुझे श्रीमती गीता मुखर्जी को आडंबर पूर्ण ढंग से विवाह के बारे में स्मरण कराना चाहिये। यहां तक कि एक चपरासी भी धूमधाम से शादी करने की दौड़ में शामिल है।

घरेलू हिंसा की समस्या के व्यापाक परिणामों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। किसी महिला को शांत भाव से सहना पड़ता है अथवा वह अकेली पड़ जाती है, निराश्रित हो जाती है और कई बार तो सड़क पर आ जाती है, परंतु श्री शरद पवार ने ठीक ही कहा है कम से कम आपमें इस अपराध से लड़ने का कुछ साहस होना चाहिए।

कम से कम, उसके लिए कोई ऐसी जगह होनी चाहिए, जहां वह रह सकती हो। जैसा कि ब्रिटेन में है, हमारे यहां कोई विधान ऐसा होना चाहिए, जिसमें महिलाओं के लिए किसी स्थान का प्रावधान हो, विशेष तौर पर, पति के घर में, जहां वह रह सकती है, बल्कि पति से वह स्थान खाली करवाना चाहिए ताकि कम से कम वह इस अपराध के विरुद्ध लड़ सके।

महोदय, कार्य स्थान पर जैसे फैक्टरियों और कार्यालयों में यौन–उत्पीड़न के बारे में काफी कुछ कहा गया है। यहां भी वह और अधिक कमजोर हो जाती है और सामाजिक सांस्कृतिक दबावों के कारण जबरदस्ती उसे सहन करती है। उसकी शिकायतें सुनने के लिए उसी संस्थान में कोई तंत्र होना चाहिए।

द्वि–विवाह को बहुत हल्के ढंग से किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे पतियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए उन्हें सजा नहीं मिलती। कई बार, ऐसा होता है कि महिला का विवाह–विच्छेद हो जाता है, परंतु उसकी डिक्री अथवा निर्णय मिलने में काफी समय लग जाता है। परंतु यदि पति सरकारी कर्मचारी नहीं है तो भरण–पोषण भत्ता मिलना भी संभव नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। अभी बहुत से सदस्यों को बोलना है।

श्रीमती जयंती पटनायक : साथ ही, गुजारा–भत्ते की मात्रा भी बढ़ाई जानी चाहिए।

महोदय, 'देवदासी' प्रथा और व्यावसायिक देह–व्यापार का अंतर्संबंध है। निर्धन और अज्ञानी माता–पिता एक ओर तथा स्वार्थी पंडित और ब्रॉथल एजेंट दूसरी ओर। ये एजेंट निर्दोष लड़कियों को इस देह–व्यापार के धंधे में लगाकर सफलतापूर्वक इस प्रथा का प्रयोग इस प्रथा का प्रयोग करते हैं। बाल–वेश्यावृति मुख्य रूप से आधुनिकीकरण के प्रभाव से अब व्यापक समस्या का रूप धारण कर रही है। प्रतिवर्ष बहुत सी लड़कियों को देश में तथा देश से बाहर बेचा जा रहा है। इस व्यापार में प्रवेश कर रही बहुत सी युवा लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है अथवा विवाह प्रस्ताव अथवा शहरों में काम प्रदान करने का लालच देकर उन्हें उनके गांव से लाया जाता है। इन युवा लड़कियों को इन एजेंटों के चुंगुल से मुक्त करने की तत्काल आवश्यकता है।

जहां तक राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का संबंध है, जैसा श्रीमती गीता मुखर्जी ने भी कहा है, यहां एक सांविधिक निकाय है जो वैधानिक संरक्षणों और कानूनों की समीक्षा परख और जांच करता है। इसने कई सिफारिशें की हैं और उनमें से कई सरकार के पास पहुंच भी गई हैं लेकिन उन्हें संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि सभी राज्यों में राज्य आयोग और महिलाओं के अधिकारों के विशेष आयुक्त होने चाहिए जिसके बारे में एक बार सोचा गया था कि राष्ट्रीय आयोग के साथ जुड़े होना चाहिए। इनकी स्थानपा यथाशीघ्र की जानी चाहिए। इसके अलावा, राष्ट्रीय आयोग के पास अधिक शक्तियां होनी चाहिए क्योंकि बिना इनके यह कुछ नहीं कर सकता।

महोदय, ये कानून लागू करने वाले तंत्र महिलाओं के विरुद्ध मामलों को महत्वहीन मामले समझते हैं। इसी तरह का दृष्टिकोण अभियोजकों, चिकित्सा–कानूनी सहायता विशेषज्ञों का भी होता है और कई बार बलात्कार सामूहिक बलात्कार की शिकार महिला को महिला समूहों द्वारा उठाई गई आवाज या विरोधों के बावजूद न्याय नहीं मिलता। इसलिए इन कानूनों को लागू करने वाले तंत्र को सुग्राह्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय पुलिस अकादमी तथा क्षेत्रीय राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए।

महोदय, जहां तक न्याय प्रदान करने वाली प्रणाली का संबंध है वे भी पीड़ित महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम हैं। जैसा श्रीमती गीता मुखर्जी ने सुझाव दिया है कि नियमित न्यायालयों में भी महिलाओं के मामलों के निपटारे के लिए कम से कम अलग प्रबन्ध होना चाहिए ताकि उनके मामलों की तेजी से सुनवाई हो सके।

महोदय, कानूनों की व्याख्या, कानूनों में सुधार, तत्परता से

उनका प्रवर्तन, पुलिस बल के ढांचे में नवीनता, नौकरशाही को सुग्राही बनाने के लिए सरकारी उपाय, दक्षतापूर्ण न्याय प्रदान करने वाली प्रणाली और पीड़ितों का पुनर्वास और इन सबसे ऊपर सर्वत्र महिलाओं को स्थान देकर राष्ट्रीयता की सभी बेड़ियों को हटाकर कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें समाज द्वारा शुरू किया जाना चाहिए। यह इस समस्या के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाकर ही जो कि एक भगीरथ–प्रयत्न है इसका समाधान किया जा सकता है और यह समय की मांग भी है।

जैसा कि कई सदस्यों ने कहा और मैं भी यह कहना चाहता हूं कि जहां नारी की पूजा होती है यहां देवता निवास करते हैं। लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। लेकिन मैं उसके पक्ष में हूं जो चित्रांगदा ने अर्जुन को कहा था। उसने कहा, "मैं न अपनी पूजा चाहती हूं और न ही अपनी अवहेलना लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपने साथ ले जायें ताकि तुम देख सको कि मेरी ताकत क्या है, मैं अपना स्थान पाना चाहती हूं।"

हम यही बात अर्द्ध नारीश्वर पुराणों से भी जानते हैं कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं इसीलिए अर्द्धनारीश्वर ने कहा, *[संस्कृत]* नारी देव भवः *[अनुवाद]* यह कहने के बजाए कि *[संस्कृत]* नारी देवी भवः *[अनुवाद]* यह कहा गया है कि *[संस्कृत]* नस्य देवो भवः।

अपराह्न 2.11 बजे

डॉ. बी ट्रिकस डिसूजा (मनोनीत) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर दिया।

महोदय, ऐसा नहीं है कि महिलाओं पर अत्याचार केवल भारत में ही होते हैं। यह अलग बात है कि इन अत्याचारों की प्रकृति में भिन्नता है। विश्व में कहीं भी दुल्हन को नहीं जलाया जाता, विश्व में कहीं भी किसी महिला को गलियों में वस्त्रहीन नहीं घुमाया जाता क्योंकि उसका लड़का किसी उच्च जाति की महिला के साथ भाग गया। विश्व में कहीं भी सामाजिक महिला कार्यकर्ता का सामूहिक बलात्कार नहीं किया जाता क्योंकि उसने बाल–विवाह का विरोध किया। वस्तुतः भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां महिलाओं के साथ अत्याचार गर्भ में से ही शुरू हो जाता है क्योंकि यदि भ्रूण बालिका का है तो उसका गर्भपात करा दिया जाता है और बाद में बालिका की हत्या कर दी जाती है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे मैं 'राष्ट्रीय मनोविफलता' से पीड़ित देश कहूंगा अर्थात् जिसकी कथनी और करनी में अन्तर है। हमें बताया जाता है कि भारत में महिलाओं की अनादि काल से पूजा होती है और उनका सम्मान होता है। हमारे आदमी हमें मां, पत्नी और बहिन कहते हैं और फिर हमें गाली–गलोच भी देते हैं। कामसूत्र के देश में, हम कहते हैं कि सभी यौन सम्बन्धी अपराध पश्चिमी मीडिया की देन है, हम अपनी फिल्मों को भूल जाते हैं जिनमें पेड़ों के चारों ओर घूमने से प्रारम्भ करके अब स्पष्ट कामुक दृश्य दर्शाए जा रहे हैं।

मैं महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों के आंकड़े उद्धृत नहीं करूंगा क्योंकि ये आंकड़े भावशून्य हैं क्योंकि ये आंकड़े किसी दुल्हन की चीख के बारे में नहीं बता सकते हैं, ये आंकड़े किसी बच्चे के बारे में नहीं बता सकते हैं, जिसके साथ दुर्व्यहार किया गया हो और बलात्कार की शिकार की पीड़ा को नहीं बता सकते हैं। इसलिए हमें कतिपय कारणों और प्रभावों के बारे में जानना चाहिए। हमें इस बात को जानना होगा कि स्वतंत्रता के पिछले पचास वर्षों में भारत सामाजिक उथल–पुथल के दौर से गुजर रहा है। पितृ–प्रधान समाज के साथ मजबूत सामंतवादी सोच खासतौर पर कतिपय उत्तरी राज्यों में और व्यक्ति की हिंसा की दृढ़ स्वाभाविक प्रवृति सहित हम आशा करते हैं कि एक अधिक सहृदय समाज का विकास होगा। महिलाएं सामाजिक उथल–पुथल के इस भंवर में फंसी हैं।

संयुक्त परिवार प्रथा टूट गई है। तलाक आम बात हो गई है। तलाक के कारण बच्चों को दुःख भुगतना पड़ता है। महिलाएं काम पर चली जाती हैं वे अपने बच्चों को घर पर रखती हैं। यही बच्चों के साथ अपराध इसका एक कारण है क्योंकि बच्चों की देखभाल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

एक प्रश्न, जिसे हम लिंग–भेद के आधार पर राजनीति कहते हैं, का भी है। महिलाओं की मुक्ति के साथ परिवार के अन्दर भी, कम से कम समानता के लिए, संघर्ष पैदा हुआ है। भारतीय पुरुष को खतरा पैदा हुआ है। वह अपने स्थान को नहीं छोड़ेगा चाहे वह राजनीतिक स्थान हो या संसद में या घर में या कार्य स्थल में स्थान हो और यह सारा दबा गुस्सा महिलाओं की ओर है। हो सकता है मैं इस मामले में बढ़–चढ़कर बोल रही हूं किन्तु यह सत्य है।

जैसे–जैसे हम नई सहस्राब्दी की ओर बढ़ रहे हैं सर्वप्रथम हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चों को उचित शिक्षा मिले।

विद्यालय स्तर पर हमें मीडिया के माध्यम से विचार–विमर्श द्वारा यौन शिक्षा की बुराई का विरोध करना होगा। यह हानिकर शिक्षा मीडिया के माध्यम से दी जा रही है और आजकल कंप्यूटर सेक्स भी प्रचलित है। इन्टरनेट पर सेक्स उपलब्ध है और इस संदर्भ में कुछ किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे बच्चे कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं और हमारे बच्चे अपने अधिकांश अतिरिक्त समय का उपयोग कंप्यूटर का उपयोग कर इन्टरनेट पर बिताते हैं।

हमें अपने युवाओं को शिक्षित करना होगा ताकि पुरुष यह महसूस न करे कि हमेशा उनका ही प्रभुत्व रहे और महिलाएं यह महसूस न करें कि वे सदैव दब्बू बने रहें।

मुझे अपने युवाओं के भविष्य में बहुत विश्वास है। क्योंकि वे भिन्न उन्मुक्त वातावरण में पले–बढ़े हैं और वे समानता में विश्वास करते हैं।

मेरा मानना है कि छात्राओं को उनकी शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में आत्म रक्षा के लिए कराटे अनिवार्यतः सिखाया जाना चाहिए। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए उपाय करने के अलावा पुलिस स्टेशनों में महिला प्रकोष्ठ होना चाहिए और महिला पुलिस स्टेशन हों। जब डॉ. जयललिता मुख्य मंत्री थी तो उन्होंने 29 महिला

[डॉ. बी ट्रिकस डिसूजा]

पुलिस स्टेशन शुरू किए थे जो इस देश में पहली बार हुआ तथा इसका अनुसरण पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो ने किया था। इसके अलावा पुरुषों द्वारा संचालित पुलिस स्टेशनों में एक बलात्कार संकट केन्द्र (रेप क्राईसिस सेंटर) होना चाहिए यह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि बलात्कार की शिकार महिला की सामान्यतया बलात्कार के काफी समय बाद चिकित्सा जांच की जाती है। यदि पुलिस स्टेशनों में ऐसा संकट केन्द्र हो तो उस महिला की चिकित्सा जांच करवाई जाए और अपराध दर्ज किया जाए तथा बाद में उसे समझाया बुझाया जा सकता है। बलात्कार की शिकार महिला को समझाना–बुझाना अति आवश्यक है क्योंकि वह भयंकर मानसिक स्थिति से गुजरती है।

बलात्कार संबंधी कानून बलात्कार से पीड़ित महिला को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि बलात्कार की शिकार महिला का नाम और उसकी व्यक्तिगत जीवन के ब्यौरे की जानकारी अखबारों को नहीं दी जानी चाहिए तथा इन बातों का उल्लेख न्यायालय कक्ष में नहीं किया जाना चाहिए। कभी–कभी पुलिस और न्यायाधीश भी कहते हैं कि कुछ महिलाएं इस प्रकार के उत्तेजक कपड़े पहनती हैं कि वे बलात्कार के अप्रत्यक्ष रूप से आमंत्रित करती हैं। यह तो हास्यास्पद है।

बलात्कार के मामले में कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। एक समाज सेवक ने मुझे बताया कि बैंकाक में उन महिलाओं ने जिनके पतियों ने दूसरी शादी कर ली है, एक नया तरीका निकाला है जिसके परिणामस्वरूप बैंकाक के अस्पतालों में विशेष चिकित्सा कक्ष शुरू करने पड़े हैं जिनमें पुरुषों को शल्य चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूं। पुलिस और न्यायाधीशों को और संवेदनशील बनाने की जरूरत है। उदाहरणार्थ एक न्यायाधीश ने कहा है कि "मैं यह नहीं मान सकता कि इस वृद्ध और बदसूरत औरत के साथ बलात्कार किया गया है", और जब कोई महिला घरेलू हिंसा की रिपोर्ट कराने आती है तो पुलिस कहती है कि "आप किस बात की शिकायत करती हैं आपके पति ने ही तो पीटा है।"

दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अभी हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया की एक चौथाई औरतों को अपने घरों में ही हिंसा का शिकार होना पड़ता है। संयुक्त राज्य अमरीका में महिलाओं की चोटों के लिए घरेलू हिंसा सबसे बड़ा कारण है और घरेलू हिंसा समाज के सभी वर्गों में मौजूद है। घरेलू हिंसा के बारे में एक विधेयक पारित किया जाना चाहिए। मैं समझती हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग और वाई. डब्ल्यू. सी. ए. ने ऐसे एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग को और शक्तियां दी जानी चाहिए। उनको न्यायिक शक्तियां भी दी जानी चाहिए। श्रीमती मोहिनी गिरि ने कहा है कि सरकार आयोग की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। परिवार न्यायालयों, महिला न्यायालयों, और लोक अदालतों को और सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है।

कानूनी जानकारी का होना भी अति महत्वपूर्ण है। महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों के बारे में नहीं जानती हैं। टी. वी., संचार माध्यमों और पुस्तिकाओं के जरिए कानूनी जानकारी का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने तमिलनाडु में चेन्नई के महाविद्यालयों की छात्राओं को कानूनी शिक्षा देने के लिए कक्षाएं शुरू की हैं।

अन्त में, जैसा कि एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा है कि इस सभा में भी महिलाओं को विधायिका में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने वाले विधेयक को येनकेन प्रकारेण रोक कर उनको एक विभिन्न प्रकार की हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। दलगत भावना से ऊपर उठकर ज्यादातर पुरुष सांसदों ने इस सभा में इस विधेयक का विरोध किया है। हरेक राजनीतिक दल में पुरुष सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया है। जैसा कि हमारे साम्यवादी मित्रों ने कहा कि यदि एक बार कोई सामाजिक आन्दोलन शुरू हो जाए तो उसे रोकना असम्भव है और वह समय भी आएगा जब महिलाएं इस सभा में सही मायनों में राजनीतिक शक्तियां हासिल करेंगी।

महिलाओं पर अत्याचार को रोका नहीं जा सकता है और यदि रोका जा सकता है तो केवल स्वयं महिलाओं द्वारा। पूरे ढांचे को बदलने की जरूरत है और इसे केवल महिलाओं के जरिए ही बदला जा सकता है। मैं पुरुषों को चेतावनी देती हूं कि जो हाथ पालना झुलाते हैं वे इस ढांचे को भी तहस–नहस कर सकते हैं।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपको चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति जी, श्रीमती गीता मुखर्जी ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जो प्रस्ताव रखा है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। हमें जानकारी मिली है कि इससे पहले भी महिलाओं पर अत्याचार के संबंध में बार–बार बहस हुई है। अभी यह बहस इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि हर साल हिन्दुस्तान में महिलाओं में हो रहे अत्याचारों में 20–21 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। हम देखते हैं कि श्री राम मनोहर लोहिया ने सात क्रांतियां की थीं जिसमें वे एक नर–नारी समता के लिए बोला करते थे, लड़ा करते थे। हिन्दुस्तान में हम देखते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं पर जोर–जुल्म होता रहता है। जन्म लेने से पहले ही बच्चे की जांच करवा ली जाती है कि वह बेटा है या बेटी अगर बेटी होती है तो उसे गिरवा देते हैं। अपने समाज में कहीं–कहीं बेटी होने के छठे दिन उसे नमक चटाकर मार देने की प्रथा थी। बेटी होने पर सबका मन छोटा हो जाता है लेकिन यदि बेटा होता है तो उत्सव मनाया जाता है। बेटी की पढ़ाई–लिखाई पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि उसे पराये घर में जाना होता है। हमारे शास्त्र में भी उन्हें बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं है। शादी होने की जो बात है तो उसमें भी कन्या दान होता है, पुरुषदान कहीं भी नहीं होता है। जैसे

गोदान होता है, वस्त्रदान होता है या कुछ सामान वगैरह का दान होता है वैसे ही कन्यादान होता है। उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है। कालांतर में इस हिसाब से हम देखते हैं कि उनके साथ...*(व्यवधान)* यह जुल्म है। वह बराबरी नहीं है लेकिन शास्त्र में कहा है कि बचपन में मां के अधीन और सयाने होने पर अपने पति के अधीन और बूढ़ा होने पर अपने बेटे के अधीन उनको रहना पड़ेगा। उनको कोई इज्जत नहीं दी गयी, बराबरी का अधिकार नही दिया गया।

इसलिए इस समाज में जो व्यवस्था है, महिलाओं का जन्म से मरण तक सामाजिक शोषण होता है। गरीब घरों में ऐसा होता है कि यदि कोई अतिथि आ जाए और भोजन चार लोगों के लिए बना हुआ है, यदि भोजन बचता है तो महिला खाती है नहीं तो भूखी रह जाती है। यह हालत है। आधुनिक जगत में कहते हैं कि सभ्यता का विकास हुआ है लेकिन विकासशील मुल्क में महिला की क्या स्थिति है। यहां महिलाओं को प्रदर्शन की वस्तु समझा जाता है। उसे टी. वी. आदि में दिखाया जाता है, उनका प्रदर्शन किया जाता है। वैश्यावृति का बाजार खुला हुआ है। इस सामाजिक बुराई पर कड़ाई से रोक लगनी चाहिए।

यह कहा जाता है कि महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं है, वह आत्मनिर्भर नहीं है इसलिए उन पर जुल्म होता है। ऐसा नहीं है। दुनिया के मुल्कों में जहां महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, उनको बराबरी का अधिकार मिला हुआ है, वहां भी काम के क्षेत्र में उनका शोषण देखा गया है। हाल में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जो सर्वेक्षण हुआ है, उसमें काम करने वाली महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा जुल्म फ्रांस में हुआ है। कहते हैं कि वह बहुत विकसित मुल्क है लेकिन महिलाओं पर जुल्म करने के मामले में वह पहले नम्बर पर है, 1,000 महिलाओं में से 194 महिलाओं की शिकायत आई है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। अमरीका का पांचवां स्थान है। बहुत सभ्य कहे जाने वाले मुल्कों में भी महिलाओं पर जोर–जुल्म की शिकायत की रिपोर्ट है। सबसे कम शिकायत की रिपोर्ट हंगरी की है। वहां 1,000 महिलाओं में से केवल 5 महिलाओं की शिकायत आई है कि वहां पर जोर–जुल्म होता है, यौन शोषण होता है। हिन्दुस्तान विकासशील देश है।... *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमुन्द) : हिन्दुस्तान में कौन से राज्य में ज्यादा होता है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उस हिसाब पर भी आ रहे हैं। पहले दुनिया के देशों के बारे में जान लीजिए, फिर राज्य, जिला और गांव के बारे में भी बता देंगे।

विकसित राज्यों में महिलाओं की क्या स्थिति है, उसका भी मैं वर्णन करूंगा। पिछड़े जिले में अभी भी–''सब देव–देवियां एक ओर, ऐ मां तू मेरी एक ओर' यह संस्कृति है। पिछड़े जिलों में महिला ठीक है, जहां विकास है वहां ज्यादा गड़बड़ी है। इसमें सुधार होना आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले महिला की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, कानून बनाकर, उनको प्रमोट करके, अनिवार्य शिक्षा करनी चाहिए। व्यवहार में देखा गया है कि पढ़ने में बेटी बेटे से ज्यादा तेज होती है। यदि उनको पढ़ाने का मौका मिले तो बेटी पढ़ने में ज्यादा तेज होती है। लेकिन लोग पढ़ाना नहीं चाहते, गरीब जगहों में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, बच्चियां दूर तक पढ़ने नहीं जा सकतीं। इसलिए कठिनाई है। महिला के लिए यह कानून और नीति घोषित होनी चाहिए, डॉ. लोहिया कहते थे कि महिला के साथ विश्वासघात, बलात्कार और छेड़खानी इन तीनों चीजों को समाज कभी भी सहन नहीं करे। जो महिला के साथ विश्वासघात करे, बलात्कार करे या छेड़खानी करे, उसे गोली मार दी जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। यौन उत्पीड़न के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून बनाया है। यह ऐतिहासिक फैसला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने 12 निदेश दिए हैं लेकिन 12 निदेश लागू नहीं हुए हैं। हिन्दुस्तान में महिलाओं में दो प्रकार का वर्ग है--बड़े घरों में महिला का स्थान देवी का है लेकिन साधारण घरों में महिला का स्थान दासी का है। देवी और दासी दो प्रकार के वर्ग हैं।

अब यह जो साजिश चल रही है कि राजनैतिक दल के लोग यदि महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं तो हर एक दल की सूची को देखा जाये कि कौन कितने प्रतिशत महिलाओं को टिकट दे रहा है, टिकट नहीं दे रहे हैं, लेकिन बोलकर कह रहे हैं कि महिला को कानून बनाकर आरक्षण दिया जाये। अपनी तरफ से कुछ सीटें बढ़ानी हों, देनी हों, वह देने को कोई तैयार नहीं है, इसीलिए एक जबरदस्त साजिश है और हम लोगों को जबरदस्त आशंका है कि हिन्दुस्तान में महिलाओं में देवी और दासी, जो दो वर्ग हैं, महिलाओं के नाम पर यह आरक्षित सीटें कहीं केवल देवियों को न चली जायें और दासी को आरक्षण चाहिए और गरीब घर की महिलाओं को आरक्षण चाहिए।

आपने महिलाओं को नौकरी में आरक्षण क्यों नहीं दिया है ? नौकरी में आरक्षण हो तो शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स का हो, उसके बाद पिछड़े वर्ग का हो, लेकिन महिला का न हो। नौकरी में महिला का आरक्षण न हो, इसमें महिला का आरक्षण हो, यह साजिश है और जो भी राजनैतिक दल कह रहे हैं, महिला के नाम पर देवी का आरक्षण करना चाहते हैं, दासी का नहीं, जबकि आरक्षण की असली हकदार दासी है, जो ज्यादातर घरों की महिलाएं दासी के रूप में हैं। जन्म से मरण तक उनका शोषण होता है, नहीं, जन्म से पहले से उनका शोषण होता है और आगे तक उन पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए हिन्दुस्तान के लोगों को इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यह जो साजिश चल रही है कि जो सत्ता से पिछड़े हुए लोग हैं, महिला के नाम पर देवी को और अपनी उस कुर्सी को सलामत रखना चाहते हैं, वह व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। महिलाओं में जो भी शोषित हैं, अति पिछड़ी हैं, दासी हैं, उसकी हिस्साकशी हो जानी चाहिए।

आरक्षण का सवाल है, इसमें जबरदस्ती नहीं आने दिया, जबरदस्ती नहीं आने दिया तो क्षमा मांग ली। सदन में कार्रवाई करने की गुंजाइश है, 44 कानून हम लोग तोड़ते हैं तो जेल जाते हैं। सदन में भी कानून टूटेगा तो कानून को मानने से रोका, येन केन प्रकारेण कोशिश की गई, सदन डिसआर्डर में था, पांच बार डिसआर्डर के चलते

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

सदन एडजोर्न हुआ, लेविन छठी बार में हाउस में पेश करने की येन केन प्रकारेण कोशिश की गई तो येन केन प्रकारेण रोकने की कोशिश हो गई।

महिलाओं पर जुल्म हों, इसे कोई सभ्य आदमी सहन नहीं कर सकता है। राजनीति में कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, यह नहीं चलने दिया जायेगा। इसीलिए लड़ाई का यह सब सवाल है। इसीलिए डॉ. लोहिया कहते थे कि नर–नारी समता के लिए नारी के साथ विश्वासघात, बलात्कार, छेड़खानी किसी हालत में न हो, इस कानून को यदि बना दिया जाये और महिलाओं के लिए शिक्षा और पुलिस की सिपाही में व्यवस्था कर दी जाये, श्री शरद पवार, नेता विपक्ष बोल रहे थे, उस सब का हम समर्थन करते हैं और समर्थन करने के साथ मैं फिर से गीता दीदी को बधाई देना चाहता हूं कि इस अहम सवाल की चूंकि अहमियत है, इस विषय पर रोक नहीं हो रही है, जुल्म, अत्याचार और दहेज प्रथा पर तो सब लोग बोल रहे हैं कि दहेज हत्या और शादी ब्याह में लोगों को कितने झंझट और तकलीफ हैं और ईमानदार आदमी की बेटी की शादी होनी मुश्किल है। श्री मांगन इन्सान बिहार में कई टर्म में एम. एल. ए. थे, लेकिन वे अपनी बेटी का पर्चा छपवाकर बांट रहे थे, लाख रुपया नहीं पुर रहा है, तिलक मांग रहा है, तिलक नहीं होने से, कम होने से पहले तो घड़ी, साइकिल होती थी, फिर मोटरसाइकिल हुई, फिर हीरो होण्डा हुई, अब तो मारुति, वीडियो कैसेट रिकार्डर यह सब तिलक दहेज में हो, नहीं तो हत्याएं होती हैं। यह सब कानून बने हुए हैं, लेकिन वह ढंग से लागू नहीं है, इसलिए सब पर ऐसा कानून बनना चाहिए और व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी हालत में महिलाओं पर जोर जुल्म न हो।

मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री चन्द्रशेखर साहू : सभापति महोदय, सबसे ज्यादा महिला सदस्य इस सदन में 12वीं लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी की चुनकर आई हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रतिशत में देखिये, कितने लोग आये हैं और कितनी सीट पर टिकट दिया है।

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरुक्षेत्र) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की प्राचीन गौरवमयी सभ्यता और संस्कृति के कारण ही हिन्दुस्तान विश्व का आध्यात्मिक गुरु कहलाता आया है। इसी वैभवशाली सभ्यता के अन्तर्गत हिंदुस्तान में यह माना जाता रहा है कि "यत्र नारी पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता"। अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान का इतिहास ही नारी के गौरवपूर्ण कारनामों से परिपूर्ण है। जैसा कि सुमित्रा जी ने कहा था कि नारी में असीम शक्ति और त्याग की भावना है। पन्नाधाय अभूतपूर्व त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में; सीता और सावित्री पतिव्रत धर्म में; अहिल्या, दुर्गा, लक्ष्मीबाई कुशल योद्धा के रूप में और रजिया सुल्तान कुशल प्रशासक के रूप में विश्व में विख्यात हुईं।

स्वतंत्रता संग्राम में नारी के योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के योगदान को हम भुला नहीं सकते। लेकिन हमारे समाज में इस प्रकार की नारी–विभूतियों का आगमन आकाश में उल्का धूमकेतु के समान रहा है।

अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में नारी की बराबरी की हिस्सेदारी है। जिस आजाद हिन्दुस्तान की फिजा में आज हम सांस ले रहे हैं उस आजादी को प्राप्त करने में नारियों ने पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी है। जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो नारी ने सोचा कि अब हमें आजाद हिन्दुस्तान में बराबर का दर्जा और मान–सम्मान प्राप्त होगा और हम अपना सिर ऊंचा करके रह सकेंगी। लेकिन आजादी के पचास वर्षों के बाद भी नारी की दशा हमारे समाज में दयनीय ही बनी हुई है। नारी पर आज भी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न आजादी से पहले की तरह ही बदस्तूर जारी है। आज भी नारी का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक शोषण हो रहा है और अगर इसे रोकने के लिए समुचित उपाय नहीं किये गये तो यह शोषण आगे भी होता रहेगा। आज भी नारी को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। पुरुष की मानसिकता नारी को बराबरी का दर्जा देने में हिचकिचाती है। नारी की यह दशा केवल आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं है बल्कि राजनीति में तो और भी ज्यादा शोचनीय है। पुरुष प्रधान समाज से टक्कर लेकर आगे बढ़ना आज नारी के लिए बेहद जोखिम भरा कार्य है। राजनैतिक पिछड़ेपन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संसद में केवल 8 प्रतिशत ही महिलाएं हैं। राजनीति में महिलाओं के पिछड़ेपन का इससे बढ़कर सबूत और क्या हो राकता है। राजनीति में बाहुबल और माफिया के बढ़ते प्रभाव के कारण महिलाओं को मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसका एक उदाहरण पश्चिम बंगाल की एक महिला प्रत्याशी के साथ हुई बलात्कार की घटना से बखूबी लगाया जा सकता है। इस घटना ने सारे देश को झकझोर कर रख दिया था। आप इस घटना से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक महिला प्रत्याशी के साथ यह हो सकता है तो आम महिलाओं को कितने उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता होगा।

अध्यक्ष महोदय, पुरुषों की मानसिकता महिलाओं के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा और पहला कारण है। पुरुषों को अपनी इस मानसिकता को बदलना होगा और नारी को बराबरी का हक देने में उसे निःसंकोच पहल करनी होगी, तभी नारी पुरुषों के बराबर अपना हक और दर्जा हासिल कर सकेगी तथा यह महसूस कर सकेगी कि पुरुष भी नारी को बराबर का हक देना चाहते हैं।

सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, अशिक्षा और दहेज भी नारी के पिछड़ेपन का कारण है। शिक्षा को आज नारी की सबसे पहली जरूरत मानकर हमें आगे चलना होगा। सरकार ने लड़कियों को हर स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने के लिए जो कदम उठाए हैं या जो योजनाएं बनाई हैं, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और सरकार को हार्दिक बधाई देती हूं। ये योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित न रह जाएं, इनका पूरी तरह से कार्यान्वयन हो, तभी समुचित नारी वर्ग इससे लाभान्वित

हो सकता है।

यदि नारी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें महिलाओं को बोर्डों और कारपोरेशन्स में नौकरी के लिये आरक्षण देना होगा। इससे नारी आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होगी। उनमें मान–सम्मान की भावना पैदा होगी। वह समाज में किसी के आगे हाथ फैलाकर नहीं बल्कि अपने बलबूते पर सिर उठाकर जी सकेगी। हमें सामाजिक तौर पर महिलाओं में चेतना पैदा करने के लिये युद्ध–स्तर पर कार्य करना होगा। हम उन समूची स्वयंसेवी सामाजिक संस्थाओं का आह्वान करते हैं कि वे भी नारी वर्ग में सामाजिक चेतना पैदा करने के लिये आगे आयें और पारिवारिक स्तर पर नारी को ऊंचा उठाने में पहल करें। हमें बच्चियों के अंदर यह भावना पैदा करनी होगी कि उनका भी समाज में उतना महत्व है जितना पुरुष वर्ग का है और वे भी वैसे ही काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। वे किसी तरह से उनसे कम नहीं हैं। हमें अपनी बच्चियों की परवरिश पर ज्यादा ध्यान देना होगा। जहां परवरिश का प्रश्न आता है, वहां कई बार हम लोग पीछे हट जाते हैं। हम लोगों को समाज में ऐसी सामाजिक चेतना पैदा करनी होगी। न केवल महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण देने से काम चलेगा बल्कि राजनीति में भी संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण हर हाल में देना पड़ेगा, क्योंकि जहां वास्तव में सत्ता केन्द्रित है और जहां समाज के हर वर्ग की तकदीर लिखी जाती है, वहां महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बेहद आवश्यक है ताकि महिलाओं के लिये ज्यादा से ज्यादा कानून पास करवाये जा सकें।

सभापति महोदय, पिछले दिनों संसद में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत करने की बात चली तो कुछ महिला विरोधी तत्वों ने उस बिल का डटकर विरोध किया जिससे यह साबित हो गया कि वे महिलाओं के झूठे हमदर्द हैं। आज उनके चेहरे बेनकाब हो गये हैं। ये महिलाओं की झूठी हमदर्दी हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। जब महिलाओं की बात चलती है तो ये अपना कदम पीछे हटा लेते हैं। महिलाओं का इस से जितना अपमान हुआ, वे कभी भूल नहीं सकती हैं। वे महिला विरोधी तत्वों को कड़ा सबक सिखायेंगी और राजनीति की ऐसी गहरी कब्र में दफन कर देंगी कि ये लोग सात पुश्तों तक भी राजनीति में आने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। महिलायें भीख नहीं मांग रही थी, वे अपना हक मांग रही थी। जब वे जनसंख्या में 50 प्रतिशत हैं तो महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होना चाहिये। यदि 50 प्रतिशत पुरुषों के लिये और 50 प्रतिशत महिलाओं के लिये आरक्षण कर दें तो महिलायें पुरुषों के आरक्षण की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगी। मैं यह बात दावे के साथ कह सकती हूं। मैं इस सदन के माध्यम से समूची नारी जाति का आह्वान करती हूं कि आपके अधिकारों को सोने की तश्तरी में परोसकर नहीं दिया जायेगा। आपको अपने हक के लिये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। लड़ाई चाहे छोटी हो या बड़ी हो, पुरुषों के लिये मैदान खुला है। महिलाओं को भी लड़ाई लड़नी है। आज भी महिलायें लड़ाई लड़ सकती हैं। यदि मांगने पर अधिकार मिल जाता तो अंग्रेज हिन्दुस्तान छोड़कर कभी न जाते और 800 वर्ष पुरानी मुगल सल्तनत को मिटा न दिया गया होता। हमारे शहीदों ने लाखों कुरबानियां देकर यहां प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली हासिल की है। इसलिये महिलाओं से मेरा आह्वान है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर एकजुट लड़ाई लड़ें। मैं एक–दो अपवादों को छोड़कर सभी महिला सांसदों का आभार प्रकट करती हूं कि महिला आरक्षण के बिल के लिये सभी पार्टियों की महिला सांसद एकजुट हो गई और संघर्ष करने के लिए तैयार हो गई। यदि आगे भी महिला बिल को लटकाया गया तो हम सभी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगी। हम महिलायें अपने अधिकारों का हनन हरगिज–हरगिज नहीं होने देंगी।

सभापति महोदय, शरद जी और सुमित्रा जी ने महिलाओं के हितों में कुछ कानून बनाने और कुछ पुराने कानूनों में संशोधन करने की बात की थी, उनसे मिलते–जुलते मेरे भी कुछ सुझाव हैं। उनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगी, वे काबिले–अमल हैं, काबिले–गौर हैं। जब तक देश की इस बड़ी पंचायत में महिलाओं के लिये कानून नहीं बनेगा तब तक राष्ट्र का उत्थान होना असंभव है। जब महिलायें प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी तभी हिन्दुस्तान दूसरे विकसित, समृद्ध और सम्पन्न राष्ट्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 21वीं सदी में प्रवेश कर सकेगा। तभी हिन्दुस्तान दूसरे राष्ट्रों के समक्ष अपनी आजादी की स्वर्ण जयन्ती को धूमधाम से मनाने का दावा कर सकेगा, अन्यथा, यह सब फिजूल है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभापति महोदय, मैं केवल आधा सैकिण्ड लूंगा। मैं माननीय सदस्य के भाषण की सराहना करता हूं। मैंने इसे अपने कमरे में टेलीविजन पर सुना। किन्तु उन्होंने पश्चिमी बंगाल की कुछ महिला उम्मीदवारों का संदर्भ दिया, जिनका कथित बलात्कार किये जाने का आरोप है। मुझे बहुत खेद है कि गलत सूचना के आधार पर, माननीय सदस्या ने ऐसा प्रश्न उठाया है। मैं इससे कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। यह साबित किया जा चुका है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ऐसी गलत सूचना में पड़कर, उन्होंने इतने अच्छे भाषण को बर्बाद कर दिया। अतः मैं इसमें सुधार करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : यह अखबार में आया था...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं नहीं जानता था कि अखबार सत्य के मसीहा हैं...*(व्यवधान)*

श्रीमती कैलाशो देवी : मैं बाद में वह अखबार दिखा दूंगी... *(व्यवधान)*

श्री टी. एन. बालू (दक्षिणी मद्रास) : सभापति महोदय, भारत के महिला वर्ग की प्रतिष्ठा और गरिमा बनाए रखने के संबंध में मेरा कुछ कहना मेरे लिये एक गर्व का क्षण है। मैं श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा आरम्भ की गई चर्चा का समर्थन करता हूं।

[श्री टी. एन. बालू]

महोदय, हम अपनी भूमि को मातृभूमि के नाम से पुकारते हैं। हम इसे पितृभूमि नहीं कहते। हम अपने भारत को भारत–माता के नाम से पुकारते हैं, भारत–पिता के नाम से नहीं। हम अपनी भाषा को मातृभाषा कहते हैं। हम इसे पितृभाषा नहीं कहते हैं। हमने अपनी नदियों के नाम महिलाओं पर रखे हैं, जैसे गंगा, कावेरी, यमुना, गोदावरी आदि–आदि। अतः सब कुछ महिलाओं के नाम पर है। सब कुछ महिलाओं के इर्द–गिर्द घूमता है। ऐसा इसलिये है, क्योंकि महिला हमारे भारतीय समाज के गर्व और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यदि हमारी महिलाओं पर अत्याचार होता है, तो वह अत्याचार महिलाओं के विरुद्ध नहीं है, अपितु वह मानव समाज की प्रतिष्ठा और गर्व पर अत्याचार है।

राजनैतिक दासता को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बिल्कुल समाप्त कर दिया। किन्तु उसके साथ ही कुछ अवांछित सांस्कृतिक दासता हमारी भारतीय महिलाओं के दैनिक जीवन में विद्यमान है, जो हमें सदियों से उत्तराधिकार में मिली है। क्यों ? क्या इसे हमारी महिलाओं द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता ? वे ऐसा नहीं कर सकतीं। क्योंकि उच्च पदों पर अधिकांशतः पुरुष बैठे हैं। निर्णय लेना उन्हीं के हाथ में है। उनकी संख्या अधिक है इसलिए उनका निर्णय माना जाता है। वे महिलाओं के हितों की रक्षा करने, महिलाओं के उद्धार और महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने की महिलाओं की उचित मांगों पर विचार नहीं करते। हम केवल उपदेश देते हैं। किन्तु हम अपने जीवन का उचित मार्ग नहीं अपनाते। हम उन्हें अनदेखा करते हैं। यह और कुछ नहीं केवल पुरुष जाति की कट्टरवादिता ही है। सदियों से पुरुष का यही रवैया रहा है। उनमें महिलाओं पर अधिकार जताने का दुःसाहस है और उन्होंने एक लोकोक्ति भी बना रखी है। वह लोकोक्ति क्या है ? वह है **''स्त्री जन्म, पाप कर्म।''** इसका अर्थ है कि महिलाओं का जन्म पाप से हुआ है। वे कहते हैं कि महिलायें पाप से पैदा हुई हैं। बचपन में एक लड़की को पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। शादी के बाद, उसे अपने पति की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। जब वह बूढ़ी हो जाती है तो उसे अपने लड़कों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, न कि लड़कियों की या अन्य महिलाओं की आज्ञा का।

महोदय क्या हमने कभी सुना है कि किसी महिला ने पुरुष के गले में **थाली** बांधते सुना है–तमिल में हम इसे थाली पुकारते हैं, आप इसे **मंगल सूत्र** कह सकते हैं। नहीं, ऐसी असामनता क्यों है ? एक महिला पुरुष के गले में **थाली** क्यों नहीं बांध सकती ? क्या यह असमानता नहीं है। महोदय, यह असमानता का सूचक है।

महोदय डॉ. कालायंगि करुणानिधि तमिलनाडु की सरकार दिन–प्रतिदिन महिला कल्याण उपायों की घोषणा कर रही है और उन्हें अपना रही है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देने, सम्पति अधिकारों में कानूनी सुरक्षा देने के लिये संशोधन किया गया था। 1975 में तमिलनाडु सरकार ने विधवा विवाह सहायता योजना लागू की। उसके अन्तर्गत किसी विधवा को स्व–रोजगार देकर सहायता की जा सकती है। उसकी उसके बच्चों को रोजगार के अवसर और मुफ्त शिक्षा प्रदान करके सहायता की जा सकती है। यह योजना महिलाओं को केवल सामाजिक स्वतंत्रता देने के लिये है। इसी प्रकार, एक और योजना है, वह है मुवालूर रामामरुथम अम्मांयर विवाह योजना जो प्रत्येक दुल्हन को 10,000/– रुपये की सहायता प्रदान कर रही है। किन्तु इसकी एक शर्त है कि वह दुल्हन विशेष, लड़की, महिला कम से कम आठवीं कक्षा पास होनी चाहिये। यहां शिक्षा पर जोर, अप्रत्यक्ष रूप से लड़कियों की शिक्षा के लिये भी मजबूर करता है। अतः वह शिक्षा को बढ़ावा देने की सलाह देते हैं, जो बहुत बड़ी बात है।

अकेले इसी वर्ष में अर्थात् 1998–99 में, तमिलनाडु सरकार ने इस विवाह योजना के लिये 53 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। अगले वर्ष, इसे 60 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।

महोदय हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है। वह "कानून के समक्ष समानता" के बारे में कहता है। अनुच्छेद 15(1) में यह लिखा है और मैं उद्धृत करता हूं :

"राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।"

यहां हमारे पूर्वजों ने महिलाओं और पुरुषों के बीच किसी असमानता का उपदेश नहीं दिया है। उन्होंने सभी के मध्य समानता स्थापित की है। उन्होंने किसी भी प्रकार का लिंग–भेद नहीं किया। किन्तु अब हमें यहां संसद में, महिलाओं पर अत्याचार की चर्चा क्यों करनी चाहिये ? इसका कारण यह है कि महिलाओं के रूप, उनके शरीर के गठन और भौतिक प्रकृति द्वारा उन पर अत्याचार होते हैं। महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व है। महोदय, कुछ समय बाद निकट भविष्य में हो सकता है हम महिलाओं द्वारा पुरुषों विशेष रूप से सरकार पर अत्याचार की चर्चा कर रहे हों। मैं नहीं जानता।

महोदय, हमारे आस–पास क्या हो रहा है ? महिलाएं, हमारी बहिनें अपने अधिकारों के लिए संसद में और इसके आस–पास संघर्ष और आंदोलन कर रही हैं। जहां तक जनसंख्या का संबंध है उनकी संख्या 50 प्रतिशत है। हम उन्हें संसद और विधान सभाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं देते ? एक तिहाई स्थानों के आरक्षण के लिए भी वे संघर्ष कर रही हैं उसकी मांग कर रही हैं। क्या पुरुषों की ओर से यह उचित किया जा रहा है ? क्या पुरुष सांसद द्वारा इस संविधान (संशोधन) विधेयक को महीनों तक लटकाना उचित है ? इसका कारण विपक्ष की गलती नहीं किन्तु ऐसा सत्तारूढ़ दलों की गलती और आलसी दृष्टिकोण के कारण है। महोदय, क्या यह लोकतांत्रिक क्षेत्र में अत्याचार नहीं है ? मैं यह जानना चाहता हूं। संसद से बाहर उनकी 50 प्रतिशत जनसंख्या है। संसद में उनकी संख्या केवल 12 प्रतिशत है। क्या यह असमानता नहीं है।

अब मैं धर्म के नाम पर अत्याचारों के मुद्दे पर आता हूं। क्या

आपने किसी हिन्दू मंदिर में महिला पुजारी द्वारा हिन्दू देवी–देवताओं की पूजा करवाते देखा है ?

इन बातों को ध्यान में रखते हुए डॉ. कलायंगि करुणानिधि ने 1970 में एक कानून बनवाया था। जिसमें यह प्रावधान था कि अनुसूचित जाति के पुजारी जो अगमा के नियम जानते हों हिन्दू मंदिरों के गर्भ–गृहों में पूजा करेंगे। किन्तु दुर्भाग्यवश हमारे उच्चासीन मित्रों ने इसे अस्वीकार कर दिया था।

मेरा अगला मुद्दा सामाजिक प्रथाओं जैसे विधवा पुनर्विवाह पर रोक द्वारा अत्याचारों के बारे में है। यदि 16, 17 या 18 साल की कम उम्र में किसी लड़की के पति की मृत्यु हो जाती है। हिन्दू धर्म की प्रथाएं उसे पुनर्विवाह की अनुमति नहीं देती हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के ज्योति बा फूले और तमिलनाडु के थंथाई पेरिया ई. वी. रामास्वामी नैकर जैसे समाज सुधारकों ने विधवा–पुनर्विवाह के लिए उपदेश दिए। इसको अब और अधिक बढ़ावा डॉ. करुणानिधि दे रहे हैं।

जाति–प्रथा स अत्याचार होते हैं। केरल में जब राज्य को ट्रावणकोर प्रिंसली स्टेट के नाम से जाना जाता था उस समय अनुसूचित जाति की किसी भी महिला को ब्लाउज अथवा जैकेट पहनने की अनुमति नहीं थी। क्या यह एक घृणित अपराध नहीं है ? उस समय अनुसूचित जाति की महिलाओं ने धर्म–परिवर्तन किया। वे अन्य किसी धर्म में चली गईं। इसके बावजूद भी ट्रावणकोर की महारानी ने महिलाओं को उनके आवास की ओर बढ़ने पर पाबन्दी लगा दी थी। तत्पश्चात् मद्रास के राज्यपाल ने रानी को हिदायत दी कि वह महिलाओं को जैकेट पहनने की अनुमति दे।

यदि आप अपराध दर के अखिल भारतीय आंकड़ों पर दृष्टिपात करें तो आप देखेंगे कि 1996 में भारत भर में महिलाओं पर अत्याचार के 1,06,720 मामले दर्ज किए गए जिनमें से 12,661 मामले बलात्कार के थे, अपहरण के 13,003 मामले, दहेज मृत्यु के 5,250 मामले, प्रताड़ना के 30,514, छेड़खानी के 26,600 मामले, छींटाकशी के 12,172 और विशेष कानून के अन्तर्गत 6,523 मामले दर्ज किए गए। 1996 में अकेले महाराष्ट्र में 15,815 मामले दर्ज किए गए जो कि 18.1 प्रतिशत हैं। राजस्थान ने 10,603 मामले दर्ज किए जो कि 21.6 प्रतिशत हैं, अकेले दिल्ली में 2,719 मामले दर्ज किए गए जो कि 23.1 प्रतिशत हैं। किन्तु तमिलनाडु में केवल 8,512 मामले दर्ज किए गए जो कि 14.5 प्रतिशत हैं। यह हमारे नेता डॉ. कलायंगिर करुणानिधि की प्रशासनिक योग्यता को दर्शाता है।

इससे पूर्व कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें महिला कल्याण के सार्थक प्रयास करने चाहिए, हमें शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी में उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए और हमारी महिलाओं में वैज्ञानिक समझ–बूझ भी होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार मानती हूं कि बालू जी ने अपना भाषण समाप्त कर दिया और मुझे एक–दो मिनट बोलने का अवसर मिल गया, यह मेरा सौभाग्य है। मैं इस विषय पर दुःख के साथ बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। बहन गीता जी ने महिलाओं पर बढ़ते हुए उत्पीड़न की घटनाओं की चर्चा करने का विषय यहां प्रस्तुत कर बहुत अच्छा किया और हमें इस विषय पर अपने विचार रखने का अवसर मिल गया। मैं इसके लिए उन्हें बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदय, मैं इस सदन में बैठे हुए सभी बंधु और भगिनियों और देश की जनता से पूछना चाहती हूं कि आजादी के 50 साल के बाद इस विषय पर आज इस सदन में चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ी ?

अपराह्न 3.00 बजे

क्या यह देश वही है जहां, गार्गी, मैत्रेई, भानुमती जैसी विदूषियां उत्पन्न हुई हैं। महिलाएं अबला नहीं हैं। इस देश की संस्कृति साबित करती है कि जब–जब समय आया तब–तब महिलाओं ने शास्त्रार्थ भी किया और शस्त्र भी उठाये। महिलायें कभी कमजोर नहीं रहीं, कभी पीछे नहीं किन्तु थोड़े समय से हम देख रहे हैं कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आ रही है। मुझे याद आता है कि हम बोलने में तो बहुत कुछ बोलते हैं।

अपराह्न 3.01 बजे

[श्री वी. सत्यमूर्ति पीठासीन हुए]

यहां जो बन्धु सदस्य बोले, वे अच्छा बोले। उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में महिलाओं की स्तुति की, लेकिन मैं उन सब बन्धुओं से पूछना चाहती हूं कि जब यहां महिलाओं के आरक्षण से संबंधित बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तब यह सब स्तुति करने वाले लोग कहां गये थे ? आपने महिलाओं के इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से सहमति क्यों नहीं दी, यह मैं सदन में बैठे हुए सब बन्धुओं से पूछना चाहती हूं। जो यहां बोले, वे तो चले गये हैं किन्तु वे कहीं–न–कहीं इस बहस को जरूर सुनते होंगे, इसे मैं जानती हूं। हमने इतिहास पढ़ा है। इस भव्य भारत में महिलाओं की स्थिति ऐसी क्यों हुई, इसके बारे में हमें मालूम है। मध्यकालीन समय में कई आक्रांताओं ने हमारे देश पर आक्रमण किया और इस देश की संस्कृति को मिटाने की कोशिश की। अभी हमारी बहन श्रीमती सुमित्रा महाजन ने इस बारे में बहुत कुछ कहा। उस समय महिलायें ही उनके आक्रमण की शिकार हुईं। मध्यकालीन युग में उन्होंने पनघट पर कोई सुंदर स्त्री देखी, तो वे उसे उठाकर ले गए। किसी घर में सुंदर बेटी या बहू को देखा, उसे उठाकर ले गए! मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि इस देश की संस्कृति ने भी महिलाओं का गौरव बढ़ाया है। मध्यकालीन युग में जो आक्रांता आये, उसी के कारण हमारे समाज में कई विकृतियां आईं जैसे बाल–विवाह आदि। यदि बेटी का अपहरण हो जाता था, तो उसके पिता को चिन्ता हो जाती थी इसलिए उन्होंने बाल–विवाह करना शुरू कर दिया। इसी तरह घूंघट निकालने की प्रथा थी, वह भी इसी कारण इस देश की

[श्रीमती भावना कर्दम दवे]

संस्कृति में आई। पहले देश में महिलाओं को मातृ के रूप में देखा जाता था लेकिन आज इसी देश में महिलाओं को वस्तु के रूप में देखा जाता है। मुझे याद आता है कि इस देश की संस्कृति क्या थी। यहां पर महाराष्ट्र के बन्धु और भगनी बैठी होंगी। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि वे इतिहास के पन्ने पलटें और छत्रपति शिवाजी की गाथा को देखें जो हमें आज भी याद है और याद रखनी चाहिए। उनका एक सेनापति अहमद नगर की पुत्रवधु को नजराने के तौर पर शिवाजी के सामने लिए लेकर आया। उस समय छत्रपति शिवाजी ने क्या बोला, वह आपको याद होगा। उन्होंने उस सेनापति को कहा कि ऐसी भूल कतई न करना। यदि फिर ऐसी भूल होगी तो इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। आपने अपने शिवा को इतना गया–गुजरा क्यों समझा ? क्या आपका शिवा इतना चरित्रहीन है ? बाद में शिवाजी ने अहमद नगर की पुत्रवधू को मातृ के स्वरूप में देखा। उसकी सुंदरता को पूजा और बहुत सम्मान से अपने शौहर...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकांता पाटील (हिंगोली) : वह कल्याण सूबेदार की बहू थी जिसे नजराने के तौर पर शिवाजी के सामने पेश किया गया था तथा शिवाजी ने उसकी सुंदरता को देखकर कहा था :

"शीच आमुची माता असली सुंदर रूपवती,
आम्हीही असेच झालो असतो वदलें छत्रपति।।"

श्रीमती भावना कर्दम दवे : ज्ञानवर्धन के लिए धन्यवाद। शिवाजी ने कहा कि मेरी मां भी ऐसी सुंदर होती तो मैं भी कुरूप न होकर रूपवान होता। उन्होंने इतनी इज्जत की। जिस देश की संस्कृति में महिलाओं को माता के स्वरूप में देखा जाता है, उसी देश में आज उनके उत्पीड़न का काम शुरू हो गया है। मैं एक घटना यहां रखना चाहती हूं।

अभी थोड़े दिन पहले दक्षिण गुजरात में बारडोली नाम के एक गांव में बालिका का अपहरण हुआ। पता चला है कि उस बालिका का अपहरण करके उसका दर्मांतरण किया गया। मैं उस बालिका का नाम भी बता सकती हूं, उस बालिका का नाम वर्षा सेठ है। उसे स्कूल से फुसलाकर ले गए, दर्मांतरण हुआ और दस महीने बाद जब उसकी संतान पैदा हुई तब उसे उसके गांव में लाया गया। यदि ऐसी ही घटनाएं चलती रहेंगी तो कौन मां अपनी बेटी को स्कूल और कालेज में पढ़ने के लिए भेजेगी। हम कहते हैं कि हमारे देश में निरक्षर महिलाएं हैं, उनकी शिक्षा का प्रश्न है, उनके स्वास्थ्य का प्रश्न है। इस ओर जरूर ध्यान देना होगा वर्ना इस देश में महिलाएं और भी निरक्षर रहेंगी। हम जानते हैं कि हमारी बेटी, बहुओं की सलामती नहीं है, सामाजिक शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है। उपभोक्तावाद के कारण महिलाओं ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मैं मध्यम वर्ग की बात कहती हूं। अपने कुटुम्ब का आर्थिक बोझ कम करने के लिए महिला नौकरी करने बाहर जाती है। अभी हमारे बन्धु महोदय ने देवी और दासी की बात की। मैं उन महोदय से कहना चाहती हूं कि महिला महिला है, महिला न देवी है, न दासी है, महिला इस देश की मातृ शक्ति है और यह मातृ शक्ति अपनी जिम्मेदारी समझकर जब अपने घर का आर्थिक बोझ सहन करने के लिए बाहर जाती है तब उसका जातीय शोषण होता है। जातीय शोषण न केवल नौकरी के स्थान पर होता है बल्कि घर में भी होता है। कई किस्से हैं लेकिन मैं यहां सभी घटनाएं प्रस्तुत नहीं कर सकती क्योंकि समय कम है। लेकिन एक बात कहना चाहती हूं कि पुरुष भी बाहर काम करता है और महिला भी नौकरी के लिए जाती है। जब महिला दफ्तर से निकलती है तो सोचती है कि घर में जाकर कौन–सी सब्जी बनाऊंगी, बच्चे के लिए यह चीज लानी है, सास और ससुद के लिए यह करना है। ऑफिस के बाहर कदम रखते ही वह अपने घर की चिन्ता करती हुई अपने घर के आंगन में आती है। पतिदेव भी नौकरी करके आए होते हैं परन्तु पतिदेव थककर सोफे में बैठ जाते हैं और महिला रसोईघर में जाती है, महिला घर के सभी सदस्यों की चिन्ता करती है। महिलाओं का शोषण घर में भी हो रहा है। इसलिए हमारे माननीय सदस्य ने जो दासी शब्द का प्रयोग किया, दासी शब्द के प्रति मेरा विरोध है। महिलाओं को दासी मत कहो, महिला तो सबकी चिन्ता करती है। ओ॰ बी॰ सी॰ महिला को दासी कहकर आप उसका अपमान न करें, महिलाओं को जाति में न बांटें, महिलाओं को धर्म में न बांटें, इस देश की सभी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, हमें सबकी चिन्ता करनी चाहिए।

शिक्षा और स्वास्थ्य में भी महिलाएं बहुत पीछे हैं। नई पीढ़ी को जन्म देने वाली महिला का यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो इस देश को कैसी नई पीढ़ी मिलेगी। हमारे यहां कहा गया है कि एक मां सौ शिक्षक के बराबर होती है। किन्तु यदि महिला पढ़ी–लिखी नहीं होगी तो वह अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देगी। जातीय उत्पीड़न के कई मामले ऐसे होते हैं जो कहीं दर्ज नहीं होते, अदालत में नहीं जाते। मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि कभी–कभी ऐसा होता है कि जब महिला अदालत में जाती है और वकील के पास अपने केस के बारे में चर्चा करती है तो वकील तो क्या जज भी उसका मजाक उड़ाता है, सब मिलकर हंसते हैं।

हमारी और महिला सदस्यों को भी बोलना है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि महिला उत्पीड़न की समाज में जो समस्या है, उस समस्या के प्रति अब हमारा रवैया बदलना होगा, पुरुषों को हमारी मानसिकता बदलनी होगी। मैं सबसे विनती करती हूं कि हम 50 प्रतिशत नहीं मांगते, 33 प्रतिशत मांगते हैं। यह कोई भीख नहीं है, यह अधिकार है। आप महिला बिल को इसी सत्र में इंट्रोड्यस होने दें। इस सम्मान से इस देश की 60 प्रतिशत महिलाओं का सम्मान होगा, इस संसद की गरिमा बढ़ेगी, अगर यह महिला आरक्षण बिल पास होगा।

मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने दिया।

[अनुवाद]

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : महोदय, इस सभा में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा हो रही है और सत्तापक्ष की

ओर से कोई भी मंत्री नहीं है इससे महिलाओं जो कि 50 प्रतिशत से भी अधिक हैं के मामले में उनकी अरुचि स्पष्ट है।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय गृह मंत्री सदैव उपस्थित रहते ही हैं, किन्तु इस समय वह माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ नेताओं की बैठक में गए हैं।

श्री मोतीलाल वोरा (राजनंदगांव) : महोदय, यद्यपि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है उन्होंने इसे अत्यन्त हल्का-फुल्का सा लिया है।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : महिलाओं के बारे में पुरुषों के भी कुछ अच्छे विचार हैं, इसलिए कुछ पुरुषों को भी बोलने का मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे पुरुष दुष्ट हैं।

[अनुवाद]

कुमारी किम गंगटे (बाह्य मणिपुर) : माननीय, सभापति महोदय, चूंकि यह विशेषकर महिलाओं का मामला है, क्या मुझे भी बोलने का अवसर दिया जा सकता है ? धन्यवाद।

महोदय, महिला विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने के लिए इतने कठोर संघर्ष के बाद आज हमें कुछ समय महिलाओं पर अत्याचार पर चर्चा करने के लिए आबंटित किया गया है और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।

मुझे अफसोस है कि सभा में आज सदस्यों की संख्या पूरी नहीं है। जिस दिन महिला विधेयक पुरःस्थापित किया जाना था ! सभा पूरी तरह खचाखच भरी थी किन्तु आज जब महिलाओं के मामले पर चर्चा हो रही है। तो मैं देख रही हूं कि एक भी कतार पूरी तरह भरी नहीं है।

मैं एक अतयन्त गम्भीर प्रश्न पूछना चाहती हूं। वास्तव में यह एक सच है। कोई भी इसे किसी तरह ले। इस सभा में और इस विश्व में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो कि किसी महिला से पैदा ना हुआ हो। इस पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति महिला से पैदा हुआ है। यदि ऐसा है तो फिर हमसे भेदभाव क्यों ? हमें हीन दृष्टि से क्यों देखा जाता है ? हमें संघर्ष क्यों करना पड़ता है जबकि हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं ? आज हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ाई क्यों लड़नी पड़ती है ?

आज जब हमारा देश, भारत मानव अधिकारों का हामी होने का दम भरता है—मानव अधिकार महिलाओं के अधिकार हैं—मैं नहीं समझती कि हम बहुत अधिक मांग रहे हैं। समग्र रूप से नारी को मात्र वस्तु समझा जाता है। महिलाएं हमारी कुल जनसंख्या का आधा हिस्सा हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आज हम अपने अधिकार मांग किससे रहे हैं। मुझे दुःख है कि कुछ तत्व महिलाओं को समुदाय जाति, पार्टी और धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं एक पिछड़े राज्य से हूं तथा पिछड़ी जाति से सम्बन्ध रखती हूं। मैं एक जनजातीय महिला हूं। मैं अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र से हूं।

क्योंकि मैं एक महिला हूं इसलिए ऐसा कह रही हूं। कृपया हमें और अधिक इस अवसर पर न बांटें। महिलाएं सामान हैं, सामान रहेंगी, हमारे दुख-दर्द और खुशी की भाषा सामान है। महोदय, मुझे यह स्मरण करके दुःख होता है कि उस दिन इस सम्मानीय सभा में सैकड़ों व्यक्ति उस विधेयक को पेश करने के विरोध में बहुत कुछ बोले और चिल्लाते रहे।

मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। यदि वे अन्य पिछड़े वर्गों तथा पिछड़ी जनजातियों के मेरे जैसे लोगों के मसीहा बनते हैं तो उन्होंने विधान सभा सीटों के लिए चुनाव लड़ने के लिए उन्हें टिकट क्यों नहीं दिये। मैं तुरंत अंगुलियों पर गिनकर बता सकती हूं कि मेरे राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों या जनजातियों की तथा अत्पसंख्यक समुदायों की कितनी महिलायें विधान सभा के सदस्यों के रूप में निर्वाचित हुई हैं। इससे पता लगता है कि यह महान भारत पूर्ण आर्थिक विकास के लिए महिलाओं के साथ 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने के लिए अभी तैयार नहीं है। हमें महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिये ताकि सम्पूर्ण देश प्रगति और विकास करे और 21वीं सदी में प्रवेश करे। आज महिलाएं ही ऐसी हैं जो कष्ट भोग रही हैं। मेरे राज्य में स्थिति भिन्न नहीं है चाहे ये महिलाएं शिक्षित या अशिक्षित हैं तथा चाहे ये अमीर हैं या गरीब। हम एक ही भाषा बोलते हैं। जब मैं किसी असहाय व्यक्ति को सड़क के किनारे पड़ा हुआ देखती हूं और उसकी मां को रोते देखती हूं, तो मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हालांकि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानती लेकिन फिर भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इससे पता चलता है कि हम महिलाएं एक ही भाषा बोलती हैं। इसलिए हमें विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी को भी हमें इस मुद्दे पर विभाजित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

जब मैं मणिपुर में अपने निर्वाचन क्षेत्र में गई तो वहां मैंने जेलों का दौरा किया। मैंने सेंट्रल जेल का दौरा किया। मैंने वहां कई महिलाओं को देखा जिन्हें भिन्न-भिन्न अपराधों के लिए पकड़ा गया था। मेरा दिल भर आया। मैं केवल एक ही उदाहरण दूंगी। एक महिला ने अपनी बेटी की शादी करी। उसके पति ने उसे इतनी यातनाएं दी कि वह इसे और अधिक सहन न कर सकी। उसकी मां तथा उसने उस आदमी से लड़ाई की तथा उसे मार दिया। अब वे अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन मां-बेटी अब जेल में सड़ रही हैं। मां की उम्र 72 वर्ष है। मैंने कुछ अधिकारियों से मामले की जांच-पड़ताल करने को कहा। जेल में रहते हुए उन्हें साढ़े बारह वर्ष हो गये हैं। उन पर पति की हत्या का आरोप लगाया गया है लेकिन हम इस बात की अनदेखी नहीं कर सकते कि यह हादसा क्यों हुआ। जब महिलाएं अपनी यातनाओं की और अधिक सहन नहीं कर पाती तब वे अपने दांतों तथा नाखूनों का प्रयोग करती हैं और जब कुछ घट जाता है, तब उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है तथा उनके मामलों की जांच पड़ताल नहीं की जाती है।

महोदय, जब वर-वधू विवाह करते हैं तो मेरे विचार से उनके

[कुमारी किम गंगटे]

बीच कोई ऐसा वायदा नहीं होता है कि यदि महिला बच्चे को जन्म नहीं देगी, तो उसे तालाक दे दिया जायेगा। मेरे विचार से उन दोनों के बीच ऐसा कोई वायदा नहीं होता है। जब एक महिला बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होती है तो पुरुष को नई खरीद करने की सूझती है। महिला को पीछे छोड़ दिया जाता है। उसे बिना कुछ दिये ही तलाक दे दिया जाता है। यदि ऐसा हो रहा है, तो मैं इसके लिये सभी पुरुषों को दोष नहीं दे रही हूं। मैं तो केवल उन व्यक्तियों के बारे में बोल रही हूं जो महिलाओं के साथ इस प्रकार के अपराध करते हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

कुमारी किम गंगटे : मुझे खेद है कि घंटी कुछ पहले ही बजा दी गयी है। हमें और अधिक समय दिया जाना चाहिए ताकि हम इस सभा में बोल सकें। यहां महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। महिलाओं में विशेष अच्छाइयां हैं जो भगवान ने उन्हें प्रदान की हैं। उनमें परिस्थिति के अनुकूल स्वयं को ढालने का गुण, अधिक सहन–शक्ति तथा प्रेम जैसे विशेष गुण हैं। आज हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। हमारी तो केवल 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग है। वास्तव में, व्यक्तिगत तौर पर, मैं तो यही कहूंगी कि आरक्षण 50:50 के अनुपात में होना चाहिए क्योंकि हमारी जनसंख्या भी 50 प्रतिशत है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से आदर के साथ कहना चाहती हूं कि पुरुषों को तो बहुत खुश होना चाहिए कि हम केवल 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं।

हम देख रहे हैं कि कौन–सी पार्टी महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी विधेयक को पारित करने के खिलाफ है। अगली बार किसी भी महिला को उस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। जो कोई भी इस विधेयक को पारित करने के खिलाफ है उस पर ध्यान दिया जाये। मेरे विचार से उस वयक्ति के निर्वाचन क्षेत्र की महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति अवगत कराया जाये। हम महिलाओं को अवगत करायेंगे कि ऐसे किसी व्यक्ति को चुना न जाये। महिलाओं द्वारा उसे वोट न दिये जायें। फिर हम देखेंगे कि वह महिलाओं के वोटों के बिना कैसे निर्वाचित होता है।

आज हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन महिलाएं कोई ज्यादा नहीं मांग रही हैं। यह कुछ मांगने जैसा नहीं है। हम तो केवल अपने अधिकारों को मांग रहे हैं। हमारे अधिकार हमें दे दिये जायें। यह महान देश इस विधेयक को पारित करने वाला पहला देश होना चाहिए ताकि संसार के अन्य देश हमें देख सकें तथा उन्नति और विकास के लिए हमारे नक्शे कदम पर चल सकें।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : सभापति महोदय, हम लोगों पर अत्याचार हो रहा है। हम भी महिलाओं के समर्थन में बोलना चाहते हैं।

डॉ. शकील अहमद (मधुबनी) : सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि 33 प्रतिशत पुरुषों के लिये और 66 प्रतिशत रिजर्वेशन महिलाओं के लिये किया जाये।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : सभापति महोदय, साढ़े तीन बजे प्राइवेट मैम्बर्स बिल शुरू हो जायेगा। इनको न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि 5–7 मिनट बाकी रह गये हैं।

डॉ. प्रभा ठाकुर (अजमेर) : सभापति महोदय, गीता जी ने नियम 193 के अधीन एक महत्वपूर्ण विषय सदन में चर्चा के लिये रखा है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में बराबर बढ़ोत्तरी हो रही है जिस पर आज संसद में हम लोग विचार कर रहे हैं। इस सदन में जितने हमारे पुरुष सांसद साथी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी यह पुरुष बनाम स्त्री का मुद्दा नहीं है। यह केवल महिला की बात नहीं, सारे राष्ट्र का विषय है। मैं पुरुष वर्ग से जानना चाहती हूं कि उन्होंने इस विषय में क्या सोचा है, क्या विचार किया है और अपनी तरफ से क्या समाधान देना चाहते हैं ?

सभापति जी, आज आजादी के 50 वर्ष बाद भी वाकई यह बड़ी शोचनीय स्थिति है जिसके बारे में यहां पर आंकड़े दिये जा चुके हैं। कांग्रेस के नेता शरद पवार जी, गीता मुखर्जी जी और अन्य सदस्यों द्वारा जो बातें यहां रखी जा चुकी हैं, मैं नहीं चाहती कि उनको दोहराऊं और न ही मैं ज्यादा इतिहास की बात करना चाहती हूं। मैं आज के संदर्भ में बात करना चाहती हूं, आज के समय की बात करना चाहती हूं जहां आजादी के 50 वर्ष बाद भी महिलाएं इस देश की 50 फीसदी नागरिक होने के बावजूद शोषण, आत्मपीड़न और उत्पीड़न की स्थिति को भुगत रही हैं।

मैं कुछ उन पक्षों का भी उल्लेख करना चाहूंगी कि इस देश में अर्द्धनारीश्वर के स्तम्भ की परिकल्पना की गई है। इस देश में अर्द्धनारीश्वर का स्वरूप ही इस बात का प्रतीक है कि यहां स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से प्रकृति में भागीदार हैं, दोनों के समान अधिकार हैं। जिस देश में यह कहा गया–"यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता"–जिस देश में यह दर्शन रहा, उस देश में कालान्तर में महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय और शोचनीय हुई कि मैथिलीशरण गुप्त जी को लिखना पड़ा–

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आंचल में है दूध और आंखों में पानी।"

गुप्त जी की कविता में यह दुखद चित्रण है और आजाद हिन्दुस्तान की महिलाएं इस स्थिति को भुगत रही हैं। आज भी यह स्थिति है कि हमारे राजस्थान में पुत्र उत्पन्न होने पर कई जगह थाली बजाते हैं वरना कई जगह छाजल बजाया जाता है।...*(व्यवधान)*

श्री रामानन्द सिंह : जब पुत्र होता है तो आप लोग सोहर गाने लगती हैं, खुशी के गीत गाती हैं और जब लड़कियां होती हैं...*(व्यवधान)*

डॉ. प्रभा ठाकुर : आप व्यवधान न करें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों टोक रहे हैं। मैं आप पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप

नहीं कर रही हूं। जब आपको बोलने का अवसर मिले तब आपको जो कहना है कहें। मैं उसी बात को अपने तरीके से कह रही हूं।

यदि हम स्त्री–शोषण के सौ वर्ष के इतिहास को गंभीरता और गहराई से जानना चाहें तो जहां से गीता जी आती हैं, बंगाल की सुप्रसिद्ध लेखिका आशापूर्णा देवी का तीन किश्तों में एक बृहत् उपन्यास है–प्रथम प्रतिश्रुति, स्वर्णलता और वकुल कथा, जिसमें स्त्री के शोषण के सौ वर्ष के इतिहास का उल्लेख है, उसकी स्थिति बताई गई है। लड़की बचपन से ही इस वातावरण में पलती है, उसे बचपन से ही कहा जाता है कि यह पराया धन है। उसके दिमाग में बात भरी जाती है कि वह पराया धन है और वह विवाह के बाद महसूस करती है कि उसकी अपनी कोई जगह नहीं हो सकी। वह पहले पिता के घर में रही, फिर पति के घर में रही और फिर बुढ़ापे में पुत्र के घर में रही। उसका अपना कुछ कहने को नहीं है और वह तब तक नहीं बन सकता जब तक कि पति के घर की संपत्ति में, पति के नाम की संपत्ति में उसकी आधी भागीदारी न हो, तब तक उसे कोई संरक्षण नहीं दे सकता, तब तक उसके अधिकार बेमाने हैं और तभी वह इस असुरक्षा की भावना से उबर सकती है। उस स्थिति में कोई पति हर बात पर धमकी देकर पत्नी का परित्याग नहीं कर सकता, उसको अपशब्द नहीं कह सकता। अगर पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को यह बात समझ में आएगी कि मेरी संपत्ति में स्त्री भी आधे की अधिकारिणी है तो वह समझ जाएगा कि पत्नी को छोड़ने पर उसकी आधी संपत्ति भी जाएगी। वह इस भय से ही पत्नी को नहीं सताएगा। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि 'भय बिन प्रीति न होय गुसाईं'। इसलिए वह स्त्री के मान–सम्मान का ध्यान रखेगा और वह अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेगी।

हम स्त्रियों पर हो रहे शोषण और उत्पीड़न को मोटे तौर पर तीन भागों में बांट सकते हैं–आर्थिक शोषण, मानसिक और दैहिक शोषण।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द) : सभापति महोदय, साढ़े तीन बजे से प्राइवेट मेम्बर्स बिज़नेस शुरू होना था। कृपया समय बढ़ा दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस पर समय होने पर चर्चा होगी। अभी इसकी चर्चा के लिए 30 सेकेण्ड बाकी हैं।

[हिन्दी]

डॉ. प्रभा ठाकुर (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि हम वीमेन्स बिल की बात करते हैं, लेकिन स्त्री की आजादी के बारे में नहीं सोचते हैं। इस देश में स्त्री तब तक आजाद नहीं हो सकती है जब तक कि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न हो जाए। लेकिन कानून में तलाक के बाद स्त्री को पांच सौ रुपये का दान देने का प्रावधान है। यह तो वही स्थिति है जैसे कि विवाह के समय कन्यादान कर दिया जाता है, उसी तरह यह भी रखा है कि परित्याग या तलाक के बाद पांच सौ रुपये की व्यवस्था कर दी गई है। क्या यह पर्याप्त है ? इस पर सरकार की ओर से कुछ होना चाहिए ताकि स्त्री को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री वी. सत्यमूर्ति) : माननीय सदस्य श्रीमती ठाकुर सोमवार को अपना भाषण जारी रख सकती हैं।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिन्नूर) : महोदय, यह चर्चा सोमवार को जारी रखी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है। महिलाओं पर अत्याचार संबंधी चर्चा सोमवार को जारी रहेगी। अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : कृपया सदस्य अब यह मत कहना कि इसे गैर–सरकारी सदस्यों के कार्यक्रम के बाद जारी रखा जाये।

अपराह्न 3.30 बजे

पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक*

(धारा 5 आदि का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द) : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.31 बजे

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*

(अनुसूची का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–दो, खंड–2, दिनांक 24.7.1998 में प्रकाशित।

करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.32 बजे

[अनुवाद]

पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (संशोधन) विधेयक*

(धारा 11 का संशोधन)

श्री रवि सीताराम नायक (पणजी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में और संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में और संशोधन करने वाला एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रवि सीताराम नायक (पणजी) : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.32 1/2 बजे

पेटेंट (संशोधन विधेयक)*

(धारा 53 का संशोधन)

[अनुवाद]

डॉ. सरोजा वी. (रासीपुरम) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि पेटेंट अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाला एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–दो, खंड–2, दिनांक 24.7.1998 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पेटेंट अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाला एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

डॉ. सरोजा वी. : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.33 बजे

[अनुवाद]

चिकित्सा व्यवसाय (विनियमन) विधेयक*

डॉ. सरोजा वी. (रासीपुरम) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि इस देश के नागरिकों को उपलब्ध सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कराने की दृष्टि से चिकित्सा व्यवस्था विनियमित करने वाला एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश के नागरिकों को उपलब्ध सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दृष्टि से चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करने वाला एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

डॉ. सरोजा वी. : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.34 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 16 का अंतःस्थापन)

[अनुवाद]

डॉ. सरोजा वी. (रासीपुरम) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाला एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाला एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

डॉ. सरोजा वी. : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–दो, खंड–2, दिनांक 24.7.1998 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.35 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक–जारी

(अनुच्छेद 15 का संशोधन इत्यादि)

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, मुझे आरक्षण नीति के कुछेक महत्वपूर्ण पहलुओं संबंधी इस विधेयक को प्रस्तुत करने का अवसर और विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो विधेयक मैंने प्रस्तुत किया है उसका उद्देश्य, जैसा कि विभिन्न राज्यों में आज की स्थिति है, आरक्षण की सीमा और आरक्षण नीति का पालन करना है। मैं न्यायालय के निर्णय के उत्पन्न कुछेक मुश्किलों का उल्लेख किया है। मेरे विधेयक का उद्देश्य इन मुश्किलों को दूर करना है।

जहां तक आरक्षण नीति, जैसी कि यह वर्तमान में विभिन्न राज्यों में है, कि सुरक्षा करने के प्रश्न का संबंध है मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार इसके प्रति वचनबद्ध है। शासन की राष्ट्रीय कार्य–सूची में, हमारे पास पैरा 30 है। इसमें कहा गया है :

> "अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा समुचित विधिक, कार्यकारी और सामाजिक और व्यापक शिक्षा एवं शक्ति प्रदान करने के प्रयासों से की जायेगी। हम राज्य स्तर पर शैक्षिक संस्थाओं में मौजूदा आरक्षण प्रतिशतता को कानूनी सुरक्षा प्रदान करेंगे।"

उच्चतम न्यायालय के पहली ही सुनवाई में यह बता दिया है कि 'आरक्षण की सीमा' 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 'आरक्षण' से मेरा तात्पर्य है 'सेवा और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण'। इससे बड़ी मजेदार स्थिति उत्पन्न हो गई है उदाहरणार्थ तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण है।

सभापति महोदय : कर्नाटक ने 73 प्रतिशत आरक्षण का अनुरोध किया है।

श्री जी. एम. बनातवाला : सभापति महोदय, धन्यवाद।

आरक्षण की सीमा और नीति का यह सारा मामला ही गड़बड़ा गया है। इस प्रश्न से आरक्षण सूची से किसे हटाया जाना चाहिए, न केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी अपितु इससे सामाजिक अन्याय को बढ़ावा मिलेगा।

जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि दक्षिण राज्यों में आजादी के काफी पहले से भी आरक्षण की व्यवस्था रही है। मेरे विधेयक में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य को अपनी परिस्थिति के अनुसार आरक्षण की सीमा निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसी प्रकार की नीति होनी चाहिए। यहां तक कि मेरे द्वारा पहले उल्लिखित मामले में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों ने भी कहा था कि सामाजिक परिस्थितियों का निर्धारण और इनके प्रति सरकार और विधायिका की प्रतिक्रिया का आंकलन करना न्यायाधीशों का काम नहीं है। लेकिन यह परिस्थिति न्यायिक निर्णयों के कारण आई है। संसद को इस तथ्य का संज्ञान होना चाहिए।

मुझे तमिलनाडु जाने का कई बार अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूर्व मुख्य मंत्री और ए. आई. डी. एम. के. की अध्यक्ष कुमारी जयललिता हों या वर्तमान मुख्यमंत्री के. करुणानिधि समेत पूरा तमिलनाडु इस मुद्दे पर एकमत हैं।

वे सामाजिक न्याय की नीति के संरक्षण के लिए सबसे आगे हैं और आरक्षण नीति और आरक्षण की सीमा का राज्य की वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप निर्धारण करने की स्वतंत्रता राज्य को दिए जाने के पक्ष धर भी हैं।

मेरा विधेयक राज्य में विद्यमान परिस्थिति के अनुसार आरक्षण की सीमा का निर्णय करने की राज्यों को पूरी आजादी और अधिकार प्रदान करने के लिए है।

दूसरी बात, 'मलाईदार परत' की अवधारणा को लेकर है। यह एक मिथ्या अवधारण है कि पिछड़े वर्गों में तथाकथित अगड़े आरक्षण की सुविधा का पूरा लाभ हड़प कर जाते हैं और पिछड़े वर्गों में जो पिछड़े हैं, वे आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाते हैं। एक झूठा प्रचार फैलाया जा रहा है कि पिछड़े वर्गों में जो लोग आमदनी के लिहाज से जरा ऊपर हैं। वे आरक्षण के सभी लाभ हड़प लेते हैं और अन्य लोग वंचित रह जाते हैं। यह प्रचार जैसा कि मैंने कहा कि यह मिथ्या भ्रम है। यह एक झूठा प्रचार है और लम्बे समय से फैलाया जा रहा है।

इस संदर्भ में मैं सरकार और सभा का ध्यान दो बड़े महत्त्वपूर्ण कारकों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रथम तो इस तथ्य को मान्यता दी जानी चाहिए और स्वीकार किया जाना चाहिए कि तथाकथित मलाईदार परत के सम्मिलित रहने के बावजूद आरक्षित पद और नियुक्तियों का पूरा कोटा भर नहीं पाता है। यदि यह सच है कि पिछड़ों में अगेड़ा द्वारा सभी आरक्षित पद छीन लिए जाते हैं तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि सभी आरक्षित पद भर नहीं पाते हैं। आरक्षित श्रेणी के काफी बकाया पद है, हमें उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। आरक्षित सभी पद भर नहीं पाते और पद खाली पड़े रहते हैं। अतएव, यह सोचना गलत है कि 'मलाईदार परत' होती है और पिछड़ों में अगड़े आरक्षण के सभी लोगों को हड़प लेते हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न भ्रमपूर्ण 'मलाईदार परत' की अवधारणा को लेकर है। यहां तक पिछड़े वर्गों के तथाकथित अगड़े भी उच्च वर्गों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं। अतः मलाईदार परत के नाम पर उन्हें अलग करने से उनके साथ अन्याय होगा क्योंकि वे लोग भी उच्च वर्गों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम हैं। वे लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे अतः सामाजिक न्याय की नीति दोषपूर्ण रहेगी और उन लोगों के अन्यायपूर्ण भी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इस तथाकथित मलाईदार परत के सम्मिलित रहने के बावजूद पूरा कोटा

[श्री जी. एम. बनातवाला]

भर नहीं पाता और आरक्षित पद रिक्त रहते हैं।

उदाहरण के लिए केरल में पिछड़े वर्ग तथा समुदायों के लिए कल्याण समिति में केरल विधानसभा को प्रस्तुत किए अपने पांचवें तथा छठे प्रतिवेदनों में केरल सरकार में विभागों की ऐसी सेवाओं की एक लम्बी सूची दी है जिनमें आरक्षण कोटा भरा नहीं गया है।

वास्तविकता हमारे सामने है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि पिछड़े वर्गों के तथाकथित अगड़े (मलाईदार परत) अभी भी उच्च वर्गों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। महोदय, न्यायमूर्ति सावंत ने संकेत किया है कि मलाईदार परत के निर्धारण करने के लिए यह मालूम किया जाना चाहिए कि क्या पिछड़े वर्गों में ऐसा वर्ग है जो अगड़ी जातियों के उम्मीदवारों के साथ बड़ी नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं न कि अपने वर्ग के साथ। यहां यह बता देना समीचीन होगा कि संयुक्त राज्य अमरीका में भी 'कालों' के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

श्री रामदास आठवाले : (मुम्बई-उत्तर-केन्द्रीय) : नीग्रो लोगों के लिए।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मुझे डर है क्योंकि कुछ शब्दों को वे लोग पसन्द नहीं करते हैं। अतएव मैं 'कालों' का उल्लेख कर रहा हूं।

इस संबंध में मलाईदार परत की भ्रमपूर्ण अवधारणा के आधार पर किसी को इस श्रेणी से पृथक नहीं किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि यदि पिछड़ापन जाति आधारित है तो सुधारात्मक उपाय भी जाति आधारित होने चाहिए।

अतएव, महोदय, पिछड़े वर्गों में तथाकथित मलाईदार परत पर आर्थिक मानदण्ड को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक में प्रावधान है कि भ्रमपूर्ण मलाईदार परत की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे आरक्षण नीति ही विफल हो जाएगी।

केरल में आरक्षण कोटे को बनाने के लिए एक कानून है और इस अधिनियम की धारा 3, खण्ड (क) के अनुसार पिछड़े वर्गों में सामाजिक रूप से उन्नत कोई वर्ग नहीं है। मैं पुनः रेखांकित करता हूं कि ऐसा उन्नत वर्ग जिसमें अगड़ी जातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। सभापति महोदय, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने अभी भी मलाईदार परत की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया है।

महोदय, तीसरी बात जो मेरे विधेयक में है कि केरल के इस कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में रखा जाना चाहिए। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि राज्य अधिनियम 1995 के अन्तर्गत सेवाओं में नियुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण के केरल राज्य पिछड़ा वर्ग कानून को जो 1995 का अधिनियम 16 है को नौवीं अनुसूची में रखा जाये। ताकि इसे न्यायिक समीक्षा से संरक्षण मिला।

महोदय, इस बात को अवश्य याद रखना चाहिए कि आरक्षण की नीति का एक लम्बा इतिहास है। स्वतंत्रता से पूर्व भी आरक्षण था। केरल के मामले में, त्रावणकोर की भूतपूर्व सरकार ने पिछड़े समुदायों के लिए 1935 में आरक्षण का प्रावधान किया था। भूतपूर्व त्रावणकोर कोचीन राज्य के 1 जुलाई, 1949 को गठन पर, आरक्षण के नियम त्रावणकोर कोचीन राज्य पर लागू किए गए।

मालाबार को ही लें तो वहां आरक्षण 1921 से ही था।

1 नवम्बर, 1956 को केरल राज्य के गठन के बाद, हमारे पास 1957 में एक समान नियम थे। महोदय, अब आरक्षण–नीति, केरल विधान सभा में बनाया गया कानून और अन्य को अब न्यायालय में चुनौती दी जा रही है जिससे सदियों पुरानी और समय की कसौटी पर खरी उतरी आरक्षण नीति गड़बड़ा गई है। सरकार के लिए आवश्यक है कि वह आगे आए और इसे बनाए रखे। तमिलनाडु के मामले में उनका अधिनियम जिसे तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां और जनजातियां (शैक्षणिक संस्थानों में और राज्य के अन्तर्गत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों में सीटों का आरक्षण) अधिनियम, 1993 कहा जाता है। जो 1994 का तमिलनाडु अधिनियम 45 है जिसे पहले ही संविधान 76वां संशोधन अधिनियम, 1994 के जरिए संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। इसी प्रकार, यह मांग की जा रही है कि केरल विधानसभा में बने कानून जिसका मैंने उल्लेख किया है, को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि इसे न्यायिक समीक्षा से आवश्यक सुरक्षा मिल सके और पिछड़े वर्गों और समुदायों को आरक्षण तथा न्याय देने के लिए इस सदियों पुरानी और समय की कसौटी पर खरी उतरी नीति को बनाए रखा जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। मेरे विधेयक का आशय इस केरल विधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करना है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मामले में, पदोन्नति में भी आरक्षण है। इसी प्रकार पिछड़ी जातियों को भी पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना है। ये विभिन्न मुद्दे हैं जिनके आधार पर मैंने यह विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है।

न्याय की सामाजिक नीति आज न्यायालय के कतिपय निर्णयों के कारण दोषपूर्ण हो गई है। राज्यों, राज्य विधान मंडलों और राज्य की कार्यपालिकाओं को सामाजिक तात्कालिक आवश्यकताओं पर निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाए जाना चाहिए। इस विशेष क्षेत्र में न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

इसलिए मैं सरकार और इस सभा से आग्रहपूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे इस तथ्य पर सम्यक विचार करें कि यदि सामाजिक न्याय की नीति दोषपूर्ण होती है या इसमें कोई बाधा आती है तो इससे स्थिति और खराब हो जाएगी और इसका वर्तमान स्थिति में सामाजिक न्याय के लिए कोई योगदान नहीं हो सकेगा।

इसलिए मैं, अपने विधेयक की सभा के विचारार्थ सिफारिश

करता हूं। सरकार इस बारे में वायदे करती रही है। इस तरह की मांग अन्ना डी.एम.के., डी.एम.के. जैसी पार्टियों और केरल और अन्य राज्यों से प्रभावशाली ढंग से आती रही हैं। सामाजिक न्याय की नीति में आरक्षण महत्त्वपूर्ण कारक है। सामाजिक न्याय की नीति को सर्वत्र बनाए रखना है। हमें स्थिति के अनुसार काम करना है। हमें सामाजिक न्याय की इस नीति को बचाना है और हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों को वह न्याय मिले, जिसके वे हकदार हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे विधेयक को सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त होगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति जी, मैं इस बिल को अपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जहां तक मैं समझ पाया हूं इस बिल में बनातवाला साहब एक तो यह चाहते हैं कि 49.5 परसेंट तक रिजर्वेशन को और अधिक बढ़ा दिया जाये, इसे अनलिमिटेड कर दिया जाये, दूसरे सुप्रीम कोर्ट का क्रीमीलेयर के बारे में जो डिसीजन आया है, सोसायटी के जिन हिस्सों को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं।

आज अगर उनकी स्थिति ऐसी बन गयी है कि वे समाज के बाकी लोगों के साथ मुकाबला कर सकते हैं तो उन्हें रिजर्वेशन की लिस्ट से हटा दिया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्रीमीलेयर को इस तरह से डिफाइन किया है। लेकिन यह चाहते हैं कि उस क्रीमीलेयर को भी बीच में से निकाल दिया जाए और पावर्स स्टेट को दी जाएं ताकि वे जितने प्रतिशत भी रिजर्वेशन चाहें वे कर सकें। मैं समझता हूं कि यह हमारे संविधान की जो मूल धाराएं हैं उसका ही विरोध करने वाला यह बिल है। संविधान के अंदर रिजर्वेशन जिस समय शुरू हुई उस समय हमने अम्बेडकर साहब जो हमारे कानून के निर्माता थे और स्वयं दलित परिवार से संबंध रखते थे और उन्होंने समाज की तकलीफें सही थी। उस समय स्कूल के अंदर पढ़ते वक्त भी अलग जगह पर जाकर बैठना पड़ता था। लेकिन इतना सब कुछ सहने के बाद भी उन्होंने दस साल के लिए केवल रिजर्वेशन को रखा था। यह ठीक है कि दस वर्षों के अंदर उनमें तब्दीली आनी चाहिए थी वह नहीं आई। हम आज भी उस रिजर्वेशन की पॉलिसी को जारी रखे हुए हैं।

श्री रामदास अठावले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : हमारे देश में रिजर्वेशन तब तक रहना चाहिए जब तक दलितों और पिछड़ों का स्तर ऊंचा न उठ जाए।

श्री चमन लाल गुप्त : ठीक है, पर आप बार-बार इसको क्यों दोहरा रहे हैं, प्रधान मंत्री इस बात को स्वयं कह चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : वह केवल राजनीतिक आरक्षण था। वह शैक्षिणक नीति के लिए नहीं था।

सभापति महोदय : जब आपकी बारी आएगी, आप इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं।

श्री जोगेन्द्र कवाड़े : ये राजनीतिक आरक्षण थे, जहां तक शैक्षिणक और रोजगार संबंधी आरक्षणों का संबंध है इसके लिए कोई सीमा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : रिजर्वेशन का हमारा जो मकसद था वह यही था कि समाज के दबे हुए लोगों को बराबर लाया जाए और आज भी यही हमारी मंशा है। लेकिन अगर रिजर्वेशन को हम वेस्टिड-इन्ट्रैस्ट बना लें और समाज को इकट्ठा करने के बजाए उसके टुकड़े-टुकड़े करने पर आमदा हो जाएं तो यह बात समाज के हित में नहीं जा सकती है। कुछ लोगों ने तो तय कर रखा है कि संविधान और न्यायपालिका का जो भी निर्णय हो उसको सबवर्ट करते जाएं। शाहबानो केस में न्यायपालिका के फैसले को संविधान के द्वारा हमने सबवर्ट करवाया जिसका नतीजा यह निकला कि आज औरतों पर अत्याचारों की चर्चा हम इस सदन में कर रहे हैं और समाज का एक अंग औरतों को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसको भी यहा से हमने सबवर्ट करवाया। मेरा कहना यह है कि 40 वर्षों के हमारे अनुभवों ने हमें यह बात समझाई है कि हमारे समाज में आज भी 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। एक अच्छे घर में पैदा होने के बाद एक गरीब लड़का जो पढ़-लिखकर 80 प्रतिशत अंक लेता है और उसके मुकाबले में 40-50 प्रतिशत अंक लेने वाला लड़का किसी पोस्ट पर सिलैक्ट हो जाता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसके दिल पर इस बात का क्या असर पड़ेगा। इसलिए जिस धारा के अंदर यह बात कही गयी है।

श्री रामदास अठावले : आप यह कहिये कि 80 प्रतिशत वाला जनरल कंडिडेट होगा और 75 प्रतिशत वाला रिजर्व होगा।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री चमन लाल गुप्त : जहां तक रिजर्वेशन की स्थिति है और विशेष रूप से जिस तरीके से मंडल कमीशन लागू करने के बाद देश में न जाने कितने नौजवानों ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह किया, यह जो प्रतिक्रिया हुई, वह किस बात को लेकर हुई? वह इसी बात से निकली थी कि डिजर्विंग बच्चों को नौकरी देने से इंकार किया जा रहा था। मेरा निवेदन है कि ऐसी स्थिति में जब हम सोचते हैं कि स्टेट को पावर दे दी जाये तो यह गलत है हम अपने देश के संविधान को तोड़ने की बात बिल्कुल न करें बल्कि देश को जोड़ने की बात करें। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री चमन लाल गुप्त]

है, वह एक योग्य फैसला है और उसी के मुताबिक रिजर्वेशन पॉलिसी चलती रहनी चाहिये। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री पटमशिवम राजा (पुडुक्कोट्टई)** : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं डॉ. पुराचा थल्लवी (क्रांतिकारी नेता), सामाजिक न्याय के हिमायती और लोकप्रिय योग्य नेता जो हमारे दिल में रहती हैं, को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एक उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस सम्मानीय सभा, लोक सभा में भेजा।

मैं मेरे पुडुक्कोट्टई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे निर्वाचित कर उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए इस सम्मानीय सभा में भेजा।

हमारी स्वतंत्रता के पचासवीं वर्षगांठ के समारोह शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। इस समय मुझे सामाजिक न्याय से संबंधित महत्त्वपूर्ण विधेयक पर अपना पहला भाषण देने का अवसर मिला है। मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस महत्त्वपूर्ण अवसर पर बोलने का अवसर दिया है।

सभापति महोदय, नौकरी के लिए आरक्षण प्रदान करने के जरिए द्रविड आन्दोलन के अग्रणी प्रयास सामाजिक न्याय स्थापित करने के उद्देश्य से थे। मैं बहुत खुश हूं और मेरा हृदय कृतज्ञता के भाव से भर गया है कि मैं इस सभा में अपने पहले भाषण में उन उपायों के बारे में बोल रहा हूं जिन्हें सबसे पहले द्रविण आंदोलन ने सही ठहराया था।

मैं श्री बनातवाला द्वारा गैर–सरकारी सदस्य विधेयक के रूप में प्रस्तुत इस विधेयक का स्वागत करता हूं यह संविधान संशोधन महत्त्वपूर्ण संशोधन है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण उचित कदम है जो कि बीसवीं सदी के आरम्भ से उठाया गया था। यह तमिलनाडु में तभी से लागू किया जा रहा है। वर्तमान केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के शुष्क भाग भूतपूर्व मद्रास प्रान्त के भाग थे। चूंकि ये राज्य तत्कालीन मद्रास प्रेजीडेंसी का हिस्सा थे, इसीलिए आरक्षण इन राज्यों में भी लागू है।

सबसे पहला संविधान संशोधन अनुच्छेद 15 और 16 को संशोधित करने के लिए किया गया था। हमारे द्रविण आन्दोलन के महान नेता जैसे पेरियार और अन्ना के सतत् प्रयासों के कारण ही यह फलीभूत हो पाया।

यह केवल हमारे स्वर्गीय दिवंगत नेता भारत रत्न एम.जी.आर. के शासन के दौरान हुआ कि पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा लांघ गया। मैं इस ओर इंगित करना चाहता हूं कि केवल तमिलनाडु ने ही आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने पर जोर दिया ताकि यह प्रतिनिधि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में हो सके। हर समय हमें न्यायालयों और न्यायपालिकाओं द्वारा उत्पन्न की गयी बाधाओं का सामान करना पड़ता है। वे सभी जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने के हमारे प्रयासों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

यह नोट करना महत्त्वपूर्ण है कि तमिलनाडु की विधानसभा में 69 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिये एक संकल्प पारित किया गया था। यह संकल्प तब प्रस्तुत किया गया था जब आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रम काझगम की सचिव तमिनाडु की तत्कालीन मुख्य मंत्री के रूप में कार्य कर रही थीं।

हमारी नेता डॉ. पुराचा थल्लवी तमिलनाडु की सभी पार्टियों के नेताओं और तमिलनाडु से जीतकर आये सभी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली लेकर आईं और उन्होंने केन्द्र सरकार और संसद में सभी राजनैतिक दलों के सभी नेताओं पर, संविधान की नौवीं अनुसूची में तमिलनाडु के पिछड़े वर्ग अधिनियम को शामिल करके विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने पर जोर दिया। यह एक ऐतिहासिक घटना और अपने आप में एक इतिहास है। बिना किसी विरोध के 69 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला संकल्प यहां केन्द्र में स्वीकार हुआ था।

मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी प्रिय नेता डॉ. पुराची थल्लवी के द्वारा मांग को स्वीकार कर जाने के परिणामस्वरूप उसका क्रियान्वयन किया जाना एक अग्रणी कार्य है। यह अब श्री बनातवाला द्वारा पेश किये गये विधेयक का आधार बना है।

1994 में, इस सभा ने हमारे संविधान में किए गए 76वें संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। इस बात की सच्चाई को याद रखना और दर्ज कराना मेरा परम कर्त्तव्य है कि इस विधान के बनाने में ए.आई.ए.डी.एम.के. की सचिव और तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यमंत्री हमारी प्रिय डॉ. पुराची थल्लवी का महत्त्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने ही राज्य के अधिकारों की पुष्टि की थी। "तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1993" को हमारे भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यह विधायी कार्यवाही न्यायालय के हस्तक्षेप की रोकथाम करने के लिये की गयी थी। अतः डॉ. पुराची थल्लवी ने सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किये गये उपायों में प्रायः न्यायालयों के हस्तक्षेप की पुनरावृत्ति को रोकने की हिमायत की।

इसी तरह से, जिस विधेयक पर अब हम चर्चा कर रहे हैं उसका आशय केरल पिछड़ा वर्ग अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करना है। हांलाकि हम श्री बनातवाला का धन्यवाद करते हैं, किन्तु हम उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि वे हमारी डॉ. पुराची थल्लवी, जिन्होंने इस बारे में अग्रणी भूमिका निभाई और इसका समर्थन किया, को धन्यवाद दें।

श्री जी. एम. बनातवाला : कृपया, एक सैकिण्ड। मैं पहले ही ए.आई.ए.डी.एम. की अध्यक्ष जयललिता जी को चेन्नई में धन्यवाद दे चुका हूं, जो वहां पर दलितों के हक के लिए लड़ रही हैं। मैंने

उन्हें एक सार्वजनिक सभा में धन्यवाद किया। जब मैं बोल रहा था और वह उस सभा की या तो अध्यक्षता कर रही थीं अथवा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं।

श्री परमशिवम् राजा : मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे नेता डॉ. पुराची थल्लवी ने आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 69 प्रतिशत किया। उन्होंने इस विधान को संवैधानिक सुरक्षा भी प्रदान की। किन्तु मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि न्यायिक हस्तक्षेप अभी भी हो रहा है। उदाहरण के लिये, प्रत्येक अकादमी वर्ष के आरम्भ में इसकी पुनरावृत्ति होती है। न्यायालय, चिकित्सा, विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों जैसे व्यवसायिक संस्थानों में प्रवेश के दौरान सीटों की संख्या निर्धारित करने में हस्तक्षेप करते हैं। गत दो वर्षों से डी.एम.के. राज्य में सत्ता में है। उनकी केन्द्रीय सरकार में भी भागीदारी है। किन्तु उन्होंने इस आपदा को समाप्त करने और शैक्षिक संस्थानों में विद्यार्थियों के प्रवेश और नौकरियों दोनों में इस 69 प्रतिशत आरक्षण को कार्यान्वित करने को सुनिश्चित करने के लिये कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है।

वर्तमान सरकार भी सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। हमारी राष्ट्रीय कार्यसूची में राज्य विधान द्वारा प्रदान किये गये 69 प्रतिशत आरक्षण को जारी रखने संबंधी कार्य–योजना शामिल है। तमिलनाडु के लोगों की मांगों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर विचार करते हुए तथा हमारी प्रिय डॉ. पुराची थल्लवी द्वारा इस पर दिए गए जोर के मद्देनजर हमने राष्ट्रीय कार्यसूची के लिए कार्ययोजना तैयार की तथा मैं सरकार से इस संशोधन विधेयक को संपूर्ण रूप से स्वीकार करने और पारित करवाने का अनुरोध करता हूं। न्यायपालिका के बार–बार के अनावश्यक हस्तक्षेप को दूर करने के लिए यह आवश्यक है।

प्रत्येक राज्य को अपने–अपने राज्य में विशेष तौर पर पिछड़े वर्गों हेतु सामाजिक न्याय, सुनिश्चित करने के लिए समुचित कार्यवाही करने का पूर्णाधिकार प्राप्त है। उनके अधिकारों की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। श्री जी.एम. बनातवाला द्वारा संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश यह विधेयक, जिस पर हम विचार कर रहे हैं, इस उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारा मार्ग निर्देशन करेगा। मैं, पुनः इसका स्वागत करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हूं। सर्वप्रथम मैं वरिष्ठ सांसद श्री बनातवाला जी द्वारा लाए गए संशोधनों को पढ़कर सुनाऊंगा और उसके बाद आपको यह बताऊंगा कि मैं इस विधेयक का विरोध क्यों करता हूं। यह संशोधन अनुच्छेद 16 के बारे में है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सांसदो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण के अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किये जाने के समय माननीय मंत्री जी उस समय विपक्ष के नेता थे और उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से इसके लिये स्वीकृति प्रदान की थी। आप अब उस पार्टी की ओर से बोल रहे हैं। अब आप आगे बोलें।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, यह गैर सरकारी सदस्य का विधेयक है। मैं अपनी राय व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हूं। मैं अपनी पार्टी की ओर से नहीं बोल रहा हूं। अतः मैं अपनी बात को खोलकर रख सकता हूं। मैं पिछड़ी जाति से हूं और मुझे इस विधेयक के बारे में कुछ कहना है।

महोदय, विधेयक के खण्ड 3(एक) में उन्होंने इस प्रकार कहा है :

"खण्ड 4 (क) में :

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थान पर "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के पिछड़े वर्गों" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।"

वह आगे कहते हैं खण्ड 3 (एक) क :

"(क) राज्य को इस अनुच्छेद के खण्ड (4) और 4 (क) के प्रयोग के अन्तर्गत अपने प्राधिकार के प्रयोग में अपने नागरिकों के वर्ग अथवा वर्गों की पहचान करने के संबंध में और किसी ऐसे अथवा सभी पिछड़े वर्गों के लिए किए गए आरक्षण के प्रतिशत के संबंध में स्वतंत्र और पूर्ण शक्ति होगी।"

फिर वे खण्ड 3(एक) (ख) में यह कहते हैं :

"राज्य नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के रूप में पहचान किए गए किसी वर्ग को आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं करेगा।"

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि 'पिछड़ा वर्ग' एक अत्यन्त अस्पष्ट शब्द है। हो सकता है कि तमिलनाडु और केरल मे इस प्रकार के पूर्व उदाहरण हों कि कोई जाति विशेष पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आती है। किन्तु उड़ीसा के बारे में क्या स्थिति है ? पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है ? भारत के अन्य भागों में क्या स्थिति है ? पिछड़े वर्ग में कौन–कौन आते हैं ?

दूसरा, वह इस विधेयक में एक खण्ड जोड़ना चाहते हैं कि कोई भी राज्य पिछड़ी जातियों के किसी भी वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण से वंचित नहीं करेगा। वह यहां किसी जाति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वे पिछड़ी जाति के बारे में बात कर रहे हैं और वह भी आर्थिक आधार पर। मान लो कि विधेयक यहां पुरःस्थापित किया जाता है और संविधान में संशोधन हो जाता है, तो भी यह संशोधन केवल केरल और तमिलनाडु के लिये ही नहीं होगा। यह संपूर्ण भारतवर्ष के लिये होगा। यह सारे देश के लिये लागू होगा। अतः जब आप केरल और तमिलनाडु से बाहर निकलेंगे तो तुम्हें सारे देश के हित बारे में सोचना होगा।

श्री ई. अहमद (मंजरी) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या माननीय सदस्य का यह विचार

[श्री ई. अहमद]

है कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण जाति के आधार पर होगा न कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, मेरी माननीय सदस्य से अपील है कि वह इंतजार करें और जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं, उसे सुनें। मैं समझता हूं कि मेरे बोलने के बाद उन्हें प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः मेरा उनसे अनुरोध है कि वे धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनें।

महोदय मैं कहना चाहता हूं कि 'पिछड़ा वर्ग' एक अत्यन्त अस्पष्ट धारणा है। पिछड़े वर्ग के नागरिकों की पहचान आर्थिक आधार पर कैसे हो सकती है। यही बात मैं उठाना चाहता हूं। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग बल क्यों पकड़ती जा रही है ? इस कारण ही कि हम गत 50 वर्षों से आरक्षण जाति के आधार पर दे रहे हैं। किन्तु तथाकथित अगड़ी जातियों में भी अनेक लोग आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं, जबकि तथाकथित पिछड़ी जाति में अनेकों लोग वास्तव में अगड़ी वर्ग के हैं।

प्रारम्भ में 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, तो वर्ग और जाति मिश्रित थे। जो व्यक्ति पिछड़ी जाति से संबंधित होता था, वह सामान्यतः पिछड़े वर्ग में होता था। उस समय यह स्थिति थी। फिर क्या हुआ? फिर आरक्षण प्रदान किया गया। जब आरक्षण प्रदान किया गया तो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के कुछ लोग, जिन्हें आरक्षण दिया गया था, जिलाधीश बन गये। वे प्रशासनिक सेवा, व्यापार और अन्य सरकारी नौकरियों में आ गये। एक बार जब वे सरकारी सेवा में आ गये तो वे पिछड़े वर्ग के नहीं रहे। वे उच्च वर्ग अथवा अगड़े वर्ग में चले गये। हो सकता है कि वे फिर भी पिछड़ी जातियों से संबंधित हों, किन्तु उपायुक्त अथवा एक आई.ए.एस. अधिकारी बनने के बाद वे उच्च वर्ग में आ गये। किन्तु उच्च जाति के वे लोग जो गरीब थे, पिछड़े रह गये। अतः आरक्षण की व्यवस्था किये जाने के बाद जाति और वर्ग–भेद की खाई गहराती चली गई। मैं कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां बदल गयी हैं। अतः अब श्री बनातवाला ने क्रीमी–लेयर के बारे में एक मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि यह अत्यन्त गलत अवधारणा है। उन्होंने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात उठायी है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सभी प्रकार के आरक्षण प्रदान करने के बावजूद आरक्षित वर्ग में सभी पद अभी तक नहीं भरे गये हैं, तो 'क्रीमी लेयर' का प्रश्न हीं नहीं उठता। यह बात उन्होंने उठायी है, किन्तु महोदय क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि यह स्थिति क्यों आई। ऐसा इसलिये हुआ, क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वे लोग, जिन्हें श्रेणी–एक तथा श्रेणी–दो की नौकरियां मिलीं, केवल उन्हीं के बच्चे सरकारी नौकरियों में आये। आरक्षण के लाभ गरीब लोगों तक नहीं पहुंचे। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वे इस बारे में सर्वेक्षण करायें। वास्तव में यदि आप सर्वेक्षण कराते हैं, तो आपको समस्या के मूल कारण का पता चल जायेगा। मेरा एक सुझाव है, कि भारत सरकार को यह जानने का प्रयास करना चाहिये कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जो व्यक्ति श्रेणी–एक अथवा श्रेणी–दो के पदों में हैं, कितनों के अभिभावक श्रेणी–एक अथवा श्रेणी–दो के अधिकारी हैं।

केवल तभी आपको पता लगेगा कि मूल समस्या क्या है। समस्या यह है क्योंकि जो व्यक्ति उच्च सेवाओं में चले गये वे चाहते थे कि सब सुविधाएं उन्हें ही उपलब्ध करायी जायें। इसलिए सुविधाएं उस समुदाय के कुछ लोगों को ही मिलती रहीं। ये सुविधाएं निम्न वर्ग के लोगों तक नहीं पहुंची। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समुदाय में भी एक उच्च वर्ग बना रहा। मैं श्री बनातवाला के तर्क से सहमत नहीं हूं।

अब समय आ गया है जब हमें आरक्षण की नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। क्या आपके कहने का यह अर्थ है कि भारत में उच्च पदों पर पहुंचने के लिए केवल अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लोगों को ही आरक्षण का सहारा लेना पड़ता है ? हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायनन को ही ले लीजिए। क्या वे भारत के राष्ट्रपति केवल इसलिए बने कि वे अनुसूचित जाति समुदाय से थे ? महोदय, मैं तो इतना तक कह सकता हूं कि जो साहस, गतिशीलता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा तथा निष्पक्षता श्री के.आर. नारायनन ने दिखाई है*.....

हम माननीय अध्यक्ष श्री जी.एम.सी. बालयोगी का उदाहरण ले सकते हैं। क्या वे इस सम्माननीय सभा के अध्यक्ष केवल इसलिए बने क्योंकि वे अनुसूचित जाति समुदाय से थे ?

...*(व्यवधान)* मेरा कहना है कि उन्होंने बहुत साहस दिखाया है और मैं अपने विचारों से सहमत हूं। आप हमारे माननीय अध्यक्ष श्री जी.एम.सी. बालयोगी का ही उदाहरण ले लीजिए। वे इस सम्मानीय सभा के माननीय अध्यक्ष कैसे बने ? क्या यह इसलिए हुआ क्योंकि वे अनुसूचित जाति से थे ? नहीं। वे किसी और वजह से भी इस सभा के माननीय अध्यक्ष बन सकते थे केवल इसलिए ही नहीं कि वे अनुसूचित जाति से हैं। कुछ वर्ष पहले अनुसूचित जाति के ही एक व्यक्ति ने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में 7वां स्थान प्राप्त किया था। इस बात को यह कहकर नहीं टाला जा सकता है कि यह एक अपवाद है। विश्व में परिवर्तन आ रहा है। स्थिति बदल रही है। संविधान में परिवर्तन आ रहा है। समाज बदल रहा है।

मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं। लेकिन मैं यहां श्री कांशीराम जी का उल्लेख करूंगा जो बहुजन समाज पार्टी से हैं। मैं उनके राजनीतिक विचारों को नहीं मानता हूं। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि श्री कांशीराम एक व्यक्ति नहीं हैं। वह एक अद्भुत व्यक्ति हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि इस देश ने इस देश के अनुसूचित जाति के लोग आरक्षण के बिना भी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। श्री कांशीराम बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं तथा वह अनुसूचित जाति से हैं। कुमारी मायावती स्वयं अनुसूचित जाति से हैं। वे आरक्षित श्रेणी की सीटों से ही चुनाव नहीं जीतते हैं। उनके बहुत से सदस्य तथा विधायक साधारण

*अध्यक्ष पीठ के आदेश से कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

सीटों पर भी जीतते हैं। इससे क्या अर्थ निकलता है ? इससे यह अर्थ निकलता है कि भारत में एक अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति आरक्षण के बिना भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, तथा किसी भी साधारण सीट पर जीत सकता है। यह एक अद्‌भुत बात है। मैं इसी बात को इंगित कर रहा हूं।

मेरा जो कहने का अर्थ है वह यह है कि आरक्षण की इस नीति की स्वयं अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा समीक्षा की आवश्यकता है। एक बार उन्हें आरक्षण प्रणाली के शिकंजों से आजाद कर दिया जाये। वे अपने पैरों पर खड़े हो जायेंगे। वे अपने समुदाय को ऊपर उठा सकते हैं। इन लोगों में एक मध्यम वर्ग उत्पन्न हो गया है। यही वर्ग विश्व में सभी परिवर्तनों को लाने वाला है तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच पहले से ही एक बुनियादी ढांचा बन चुका है। मेरे विचार से अब हम उन्हें यह बताकर कि वे अनुसूचित जाति और अल्पाधिकार प्राप्त वर्ग से संबंध रखते हैं, उनमें हीन भावना भर रहे हैं। मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि मैं एक पिछड़ी जाति के समुदाय से हूं। यहां खड़ा होकर गर्व से कहता हूं कि मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है। जब आरक्षण का प्रश्न सामने आता है तथा यह आरक्षण मुझे दिया जाता है तो मैं अपमानित महसूस करता हूं।

महोदय, मैं प्रशासनिक सेवा में था। मैंने कई उच्च जाति के कहे जाने वाले लोगों को हरा दिया और भारत की प्रशासनिक सेवा में आ गया। यहां भी, मैंने उड़ीसा के कई उच्च जाति के कहे जाने वाले लोगों को हराकर संसद की इस सम्मानित सभा में प्रवेश किया। मैं भारत में किसी से भी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखता हूं।

इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि मुझे किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। यह मेरे लिए एक अपमान है। इससे मेरी प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठा गिरती है। मेरी स्वयं की एक प्रतिष्ठा है। मैं इस देश में किसी के साथ भी मुकाबला कर सकता हूं। मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। इसलिए जाति, वर्ग तथा ऐसी सब बातों के नाम पर यह भ्रान्ति नहीं पैदा की जानी चाहिए। हमारी भारत मां को आने वाले 21वीं शताब्दी में एक बहुत ही शक्तिशाली तथा बहुत ही प्रतिष्ठावान राष्ट्र बनने दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : लेकिन आप केवल अपनी प्रतिभा के कारण अन्य शोषित लोगों को आरक्षण से वंचित नहीं कर सकते हैं।

[अनुवाद]

***श्री डी. वेणुगोपाल (तिरुप्पाथुर) :** माननीय सभापति जी मैं पिछड़े वर्गों को दिए गए आरक्षण की सुरक्षा हेतु महत्त्वपूर्ण विधेयक पेश करने के लिए श्री बनातवाला को बधाई देता हूं। यह बहुत अच्छा विधान है और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

आरक्षण से सामाजिक न्याय को बल मिलता है। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, वहां वंचित वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना और उसे जारी रखने का लंबा इतिहास और परंपरा नहीं है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कझगम के अध्यक्ष, डॉ. कलईगनाक ने सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है सभी संघर्षों में लंबे समय तक काफी बलिदान किये हैं।

1920 से ही में नोटजॉवी पार्क ने समाज के वंचित तथा पात्र पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए एक सांप्रदायिक सरकारी आदेश निकाला था। यह सामाजिक न्याय की शुरुआत थी। जस्टिस पार्टी के शासन काल के दौरान जब माननीय मुथैया मुदलियार, उस सरकार में मंत्री थे, तब इस संबंध में एक कानून बनाया गया जिसके द्वारा एक आदेश को कानून में परिवर्तित किया गया था।

स्वातंत्र्योपरांत, इस कानून को समाप्त करने के लिए षडयंत्र रचा गया था। इस कानून को खत्म करने के प्रयास किए गए। जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था, उनका नारा था 'सभी समान हैं।' उन लोगों का तर्क था कि स्वतंत्र भारत में अब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु समानता रूपी महान–आदर्श के पीछे जो षड्यंत्र था, उसकी पोल खोल दी गई। बाद में, थनथई पेरियार पेरारिगनार अन्ना जैसे नेताओं ने 'तमिलनाडु में' वंचित वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए आंदोलनकारी तरीके अपनाये। तमिलनाडु में, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने हेतु सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। दक्षिण के दबाव में आकर, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री ने अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए हमारे भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किया।

बाद में, पिछड़े वर्गों को 50 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों को 18 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों को 1 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करके कुल 69 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया। इसकी संवैधानिक वैधता सुनिश्चित करने के लिए इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया। परन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि यह आरक्षण उस समय नहीं किया गया जब 69 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए इस उपाय की अत्यधिक मांग थी। उस समय जबकि 69 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगाने के लिए लोग उच्चतम न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों में जा रहे थे, तब सही उपाय नहीं किये गए। तमिलनाडु में अनेक नेताओं ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए त्याग और बलिदान की भावना से संघर्ष किया है। अनेक नेताओं ने कई आंदोलनों में भाग लेते हुए अपने जीवन का बलिदान किया। यहां तक कि कई लोगों ने तो भारत के उच्चतम न्यायालय सहित न्यायिक मंचों में उन्हें चुनौती तक दी। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्य मंत्री और डी.एम.के. के नेता, डॉ. कलइगनार ने सामाजिक न्याय हेतु आरक्षण के लिए संघर्ष में जिन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया तथा शहीदों और मुसीबतें उठाने वालों का सम्मान करने के लिए 1520 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की। यहां तक कि उन्होंने उनके विरुद्ध बनाए गए सभी मामलों को वापस

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री डी. वेणुगोपाल]

ले लिया है। उन लोगों के आश्रितों को जिन्होंने इन आंदोलनों में अपनी जान गंवाई, अनुदान राशि प्रदान की गई। इस प्रकार, हमारे नेता ने सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित किया और समाज के सभी वंचित वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गों, और अत्यधिक पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सभी अभियानों में भाग लिया। यदि मैं तमिलनाडु के वर्तमान मुख्य मंत्री और अपने नेता डॉ. कलईगनार, जो पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा हेतु हमेशा सबसे आगे रहते हैं, का नाम नहीं लेता हूं, तो मैं अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहा हूं।

1950 से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 22.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। इसे बढ़ाकर 41 प्रतिशत और बाद में 49 प्रतिशत किया गया। ये सामाजिक उपाय डॉ. कलईगनार ने 1971 और 1973 के बीच किये थे। इसे 49 प्रतिशत तक बढ़ाने का कार्य तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने ही किया।

हमारे नेता डॉ. कलईगनार का कहना है कि राज्य सरकारों की जनता तक और राज्य के लोगों तक सीधी पहुंच होती है। अतः संबद्ध राज्यों की सामाजिक परिस्थितियों, इतिहास और परंपरा को बनाए रखने और लोगों को लाभ पहुंचाने के वाले कानून बनाने के अधिकारों की रक्षा केन्द्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए। बल्कि यह उसका कर्त्तव्य है। अतः राज्य सरकारों द्वारा बनाये गए कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। ऐसे अधिनियमों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

जहां तक सिविल सेवाओं यथा अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का संबंध है, अन्य पिछड़े वर्गों सहित कुल आरक्षण 69 प्रतिशत तक नहीं पहुंचा है, जैसा कि तमिलनाडु में व्यवस्था है। मैं यह आशा करता हूं कि जो संविधान संशोधन हम करना चाहते हैं, उससे उचित समय पर इसके फायदे प्राप्त होंगे।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थीं। उसकी बहुत-सी सिफारिशें अभी लागू की जानी हैं। मंडल आयोग रिपोर्ट के बहुत से अच्छे सुझाव ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अन्य पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू किया जाये।

हमारे देश में पुरातन वेद रहे हैं। पुराने समय में पुरातन हमारा समाज इन्हीं वेदों पर आधारित था, उनके अनुसार जो जाति प्रथा समाज में आई और यहां स्थापित हुई। पिछड़े वर्गों को अगड़ी जातियों के साथ रखना कोई आसान काम नहीं है। अतः इस 69 प्रतिशत आरक्षण को बनाए रखना आवश्यक है।

अपने इस दृष्टिकोण पर जोर देते हुए कि राज्य सरकारों को अपने राज्यों में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में निर्णय करने की स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन से राज्यों के ऐसे उपायों को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त होगी। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति जी, मैं बनातवाला साहब को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक महत्त्वपूर्ण सवाल पर देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस महत्त्वपूर्ण विधेयक को सदन के सामने विचारार्थ रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि भारत की विषम सामाजिक परिस्थितियों में जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको समाज की तरक्की की दौड़ में समान स्थिति में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था एक बहुत बड़ा हथियार है। कभी-कभी हमारे मित्र इस बात से भ्रमित हो जाते हैं कि आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान निर्माताओं ने आर्थिक कारणों से लाने का काम किया था। आज लोक सभा और विधान सभाओं में आरक्षण का जो कानून है वह भारत के संविधान् निर्माताओं की देन नहीं है। अंग्रेजी जमाने में जब प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण का इंतजाम अंग्रेज सरकार ने किया था उस समय दूसरे गोल-मेज-सम्मेलन के बाद जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मसौदा आया और साम्प्रदायिक आधार पर संस्थाओं में आरक्षण का इंतजाम अंग्रेज सरकार ने किया तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस समय आमरण अनशन किया और जिसको हम ऐतिहासिक पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जिस पर हमारे बड़े नेताओं पंडित जवाहर लाल नेहरू, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, सर तेज बहादुर सप्रू, पंडित मदन मोहन मालवीय सभी लोगों ने इसको स्वीकार किया और एक सीमा तक प्रतिनिधि संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पूना समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था, उस धारा को सबसे पहले 1909 में साम्प्रदायिक आधार पर इस तरह की व्यवस्था अंग्रेजों ने की तो भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि सैंट्रल असैम्बली में पंडित मोती लाल नेहरू ने उस प्रावधान का समर्थन किया और जिसको हमारे मित्र लोग पानी पी-पीकर गाली देते हैं कायदे आजम जिन्ना ने उसका विरोध किया था। भारत के इतिहास की विडम्बना है कि भारत का बंटवारा हुआ और भारत का संविधान दो स्थितियों में बना। एक बंटवारे से पहले और दूसरा बंटवारे के बाद। बंटवारे की स्थिति में साम्प्रदायिकता के आधार पर आरक्षण देने का हमारे राष्ट्र नेताओं ने विरोध किया लेकिन चूंकि अस्पृश्यता का वातावरण हमारे समाज में था इसलिए दलितों के लिए आरक्षण का जो पुराना इंतजाम था उसको हमारे संविधान निर्माताओं ने उसी रूप में स्वीकार किया और पिछड़ी जातियों के लिए एक विशेष प्रावधान, जब हम समता के मूल अधिकार का अध्याय जोड़ रहे थे, तब हमने शासन को, सरकार को और संसद को इस बात का अधिकार देने की बात संविधान निर्माताओं ने की कि जो समाज के अस्पृश्य लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको कानून बनाने के सवाल पर, उनको आगे बढ़ने के सवाल पर जो समता का मूल अधिकार है वह आड़े नहीं आयेगा।

उसी के साथ–साथ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिये भारत के राष्ट्रपति एक कमीशन मुकर्रर करेंगे, उस कमीशन की रिपोर्ट संसद के सामने आयेगी। वह कमीशन समाज के पिछड़े वर्ग की स्थिति का वर्णन करेगी और उसके बताये गये सुझाव के आधार पर उनकी तरक्की का इंतजाम करेगी। पिछड़ी जातियों के लिये ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। इसी प्रावधान के तहत सबसे पहले प्रथम बैकवर्ड क्लासेज कमीशन काका कालेलकर के नाम से गठित किया गया। उस कमीशन ने पिछड़ी जातियों के लिये सरकारी नौकरियों में उन लोगों की गणना के अनुसार 30 प्रतिशत आरक्षण किये जाने की संस्तुति की। भारत सरकार उन सुझावों को लागू करने से कतराने लगी थी। उस पर दबाव पड़ने लगा लेकिन अंत में जब श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में आई तो दूसरा बैकवर्ड क्लासेज कमीशन मंडल कमीशन के नाम से 1978 में गठित किया गया। इस कमिशन की रिपोर्ट 1980, में आई। चूंकि काका कालेलकर ब्राह्मण थे इसलिये उन्होंने 30 प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी और मंडल साहब डर गये। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों की आबादी समाज में 54 प्रतिशत है, इसलिये उनकी आबादी का आधा 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिये, यह सुझाव उन्होंने दिया। इस रिपोर्ट पर गर्द पड़ती गई। कभी एक सरकार आती रही और एक जाती रही लेकिन वी. पी. सिंह सरकार ने उन संस्तुतियों के एक हिस्से की अनुपालना करने का आदेश प्रसारित किया। यहां हमारे मित्र छाती ठोक कर कह रहे थे कि पिछड़ी जाति में पैदा होने के बावजूद उन्होंने बहुत सी ऊंची जातियों को पछाड़कर समाज में इसके समान ऊंचे हो गये। समाज के पिछड़े उतने ही सम्मान के पात्र हो गये यदि ऐसी स्थिति हमारे समाज में आ गई हो तो हम उस आरक्षण के कानून का विरोध करेंगे। इसलिये भारत के संविधान निर्माताओं ने कहा कि इस आरक्षण कानून पर हर दस साल के बाद उन परिस्थितियों का विश्लेषण किया जायेगा। उसके आगे विस्तार से संसद निश्चित करेगी। ऐसा प्रावधान कर दिया गया। अब कैसे उनकी परिस्थितियां ठीक हो गईं, इसका निर्धारण करने के लिये हमने अपने संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कमीशन का इंतजाम किया। उसकी रिपोर्ट आती है। मेरे मित्र उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ऐसी मैं उन से अपेक्षा करता हूं। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा। आज हम आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। उसके ऊपर संसद में बहस होने वाली है। क्या आज हमारे मित्र लोग यह बताने का काम करेंगे कि आज की तारीख में हमारे दलित जाति के लोगों के साथ समाज में किस तरह का व्यवहार हो रहा है और हम उसी व्यवहार की बात नहीं करते। राजनैतिक आधार पर ऐसे व्यवहार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनी थी। जिन कांशी राम जी का नाम लेते हैं, उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री बनाई थी और वह बी. जे. पी. की मदद से सरकार बनी थी लेकिन उस सरकार से किस आधार पर समर्थन वापस ले लिया गया ? यहां पर श्री वोरा साहब बैठे हैं। वे उस समय राज्यपाल थे। इनसे पूछिये। उस सरकार का इतना ही दोष था कि वह लखनऊ में पेरियार मेला आयोजित करना चाहती थी। यह बात मैं आपसे और विशेषकर अन्ना डी. एम. के. के साथियों से कहना चाहता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं : आप इस बात को राजनैतिक मोड़ दे रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आप कहां बोल रहे हैं ? मैं तो जनरल बात कह रहा था।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : आप सहमत हो नहीं सकते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री खारबेल स्वाईं आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं : श्री मोहन सिंह, यह विवादास्पद है। आप जो कुछ बोलते हैं, आप जानते हैं, मैं जो बोला, वह मैं जानता हूं। इसको पालिटीकल मत करें। यह कंट्रोवर्शियल चीज है।

श्री मोहन सिंह : उस पार्टी ने सरकार से केवल इसलिये समर्थन वापस लिया जिसमें कई कारणों के साथ एक बहुत बड़ा कारण सार्वजनिक रूप से बताकर और लिखकर राज्यपाल को दिया गया।

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात नहीं करेंगे ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप झगड़ेंगे, स्थानीय पंचायतें हस्तक्षेप करेंगी। इसलिए उसका मौका न दें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : केवल इसलिए समर्थन वापस लिया गया था कि वह सरकार पेरियार साहब की स्मृति में वहां मेला लगाने जा रही थी। जिस पार्टी का समर्थन आप कर रहे थे, वह पार्टी उत्तर प्रदेश में केवल इस आधार पर सरकार गिरा दे कि पेरियार साहब का मेला वह सरकार करने जा रही है और आप पेरियार साहब के भक्त हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके फॉलोअर हैं। क्या पेरियार साहब के समर्थन में मेला नहीं लग सकता ? कारण क्या है ? कारण यह है कि दलितों और कमजोर वर्गों के लिए भारत के अंदर संघर्ष की मजबूत और संगठित शुरुआत पेरियार साहब ने की थी। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : आप लोगों ने क्या किया था ? मायावती जी को गैस्ट हाऊस में मारने का प्लान करने वाली कौन–सी पार्टी थी ? ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : सही बात सुनने की आदत रखिये। ... *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : आपने क्या किया था जो चिल्ला रहे हैं? ...*(व्यवधान)* बहुजन समाज पार्टी के लिए आपने क्या किया था ? दलितों

[श्री खारबेल स्वाईं]

के लिए आपने क्या किया था, यह आप सोचें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया शालीनता से बोलें। यह अच्छी बात नहीं है। श्री मोहन सिंह, आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : पेरियार मेला की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी से समर्थन वापस ले लिया था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसी देश में जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दे दिया कि आरक्षण की व्यवस्था किसी भी हालत में 50 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए तो उसके बाद तमिलनाडू की सरकार ने उस आरक्षण की लिमिट को बढ़ाने के लिए वहां एक नियम बनाया और उसे स्वीकृति देने के लिए इस संसद में सर्वसम्मति से संविधान में संशोधन का एक प्रस्ताव भी आदरणीय सदन में लाया गया। सदन में जब भी आरक्षण का प्रश्न उपस्थित हुआ, सदन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, कभी टुकड़ों में निर्णय नहीं लिया। भारत के संविधान के अनुसार हर दस साल के बाद भारत में जनसंख्या की गणना होगी। पिछड़ी जातियों, दलित जातियों की जो आबादी होगी, उस आबादी के अनुपात में प्रतिनिधि संस्थाओं में उनका आरक्षण होगा, यह भारत का संविधान कहता है। 1971 के बाद भारत में जनगणना नहीं हुई। हमने संविधान बदलकर सन् 2001 तक के लिए उस जनगणना के काम को रोक दिया। जनगणना के काम को चूंकि हमने रोक दिया, इसलिए जो बढ़ी हुई आबादी है शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की, कुल आबादी के अनुपात में आज उनकी आबादी 1971 के मुकाबले करीब-करीब चार प्रतिशत अधिक हो गई है। जिस दिन जनगणना होगी और जब सीटों का पुनर्निर्धारण होगा, उनकी सीटें प्रतिनिधि संस्थाओं में भारत के संविधान के अनुसार बढ़ानी पड़ेंगी। जिस दिन आप उनकी सीटें बढ़ाएंगे, जो आरक्षण की लिमिट सर्वोच्च न्यायालय ने बताई है, परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि इसमें अवरोध होगा। इसलिए बहुत सही समय पर बनातवाला जी यह विधेयक इस सदन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए लाए हैं कि आने वाले दिनों में जो 33 फीसदी महिलाओं के आरक्षण की आप मांग करते हैं, जो आबादी है शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनका सरकारी नौकरियों में आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में हो और दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है कि एक सीमा से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, दोनों में टकराव की स्थिति है। इसलिए ऐसे समय में जब यह परिस्थिति आने वाली है, इस संसद को उसका पूर्वानुमान होने के नाते नये सिरे से आरक्षण की व्यवस्था पर समग्र रूप से, समन्वित रूप से, टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं, एक साथ विचार करने की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि जो आरक्षण का इंतजाम है, वह छुआछूत के आधार पर है। सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर है। इसमें आर्थिक कारण नहीं हैं। इसलिए जो क्रीमी लेयर के नाम पर पिछड़े हुए लोग हैं, उनके टुकड़े करने का जो नया तरीका निकला है, उस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है और यदि इस दृष्टि से हम विचार करेंगे तो आपका जो विधेयक है, इसे स्वीकृत किया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री जी को इस सदन में यह आश्वासन देना चाहिए कि भारत सरकार जल्दी ही इस पर कुछ करेगी, क्योंकि आपके नेशनल एजेंडा में है कि हम संविधान की समीक्षा के लिए एक कमीशन नियुक्त करेंगे, उस कमीशन की जो संस्तुतियां होंगी, उनके आधार पर हम संविधान में परिवर्तन करेंगे। बीच-बीच में संवैधानिक संशोधन आप लाते रहते हैं।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसी मंशा से यह विधेयक आया है कि जब आप संविधान की समीक्षा का विचार कर रहे हैं, जो यह आरक्षण का सिद्धांत है, कानून है, इसकी मंशा क्या है, इसकी भावना क्या है और समाज में आज भी इसकी किस सीमा तक उपयोगिता है, उसको ध्यान में रखते हुए इस पर एक मुकम्मिल विधेयक आये, ऐसी मांग करते हुए मैं बनातवाला साहब के विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो. अजित कुमार मेहता।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति जी, आप एक साइड से नाम पुकार रहे हैं।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : जैसे-जैसे नाम दिये गये हैं, वैसे-वैसे ही पुकारे जायेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुद्दा जिस पर चर्चा हो रही है वह राजनीतिक नहीं है क्योंकि चर्चा गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक पर हो रही है। राजनीतिक दलों पर विचार किए बिना बोलने का अवसर दिया गया है।

[हिन्दी]

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं श्री बनातवाला जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही समय पर इस विधेयक को लाने का काम किया है। मैं माननीय मोहन सिंह जी से इस बात पर सहमत हूं कि जब संविधान की समीक्षा की हमारी मंशा है तो ऐसे समय यह विधेयक बहुत उपयुक्त है।

आरक्षण के बारे में जब हम विचार करने लगते हैं तो एक वर्ग ऐसा है जो उसका विरोध करता है। आप देखेंगे कि ये विरोध के स्वर उसी वर्ग से उभरते हैं जो वर्ग समाज में अभी तक संप्रभुता का उपयोग करता आया है। भारत वर्ष की जनसंख्या एक अरब के लगभग है।

एक अरब आदमी, एक अरब जोड़ा हाथ अगर उत्पादन के काम में लगे हो फिर भी भारत संसार के निर्धनतम देशों में हो तो यह बिडम्बना ही है। यह विचित्र स्थिति है कि एक अरब जोड़ा हाथ उत्पादन के काम में लगे हुए है और फिर भी हम संसार के निर्धनतम देशों में से एक हों, यह आश्चर्य की बात है। यह क्यों है, यह इसलिए है कि हमारे यहां सामाजिक विषमता है। हाथ से काम करने वाले को हम हेय दृष्टि से देखते हैं और जिनका उत्पादन में कोई हाथ नहीं होता है उनको समाज में सबसे ऊंचा स्थान मिलता है। हम आपको इतिहास के पन्नों में ले आयेंगे। पांच सौ साल से अधिक हुए, समरकंद से बाबर नाम का एक इनवेडर, आक्रमणकारी इस देश में आया था। उसके पास कुल 12 हजार आदमी थे। केवल उन 12 हजार आदमियों की ताकत के बल पर बाबर ने सारे हिन्दुस्तान को पददलित कर दिया और हम गुलाम बन गये।

अपराह्न 4.33 बजे

(श्री रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*)

यह कैसे हुआ। यह इसलिए हुआ क्योंकि हमारे समाज में सामाजिक विषमता थी। समाज का एक वर्ग यह सोचता था कि देश की रक्षा का काम, प्रशासन चलाने का काम सिर्फ उसका है और उस काम में समाज के दूसरे लोगों की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बलपूर्वक उनको देश की सुरक्षा करने से रोका और इस कारण सदियों तक हम गुलाम बने रहे। सामाजिक विषमता का यह परिणाम हुआ है। वास्तव में हमारे यहां एक ही परतंत्रता नहीं था, साम्राज्यवाद से राजनीतिक परतंत्रता पनपी और समाज में एक अभिजात्य वर्ग बन गया था, जिसका वेस्टिड इंटरेस्ट था, जो चाहता था कि यह स्थिति बनी रहे, वह समाज के बाकी वर्गों को अपने गुलाम के रूप में देखता रहा। इससे त्रस्त होकर समय-समय पर विद्रोह हुए और इसके विरुद्ध आवाजें उठीं, सामाजिक आंदोलन हुए। हमारे संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद इस स्थिति को समझा और उन्होंने इस विषमता को दूर करने के लिए, समाज में समता का एक भाव लाने के लिए, राजनीति से हटकर, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की।

सभापति महोदय, संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने इसीलिए नहीं की थी। मैं संविधान के अनुच्छेद 15 का उप अनुच्छेद 4 पढ़ना चाहता हूं :

[अनुवाद]

> "इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

[हिन्दी]

इसमें आर्थिक पिछड़ेपन की बात कहां है ? नहीं है। इसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद 4 में जो लिखा है, मैं उसे पढ़ता हूं :

[अनुवाद]

> "इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

[हिन्दी]

इसमें भी आर्थिक प्रतिबंध या आर्थिक कंसीडरेशन की बात संविधान में आई ही नहीं है।

सभापति महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य श्री बनातवाला जी ने यहां एक सवाल यह किया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय करे उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर संविधान को आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो स्वयं आपको मालूम होगा कि संविधान की मूल भावना यह है कि संविधान के अनुसार राज्य के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, क्रीमी लेयर की कल्पना, सिर्फ उन लोगों की कल्पना है जो आरक्षण को आर्थिक दृष्टि से देखते रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर की अधिकतम सीमा किसी आधार पर निर्धारित की है, यह बात समझ में नहीं आती है। मैं समझता हूं कि निर्णय लेने का कोई आधार तो होना चाहिए। आखिर यह अधिकतम 50 प्रतिशत सीलिंग के निर्णय के पीछे कोई आधार तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि माननीय न्यायाधीश के व्हिम्स एंड फेसेस पर आधारित होकर कोई निर्णय ले लिया जाए। मैं नहीं समझता कि उसका कोई आधार हमारे पास है। जब हमारे पास कोई आधार नहीं है, तो फिर 50 प्रतिशत की लिमिट क्यों लगाई गई, उसकी सीमा क्यों बांधी गई ? यदि जनसंख्या का आधार उनके दिमाग में होता, तो एक समय सीमा की बात कही जा सकती थी। 50 प्रतिशत आरक्षण तो कुछ भी नहीं होता है। इसमें कोई तरीका काम नहीं करता है। इसलिए 50 प्रतिशत की जो सीमा सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित की है वह मनमाने ढंग से निर्धारित की गई है। इसलिए स्थानीय समस्याओं के आधार पर राज्य सरकारें जिस तरह से निर्णय लें या जो व्यवस्था करना चाहे, उनको करने देना चाहिए।

सभापति महोदय, इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि क्रीमी लेयर के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले मे जो व्यवस्था दी है, वह क्यों दी है ? वह सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि न्यायालयों द्वारा जिस वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया है उस वर्ग के हितों की सोचने वाला न्यायालय में कोई नहीं है। उन लोगों को क्या दुःख उठाना पड़ता है, क्या दुःख भोगना पड़ता है, न्यायालयों में उसको समझने वाला कोई नहीं है। न्यायालयों के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ थोड़ा-बहुत जो कुछ कहीं लिखा मिल जाता है उसी को पढ़कर

[प्रो. अजित कुमार मेहता]

जानकारी मिलती रहती है। न्यायाधीशों में से किसी ने उनके दुःख को भोगा नहीं है। इसलिए यह कहने का बड़ा उपयुक्त अवसर है कि न्यायालयों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए अन्यथा न्यायालय के फैसले में उस वर्ग के हित कहीं भी प्रतिध्वनित नहीं होंगे, यह मेरा विश्वास है।

अपराह्न 5.00 बजे

सभापति जी, इन सब कारणों से यह बात निकलती है कि सरकार जो भी फैसला ले, जब संविधान की समीक्षा होने जा रही है, तो उसके सामने ये सब बातें रखी जायें। हम समझते हैं कि इसके लिए संविधान के संशोधन विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिए इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति जी, आज माननीय सदस्य श्री बनातवाला जी द्वारा जो संशोधन बिल लाया गया है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस दिन हमारे पूर्वजों ने, संविधान बनाने वाले लोगों ने इस देश में आरक्षण की व्यवस्था की, उस समय इस आरक्षण की अनिवार्यता थी। समता मूलक समाज बनाने के लिए, समरस समाज बनाने के लिए, ऊंच–नीच का भेदभाव मिटाने के लिए उस दिन इसकी अनिवार्यता थी लेकिन उस दिन की अनिवार्यता और आज की अनिवार्यता, दोनों में फर्क आ चुका है। हमें परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए। जिस दिन यह कानून बना था, उन दिनों हरिजन जाति के लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था तथा स्कूल में पढ़ने वाले हरिजन विद्यार्थी को सामने की बैंचों पर नहीं बैठने दिया जाता था, लेकिन आज समाज में समानता है। आज अगर कोई हरिजन विद्यार्थी सामने की बैंचों पर बैठना चाहे तो किसी की हिम्मत नहीं कि उसे हरिजन कहकर हटा सके। आज कोई हरिजन मंदिर में पूजा करना चाहता तो किसी की हिम्मत नहीं, साहस नहीं कि उसे मंदिर में जाने से रोके। इसलिए जो अनिवार्यता उस समय थी, उस अनिवार्यता के अनुसार समय समय पर ...*(व्यवधान)*

श्री अमन कुमार नागरा (अम्बाला) : सभापति जी, अभी माननीय सदस्य ने जो बात कही, वह ठीक नहीं है। अभी रिवाड़ी में कुछ शैड्यूल्ड कास्ट लोग हरिद्वार से गंगा जल लेकर आये और जब वे वहां शिवलिंग पर चढ़ाने लगे तो सवर्ण जाति के लोगों ने उन्हें गंगा जल नहीं चढ़ाने दिया। फिर डी. सी. व प्रशासन की मदद से गंगा जल चढ़ाया गया। इस कारण उस गांव में बहुत तनाव है। आप लोग हरिजनों की बातें कर रहे हैं लेकिन सब एक जैसा होना चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : ऐसी बातें राजनीतिक लोग उठाया करते हैं। हकीकत में वैसी बातें कहीं नहीं की गयी हैं इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं आपसे कह रहा था कि कल की अनिवार्यता और आज की अनिवार्यता में फर्क आ चुका है। इसलिए आज के समय के अनुसार इसमें बदलाव होना चाहिए। 1935 में राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, वह उस दिन की अनिवार्यता थी लेकिन आज वह अनिवार्यता नहीं रह गई है। इसे हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसे इस सदन में सदस्य के रूप में माननीय श्री राम विलास पासवान जी हैं, वे इस देश के महान नेता हैं, और वे बड़े–बड़े पदों को सुशोभित कर चुके हैं। अब उन्हें किस आरक्षण की जरूरत है, अब तो उनके नाम पर लोग चुनाव जीतते और हारते हैं, फिर उन्हें इस सदन में आने के लिए आरक्षण की जरूरत कहां पड़ती है। इसलिए हम मानते हैं कि समय बदल चुका है और इसके अनुसार व्यवस्था में भी परिवर्तन होना चाहिए। जो लोग आरक्षण की मांग करते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि वे शिक्षा की व्यवस्था पर जोर क्यों नहीं देते। गांव में जाकर देखें, हरिजन, पिछड़ी जाति के लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग स्कूल जाते हैं तो किस परिस्थिति में वहां से वापिस आते हैं। वे कितने दिनों के लिए स्कूल जाते हैं। यदि आप शिक्षा को अनिवार्य करते और उनको प्रतियोगिता में शामिल करने का प्रयास करते, तो आरक्षण नाम की कोई चीज इस देश में नहीं रहती। हमारे माननीय सदस्य ने कहा है। मोहन बाबू उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। हमें लगा कि शायद मोहन बाबू ने इस बात को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास नहीं किया। उनका भाव यह था कि पिछड़ी में होते हुए भी हमने अगड़ी जाति के लोगों को पराजित किया है, हम प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं और हर पिछड़े और हरिजन व्यक्ति को प्रतियोगिता में शामिल होकर अपना हक लेना चाहिए। यह उनका भाव था लेकिन उस भाव को बदलने का प्रयास किया गया। यदि आज हरिजन, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए और वे प्रतियोगिता में शामिल हों तो हमको लगता है कि इस देश में आरक्षण का शब्द नहीं उठेगा सब लोग अपना हक पाएंगे। जिन लोगों को सवर्ण जाति कहा जाता है, गांव में उनकी स्थिति क्या है, इसकी समीक्षा कीजिए। आप भी गांव में रहने वाले हैं, कभी–कभी राजनैतिक कारणों से मजबूर होकर आपको भी भाषा बदलनी पड़ती है, यह आपकी मजबूरी है। लेकिन हम आपकी मजबूरी को समझते हैं।

सभापति महोदय : कोई मजबूरी नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम व्यक्तिगत रूप से भी आपके करीब हैं। इसलिए हमें समझने में कठिनाई नहीं है। गांव में लोग कहते हैं कि ब्राह्मण सवर्ण जाति के होते हैं। क्या है उनकी स्थिति ? लगन के दिनों में दूसरे के घरों में जाकर जजमानी करते हैं, उनके शादी–ब्याह का विधि–विधान कराते हैं। दो–तीन महीने तक लगन कराने से जो पैसा इकट्ठा होता है, उससे साल भर अपने परिवार की परवरिश करते हैं। वे अगड़ी जाति के हो गए ? पिछड़ी जाति के लोग अपने राज्य बिहार में ही देख लीजिए। एक जाति के लोग कहीं नौकरी नहीं करते, बस स्टैंड पर गाड़ियां साफ करने का काम करते हैं। इस समय बिहार में किडनैपिंग का धंधा फला हुआ है। वे उसके महारथी बने हुए हैं। देहातों में भी अटारियां बनी हुई हैं। यदि दिल्ली के शहर में भी अटारी का कम्पीटीशन किया जाए तो बिहार के देहातों

में उस जैसा कम्पीटीशन करने वाले लोग मिल सकते हैं। लेकिन वे पिछड़ी जाति के हैं इसलिए उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जो पोथी–पत्रा लेकर घूमते हैं, वे सवर्ण जाति के हैं इसलिए उन्हें आरक्षण से वंचित करना चाहिए। दूसरी तरफ उस जाति की तरफ देखिए जिसमें हम और आप पैदा हुए हैं। वे लोग खेती करते हैं। उनको सिर्फ सेना में नौकरी मिलती है, दूसरी जगह गुंजाइश नहीं होती। यदि वहां भी नहीं मिली तो कलकत्ता में किसी मारवाड़ी के पास जाकर दरबानी करते हैं। लेकिन वे सवर्ण जाति के होते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। व्यवसायी जाति के लोग, जिन्होंने पटना, दिल्ली जैसे शहर में पांच–दस करोड़ रुपये की अटारियां बनाई हुई हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए ? जिस जाति को सवर्ण जाति के रूप में जाना जाता है। श्री यशवंत सिन्हा बैठे हुए हैं। ये सवर्ण जाति में आते हैं। इनकी स्थिति देखिए। इनकी जाति के बहुत कम होंगे जिनकी देहातों में खेती–बाड़ी होगी। ये लोग नौकरी पर आधारित रहते हैं। लेकिन ये अगड़ी जाति में आते हैं, इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बहुत अंतर है। एक किसान दिन भर मजदूरी करके यदि सौ रुपये कमाता है तो उसमें से पचास रुपये खर्च करता है और पचाय रुपये बचाता है। उसका उद्देश्य बेटे, बेटी की शादी करना होता है, यदि कोई बीमार पड़ गया तो दवा करानी है, यदि कुछ पैसा इकट्ठा हो गया तो जमीन खरीदनी है, अच्छा मकान बनाना है। दूसरी तरफ जिन्हें आप जनजाति कहते हैं, हरिजन कहते हैं, यदि वह सौ रुपये कमाते हैं तो पूरे परिवार के साथ जाकर, हम किसी जाति को अपमानित नहीं करना चाहते, सवा सौ रुपये की ताड़ी पीते हैं।

एक समानता तो लाइये, उन्हें शिक्षित तो बनाइये, उन्हें शिक्षा दीजिए, उन्हें योग्यता पर कायम कीजिए, तब वे समझेंगे कि ताड़ी पीना खराब है, शराब पीना खराब है, यह बुरी चीज है, इससे पैसे का नुकसान होता है और वे भी कल अगड़े कहलाएंगे। जिन्हें आप अगड़े कहते हैं, वे बहुत परिश्रम से पैसा इकट्ठा करते हैं, इसलिए आरक्षण के मुद्दे पर बड़ी गंभीरता से चिन्तन करने की जरूरत है, बड़ी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और देश के पैमाने पर इसकी समीक्षा कराने की जरूरत है।

भारत एक बहुत विशाल देश है और गांवों में रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। यहां विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, खाना–पीना भी अलग है, धर्म भी अलग है, लेकिन एक संघ है। इस बिल में मांग की गई है कि राज्यों को अधिक अधिकार देने चाहिए। यदि राज्य को आप अधिक अधिकार देने जा रहे हैं तो इस संघ का महत्त्व कम रह जायेगा, इसलिए संघ के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए संघ की इतनी शक्ति होनी चाहिए कि जो अपने राज्यों पर अंकुश रख सके, राज्यों पर अपना नियंत्रण रख सके। कानून के मामले में केन्द्र को ज्यादा मजबूत होना चाहिए, अधिकार ज्यादा होने चाहिए, ऐसे मामलों में राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार नहीं देने चाहिए।

एक बात आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की उठी है। वैसे तो मानसिक रूप से और सच पूछिये तो हृदय से हम तो आरक्षण के बिल्कुल विरोधी हैं। हम तो यह चाहते हैं कि प्रतियोगिता में हर जाति के लोगों को शामिल होना चाहिए और प्रतियोगिता के आधार पर सफल उम्मीदवार को ही किसी पद पर बिठाना चाहिए। हम कहते हैं कि जो लोग आरक्षण की मांग करते हैं, आज तक हमने कहीं नहीं सुना, किसी अखबार में नहीं पढ़ा कि आरक्षण की मांग करने वालों ने कभी यह मांग की हो कि युद्ध के समय में सेना में लड़ने वालों को जाति के आधार पर लड़ने के लिए भेज देना चाहिए। अगर आरक्षण की मांग करने वाले इस मामले में पहले तय कर लें कि युद्ध के समय में सेना में लड़ने के लिए सबसे पहले उन लोगों को भेजा जायेगा, जिन्हें जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है तो हम मानेंगे कि उनकी नीयत सही है, उनकी नीयत साफ–सुथरी है, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बिल्कुल एक तरफ दूसरे का अधिकार छीनने की यह बात है और दूसरी तरफ जो लोग योग्य नहीं हैं, उन्हें ऊंचे पदों पर बिठाकर उस पद की गरिमा समाप्त करने की बात है।

सभापति महोदय, हम यह जानना चाहते हैं, अभी आप जिस आसन पर बैठे हुए हैं, उसमें अध्यक्ष के रूप में हमारे बालयोगी साहब बैठते हैं, वे किसी आरक्षण से आये हुए हैं ? इस देश के राष्ट्रपति हरिजन जाति के हैं, वे किस आरक्षण से गये हुए हैं ? वे किसी आरक्षण से नहीं, अपनी योग्यता के आधार पर गये हुए हैं और वे योग्य थे तो सब लोगों ने उनका समर्थन किया और एकमुश्त समर्थन किया। वैसी परिस्थिति में इस देश में आरक्षण की आवश्यकता ही कहां है, हम यह कहना चाहते हैं ? लेकिन अगर कहीं न कहीं से आरक्षण की बाध्यता है, मेरे मन से तो बाध्यता नहीं है, लेकिन सरकार की नजर में बाध्यता है और आपकी भी मजबूरी में बाध्यता हो, सदन की भी बाध्यता हो तो हम यह कहेंगे कि इसका आधार जातीय नहीं, इसका आधार आर्थिक होना चाहिए। अगर आर्थिक आधार पर आप आरक्षण दीजिएगा तो जिस जाति के गरीब लोग होंगे, जिस जाति के कमजोर लोग होंगे, जिन्हें कानूनन, नियम के अनुसार आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, उन्हें लाभ मिलेगा, तभी यह समतामूलक समाज बनेगा। आप तो लोहियावादी हैं, लोहिया के भक्त हैं, लोहिया के विचारों का बड़ी जोर–शोर से आप प्रचार भी करते हैं, भाषण भी देते हैं तो लोहिया के शब्दों में आप भाषण देने का प्रयास करते है, आप आसन पर बैठे हुए हैं। संयोग की बात है कि हम बोलने के लिए खड़े हुए हैं और आप आसन पर बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे कि आप लोहिया जी का एक बार स्मरण करके लोहिया के विचारों के अनुसार नियमन दे दीजिए कि इस देश में जाति–पांति और धर्म के नाम पर राजनीति करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर यहां कोई जाति का बंटवारा होगा तो दो ही वर्ग हो सकते हैं, अमीर और गरीब। कोई सवर्ण और पिछड़ा, हरिजन इस देश में आज के दिन में नहीं रह गया है। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि एक बार अपनी वह मजबूरी तोड़ लीजिए। संयोग से अभी लालू जी नहीं हैं, नियमन दे दीजिए, कोई कहेगा तो तब न, जब सुनेगा। इसलिए आप एक बार अपनी मजबूरी तोड़कर नियमन देने का काम कीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप भी जब बोलिये तो सत्य बात बोलने का प्रयास कीजिए, सही बात बोलने

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

का प्रयास कीजिए। हम और आप भीतर से तो एक ही हैं, लेकिन कहीं–कहीं राजनैतिक कारणों से गड़बड़ हो जाती है। हम कह रहे हैं कि कभी–कभी मजबूरी में राजनैतिक फैसले ले लिये जाते हैं।

सभापति महोदय : आप अपनी बात को दूसरे पर मत मढ़िये।

श्री प्रभुनाथ सिंह : जी, नहीं। राजनैतिक फैसले लिये जाते हैं, जिस राजनैतिक फैसले का अंजाम समाज में बड़ा ही गलत होता है। एक पूर्व प्रधानमंत्री, जो कभी इस सदन में प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठा करते थे, जब उनके कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री, उप प्रधान मंत्री ने उनसे बगावत की तो उनकी हैसियत को टुकड़े करने के लिए अपनी मजबूरी में ...*(व्यवधान)* यह आपको अच्छा नहीं लगता होगा, हम जानते हैं, लेकिन एक मिनट में ही हम अपनी बात खत्म कर देते हैं, इसे हम ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। उनकी हैसियत को खत्म करने के लिए उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया। उसका बिहार में क्या रिजल्ट हुआ, इसके आप और हम दोनों भुक्तभोगी हैं। आप तो उस समय आनन्द में रहे, लेकिन हम लोगों को उसका भारी मूल्य चुकाना पड़ा था। बिहार सरकार ने रासुका भीर लगाया था तो करीब–करीब आठ महीने तक हमें बिहार से बाहर रहना पड़ा था। उस स्थिति में हम कहना चाहते हैं कि उन्होंने लगा दिया। उसकी राजनीति की रोटी दूसरे सेक रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर रोने वाला इस देश में कोई नहीं रह गया है। जब भी राजनीतिक फैसला गलत होता है तो उसका अंजाम गलत फैसला करने वालों को भुगतना पड़ता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि कोई भी राजनीतिक फैसला गलत न होने पाए। समता मूलक, समरस समाज बनाने के लिए आप और हम दोनों मिलकर इसमें सही विचार करें और इस बिल का विरोध करें ताकि ऐसा बिल फिर इस सदन में न आ पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

सभापति महोदय : मंडल आयोग लागू हुआ, उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी और पार्टी के नेता श्री सी. एम. बनातवाला को यह विधेयक जो भारत में वर्तमान परिस्थितियों में बहुत उपयुक्त है, इस सभा में लाने के लिए बधाई देता हूं।

महोदय यह सदैव होता आया है। जब भी आरक्षण की मांग होगी, तो समाज के अन्य वर्ग इसका विरोध करते हैं। हम यह राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में देखते आये हैं। तब भी महान बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण का मत रखा था। इसका समाज के एक बहुत बलशाली वर्ग द्वारा विरोध किया गया है। मैं यहां यह उल्लेख करूंगा कि इस देश में और भी प्रतिभाशाली लोग थे, किन्तु बाबा साहब अम्बेडकर बहुत प्रतिभाशाली लोगों में से एक थे। वे अपनी बुद्धिमता, प्रतिभा, शैक्षिक योग्यता और अनुभव के आधार पर विभिन्न समुदायों के बहुत से लोगों को अपनी बात मनवा लेते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनकी जाति अथवा उनके लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिये।

किन्तु आधुनिक काल में यहां कुछ लोग हैं, जो ऊंचे वर्ग में और निम्न वर्ग में अथवा यूं कहिये समाज में, अधिक प्रतिभाशाली हैं। किन्तु क्योंकि उन्हें शिक्षा की सुविधा प्राप्त है अथवा पारिवारिक परम्परा अथवा परिस्थितियों के कारण शिक्षा मिली है, वे परीक्षा पास कर लेते हैं। वे विधान सभा अथवा संसद में चुन लिये जाते हैं अथवा मंत्री पद अथवा सांविधिक निकाय (बोर्ड) का अध्यक्ष पद प्राप्त करने में सक्षम हैं। उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि वे जिस पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं, उस समुदाय के निर्धन वर्ग को यह अवसर नहीं मिलना चाहिये। मैं यह सब प्राप्त करने की क्षमता रखता हूं, क्योंकि मुझे वह सुविधायें उपलब्ध हैं। मैं उतना सक्षम नहीं हूं। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं।

अतः, आलोचकों का सामान्य तर्क यह था कि आरक्षण कानून के समक्ष समानता की प्रजातान्त्रिक मूल्यों को समाप्त कर देगा, जातिवाद को बढ़ावा देगा, जाति के नाम पर लोगों को बांटेगा और इससे सामाजिक एकता को खतरा पैदा हो जायेगा, इत्यादि। यह हम देख रहे हैं।

अभी–अभी मैंने बिहार के एक सदस्य का भाषण सुना, जिनके नेता श्री नीतिश कुमार हैं मेरे अच्छे दोस्त हैं। श्री नीतिश कुमार जी वह व्यक्ति हैं, जो इसके लिये लड़ रहे हैं। यदि श्री नीतिश कुमार जी यहां होते तो मेरे विचार से, बिहार से मेरे दोस्त ने वैसे ही बोला होता, जिस तरह ये बोले हैं। वे अध्यक्षपीठ से विचार बदलने के लिये कह रहे थे, चूंकि श्री लालू प्रसाद यहां नहीं हैं। यदि वह उन पर भी लागू होता, तो वे श्री नीतिश कुमार की उपस्थिति में, एक शब्द भी न बोले होते।

उड़ीसा से मेरे विद्वान मित्र जो अभी श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का विरोध कर रहे थे, ने यह उल्लेख किया कि इस विधेयक का आशय आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ न देना है। पता नहीं कि श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक के उपबंधों से उनका क्या तात्पर्य है।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह स्पष्ठ रूप से कहा गया जिसे मैं उद्धृत करता हूं :

> "विधेयक का यह भी आशय है कि राज्य पिछड़े वर्ग की किसी जाति को, आर्थिक आधार पर आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं करेगा।"

यह संविधान के उपबंधों के अनुरूप है।

श्री बनातवाला के इस विधेयक का आशय केवल कुछ संशोधन करके कतिपय उपबंधों को शामिल करना है। यह संविधान में दिये

गये मूल सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। यह संविधान में प्रदान किये गये उपबंधों के विरुद्ध नहीं है। मेरे मित्र की जानकारी के लिये, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने पूछा है कि पिछड़ा वर्ग क्या है, पिछड़े वर्ग कैसे बनते हैं और क्या केरल और तमिलनाडु में पिछड़े वर्ग के लोग हैं और सम्पूर्ण देश के अन्य क्षेत्रों की स्थिति क्या है, जहां पिछड़े वर्ग हैं। पिछड़े वर्गों की पहचान करने की कुछ शर्तें हैं। सभापति महोदय, माननीय सदस्य और इस सभा की जानकारी के लिये, मुझे पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिये संविधान में जो कहा गया है, उसे पढ़ने की अनुमति दी जाय। यह अनुच्छेद 15(i) में स्पष्ट रूप से दिया गया है। अनुच्छेद 15(i)(4) में यह उल्लेख किया गया है कि मुझे अपने तर्क को स्पष्ट करने की अनुमति दी जाये :

> "इस अनुच्छेद अथवा अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) के प्रावधान राज्य को किसी सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने में आड़े नहीं आएंगे"

महोदय, इस संबंध में अनुच्छेद 15(i) कहता है :

> "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा"।

इस संबंध में एक छूट दी गई है कि इस अनुच्छेद के माध्यम से राज्य को सामाजिक और शैक्षिकरूप से पिछड़े किसी वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने से रोका नहीं जा सकता है। अतः सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग मानदण्ड और मार्गदर्शी सिद्धांत है। संविधान में इसे पहले ही अनुमोदित और स्वीकृत कर दिया गया है और यह इस देश में प्रचलन में भी है।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : क्या माननीय सदस्य कुछ क्षणों के लिए मेरी बात सुनने के लिए अपना भाषण रोकेंगे ? क्या वे मुझे बता सकते हैं कि क्यों पिछले पचास वर्षों में केन्द्र सरकार और ज्यादातर राज्य सरकारों ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को अभिचिन्हित नहीं किया है। क्या उनको जानकारी है कि किस राज्य सरकार का भारत सरकार ने यह कार्य किया है ?

श्री ई. अहमद : यह स्वाभाविक है कि जब संविधान ने सरकार को शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहिचान करने के लिए शक्तियां प्रदान की हैं तो सरकार को संविधान के दायरे से जाकर कोई कार्य क्यों करना चाहिए ? संविधान ने राज्य सरकारों और भारत सरकार को शक्तियां दी हैं कि वे यह अभिचिन्हित करें और यह संविधान के प्रावधानों और शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन के अनुरूप होना चाहिए। आर्थिक कारक का कहीं उल्लेख नहीं है इसीलिए मैं भी कह रहा हूं आर्थिक कारक का कहीं उल्लेख नहीं है। यह महज सामाजिक और शैक्षिक आधार पर है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस चर्चा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित था, अगर सदस्यों की सहमति हो तो आधे घंटे का समय बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य : ठीक है, सर।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : अनुच्छेद 29 उपखण्ड–2 को लीजिए इसमें भी उल्लेख है कि इसके प्रावधान राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर पिछड़ी जातियों को आरक्षण प्रदान करने में आड़े नहीं आएंगे। अब मैं इस सम्मानीय सभा के माननीय सदस्यों के सूचनार्थ अनुच्छेद 29 को उद्धृत करता हूं :

> "(1) भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा निधि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार हो।"
>
> "(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से केवल किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जायेगा।

अतएव, संविधान की सीमाएं भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने में आड़े नहीं आती हैं। श्री जी. एम. बनातवाला ने भी अपने विधेयक में इसका उल्लेख किया है। उन्होंने उद्देश्यों और कारणों के कथन में इसका स्पष्ट उल्लेख है जिसमें कहा गया है, "विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकार आर्थिक आधार पर किसी वर्ग को आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं करेंगी।" अतः आर्थिक मानदण्ड संविधान सम्मत नहीं है। हालांकि, आर्थिक मानदण्ड निर्धारित किया जा सकता है। मैं इसके पूर्ण रूप से खिलाफ नहीं हूं।

मेरे मित्र ने पूछा है कि पिछड़ी जातियों की पहचान कैसे की जाए। अब तक ऐसा नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बिना पहचान किए हम पिछड़ी जातियों की बात कर रहे हैं। मैं उनके तर्क से सहमत नहीं हूं। पिछड़ी जातियों की पहचान पाने के उद्देश्य से, अनेक नियम और मानदण्ड हैं। मैं श्री के. सी. सूरी द्वारा लिखे लेख को उद्धृत कर रहा हूं जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पिछड़ी जातियों की पहिचान कैसे की जाए। मैं उनके लेख से उद्धृत कर रहा हूं :

> "भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पिछड़े समुदाय की पहचान के लिए अपनाए गए मानदण्ड में यह सम्मिलित है :
>
> (i) हिन्दू समाज में पारम्परिक जाति में निम्न स्तर;
>
> (ii) जातियों के प्रमुख वर्ग में समान्य शैक्षणिक उन्नति का अभाव; और

[श्री ई. अहमद]

(iii) सरकारी नौकरियों में तथा व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व।

1955 में इसने 2,399 पिछड़ी जातियों की सूची पूरे देश के लिए तैयार की, जिनमें से 837 जातियों को "अत्यधिक पिछड़ा" घोषित किया। 1980 तक श्री बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में जातियों की संख्या 3,743 हो गई। अन्य पिछड़ी जातियों के जनसंख्या आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि 1931 की जनगणना के पश्चात् जाति–वार जनगणना बंद कर दी गई थी। मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर यह आंकलन किया कि भारत की 52 प्रतिशत जनसंख्या (हिन्दू और गैर हिन्दू) पिछड़े हैं।"

पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए यह मानदण्ड अपनाया गया। एक मानदण्ड, स्वीकृत है और इसे देश में लागू किया गया। इस सदन के एक माननीय सदस्य यह कैसे कह सकते हैं कि पहचान का कोई मानदण्ड नहीं है ? इसलिए मैंने यह लेख उद्धृत किया है।

अतः आरक्षण के विरोध अथवा इसको बढ़ाने के बारे में जैसा कि श्री जी. एम. बनातवाला के विधेयक में उल्लेख किया गया है, के बारे में उनके तर्क का कोई महत्त्व नहीं है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है। माननीय उच्चतम न्यायालय को कोई भी निर्णय अथवा टिप्पणी करने का अधिकार है। यह 50 प्रतिशत क्या है ? यह 50 प्रतिशत स्थिर नहीं रह सकता। उच्चतम न्यायालय का कोई भी निर्णय स्थिर नहीं हो सकता। यह परिवर्तनीय होता है क्योंकि और अधिक पिछड़ी जातियां सम्मिलित हो रही हैं।

जनसंख्या बढ़ रही है। रोजमर्रा के जीवन–यापन की जरूरत की वस्तुओं के अभाव से समाज के विभिन्न वर्ग त्रस्त हैं। अतः उच्चतम न्यायालय यह नहीं कह सकता कि यह अपरिवर्तनीय है। यह मान्य नहीं हो सकता क्योंकि दिन प्रतिदिन इस देश की जनसंख्या बढ़ रही है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। सामाजिक विषमता बढ़ रही है सामाजिक न्याय प्राप्त करना है। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों में यह कहा गया है। इन स्थितियों में, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सभा उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को कि आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, से सहमत नहीं हो सकता। इसे नहीं माना जा सकता। महोदय, मैं समयाभाव के कारण अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

किन्तु मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि तमिलनाडु द्वारा पारित विधेयक को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इसकी अगुवाई कुमारी जयललिता ने की थी जिसने अन्य सभी राज्यों को रास्ता दिखाया। दुर्भाग्य से, जहां राज्यों ने 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया वहीं उच्च न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया। इसलिए मेरा कहना है कि उच्चतम न्यायालय को अपने विनिनिर्णय को बदलना होगा। मेरे पास आरक्षण की राज्यवार सूची है। आंध्र प्रदेश में 71 प्रतिशत सामान्य आरक्षण है किन्तु उच्च न्यायालय ने इसमें रद्द कर दिया था। कर्नाटक में 68 प्रतिशत है, इसका भी वही हाल हुआ। मध्य प्रदेश में आरक्षण 78 प्रतिशत है। इसका भी वही हाल हुआ। तमिलनाडु में नौवीं अनुसूची में 68 प्रतिशत आरक्षण को शामिल किया गया। अतः केरल में एक विधेयक पारित किया गया और यह विधेयक क्रिमी लेयर को छोड़ने अथवा हटाने के लिए है। विधेयक का नाम केरल राज्य पिछड़ी जाति आरक्षण अधिनियम हैं अतः केरल राज्य के उस विधेयक को भी नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना है। अर्थात् अनुसूचित ज़ाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षिक संस्थानों में सीटों, और राज्य सेवा में पदों पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण) अधिनियम 1993 को भी नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री खारबेल स्वाईं : मुझे मात्र दो बातें कहनी हैं। मैं मात्र दो वाक्य कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप पहले बोल चुके हैं।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, कृपया मुझे अनुमति दें।

श्री ई. अहमद : मुझे भी उत्तर देने का अधिकार दें।

श्री खारबेल स्वाईं : पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो आप संविधान में उद्देश्य और कारणों का कथन सम्मिलित नहीं करेंगे। अतः यह व्याख्या के लिए खुला होगा। दूसरी बात यह है कि ऐसा इसलिए कि सामाजिक वर्ग बेकार की बात है। किसी भी सरकार ने इसकी पहचान करने का प्रयत्न नहीं किया है।

श्री ई. अहमद : वह बार–बार एक ही बात दोहरा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : सभापति महोदय, बनातवाला जी जो संविधान संशोधन विधेयक लाए हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं बैठकर सुन रहा था, बहुत सारे लोगों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रिजर्वेशन के बारे में बताया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि गुजरात में अनुसूचित जाति के लिए 7 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 14.5 प्रतिशत रिजर्वेशन है, लेकिन भारत की आजादी को पचास साल पूरे हो गए पर क्या आज तक भी उनका बैकलॉग पूरा हुआ है ? इनको जो रिजर्वेशन मिला है, वह कभी भी पूरा हुआ है ? आज भी उनकी जगह खाली है। एक रिजर्वेशन तो पूरा नहीं हुआ और अब आर्थिक आधार पर दूसरे रिजर्वेशन की मांग हो रही है। मेरी सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि जो उद्देश्य महात्मा गांधी जी ने रखा था, जो उद्देश्य डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जी ने रखा था, वह उद्देश्य पूरा करने के लिए पूरा सदन एक रैजील्यूशन लाए कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो बैकलॉग है, लाखों की संख्या में जो उनकी पोस्ट खाली पड़ी हैं, उनको भरा जाए और उसके बाद यदि कोई नया रिजर्वेशन करना हो तो

किया जाए। इस वक्त दूसरा रिजर्वेशन लाना अनुसूचित जाति और जनजाति के रिजर्वेशन को खतरे में डालना है।

एक बात हमारे साथी ने बताई थी कि आज भी सारे देश में या गुजरात में जो आरक्षण है, यह छुआछूत के आधार पर दिया गया है, न कि आर्थिक दृष्टि से। इंसान के लिए सम्मान ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। अगर एक व्यक्ति को मिठाई दी जाती है और अपमान के साथ दी जाती है तो वह नहीं खाएगा।

लेकिन अगर सूखी रोटी आत्मीयता और प्रेम से मिलेगी तो वह सूखी रोटी खाकर भी सुख से जीयेगा। यह जो रिजर्वेशन आया था वह छुआछूत के आधार पर आया था, आज भी छुआछूत है, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। जब पहली बार रिजर्वेशन खत्म होने को आया तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में बैठे थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन की आवश्यकता है, रिजर्वेशन होना चाहिए और अभी भी राज्य सभा में उन्होंने यही बात दोबारा दोहराई है। इसलिए सभापति जी मेरी यही विनती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का बैकलॉग पूरा किया जाए और जो मूल जगह पर रखना चाहिए वह रखा जाए। कानून बदलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर दिल बदले जायेंगे, सच्ची आत्मीयता रखी जायेगी तो समाज में एकता आयेगी, प्रगति होगी। चाहे हम कितने भी पढ़े–लिखे हों, लेकिन जो भेदभाव एक दूसरे के दिल में है, वह उचित नहीं लगता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : आदरणीय सभापति महोदय, आरक्षण के सिलसिले में हमारे माननीय बुजुर्ग सांसद श्री बनातवाला जी जो विधेयक लाये हैं, उस सिलसिले में मैं दो–तीन बातें सदन के सामने कहना चाहता हूं। आरक्षण के मामले में हमारे देश के बहुत सारे लोगों में बहुत सी गलतफहमियां हैं। आरक्षण का मामला इस देश की व्यवस्था, धर्म व्यवस्था और समाज की व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि हजारों वर्षों से जिनको मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया, केवल धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर इस देश के एक बहुत बड़े समुदाय को उनकी तरक्की के लिए, समान मौका देने के लिए, ईक्वल अपोर्चुनिटी देने के लिए, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने जब इस देश का संविधान बनाया तो उस संविधान के तहत जो प्रावधान किया गया उसमें जो वर्ग इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को अपनी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर प्रीविलेज्ड क्लास बनकर जो समाज आगे बढ़ गया, उनके साथ में ले जाने के लिए, उनको स्पीड अप करने के लिए यह आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन इस देश में इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई जाती हैं। हमारे एक सम्माननीय साथी ने कहा कि आरक्षण की वजह से सब लोगों में एक प्रकार का भेदभाव का निर्माण होता है, समाज का विभाजन होता है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आरक्षण की वजह से समाज में भेदभाव निर्माण नहीं होता, समाज विभाजित नहीं होता। जिन्होंने हमारे देश में धार्मिक और जाति के आधार पर अपनी तरक्की की है, जो प्रीविलेज्ड क्लास हैं, यदि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग यदि उनके बराबर आते हैं तो यह बराबरी की बात उनके लिए दुखदायी है वे इस बात को बर्दास्त नहीं कर सकते और इसीलिए हमेशा आरक्षण का विरोध किया जाता है।

सभापति महोदय, जो आरक्षण दिया गया, हमारे साथी ने ठीक ही कहा कि जैसे छुआछूत की वजह से इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को विकास के मामले में पीछे रहना पड़ा, एजूकेशनल और सोशल बैकवर्डनैस है, यह आरक्षण का आधार है, इसीलिए आरक्षण दिया गया। इसका जो विरोध किया जाता है वह ठीक नहीं है। आर्थिक रूप से अगर आप किसी को देना चाहें तो उसका विरोध करने का सवाल ही नहीं है। जिनको आरक्षण चाहिए, उनको आप आरक्षण दें। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण है, उन अधिकारों को हमेशा बरकरार रखा जाए।

सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आरक्षण की नीति सरकार ने लागू तो की है लेकिन जैसे किसी को पंच पकवान की थाली परोस दी जाती है, लेकिन खाने के लिए मना कर दिया जाता है, खाने नहीं दिया जाता है, वही बात 50 साल की आजादी में इस देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के साथ हो रही है। आरक्षण के नाम पर बड़े–बड़े वायदे किये गये, बहुत सारी बातें कही गईं, आरक्षण के नाम पर प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम आरक्षण को हटने नहीं देंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग क्या कहता है, वहां पर ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो दलित विरोधी हैं, जो अनुसूचित जाति के विरोधी हैं, वे नहीं चाहते कि ये लोग तरक्की करें।

सभापति महोदय, इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग तरक्की न कर सकें, ऐसी मानसिकता वाले अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं। उन्होंने ऐसे आदेश निकाले हैं जिनकी वजह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के रिक्रूटमेंट और प्रमोशन को रोका गया। आरक्षण को ठीक प्रकार से लागू न करके इन वर्गों के लोगों को सताया जा रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वहां पर जो ऐसे अधिकारी बैठे हैं उनको वहां से हटाया जाए और आज सबसे जरूरी चीज यह है कि रिजर्वेशन का एक्ट बनाया जाए। जब तक रिजर्वेशन का एक्ट नहीं बनेगा, तब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं सोशयल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर महोदया से भी अनुरोध करूंगा कि वे इस तरफ ध्यान दें और इस देश के तमाम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ेवर्गों के अधिकारों की रक्षा करें और इस आरक्षण को बरकरार रखने तथा बढ़ाने के संबंध में उपयुक्त कानून बनाएं तथा डिपार्टमेंट ऑफ परसोनैल एंड ट्रेनिंग के आरक्षण विरोधी और प्रमोशन विरोधी आदेशों को रद्द करें और अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारों की रक्षा करें।

* मूलतः कन्नड़ भाषा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[प्रो. जोगेन्द्र कवाडे]

सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्त्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

***श्री बी. एम. मेनसिंकाई (धारवाड़ दक्षिण)** : सभापति महोदय, मैं अपने साथी श्री जी.एम. बनातवाला द्वारा लाये गये इस संशोधन विधेयक के विरोध में खड़ा हुआ हूं। 1947 में हमारी स्वतंत्रता के समय आरक्षण की यह भावना उभरी थी लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बनने के पक्ष में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मंशा मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने की थी। उन्होंने विभाजन को रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किये। लेकिन जिन्ना का कुछ और ही इरादा था। कुछ बड़े नेताओं की छोटी–सी गलती के कारण विभाजन हुआ। दुर्भाग्यवश अब राष्ट्र भारत, बंगलादेश तथा पाकिस्तान में विभाजित हो चुका है।

संविधान के अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक पिछड़ेपन तथा शैक्षिक पिछड़ेपन का उल्लेख किया गया है। मेरा मानना है कि यह बेहतर होता कि पिछड़ेपन को केवल आर्थिक स्थितियों के आधार पर देखा जाता। आज भी श्री एस. निजलींगप्पा इस बात का समर्थन करते हैं। इस तरह का संशोधन कम से कम अब तो किया जाना चाहिए। पिछड़ापन केवल जाति, उप–जाति और समुदाय इत्यादि के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने मंडल आयोग के प्रतिवेदन पर अपना निर्णय दे दिया है। तदानुसार आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सीमा है। राज्यों में इन वर्गों के लिए 69 प्रतिशत, 56 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है। हमारे कर्नाटक में 56 प्रतिशत आरक्षण है। इन्हें हटाने की आवश्यकता है।

हमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार पूरे देश में 50 प्रतिशत आरक्षण कायम रखना चाहिए क्योंकि इससे पूरे देश में आरक्षण देने में एकरूपता आयेगी। यह हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा तथा लाभकारी है। मैं लोक शक्ति पार्टी की ओर से बोल रहा हूं। इसलिए मुझे एक मिनट का समय और दिया जाए। आरक्षण के लिए सीमा निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। मैं इसलिए श्री बनातवाला जी के द्वारा लाये गये इस विधेयक का विरोध करता हूं।

महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय बनातवाला जी द्वारा आरक्षण के संबंध में इस सदन में प्रस्तुत विधेयक पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज यहां पर आरक्षण की बात हो रही है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि जो आरक्षण हमें मिला है यह बहुत ही कुरबानियों और मुसीबतों के बाद मिला और इसमें किसी से कोई भीख मांगने की बात नहीं है।

हमारे पूर्व नेताओं ने, हमारे पूर्वजों ने बड़े संघर्ष के बाद यह आरक्षण की सुविधा दी है। इसमें हम डॉ. भीमराव अंबेडकर सहित संविधान निर्माता सदस्यों को कभी भूल नहीं सकते आज आपको मालूम होगा कि मैंने जीरो आवर में एक प्रकरण उठाया था कि देश को आजाद हुए 50 वर्ष हो गये हैं लेकिन आज भी निचली अदालतों में जजों की कुर्सियों को गंगा जल से धोया जा रहा है–यह समाज के लिए बड़े शर्म की बात है। यहां बात कही गई है कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति और जनजाति को रिजर्वेशन तय करने के लिए पावर दी जानी चाहिए। मैं कहता हूं कि तमाम राज्यों में बहुत से आयोग बने हुए हैं, वे आयोग भी अपनी सिफारिश तय करके आगे भेजते हैं, तब जाकर आरक्षण होता है। समाज में आज भी बहुत सी उपेक्षित व शोषित जातियां हैं, जो आरक्षण से वंचित हैं। उन्हें पूरी सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं। आज आप विभागों में देखें, चाहे वह केन्द्र सरकार का विभाग हो या राज्य सरकार का विभाग हो, कहीं भी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। इस संबंध में मैंने माननीय प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी को एक प्रतिवेदन दिया था कि आज भी भारतवर्ष में सचिव पद पर अनुसूचित जाति के लोग बहुत कम हैं। हम बड़े लोगों के पक्ष में नहीं हैं जो आरक्षण की सुविधा पाकर आगे बढ़े हैं, उन्हें ही आरक्षण मिले। हम इसके विरोध में हैं लेकिन आज अगर हम भारत का असली स्वरूप गांव में देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आजादी के 50 वर्ष बाद भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। वहां भी इसकी जरूरत है कि आर्थिक तौर पर पिछड़ी और अनुसूचित जाति को और अधिक आरक्षण की सुविधा मुहैया हो सके। इसी प्रकार की–पोस्ट्स पर देखें तो कहीं भी अनुसूचित जाति–जनजाति का कोटा पूरा नहीं हुआ है, कहीं भी अधिकारी नहीं हैं खासकर मैं उत्तर प्रदेश की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसी प्रकार से कुछ राज्यों की रिपोर्टें भी हमारे सामने आई हैं। जैसे आंध्र प्रदेश और गुजरात में तमाम अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों को ये सुविधायें नहीं मिल पाई हैं। इसी प्रकार से उच्च न्यायालय के निर्णय से कुछ वर्ग आरक्षण की परिधि से बाहर हुए हैं, उन्हें भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। आज जहां बात कही जाती है और अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति हमने अनुसूचित जाति का चुना है। अगर आपने राष्ट्रपति अनुसूचित जाति का चुना है तो प्रभुनाथ सिंह जी से मैं कहना चाहूंगा कि बड़े संघर्ष के बाद, एस. सी. और एस. टी. फोरम ने जो संघर्ष किया है, मंडल आयोग के बाद संघर्ष किया है तब जाकर वह सीट हमें मिली है। कोई भीख मांगने से हमें यह सीट नहीं मिली है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम भी यही कहते हैं कि प्रतियोगिता में शामिल होना चाहिए। संघर्ष करके आपने वह पद लिया, इसके लिए आपको बधाई।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं कहना चाहता हूं कि हमारी काबलियत में, योग्यता में कहीं भी कमी नहीं है। आज भी छुआछूत की स्थिति आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर है। आप पिछड़े इलाकों में चले जाइये, आज भी आपको दिखाई देगा कि लोग संघर्ष कर रहे हैं। भारत का असली स्वरूप देखें तो वह आपको आज भी गांव में देखने को मिलेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप गांव जाओगे तब आपको पता लगेगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार : हम लोग बिल्कुल जाते हैं। हम लोग गांव से ही चुनकर आते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इस सदन में हमारे सम्मानित नेता श्री राम मनोहर लोहिया जी का भी नाम लिया गया। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे समाजवादी पार्टी के नेता श्री मुलायम सिंह जी आज भी कभी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो इस बात को कहते हैं कि हम जहां पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण के हिमायती हैं, वहीं सवर्ण वर्ण में भी अगर कोई कमजोर है, दबा हुआ है, कुचला है तो उसको भी दो परसेंट आरक्षण देने की बात वह कहते हैं।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि आरक्षण में जो तमाम विसंगतियां हैं, उसे दूर करते हुए तमाम जगह पर आरक्षण का जहां कोटा पूरा नहीं है, उसे पूरा कराया जाये, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) :** अध्यक्ष महोदय, सावानूर समिति का गठन कर्नाटक में पिछड़े वर्गों के संबंध में अध्ययन करने के लिए किया गया था। उस समय श्री देवराज अर्स मुख्यमंत्री थे। अब श्री सावानूर भरतीय जनता पार्टी में हैं। इसी तरह वेंकटस्वामी समिति गठित की गई थी। वेंकटस्वामी कर्नाटक विधानमंडल के सचिव थे। वह भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं।

तत्पश्चात् न्यायमूर्ति, चिन्नयप्पा रेड्डी समिति गठित की गई थी। उन्होंने 'समृद्ध वर्ग' का विचार का प्रतिपादन किया। जो आर्थिक रूप से काफी सम्पन्न थे उन्हें 'समृद्ध वर्ग' में शामिल किया गया आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्तियों के नाम को हटा दिया गया था और वे चाहते थे कि समाज के गरीब वर्ग को लाभ मिले।

यदि हम समाज के अपेक्षाकृत गरीब वर्ग को आर्थिक और समाजिक उत्थान करना चाहते हैं तो उनके लिए उच्च शिक्षा बहुत आवश्यक है। उच्च शिक्षा प्राप्त करके ही समाज में उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है। हमने इस दिशा में क्या किया है। गांव के स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। सुदूर क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा नहीं है, हमारी भावी पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देना बिल्कुल संभव नहीं है। जबकि हम शिक्षा में काफी अधिक धनराशि खर्च कर रहे हैं स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग आरक्षण को जारी रखने की मांग कर रहे हैं। जब वे आर्थिक और सामाजिक रूप से ऊपर उठ जायेंगे, तो तब उनको आरक्षण की तभी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हमने इस दिशा में क्या गंभीर प्रयास किया है ? हमें बस स्टेंडों में कुलियों की आवश्यकता होती है। हम सभी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, लेकिन इन गरीब लोगों के पास पेयजल की सुविधा नहीं है। गांवों में उनके लिए स्कूल नहीं हैं, उनके लिए रहने को मकान नहीं हैं। हम स्वतंत्रता प्राप्ति की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, किन्तु गरीब लोग अभी भी गरीब ही हैं। हम इन लोगों के बारे में लम्बे–लम्बे भाषण देते हैं। इन भाषणों को देते समय हम सभी तरह के विशेषणों का प्रयोग करते हैं। यह राजनीतिक चालबाजी है।

यह मात्र दिखावा है। हम उनके उत्थान के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम आरक्षण के बारे में ठण्डे दिल से बोलते हैं। वे दशकों और सदियों से दबे हुए हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने देना चाहिए। इस दिशा में हमने क्या प्रयास किए हैं ?

इन असहाय व्यक्तियों की दशा सुधारने के लिए हमारे प्रयास कतई पर्याप्त नहीं हैं। हम इन गरीब व्यक्तियों के उत्थान के बारे में लोक सभा और विधान मंडलों में घंटों बोलते हैं। हमने आज महिलाओं पर अत्याचार के बारे में चर्चा की। लेकिन महिलाओं की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर प्रयास कहां किए जा रहे हैं।

महिलाओं की इन सभी समस्याओं का मूल कारण पुरुष हैं। प्रशासन में अधिकांशतः पुरुष ही हैं। इस तरह से आडम्बरपूर्ण दृष्टिकोण से समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। समाज में जागरूकता पैदा हो गई है। वे अब महसूस कर रहे हैं कि उनके प्रति अन्याय किया जाता रहा है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को बारहवीं कक्षा में 70 से 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के बावजूद मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिल पाता। यह स्थिति है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, विधायक और अन्य उन्नत लोग अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने में सफल हो जाते हैं क्योंकि वे उन्हें बाल्डविन और अन्य कॉन्वेंट स्कूलों में शिक्षा दिलाते हैं। उनके बच्चे 80 से 85 प्रतिशत अंक हासिल करते हैं और तकनीकी संस्थानों में प्रवेश पा लेते हैं। मेरे गांव के किसी गरीब व्यक्ति के किसी ऐसे बेटे या बेटी को जिसे 70 प्रतिशत अंक मिले हैं, तकनीकी कालेज में प्रवेश नहीं मिलता। तो इसका विकल्प क्या है। आप इन दलित लोगों को क्या सुविधा प्रदान कर रहे हैं ? इसीलिए श्री चिन्नयप्पा रेड्डी ने 'समृद्ध वर्ग' व्यवस्था शुरू की। जो लोग समाज में ऊपर आ गए हैं, उनका नाम सूची से हटा दियाा जाना चाहिए। वे अपने लिए स्वयं ही व्यवस्था कर सकते हैं। वे दूसरों के साथ भोज आदि में शामिल हो सकते हैं? उनके लिये अस्पृश्यता का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वे समाज में ऊपर उठ गए हैं, अस्पृश्यता उनके लिए है जो गरीब लोग हैं जिनके

* मूलतः कन्नड़ भाषा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या]

पास खाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए सरकार को गंभीर प्रयास करने चाहिए। हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है।

प्रत्येक विधानमंडल को यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए। दूसरों को दोष देने का कोई फायदा नहीं है। जो बीत गया है, वह बीत गया। हमें भविष्य के बारे में सोचना है और आयोजना करनी है। यह हमारा कर्त्तव्य है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए।

मेरे मित्र बता रहे थे कि उन्हें 18 प्रतिशत वाला कहकर अपमानित किया गया था। वे कहते हैं कि वे अपनी योग्यता पर आए हैं। इसमें सच्चाई है। नेतागण, राजनीतिज्ञ और अन्यों को इन दलितों के उत्थान के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। हमारी भावनाएं सच्ची होनी चाहिये क्योंकि तभी वे लोग इस समाज में अन्यों के समान सम्मानीय जीवन जी सकते हैं।

महोदय, यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अगर सभा की अनुमति हो तो आधे घंटे का समय और बढ़ा दिया जाये, 4-5 मैम्बर बोलने वाले हैं।

श्री अमर पाल सिंह : सभापति जी, फिर एक घंटा बढ़ा दिया जाये, मेरा बिल भी आ जायेगा।

सभापति महोदय : इस बिल का समय बढ़ाया जाये।

श्री अमर पाल सिंह : हमारा बिल भी तो विचार के लिए प्रस्तुत करवा दें।

सभापति महोदय : इस बिल की समाप्ति के बाद आपकी राय पर विचार किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्वीलोन) : सभापति महोदय, मैं श्री बनातवाला द्वारा पेश किए गए विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। इस विधेयक के माध्यम से संविधान के अनुच्छेदों 15 और 16 को संशोधित करने का प्रस्ताव है। हमारे देश में आरक्षण का मुद्दा काफी विवादास्पद है। जहां तक आरक्षण का सवाल है तो मुझे इस बात का गर्व है कि यह विधेयक केवल विधान सभा के एक अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग करता है। हमारे राज्य केरल में त्रावनकोर-कोचीन के राजा-रानी के समय से आरक्षण दिया जाता रहा है।

यह मुद्दा विवादास्पद तब बन गया था जब पूर्व प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल रिपोर्ट को लागू करने का निर्णय किया था। महोदय, हमारे प्रदेश में 49.5 प्रतिशत आरक्षण राज्य की नौकरियों में पहले से ही था। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में इस नीति को केन्द्र की नौकरियों में भी और लागू करने का निर्णय किया गया था। अब हमारे देश में कुछ न्यायिक निर्णयों के बाद 'मलाईदार परत' की अवधारणा पैदा हुई है। इस 'मलाईदार परत' को आर्थिक मानदण्ड के साथ जोड़ा जा रहा है। यह एक अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण बात है। इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और इस मुद्दे पर किसी न किसी प्रकार की आम सहमति होनी चाहिए।

महोदय, अनुच्छेद 15 और 16 के आधार पर शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को छूट दी जा रही है। जैसा कि श्री ई. अहमद ने कहा था कि भारतीय संविधान के अनुछेद 15 और 16 के आधार पर शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को कुछ विशेषाधिकार मिल रहे हैं। अतः इसका क्या अर्थ है ? सामाजिक पिछड़ापन क्या है ? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों में अनेक मानदण्ड तय किए हैं और अन्य अनेक मानदण्ड भी हैं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का उद्देश्य प्रशासन में उनकी भूमिका सुनिश्चित करना है क्योंकि इन जातियों को प्रशासन में भागीदारी के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अतः इसे विशेष सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए हम जानते हैं कि भारत सरकार के रोजगार और श्रम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में करीब 4 करोड़ से अधिक शिक्षित बेरोजगार हैं। अतः आरक्षण के जरिए आप आरक्षण की समस्या को कभी हल नहीं कर सकते हैं। आरक्षण की नीति को बेरोजगारी दूर करने के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए। यदि केन्द्रीय सेवाओं और अन्य सेवाओं में सभी पदों को आरक्षित कर दिया जाए तो भी बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। यह एक सामाजिक चिंता का विषय है क्योंकि समाज के एक वर्ग--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों' जिनको प्रशासन और जिला में भागीदारी से वंचित कर दिया गया है। उनके लिए इस नीति के आधार पर, यह भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेषाधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए और यह नीति जारी रहनी चाहिए। जहां तक न्यायिक निर्णय के आधार पर विकसित हुई मलाईदार परत की नई अवधारणा का प्रश्न है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। कल प्रधानमंत्री ने राज्य सभा में बोलते हुए कहा कि एक लाख की आय सीमा को बढ़ाया जाएगा। यह अन्य मामला है।

अपराह्न 6.00 बजे :

न्यायिक निर्णय से अनेक पहलू सामने आये हैं। उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की अवधारणा को बदल दिया है। हमने स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे किए हैं। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनायी है और इस वर्ष 15 अगस्त को इसका समापन होने जा रहा है।

सभापति महोदय : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, आप अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 6.01/2 बजे

[अनुवाद]

संविधान संशोधन विधेयक*

(नये अनुच्छेद 75 "क" का अंतः स्थापन आदि)

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय संविधान में और संशोधन करने वाला एक विधेयक पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय संविधान में और संशोधन करने वाला एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा की बैठक सोमवार, 27 जुलाई, 1998 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.01 बजे :

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 27 जुलाई, 1998/5 श्रावण, 1920 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–दो, खण्ड 2 दिनांक 24.7.98 में प्रकाशित।

© 1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।